खण्ड-376, अंक-4
सोमवार, 19 फाल्गुन, शक संवत् 1907
(10 मार्च, 1986 ई0)

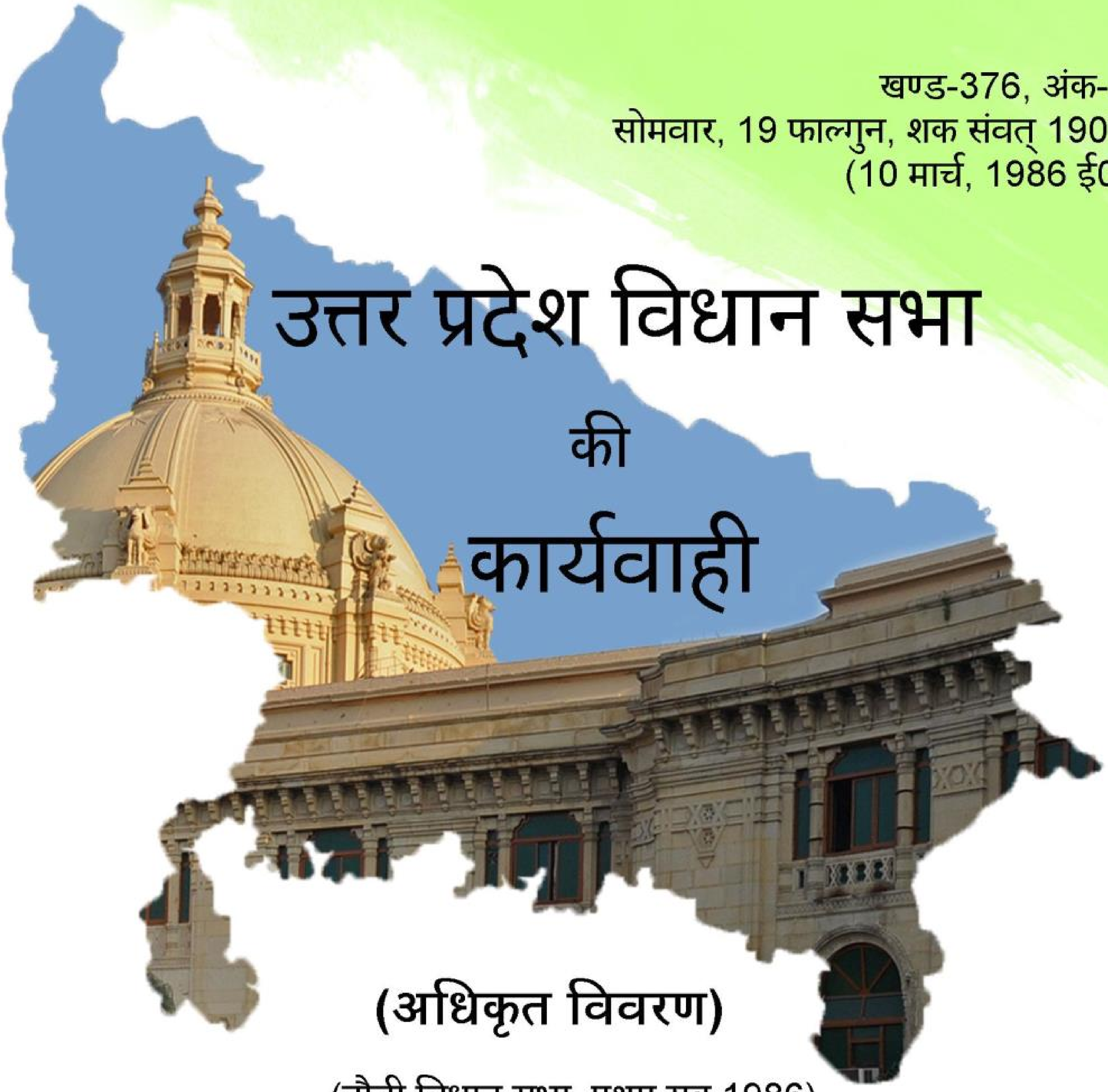

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1986)

खण्ड 376 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–62
आज तारांकित प्रश्न संख्या–3 नत्थी 'ख' का उत्तर शिक्षा मन्त्री के स्थान पर परिवहन मन्त्री डा0 संजय सिंह द्वारा दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	63–65
वाराणसी में सन्तनपुर बाजार–सेवापुरी रेलवे स्टेशन मार्ग पर ग्राम भरहुआ के निकट मटुका नाला पर प्रस्तावित पुल के निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	65
जल निगम कानपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन के अपव्यय एवं गड़बड़ी किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65–66
सीयर बलिया में दोहरीघाट सहायक परियोजना नहर पर चौकिया मोड़ के सामने ओवर ब्रिज बनवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66
नगरपालिका बादशाहपुर, जौनपुर द्वारा अवैध करों की वसूली किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	67
श्री ए0सी0 द्विवेदी क्षेत्रीय प्रबन्धक परिवहन निगम अलीगढ़ द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों का उत्पीड़न एवं शोषण किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	67
बस्ती जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का दुरुपयोग किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	68
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	68–69
श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त उप नेता भारतीय जनता पार्टी के मेरठ नगर में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	69–77
बाराबंकी में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा असंवैधानिक कार्य किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	77–79
किसी सदस्य द्वारा सदन में बिल्ला लगाकर आने पर व्यवस्था का प्रश्न ..	79
वाराणसी में पुलिस द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह सदस्य विधान सभा के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	79
श्री जमुना प्रसाद बोस सदस्य, विधान सभा को गैर कानूनी तौर से गिरफ्तार किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	80–82
प्रदेश के कई स्थानों में कर्फ्यू लागू होने से हाई स्कूल व इन्टर मीडिएट बोर्ड की शुरू होने वाली परीक्षाओं में बाधा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	82
औचित्य के प्रश्नों पर निर्णय	83
मेरठ में हत्या और लूटपाट आदि के सम्बन्ध में वक्तव्य	83–88
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	88

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 11—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) तथा अनुदान संख्या—12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) 95-154

श्री सूर्य प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना 154

श्री सुरेन्द्र सिंह सदस्य, विधान सभा के साथ वाराणसी में पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के सम्बन्ध में उठाए गए औचित्य के प्रश्न का श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा खंडन 155

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 155

टिहरी में पर्वतीय विकास के लिए चल रहे सर्वदलीय आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 155-157

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बज कर 3 मिनट पर, अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

अकबर हुसैन बाबर, श्री	फैजाबाद	बैजनाथ, श्री	देवरिया
अच्युतानन्द तिवारी, डा0	गोरखपुर	ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	भगवती प्रसाद, चौधरी	मिर्जापुर
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	मंगलदेव, श्री	गोण्डा
अरुण प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
अवधेश राय शास्त्री, श्री	गाजीपुर	महेन्द्र सिंह भाटी, श्री	गाजियाबाद
अशोक सेहरा, श्री	आगरा	मान बहादुर सिंह, श्री	गोण्डा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	झांसी	मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़	मैमेजर सिंह, श्री	बलिया
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	रघुवर दयाल वर्मा, श्री	आगरा
कुशल पाल सिंह, श्री	मथुरा	रजनी कान्त दत्त, डा0	वाराणसी
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	रणजीत, श्री	देवरिया
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ	राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
जागन सिंह, श्री	रामपुर	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नत्थू लाल विकल, श्री	बरेली	रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	राम पाल सिंह एडवोकेट, श्री	गोण्डा
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
नरेश चन्द्र, श्री	लखनऊ	राम लक्षन, श्री	गोरखपुर
नारायण हरि शर्मा,	अलीगढ़	रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
निरोत्तम सिंह, श्री	बदायूं	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
पुष्कर सिंह, श्री	गढ़वाल	विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां)	गोण्डा	विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
बसंत सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
बुधपाल सिंह "बुर्जावाले", श्री	बुलन्दशहर	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

शतरुद्र प्रकाश, श्री	वाराणसी	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद	सुरेश चन्द्र, श्री	नैनीताल
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर	सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
सरदार सिंह, श्री	मथुरा	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
सरोज वर्मा, श्रीमती	मेरठ	हर शरन सिंह, श्री	मेरठ
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया	हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर		

नोट :—श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री, श्री निसार अहमद अन्सारी, लघु उद्योग एवं हथकरघा राज्य मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बसों के किराये में वृद्धि का प्रस्ताव

**1—श्रीमती शशि शर्मा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बसों के किराए की वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप है ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर संजय सिंह)—

फिलहाल किराया वृद्धि का कोई विचार नहीं है ।

श्रीमती शशि शर्मा—

मान्यवर, क्या मा0 मंत्रीजी बतायेंगे कि फिलहाल से आपका तात्पर्य बजट सेशन से है, या इसके बाद भी है । यह फिलहाल कब तक रहेगा ?

डाक्टर संजय सिंह—

मान्यवर, फिलहाल से मतलब इस समय से है । इस समय से मतलब कहीं से भी लगा सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि फिलहाल इरादा नहीं है, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या परिवहन निगम ने कोई प्रस्ताव इस आशय का शासन को भेजा है, जिसमें उन्होंने इच्छा प्रकट की है कि किराया बढ़ाया जाय ? यदि हां, तो वह क्या है ? और इस पर शासन का क्या दृष्टिकोण है ?

डाक्टर संजय सिंह—

मान्यवर, निगम से इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सी निजी परिवहन कम्पनियां हैं, जिनका किराया रोडवेज के किराये से कम है, जिसके कारण यात्री कम मिलने के कारण रोडवेज को भारी हानि उठानी पड़ती है, तो क्या मा0 मंत्री जी पर्वतीय क्षेत्र में रोडवेज का किराया घटाकर उन प्राइवेट कम्पनियों के समान करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

मान्यवर, इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है । मा0 सदस्य यदि चाहते हैं तो इसके बारे में मैं दिखवा लूंगा ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि फिलहाल किराया बढ़ाने का कोई इरादा नहीं । यदि बढ़ा नहीं रहे हैं, तो क्या किराया घटाने पर विचार करेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह—

मान्यवर, घटाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री राम नाथ मुंशी—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी विद्यार्थियों के लिये किरायों में आधी छूट देने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ?

डाक्टर संजय सिंह—

मान्यवर, इसके पूर्व इस प्रकार का सवाल सदन में आ चुका है और मैं उसका जवाब दे चुका हूं ।

श्री हरदेव—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं और बसों को बस स्टेशन पर रोके रखते हैं, क्या

उन पर पेनाल्टी लगाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, बेटिकट यात्री के लिये दंड का प्राविधान है और उसके लिये कार्यवाही होती है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि फिलहाल किराया नहीं बढ़ाया जायेगा तो क्या इससे यह आशय निकाला जाय कि वित्तीय वर्ष 1986-87 में किराये में कोई वृद्धि नहीं होगी ?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य सोचते हैं कि ज्यादा व्यय भार न पड़े, वैसा ही सरकार भी सोचती है । मान्यवर, यह सही है कि डीजल आदि के दाम बढ़े हैं । लेकिन, हम अपनी इफिशियेंसी आदि बढ़ाकर किराया न बढ़ाने के बारे में ही हर समय सोचते हैं ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से नगर बस के किरायों को राउन्डेड किया गया है, क्या उसी तरह से जो लम्बे रूट की बसें हैं, उनके किरायों को भी राउन्डेड करने पर विचार कर रहे हैं ?

डाक्टर संजय सिंह–

ऐसा कोई विचार नहीं है ।

मान्यवर, मैंने अपने बजट भाषण में यह अवगत किया था कि टिकट प्रणाली में सुधार के लिये नयी टिकट प्रणाली लागू कर रहे हैं । इसको हम 20 मार्च से शुरू कर रहे हैं ।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में छात्रों के लिये बसों के किराये में सबसिडाइज करने की कोई योजना है ?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, इसका जवाब मैं अभी दे चुका हूं कि इसके संबंध में पूर्व में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है ।

ग्राम समाज के अंतर्गत ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने तथा आवंटन के कार्यक्रम के संबंध में जानकारी

**2–श्री कौशिक रमाशंकर–

क्या मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में है कि ग्राम समाज की ऊसर भूमि को ठीक करने, उपजाऊ बनाने के लिए 20–20 एकड़ के पट्टे साधन पूर्ण व्यक्तियों को दिए जाने सम्बन्धी आदेश के स्थगित कर दिए जाने से ऊसर भूमि को उपजाऊ किए जाने का कार्य अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो भूमि उपजाऊ कार्यक्रम को प्रगति देने के लिए शासन क्या उपाय कर रहा है ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

जी नहीं ।

ग्राम सभा में निहित ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने तथा आवंटन विषयक पूर्व नीति पर पुनर्विचार कर अधिक लाभकारी उपयोग के सम्बन्ध में सुझाव देने हेतु शासनादेश दिनांक 16-8-83 द्वारा एक समिति का गठन किया गया था समिति का प्रतिवेदन शासन को प्राप्त हो चुका है जिसका परीक्षण करने के उपरान्त नीति विषयक बिन्दुओं पर उच्च स्तरीय निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं कि तीन वर्ष में कमेटी का प्रतिवेदन तो

प्राप्त हुआ । मान्यवर, लाखों एकड़ ऐसी जमीन है, जो ग्राम समाज के अंदर ऊसर पड़ी हुई है, जिसको सुधारने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन पर परीक्षण कार्य कितने वर्ष में पूरा कर लेंगे ? दूसरे, उस प्रतिवेदन में खास-खास संस्तुतियां क्या हैं ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, आपके संज्ञान में भी यह बात होगी कि कृषि संबंधी भूमि के आवंटन का मामला एक महत्वपूर्ण मामला है । जमीन देने से पहले शासन को इस पर गम्भीरता से चिन्तन करना पड़ गया । पहले जो शासनादेश जारी किया गया था, उसमें कुछ इस तरह की बात शासन के समक्ष आई कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 198 के अन्तर्गत जो पात्र व्यक्ति हैं, उनको लाभ नहीं मिल सकेगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए इस समिति का गठन किया गया । समिति के गठन के बाद उसका प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया है । शासन स्तर पर कृषि विभाग द्वारा उसका परीक्षण किया जा रहा है । चूंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ नीतिगत मामले इसमें निहित हैं, अतएव इस पर कैबिनेट का डिसीजन होगा। तब तक इस पर कुछ कह पाना सम्भव नहीं हो पायेगा । प्रक्रिया तेजी से चल रही है, थोड़ा तो इसमें इन्तजार करना ही पड़ेगा ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि, उस प्रतिवेदन में खास-खास संस्तुतियां क्या हैं ? मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात है । पात्र व्यक्तियों से मंत्री जी का जो अभिप्राय है, इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस ऊसर भूमि को किसी भी प्रकार से वह उपजाऊ बनाने में सक्षम नहीं है । शासन को ही इसमें कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी और या फिर शासन को इसके लिए कोई अन्य उपाय निकालना पड़ेगा । माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अभी 3 वर्ष पहले तक ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने की जो व्यवस्था थी, उसमें क्या व्यवधान आ गया था और अब मंत्री जी उसके लिए क्या विकल्प सोच रहे हैं ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैंने मूल उत्तर में ही बात को स्पष्ट किया है । माननीय सदस्य ने जिस शासनादेश का संदर्भ दिया है, उसी पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ गई । जिलाधिकारी, लखनऊ और राजस्व परिषद् द्वारा शासन की जानकारी में यह बात लाई गई कि उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश अधिनियम की धारा 198 के अन्तर्गत जो पात्र व्यक्ति हैं उनको इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिल सकेगा । इससे पहले कि बड़े-बड़े लोगों की भूमि का आवंटन किया जाय, इस पर गम्भीर चिन्तन की आवश्यकता है । जो महत्वपूर्ण बिन्दु उठाये गये हैं उन्हीं के लिये समिति का गठन किया गया है समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और कृषि विभाग द्वारा उसका परीक्षण भी कराया जा रहा है, तत्पश्चात न्याय विभाग से भी उस पर राय ली जायेगी और फिर कैबिनेट में इस पर डिसीजन होगा तब तक जनहित में इस पर कुछ कह पाना सम्भव नहीं है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, माननीय श्री कौशिक जी ने दो बार पूछा कि मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या-क्या हैं ? धारा 198 का माननीय मंत्री जी ने जो हवाला दिया उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि इसके अन्तर्गत केवल कृषि योग्य भूमि का आवंटन किया जाता है न कि अयोग्य भूमि का। शुरू में ही माननीय मंत्री जी प्रश्न की मूल भावना से परे हट गये। माननीय मंत्री जी ने यह भी कह दिया कि इस समय जनहित में बताना उचित न होगा। कम से कम माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि कौन से व्यक्ति पात्र हो सकते हैं और कौन से नहीं ? आपके जो पहले के लोग हैं उनको आप पात्र मानेंगे कि नहीं और किस तरह से इस भूमि को कृषि योग्य भूमि बनायेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, यह चूंकि ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने के बारे में है, ऊसर सुधार निगम भी है, शासन इस पर विचार कर रहा है कि इस भूमि को कैसे कृषि योग्य बना सकें, क्या ऊसर सुधार निगम से कुछ उपलब्धि होगी, सफल होंगे। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है और माननीय सदस्यगण के संज्ञान में है कि जब कोई प्रोजेक्ट या उद्योग को लाने की बात आती है तो भूमि अध्याप्ति की जाती है। अब भूमि अध्याप्ति करने के विषय में जो नीति है, जो जमीन है उसकी मार्केट वैल्यू देते हैं। ऐसी स्थिति में अब इस पर विचार हो रहा है कि कोशिश यह की जानी चाहिये कि कृषि योग्य जो भूमि है, उसको न लेने की बात पर ज्यादा विचार किया जाना चाहिये, जिसमें खेती नहीं हो रही है, ऊसर है, उसको लेकर उद्योग वगैरह के लिये एक्वायर कर सकें तो ज्यादा हितकारी होगा। इस तरह के दो चार और बिन्दु हैं, जिन पर शासन स्तर पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। जहां तक आपने कहा कि पात्र व्यक्ति कौन हैं। जिन लोगों को जमीन दी जानी है, उनको अगर एक बार 30 साल के पट्टे के लिये दे दी, तो फिर उनसे ले सकेंगे या नहीं, फिर जो गरीब लोग हैं, जिनका हित करना चाहते हैं, उस सम्बन्ध में हो सकता है कि बाद में कुछ न कर सकें, इसीलिये गम्भीरतापूर्वक चिन्तन किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह एक राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है, जिस पर कि शासन की नीति अस्पष्ट है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई समय निर्धारित किया है कि इस राष्ट्रीय मुद्दे पर अपनी नीति कब तक स्पष्ट करेंगे ? यदि हां, तो आपका चिन्तन किस स्तर पर है? कब तक सुनिश्चित नीति निर्धारित हो जायेगी?

श्री गौरी शंकर—

मैंने निवेदन किया कि अभी इस पर कृषि विभाग द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण का आशय यह है कि ऊसर सुधार निगम वगैरह कितना एरिया ठीक करने की स्थिति में हैं और वर्तमान वित्तीय संसाधनों को देखते हुए क्या कर सकेंगे। वर्तमान में तो कृषि विभाग के अन्तर्गत ही चर्चा का विषय है, बाद में न्याय विभाग द्वारा चिन्तन किया जायेगा, तत्पश्चात् कैबिनेट के समक्ष आयेगा। उसके निर्णय के बाद ही आपके समक्ष जो बातें आ जायेंगी, मैं समझता हूं उससे आपकी जिज्ञासा शान्त हो जायेगी।

श्री भगवती सिंह विशारद—

माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि जहां उद्योगों के लिये भूमि की आवश्यकता

पड़ती है, वहां ऊसर भूमि का वितरण करने में वरीयता देंगे, मैं जानना चाहता हूं कि जिन स्थानों पर ऊसर भूमि अधिक है, क्या तय किया है कि वहां पर उद्योग लगायेंगे? यदि लगायेंगे तो किन-किन जनपदों में और कब तक?

श्री गौरी शंकर–

मैंने ऐसा नहीं कहा कि जहां ऊसर भूमि है, वहां उद्योग लगायेंगे। मैंने तो यह कहा कि जहां उद्योग लगाये जा रहे हैं, शासन की ओर से यह विचार हो रहा है कि कोशिश यह की जानी चाहिये कि जो कृषि योग्य भूमि है वह बाजार मूल्य पर ली जाती है, ऐसी स्थिति में शासन गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा है कि वरीयता दी जानी चाहिये कि अकृषिक भूमि लें।

श्री अशोक बाजपेयी–

इस प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में जानना चाहूंगा कि प्रदेश में सर्वाधिक ऊसर भूमि हरदोई में है, मान्यवर, आपने भी देखा होगा कि 25-25 मील तक ऊसर ही पड़ता है। मान्यवर, क्या पश्चिमी क्षेत्र के लिये मंत्री जी के पास कोई परियोजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या उस योजना के अन्तर्गत कोई टाईम बाउन्ड प्रोग्राम बना कर सरकार कोई कार्य करने जा रही है?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य को केवल हरदोई जनपद की ही चिन्ता है परन्तु मुझे तो सभी जनपदों में जो ऊसर और बंजर भूमि पड़ी हुई है, उसको कृषि योग्य बना सकते हैं या नहीं, इसकी चिन्ता है और इस पर चिन्तन और विचार हो रहा है।

श्री जंग बहादुर–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस कृषि योजना में जो सम्पन्न व्यक्ति हैं और जो बड़े काश्तकार हैं उन्हीं को क्या भूमि आवंटित की गयी है? यदि हां, तो क्या कृषि मंत्री उसको वापस लेने की कृपा करेंगे?

श्री गौरी शंकर–

जितनी जमीन दी गयी है और जहां इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित करने के बाद उनको भूमि का आवंटन किया गया है और उसकी कोई अवधि नहीं है उसमें उसको वापस लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि इसके लिये एक समिति गठित हुई और उस समिति की रिपोर्ट आ गयी है तो उस रिपोर्ट में समिति ने क्या संस्तुति दी है?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर तो प्रारम्भ में ही दिया जा चुका है कि उन सारी बातों पर विचार हो रहा है। समिति की रिपोर्ट के विषय में मैंने बताया कि उसको जनहित में यहां बतलाना उचित नहीं है। उसमें दो-तीन स्टेजों पर चिन्तन होना है इसलिये उसे जनहित में यहां अभी नहीं लाया जा सकता है। चिन्तन के बाद जो स्थिति होगी, वह माननीय सदस्य के सामने अपने आप ही आ जायेगी।

श्री पूरन सिंह माहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में क्या ऊसर और अनुपयोगी भूमि का सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो उसके लिये आपके पास क्या योजना है?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति से तो आप भी अवगत होंगे कि वहां पर

भूमि ऊंची और नीची जरूर है परन्तु ऊसर नहीं है। परन्तु यदि फिर भी माननीय सदस्य की जानकारी में ऐसी बात है तो वह लिख कर दे दें, हम उस ऊसर भूमि का सर्वेक्षण करा लेंगे।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मंत्री जी ने अपने मूल उत्तर में बताया है कि भूमि साधन पूर्ण व्यक्तियों को ही देने का विचार किया जा रहा है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह साधन-पूर्ण व्यक्ति की पात्रता क्या है?

श्री गौरी शंकर–

जैसी कि शासनादेश के अन्तर्गत यह व्यवस्था प्रस्तावित थी यद्यपि वह शासनादेश अब स्थगित कर दिया गया है लेकिन उसमें साधन सम्पन्न व्यक्तियों का आशय है कि उस ग्राम समाज की भूमि में जिसे प्रबन्ध समिति प्रस्तावित करेगी कि कोई पात्र व्यक्ति धारा 198 के अन्तर्गत आता है और उस जमीन को कोई लेने के लिये तैयार नहीं है। दूसरे उस ऊसर जमीन को कोई सार्वजनिक उद्योग में नहीं लिया जा रहा है। तीसरी बात साधन सम्पन्न व्यक्ति को पात्रता के लिये परगनाधिकारी, जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके वित्तीय संसाधन इतने हैं कि वे उस जमीन का सुधार कर सकेंगे और उसे अच्छी स्थिति में ला सकेंगे। चौथी बात यह है किसी भी परिस्थिति में वह जमीन जो सीलिंग सीमा है उससे ज्यादा नहीं निकलनी चाहिये। तो मान्यवर, यह 3–4 बातें हैं, जो शासनादेश में थीं। अब चूंकि उसको स्थगित कर दिया गया है, इसलिये इस पर चर्चा होने का सवाल नहीं उठता है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों में विज्ञान विषय के अध्यापकों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में जानकारी

*1–श्री मैनेजर सिंह (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शासन की नीति एवं निर्देशन में मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों में विज्ञान का विषय खोलने की योजना इस वर्ष कार्यान्वित हुयी और विज्ञान की कक्षायें चल रही हैं? यदि हां, तो क्या इन कक्षाओं के पठन-पाठन हेतु विज्ञान अध्यापकों के पद सृजित किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां, आंशिक रूप से।

इस वर्ष (1985–86 में) आयोजनेत्तर पक्ष में पद सृजन पर रोक होने से और आयोजनागत पक्ष में इस हेतु प्राविधान न होने से पद सृजन स्थगित है।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि बलिया जनपद में कितने विद्यालयों में, कितने विज्ञान के अध्यापक के पद रिक्त हैं और उन पर नियुक्ति के लिए कितने प्रार्थना पत्र दिये गये और उन स्थानों पर कब तक नियुक्ति कर दी जायगी? क्या सरकार प्रबन्ध तंत्र को यह अधिकार देगी कि वे रिक्त पदों पर विज्ञान के अध्यापकों को तुरन्त नियुक्त कर दें।

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, समय का आश्वासन नहीं दे सकता। इसके लिए प्रयास हो रहा है।

नोट:–नियम 29(4) का तारांकित प्रश्न पर लिया गया।

संख्या 1 श्री शारदा नन्द अंचल की रुचि

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में शासन ने विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य कर विज्ञान कक्षा प्रारम्भ करने का निर्णय लिया, इन विद्यालयों में विज्ञान की कक्षाएं चलाने हेतु कुल कितने विज्ञान के अध्यापकों की आवश्यकता है और शिक्षा विभाग ने कितने अध्यापकों को नियुक्त कर दिया है और कितने विज्ञान के अध्यापकों की वैकेंसी डिक्लेयर की?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, अध्यापकों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन 1200 स्कूलों में साइंस की मान्यता नहीं दी गयी है। उसके लिए व्यवस्था हो रही है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1200 स्कूलों में विज्ञान की मान्यता नहीं दी गयी है और यह कारण बताया कि संसाधन की कमी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो विद्यालय साधन सम्पन्न हैं और अपने संसाधन से साइंस की कक्षाएं खोलना चाहते हों, और टीचर्स की तनख्वाह सरकार से न लें, तो क्या उनको अविलम्ब साइंस की कक्षाओं की मान्यता देंगे?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, इसके सम्बन्ध में विचार हो रहा है।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, बहुत से ऐसे स्कूल हैं, जहां पर साइंस के अध्यापक नहीं हैं और उनको साइंस के अध्यापक रखने की अनुमति भी नहीं दी गयी है और वहां पर ट्रेंड अध्यापक भी नहीं है, इसके लिए क्या माननीय मंत्री जी तुरन्त व्यवस्था करायेंगे?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि संसाधनों की कमी है, इसी वजह से समस्यायें हैं। यह धीरे-धीरे व्यवस्था हो रही है।

श्री गया प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जीव विज्ञान और साइंस के अन्य विषयों को मान्यता मिल गई है। ऐसी स्थिति में क्या माननीय मंत्री जी बायलोजी जैसे विषय को पढ़ाने के लिए पोस्ट क्रियेट करेंगे?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, इसके बारे में जांच करा लेंगे।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, ऐसा है कि विज्ञान की कक्षाओं के लिए परमीशन मिल गई लेकिन टीचर्स नहीं हैं। आपने क्या भला किया है इससे क्या फायदा हुआ है? टीचर्स तो दिए नहीं, कक्षाओं के लिए परमीशन दे दी। उस पर आप कहते हैं कि जांच करा लेंगे। जांच कराने का क्या औचित्य है? क्या आप अभी घोषणा करेंगे कि वहां पर विज्ञान के टीचर्स की परमीशन अविलम्ब दे दी जायेगी।

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, यह घोषणा चाहते हैं, मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि धीरे-धीरे व्यवस्था हो रही है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, जो चयन की प्रक्रिया है अध्यापकों की उसमें समय लग जायेगा। क्या माननीय मंत्री जी तत्काल प्रबन्ध तंत्र को शासन द्वारा निर्देश देने का कष्ट करेंगे कि वहां पर अध्यापकों की व्यवस्था की जाय?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, इसको भी दिखवा लूंगा।

श्री किशोरी लाल सकलानी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब आप पोस्ट ही नहीं करेंगे तो प्रबन्ध तंत्र से टीचर्स कैसे पोस्ट करा देंगे ? पहले मंत्री जी यह बतायें कि क्या वह शासन द्वारा पोस्ट क्रियेट करा देंगे ?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, इसके बारे में कई बार जवाब दे दिया हूं।

श्री किशोरी लाल सकलानी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां आपने सामान दे दिया है वहां क्या कोई तदर्थ नियुक्ति कराने की कृपा करेंगे क्योंकि अप्रैल में ही परीक्षा होने वाली है? आपने सामान दे दिया, सब चीज है लेकिन क्या आप अध्यापकों की तदर्थ नियुक्ति कराने का प्रयास करेंगे ? आश्वासन देंगे ?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, अभी हमारे विरोध के माननीय विधायक यही सवाल कर चुके हैं और मैं उनको जवाब दे चुका हूं।

*2–श्री नरेश चन्द्र–

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्तमान सत्र शून्य किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*3–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय का वर्तमान सत्र शून्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है? यदि नहीं, तो वर्तमान सत्र में किसी भी कक्षा की पढ़ाई प्रारम्भ न किये जाने का कारण क्या है जबकि फरवरी का माह प्रारम्भ हो रहा है? क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे?

डाक्टर संजय सिंह–

लखनऊ विश्वविद्यालय के वर्तमान सत्र को शून्य किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वरन् सत्र नियमितीकरण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा शिक्षा संकायों में प्रवेश कार्य माह दिसम्बर, 1985 तक लगभग पूरा हो गया था तथा अध्यापन कार्य सुचारु रूप से हो रहा है। इन संकायों में परीक्षायें 7 अप्रैल, 1986 से होंगी, जिसकी सूचना छात्रों को दी जा चुकी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं इस समय प्रश्नों का समय नहीं लेना नहीं चाहता हूं, शिक्षा का जो उत्तर दिया है, उसको परिवहन मंत्री जी ने दिया है, इस सम्बन्ध में मैं प्रश्नों के समय के बाद औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं और आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें औचित्य का प्रश्न क्या है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं इस समय प्रश्नों का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं, माननीय परिवहन मंत्री जी शिक्षा विभाग के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। इसी सम्बन्ध में मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा शिक्षा संकायों में प्रवेश

कार्य माह दिसम्बर, 1985 तक लगभग पूरा हो गया था, तो मान्यवर इस 'लगभग' शब्द से क्या तात्पर्य है? क्या अभी भी प्रवेश कार्य प्रारम्भ है और अगर चल रहा है और 7 अप्रैल से परीक्षाओं की सूचना दी गयी है, तो फिर उसका क्या औचित्य है? प्रवेश ही नहीं पूरा हुआ है?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, मेरे पास जानकारी है कि विभिन्न तिथियों में, विभिन्न महीनों में, विभिन्न संकायों के परिणाम निकलते हैं, उनके एडमिशन हुये हैं, पढ़ाई का कार्य चालू है और मान्यवर, जहां तक विलम्ब का सवाल है, उसके लिये शिक्षा सचिव की एक कमेटी बना दी है, उस पर वह रिपोर्ट देंगे और अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया, मंत्री जी ने कहा कि लगभग प्रवेश कार्य पूरा हो गया है, तो 'लगभग' का क्या तात्पर्य है? क्या प्रवेश कार्य आरम्भ है? अगर प्रवेश कार्य प्रारम्भ है तो 7 अप्रैल से परीक्षायें कराने का क्या औचित्य है?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, स्पेसिफिक जानकारी नहीं है कि एडमिशन चल रहे हैं कि नहीं, अभी तक क्लासेज चालू हैं, इसका ब्यौरा है, परन्तु काफी लम्बा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सचिव की एक कमेटी बना दी है, जो इन सारी चीजों को देखेगी और अपनी आख्या देगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि परीक्षायें आगामी 7 अप्रैल, से प्रारम्भ होंगी, मेरी सूचना है कि 7 अप्रैल से होने वाली परीक्षायें कुलाधिपति की सूचना के अनुसार निरस्त कर दी गयी हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा जो उन्होंने सूचना दी है कि 7 अप्रैल से परीक्षायें होंगी, जबकि वह निरस्त की जा चुकी हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी गलत सूचना देने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और माननीय मंत्री जी ने कहा कि सत्र के नियमितीकरण के लिये प्रयास किया जा रहा है, उसका क्या तात्पर्य है? स्पष्ट करने की कृपा करें।

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, जहां तक माननीय गुप्ता जी ने सूचना दी है कि यह सूचना गलत है। अगर सूचना गलत दी है तो अवश्यमेव अधिकारियों को दंडित किया जायेगा। जहां तक नियमितीकरण की बात है समय-समय पर रिजल्ट लेट आते रहते हैं जिससे प्रवेश लेट होते हैं और पढ़ाई में दिक्कत होती है। सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं नियमितीकरण करने की। दूसरा यह कि जहां तक मुझे जानकारी हुई है कि जो तमाम सारा विलम्ब हुआ है जो विलम्ब से एडमीशन हुए हैं और विलम्ब से पढ़ाई शुरू हुई है, यह पिछले साल के हिसाब से अबकी बहुत जल्दी उसमें हो रही है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्रयास इन्होंने किये हैं वह क्या है?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, प्रयास क्या है, इसके बारे में विशेष जानकारी क्या दी जाय। प्रयास जैसा होता है, वैसे प्रयास हो रहा है।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया अपने उत्तर में कि सत्र के नियमितीकरण पर कार्यवाही की जा रही है मैं माननीय

मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि इस वर्ष समय से परीक्षाएं नहीं हो पायीं और समय से प्रवेश नहीं हो सके तो आगामी जो शिक्षा सत्र होगा उसमें जुलाई से नियमित समय पर विश्वविद्यालयों की कक्षाएं प्रारम्भ करने का आश्वासन देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसमें कोई क्या कह सकता है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, परिवहन मंत्री जी जो शिक्षा मंत्री का जवाब दे रहे हैं यह बताने का कष्ट करें कि किन सत्रों का अब तक प्रवेश हो गया है और किन सत्रों की परीक्षाएं अप्रैल से की जायेंगी ?

श्री अध्यक्ष–

यह सवाल नहीं उठता है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, एक पिछला सत्र है और एक नया सत्र होने जा रहा है आप कृपया संरक्षण दें और प्रश्न का जवाब पूरा दिलवायें।

श्री अध्यक्ष–

आपके पास कोई जवाब हो तो दे दें मंत्री जी।

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य इलाहाबाद युनिवर्सिटी के जाने माने अध्यक्ष रहे हैं। लखनऊ की जहां तक जानकारी की बात है मैंने आपको बताया। अब कला संकाय की मैं बता रहा हूं कि कला संकाय में स्नातक कक्षाएं 29-8-85 से चालू हो गईं और स्नातकोत्तर कक्षाएं 16-10-1985 से, विज्ञान संकाय में स्नातक कक्षाएं 28-10-85 से और स्नातकोत्तर कक्षाएं 9-1-86 से चालू हो गईं वाणिज्य संकाय में स्नातक कक्षाएं 2-8-1985 से और स्नातकोत्तर कक्षाएं 16-10-1985 से, शिक्षा संकाय में बी0एड0 की कक्षाएं 4-1-1986 से, एम0 एड0 कक्षाएं 9-1-86 से और एम0 ए0 की कक्षाएं 13-1-86 से, विधि संकाय में एल0 एल0 बी0 प्रथम द्वितीय की कक्षाएं 15-1-86 से और तृतीय की कक्षाएं 14-2-86 से चालू हो गई हैं। मान्यवर, जहां तक परीक्षा की बात है, अप्रैल की घोषणा है वह यथावत है। अब देखना है कि हम उसे समय से चला लेते हैं, हमें आशा है कि हम उसे समय से चला लेंगे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के नवीन स्कूलों को मान्यता व अनुदान न दिए जाने का निर्णय

*1–श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 85-86 में प्रदेश के नवीन स्कूलों को मान्यता न देने तथा असहायिक जूनियर तथा माध्यमिक विद्यालयों को सहायता न प्रदान करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 85-86 में प्रदेश के नवीन स्कूलों को मान्यता न देने तथा असहायिक जूनियर तथा माध्यमिक विद्यालयों को सहायता न प्रदान करने का

नोट :–नियम 38(2) का तारांकित प्रश्न संख्या 1 श्री माता प्रसाद पाण्डेय की रुचि पर लिया गया।

निर्णय लिया है ? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? मंत्री जी ने इसका जवाब दिया है "जी नहीं ।" "प्रश्न नहीं उठता ।" मुझे लगता है कि शायद मंत्री जी भूल गए और किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने दे दिया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाण्डेय जी, उत्तर बिल्कुल ठीक है ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने कहा कि "जी नहीं ।" मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 85-86 में शिक्षा विभाग में कितने नवीन स्कूलों को मान्यता प्रदान की गई और कितनों को सहायक सूची में शामिल किया गया ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, 85-86 में 7 बालिकाओं के स्कूलों को अनुदान सूची में लिया गया और एक बालक का छूट गया था उसको अनुदान सूची में लिया।

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि संबंधित प्रश्न को 15 दिन पहले माननीय मंत्री जी ने इस आधार पर स्थगित कराया था कि सूचना एकत्रित की जा रही है। जब सरकार के निर्णय की सूचना एकत्र करने में 15 दिन लगे तो माननीय मंत्री जी शिक्षा विभाग के आंकड़ों को कितने दिन में एकत्र करके दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री अमिताभ अनिल दुबे–

मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे माध्यमिक विद्यालय हैं जिनको मान्यता सूची में नहीं लिया गया है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री अमिताभ अनिल दुबे–

उत्तर प्रदेश में भी कितने ऐसे माध्यमिक विद्यालय हैं जो कि अनुदान के अन्तर्गत अब तक नहीं लिए जा सके हैं?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, 421 मान्यता प्राप्त विद्यालय ऐसे हैं जो अभी अनुदान सूची में नहीं लिए गए हैं ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विद्यालय ऐसे हैं जो कि मानक के अनुरूप हैं उन्हें क्या तत्काल मान्यता देने की, उनको आर्थिक अनुदान देने पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, अभी सीमित संसाधन हैं जैसे ही संसाधनों में वृद्धि होगी उन्हें अनुदान सूची में ले लिया जायेगा ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, शिक्षा के पिछड़े हुए क्षेत्र को देखते हुए जहां तक अनुदान देने की बात है वहीं स्कूलों में क्या आप रामायण, कुरान, गुरू ग्रंथ तीनों को पढ़वाने की कृपा करेंगे जिससे माननीय मंत्री जी के साथ विद्यार्थियों की शिक्षा का स्तर भी बढ़ सके, विद्यार्थियों का भी ज्ञानवर्धन हो सके?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न नहीं उठता ।

आई0 आर0 डी0 स्कीम में बैंक कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितता के विषय में ग्राम सुराना, जनपद गाजियाबाद के बुनकरों द्वारा की गई शिकायत की जांच

*2—कुंवर रेवती रमण सिंह (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अगस्त, 85 के मध्य के आसपास ग्राम सुराना, जिला गाजियाबाद के हथकरघा बुनकरों से उनको इस आशय की शिकायत मिली कि आई0 आर0 डी0 स्कीम के तहत ऋण निकालते समय बैंक कर्मचारी ऋण का चौथाई भाग हड़प कर गए तथा बैंक ने इस ऋण के साथ जुड़ी सब्सिडी उनको नहीं दी और साइटेशन की पेशी पर ही 25-7-85 को तहसीलदार ने उनको पकड़ कर 14 दिन के लिए हवालात में बन्द कर दिया ? यदि हां, तो शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

जी हां ।

यह शिकायती पत्र सितम्बर, 1985 में प्राप्त हुआ था, जिस पर जांच कराई गई । जांच रिपोर्ट के अनुसार बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध ऋण का एक चौथाई भाग हड़प करना जांच में सिद्ध नहीं पाया गया । ऋण के साथ देय अनुदान का समायोजन किया गया है । यह सही है कि तहसीलदार गाजियाबाद ने ऋण की अदायगी समय पर न होने पर दिनांक 25 जुलाई, 1985 को 9 व्यक्तियों को हवालात में बन्द किया था ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

शिकायत निराधार होने के कारण इस पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

[सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 1986 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उ0 प्र0 सैनिक स्कूल में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 सैनिक स्कूल लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की जांच लखनऊ मण्डल के आयुक्त द्वारा 1984 में कराई गई तथा जिसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को जनवरी, 85 में प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी तथा बतायेगी कि समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी हां ।

स्कूल के प्रधानाचार्य की मृत्यु हो जाने के कारण कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

जी नहीं ।

जांच रिपोर्ट सन्तोषजनक नहीं पाई गई तथा स्कूल की अन्य शिकायतों की जांच हेतु गठित तीन सदस्यीय जांच समिति को ही उक्त शिकायत भी जांच हेतु सौंप दी गई । जांच पूर्ण होने के पूर्व ही स्कूल के तत्कालीन प्रधानाचार्य विंग कमान्डर के0 एस0 त्रिपाठी (सेवा निवृत्त) की मृत्यु हो गई । परिणामस्वरूप जांच की आवश्यकता नहीं समझी गई तथा जांच हेतु गठित समिति विघटित कर दी गई ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह जांच जो आयुक्त ने की थी उसमें संदर्भ केवल प्राचार्य का नहीं था जिसके दिवंगत हो जाने के उपरान्त वह जांच कमेटी विघटित कर दी गई। मैंने प्रश्न किया था कि उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की जांच के संबंध में जो

शिकायती पत्र मैंने प्रसारित किया था उसमें प्रचार्य से भिन्न अन्य बहुत सी बातों की शिकायतें की गई थीं। उसमें अध्यापकों को मिलने वाली सुविधाओं और विनियमितीकरण के संबंध में भी शिकायतें की गई थीं। मैं जानना चाहता हूं कि प्राचार्य की मृत्यु के कारण इस जांच कमेटी को विघटित करने का क्या कारण है और उनके ऊपर जो आरोप थे उनकी जांच अभी भी न करने के क्या कारण हैं?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, जहां तक शिकायतों का सवाल है प्रधानाचार्य के ही विरुद्ध काफी शिकायतें की गई थीं। चूंकि जब उनकी मृत्यु हो गई तो फिर उनसे सम्बन्धित शिकायतों की जांच करने और उन पर कोई कार्यवाही करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि श्री गणेश शंकर चौधरी, सेवा निवृत्त विशेष सचिव, जो साक्षरता निकेतन के निदेशक थे, उन्हें प्रधानाचार्य बना दिया गया। तब से कोई शिकायत अभी तक सामने नहीं आयी है इसलिये जस पर जांच पड़ताल का सवाल नहीं बनता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं माननीय मंत्री जी को समझा नहीं पा रहा हूं। माननीय गणेश शंकर चौधरी की नियुक्ति हुई। वे सचिव थे, उनके बारे में कोई शिकायत की बात नहीं है लेकिन मैंने सवाल यह किया था कि क्या यह सही है कि जो आरोप लगाये गये थे उसमें प्रधानाचार्य के अतिरिक्त भी विद्यालय में अध्यापकों के नियमितीकरण का होना, सेवा शर्तों के संबंध में नियमावली का न बनाया जाना, आदि के संबंध में भी शिकायती पत्र में आरोप लगाये गये थे। यानी प्रधानाचार्य से भिन्न भी आरोप थे। तो जांच करना चालू न रखने का क्या औचित्य है। प्रधानाचार्य के मरने से ही कोई मतलब नहीं था। जांच होनी चाहिए थी।

डाक्टर संजय सिंह--

श्रीमन्, इस शिक्षा संस्था में जो गम्भीर अनियमितताओं के संबंध में आरोप लगाये गये थे वह विंग कमान्डर श्री त्रिपाठी, जो प्रधानाचार्य थे, उनके विरुद्ध शिकायत की गई थी। उसके लिये जो जांच समिति बनायी गई थी उसने जब अपनी आस्था दी और उसको दिखाया जा रहा था उसी बीच उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उस संस्था में माहौल कुछ खराब हो गया था जो बाद में सुधर गया। इस सम्बन्ध में मौखिक रूप से वहां पर लोगों के साथ बात चीत की गई। उसी आधार पर यह जांच समिति विघटित कर दी गई। जहां तक प्रधानाचार्य के अतिरिक्त शिकायतों की बात है, उनके सम्बन्ध में वहां के लोगों ने जोर नहीं दिया इसलिये वह जांच समिति समाप्त कर दी गई।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पत्र माननीय गुप्त जी ने लिखा था उसमें क्या शिकायतें थीं और उनमें से कितनी शिकायतों का संबंध प्रधानाचार्य से था और कितनी शिकायतों का संबंध अन्य लोगों से था?

डाक्टर संजय सिंह--

मान्यवर, जो विशेष शिकायतें थी, उनके बारे में ब्योरेवार जानकारी तो नहीं है लेकिन मैं यह आश्वास्त करना चाहता हूं कि उस समय माहौल ठीक था। यदि आप उस समिति को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, सैनिक स्कूल का जो बाड आफ गवर्नर्स है उसमें अध्यक्ष मुख्य मंत्री होते हैं और शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। तो ऐसा संचालक मंडल जिसके अध्यक्ष मुख्य मंत्री हों और उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री हों . . .

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कर लीजिये। जिनके खिलाफ शिकायत हुई, वही दुनियां में नहीं रहे तो किसके खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, वहीं पूछ रहा हूं कि जिस शिक्षा संस्था के संचालक मंडल में मुख्य मंत्री अध्यक्ष हों और शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष हों वहां इस तरह की अनियमिततायें हों और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रधानाचार्य की मृत्यु के बाद उसकी जांच पर जोर नहीं दिया गया, इसलिये वह जांच समिति विघटित कर दी गई। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि केवल प्रधानाचार्य के विरुद्ध ही नहीं तमाम अनियमितताओं के संबंध में माननीय सदस्य तथा अन्य लोगों ने शिकायतें की थी। तो उस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि इन सब की जांच के लिए कमेटी बना कर अन्य प्रकरणों की निष्पक्ष जांच करायेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, जहां तक उस सैनिक स्कूल का प्रश्न है उसमें प्रिंसपल, रजिस्ट्रार और हेडमास्टर तीन व्यक्ति सैनिक सेवा से होते हैं उसमें दिक्कत इस बात की रही कि अभी तक एक ही व्यक्ति सैनिक सेवा से थे, हेडमास्टर और प्रिंसिपल सैनिक सेवा के नहीं हैं। हमारा प्रयास है कि तीनों स्थानों पर सैनिक सेवा से भरे जांय। जहां तक माननीय सदस्यों की इच्छा है, उसके बारे में कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जब तक प्रधानाचार्य जीवित थे तब तक तो सरकार की ओर से उत्तर आता था कि उनके खिलाफ कोई गड़बड़ नहीं पायी गयी और दूध के धुले बताये जाते रहे। इसी पर मैंने विशेषाधिकार अवहेलना की नोटिस भी दी थी जो आपकी जानकारी में होगा। आज वह भगवान को प्यारे हो गये तो सारा दोष उन्हीं पर मढ़ा जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि उनकी मृत्यु के बाद अन्य विषयों की जांच करने के लिए किसी ने मांग नहीं की । तो शिकायत मैंने की थीं, विशेषाधिकार अवहेलना की नोटिस मैंने दी थी, दुबारा प्रश्न मैंने किया है, मैं जोर दे रहा हूं। तो फिर कौन आदमी है जो दबाव नहीं डाल रहा है? मैं इसमें रुचि रखता हूं कि इस पूरे संदर्भ में जांच हो तो क्या जांच कराने की कृपा करेंगे?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जो गंभीर शिकायतें थी वह विंग कमान्डर त्रिपाठी के खिलाफ थी, उनकी मृत्यु के बाद प्रकरण समाप्त हो गया, उस संस्था का माहौल ठीक हुआ है, तमाम गड़बड़ियां सुधरी हैं। माननीय सदस्य की इच्छा है तो मैंने आश्वस्त किया है कि जांच कराई जायेगी।

*2–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी –

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*3–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[दिनांक 24-2-86 को ता0 प्र0 सं0 11 द्वारा उत्तरित]

*4–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[दिनांक 3-3-86 को अता0 प्र0 सं0 150 द्वारा उत्तरित]

श्री विनोद कुमार जैन अधिशासी अभियंता एवं वैयक्तिक सहायक ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (अधिष्ठान) द्वारा की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध जांच

*5—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के मुख्य अभियंता के अधिशासी अभियंता वैयक्तिक सहायक (अधिष्ठान) मुख्यालय जब फैजाबाद में कार्यरत थे, क्या वह बहराइच नैपाल बार्डर पर तस्करी के अभियोग में 8-4-78 को सरकारी जीप नं0 यू0 पी0 एक्स0 2325, 2322 के साथ पकड़े गये थे और सरकार ने इन्हें मात्र प्रतिकूल प्रविष्टि देकर ही छोड़ दिया था? क्या अब उस कार्यवाही को भी सरकार द्वारा विलोपित कर दिया गया है? क्या यह भी सही है कि इनको बरेली कार्यकाल में 6 लाख रुपये की सीमेंट चोरी एवं फर्जी भुगतान के संबंध में दोषी पाया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध अविलम्ब जांच कराकर विभाग से मुक्त कराने की कार्यवाही पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं, श्री विनोद कुमार जैन अधिशासी अभियंता एवं वैयक्तिक सहायक (अधिष्ठान) को तस्करी के अभियोग में पकड़ा नहीं गया था। इस पूर्ण प्रकरण में आचरण संदिग्ध पाये जाने के कारण शासन द्वारा उन्हें 1982-83 में दुश्चरित्र प्रविष्टि दी गयी थी। चूंकि कस्टम विभाग द्वारा उन्हें इस मामले में दोषमुक्त कर दिया गया था अतः इस आधार पर दुश्चरित्र प्रविष्टि निरस्त कर दी गई।

वर्ष 1974 में श्री वी0 के0 जैन जब बरेली में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात थे तो उनके विरुद्ध जांच के परिणामस्वरूप अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों पर उनका नियंत्रण ढीला पाया गया था। उनके अधीन सम्पादित कार्यों का समुचित परीक्षण भी उनके द्वारा नहीं किया गया जिसके कारण शासकीय धन का अपहरण हुआ और फर्जी भुगतान भी हुये। इसके लिये श्री बी0 के0 जैन0 को शासनादेश सं0 1996/38-4-1402 (3)/74 दिनांक 15-7-81 द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा चुकी है।

श्री जैन को संविलियन हेतु उपयुक्त न पाये जाने की दशा में इन्हें उनके मूल विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने पर यथा समय विचार किया जायेगा।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर में कितना विरोधाभास है। मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था कि क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी को जानकारी है कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के मुख्य अभियंता के अधिशासी अभियंता, वैयक्तिक सहायक (अधिष्ठान) मुख्यालय जब फैजाबाद में कार्यरत थे तो क्या वह बहराइच नैपाल बार्डर पर तस्करी के अभियोग में 8-4-78 को सरकारी जीप नं0 यू0 पी0 एक्स0 2325, 2322 के साथ पकड़े गये थे। जिसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है तस्करी के अभियोग में नहीं पकड़ा गया था और इस पूर्ण प्रकरण में आचरण संदिग्ध पाये जाने के कारण शासन द्वारा उन्हें वर्ष 1982-83 में दुश्चरित्र प्रविष्टि दी गई थी। तो जब गाड़ियां सरकारी थी और वह तस्करी में पकड़ी गयी जिसका मैंने नम्बर भी दिया उसके बाद माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि पकड़े नहीं गये और संदिग्ध आचरण के कारण प्रविष्टि दी गयी तो तस्करी एक राष्ट्रीय अपराध है, सरकारी जीपों का उपयोग तस्करी में करे और केवल उसे

प्रविष्टि देकर छोड़ दें तो यह शासन कैसे चलेगा ? तो क्या तस्करी के आरोप में आरोपित किसी सरकारी अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देना ही काफी है। यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी नियमानुकूल तस्कर के विरुद्ध कार्यवाही जो की जानी चाहिए, वह उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, मैंने जवाब दिया है कि पकड़े ही नहीं गये थे और जीप पकड़ी गयी, कस्टम विभाग वालों ने मुकदमा चलाया। उससे भी बरी हो गये दोष सिद्ध जब नहीं हुआ, तब सजा कैसे दी जा सकती है?

श्री अशोक वाजपेयी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जीप किसकी थी, जो तस्करी में पकड़ी गयी थी? क्या वह जीप सरकारी विभाग की थी, कि नहीं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, जीप आर0 ई0 एस0 विभाग की थी जो पकड़ी गयी लेकिन अधिशासी अभियंता नहीं पकड़ा गया। और कस्टम विभाग वालों ने मुकदमा चलाया। उससे वह दोषमुक्त हो गया, उनका कोई हाथ होना नहीं पाया गया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मंत्री जी तथ्यों को छिपा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब जीप वहां पकड़ी गयी तो कस्टम विभाग वालों ने चालान किया और सामान बरामद किया होगा, तो जीप वहां कौन व्यक्ति लेकर गया था और जीप में माल बरामद किया था कि नहीं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया है कि जीप पकड़ी गयी थी चालान हुआ लेकिन न्यायालय से छूट गया क्योंकि न्यायालय ने किसी कर्मचारी को दोषी नहीं पाया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो उत्तर मंत्री जी ने दिया है, उसको सही मानकर प्रश्न करता हूं कि यह सही हो सकता है कि कस्टम विभाग वालों ने मुकदमा चलाया और वह बरी हो गया लेकिन क्या मंत्री जी बताएंगे कि जिस समय कस्टम विभाग ने जीप पकड़ी तो उसके बाद क्या विभागीय जांच हुई थी? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ? यदि विभागीय जांच नहीं हुई तो इससे बड़ी प्रशासनिक शिथिलता की मिसाल भ्रष्टाचार को दबाने की नहीं हो सकती है और इसलिए मेरी सूचना को सही मानकर आप इस मुद्दे पर फिर से जांच क्या करायेंगे कि किस की जीप पकड़ी गयी, किसने इस्तेमाल किया और लाग बुक में क्या लिखा था?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, पुनः जांच करा लेंगे।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, नेपाल से लगे बारडर एरिया में आम तौर पर देखा गया है कि सरकारी अधिकारी सरकारी वाहनों को लेकर नेपाल जाते हैं, तो मंत्री जी क्या ऐसे कड़े आदेश देंगे कि इस तरह की एक्टीविटीज सरकारी अधिकारियों द्वारा तत्काल रोक दी जांय?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, प्रश्न समझ में नहीं आया, पुनः कर लें।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, पीलीभीत, बहराइच, बस्ती में देखा गया है कि सरकारी अधिकारी अपने पद का फायदा उठाकर अपने परिवार को लेकर सरकारी वाहन से नेपाल जाते हैं और सामान लाते हैं, तो इसको रोकने के लिए क्या कड़े आदेश मंत्री जी करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, इसलिए इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि एक अधिशासी अभियन्ता की जीप पकड़ी गयी, एफ0 आई0 आर0 लाज हुई, लेकिन न्यायालय ने सबूत के अभाव में उसे छोड़ दिया, तो नैतिकता के आधार पर उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करके उसको दंड क्यों नहीं दिया गया।

(अगला प्रश्न लिये जाने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अभी यही प्रश्न किया गया था, जिसका जवाब आया है कि जांच कराई जाएगी। तो अब क्या होगा?

श्री मुईद अहमद–

लेकिन अब तक जांच न कराये जाने का क्या कारण था?

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने अभी आधा ही प्रश्न पूछा था कि आप अब आगे बढ़ गये। मेरा आधा प्रश्न यह था कि क्या यह भी सही है कि इनको बरेली कार्यकाल में 6 लाख रुपये की सीमेंट चोरी एवं फर्जी भुगतान के संबन्ध में दोषी पाया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध अविलम्ब जांच कराकर विभाग से मुक्त कराने की कार्यवाही पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? तो श्रीमन्, इतना ही नहीं इनके विरुद्ध प्रशासनिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के गम्भीर मामले इनकी चरित्र पंजिका में अंकित किये गये हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी की सेवाएं समाप्त करने पर विचार नहीं किया गया है, तो क्या ऐसे अधिकारी की सेवाएं तत्काल समाप्त करने पर सरकार विचार करेगी, क्योंकि यह डेपूटेशन पर आपके यहां है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

बरेली कांड में भी जांच हुई है और उसमें प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्णय हो चुका है और जहां तक इनको सेवा से पृथक करने का प्रश्न है या इस विभाग से हटाने का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में तीन अधिकारियों की एक समिति बन गई है और वह परीक्षण कर रही है कि संविलियन किया जाय या नहीं किया जाए। उस विचार में यह भी आते हैं, उन पर भी वही कमेटी विचार करेगी। उस पर शीघ्र निर्णय हो जाएगा।

राजकीय महिला दीक्षा विद्यालय महमूदगंज, वाराणसी के भवन एवं अप्रयुक्त भूमि से सम्बन्धित शासनादेश का अनुपालन

*6–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय महिला दीक्षा विद्यालय महमूदगंज, वाराणसी के कतिपय कमरे एवं अप्रयुक्त भूमि भूस्वामी को हस्तानान्तरित किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या 375–159/3/82/1499/81 दिनांक 7-4-82 का अनुपालन अभी तक नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री –

शासनादेश दिनांक 7-4-82 के अनुपालन में राजकीय महिला दीक्षा विद्यालय महमूदगंज, वाराणसी के छात्रावास का भवन तथा अप्रयुक्त भूमि भवन स्वामियों को 21 मई, 1982 को ही लौटाई जा चुकी है। उक्त दीक्षा विद्यालय के प्रयोग में आ रहे भवन के एक भाग को कोई वैकल्पिक व्यवस्था न हो पाने के कारण अभी खाली नहीं किया जा सका है।

प्रदेश के असहायिक माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता एवं अनुदान देने की घोषणा

*7—श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में शिक्षा उन्नयन नीति लागू की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि असहायिक माध्यमिक विद्यालयों को हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट की मान्यता के साथ-साथ उन्हें अन्य प्रदेशों की भांति मान्यता के साथ ही (एडेड) सहायिक करने की भी घोषणा करेगी ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां । प्रदेश में शिक्षा उन्नयन नीति लागू है ।

जी नहीं ।

क्योंकि वित्तीय संसाधनों के अभाव में 421 विद्यालयों को अभी तक मान्यता दिये जाने के पश्चात् भी अनुदान सूची पर नहीं लिया जा सका है ।

पर्वतीय अंचल के सक्षम युवकों की अध्यापकों के पद पर नियुक्ति की मांग

*8—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल और कुमायूं मण्डल में प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए इन दोनों मण्डलों से बाहर के अध्यापक भेजे गये हैं? यदि हां, तो पर्वतीय अंचल के युवकों को जो कि प्राइमरी स्तर पर गढ़वाली या कुमायुंनी में पढ़ाने में सक्षम हैं, को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री —

जी नहीं । कोई भेजा नहीं गया है । प्रश्न नहीं उठता ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मैंने यह प्रश्न बिल्कुल निश्चित जानकारी के आधार पर किया है, मेरी निश्चित जानकारी है कि गढ़वाल और कुमायूं मंडल में जिन प्राइमरी अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, वे वहां की भाषा को नहीं जानते हैं, तो ऐसे अध्यापक वहां कैसे बच्चों को पढ़ा सकेंगे ? यदि आपको 'सेवा' शब्द से कोई आपत्ति है तो आग्रह करूंगा कि क्या ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति गढ़वाल और कुमायूं मंडल के प्राइमरी स्कूलों में हुई है जो उस मंडल के नहीं हैं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री —

ऐसी नियुक्ति होने में कोई रोक नहीं है, इसलिए कि जो भी हाईस्कूल बी0 टी0 सी0 पास है वह हाईस्कूल के और इन्टर बी0 टी0 सी0 प्रमोशन जूनियर हाई स्कूलों में जाता है । कुछ ट्रेनिंग और कहीं पाते हैं और उस जिले का है तो उसको भी सेवा का मौका मिलता है । उस जिले का नहीं है, उसी जिले में प्रशिक्षण पाया है तो उसको सेवा का अवसर दिया जाता है । तो जो अप्लाई करता है, चुनाव में चुन लिया जाता है तो उसको अवसर दिया जाता है ।

श्री शारदानन्द अंचल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि पूर्वी जनपदों -बलिया और आजमगढ़ आदि के जो बी0 टी0 सी0 पास गढ़वाल और कुमायूं मंडल में शिक्षक हैं, उनको पूर्वी जिलों में ही समायोजित करने के लिए क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री —

अगर इस तरह की नियुक्ति हुई है तो यह नियम है कि सात साल तक उनको वहीं सेवा करनी पड़ेगी और सात साल के बाद दोनों जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नो-आब्जेक्शन सार्टीफिकेट के आधार पर उनका वहां से दूसरे जिले को स्थानान्तरण किया जाता है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मंत्री जी ने आखिर में इस बात को स्वीकार किया है कि पर्वतीय अंचल में बाहर से अध्यापक गये हैं, मुझे इसमें बिल्कुल आपत्ति नहीं है, किन्तु जैसा एक नियम है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति में स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जायेगी, महत्ता दी जाती है और इसको हमारे माननीय सदस्य ने भी स्वीकार किया है कि यहां से जाने वाले अध्यापक न तो कुमाऊनी जानते हैं, न गढ़वाली जानते हैं। उनके लिए वहां रहना सजा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे अध्यापकों की अब तक आपने वहां नियुक्तियां की हैं ? और जब पर्वतीय अंचल में ट्रेन्ड टीचर्स हैं तो उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है और बलिया-बस्ती से भेजे जा रहे हैं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री –

कितने अध्यापक इस तरह से भेजे गये हैं, इसकी तो सूची मंगानी पड़ेगी। लेकिन जहां तक कुमायूं और गढ़वाल का सवाल है, अब तक ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है कि पहाड़ के लोग हिन्दी नहीं जानते और हिन्दी नहीं बोलते। इस तरह की कोई समस्या तो है नहीं। वहां सब लोग हिन्दी समझते हैं और बोलते भी हैं।

श्री पूरन सिंह माहरा –

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य के लिए सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि पर्वतीय अंचल में पर्वतीय क्षेत्र के ही ट्रेन्ड शिक्षकों को प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा जाया करे ?

डाक्टर संजय सिंह–

नौटियाल जी ने जो बात कही है प्राथमिकता देने की, वह दी जाती है और जहां तक क्षेत्रवादिता की बात है, जो भी कानून बनाये गये हैं, पूरे प्रदेश के लिए हैं। मैदान के मिलते हैं तो पहाड़ में रखने में कोई बाधा नहीं है।

श्री किशोरी लाल सकलानी–

मेरी यह निश्चित जानकारी है कि देहरादून जनपद में 8 वर्ष तक के लिए बी0टी0सी0 अध्यापक हैं, लेकिन उनको गढ़वाल मंडल में भेजने के लिए कोई प्राविधान नहीं है, तो क्या मंत्री जी उसे करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं है कि इनको जगह नहीं मिलेगी।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों में कितने स्थान बिना अध्यापकों के खाली पड़े हुए हैं ?

डाक्टर संजय सिंह–

अभी इसकी कोई जानकारी यहां पर नहीं है।

श्री गजराज सिंह –

इस समय जो जूनियर हाईस्कूल परीक्षा बोर्ड की होती है, उसी प्रकार इन्टर कालेजों में कक्षा-8 की होम एक्जामनेशन परीक्षा होती है, तो इस प्रकार का जो भेद भाव है, क्या उसे मंत्री जी दूर कराने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, जो प्रश्न सामने है, मैं समझता हूं उसका इससे तालमेल नहीं है। अलग से पूछ लें, तो जानकारी करा दी जायेगी।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मंत्री जी ने तथ्यों को छिपाते हुए पर्वतीय अंचल को जो नकारात्मक दृष्टि से देखने का प्रयास किया है, स्थिति यह है कि बच्चे जब तक वहां की लोकल भाषा

में पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं होंगे तब तक उस विद्यालय में वह पढ़ा नहीं सकता है और हमारा यह कहना नहीं है कि कोई इस तरह का अन्तर है, अगर अन्तर होता तो इस तरह का जो आज तक तमाम अध्यापक यहां के हमारे यहां गये हैं, कभी कोई बात नहीं आयी परन्तु हमारी जानकारी को सही मानते हुए कि गढ़वाल मंडल और कुमायूं मण्डल के जो हमारी ही भाषा के ट्रेन्ड अध्यापक हैं, उन्हें वहां न भेजने का क्या औचित्य है और बलिया व अन्य स्थान के टीचर्स वहां भेज दिये जाते हैं, जो वहां के बच्चों की बोली को नहीं समझते हैं। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से न्यायिक मांग करता हूं और क्या वे यह आश्वासन देंगे कि भविष्य में कुमायूं मण्डल में कुमायूं के ट्रेन्ड अध्यापकों को और गढ़वाल मंडल में गढ़वाली ट्रेन्ड अध्यापकों की नियुक्ति करने का कष्ट करेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने इच्छा व्यक्त की है, इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी आपके माध्यम से यही अनुरोध किया था कि कोशिश हमारी यही रहती है कि उसी क्षेत्र के ट्रेन्ड अध्यापकों की ही नियुक्ति वहां की जाए परन्तु वहां के अध्यापक ज्यादातर वहां स्वयं नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए जो स्थान रिक्त हो जाता है, उसकी पूर्ति तो करनी ही होती है, वह की जाती है।

*9–श्री काजी कलीमुर्रहमान –

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

ग्रामीण अभियन्त्रण के सड़कों को पक्का करने की योजना

*10–कुंवर रेवती रमण सिंह (अनुपस्थित)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण के द्वारा लगभग सौ करोड़ की सड़कें बनायी जा चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या इन सड़कों को पक्का करने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय –

जी हां।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा रुपया 98.25 करोड़ की धनराशि से सड़कों एवं यथावश्यक पुलियों का निर्माण कराया गया है। 8235.76 कि0मी0 मिट्टी के कार्य के विरुद्ध 5995.05 कि0मी0 पर सोलिंग स्तर का कार्य कराया गया है।

विभिन्न योजनाओं में धन की उपलब्धता के अनुसार अन्य सड़कों को भी पक्का कराया जा रहा है।

*11–श्री सत्यपाल सिंह –

[दिनांक 3-3-86 को अता0 प्र0 सं0 14 द्वारा उत्तरित]

जनपद उन्नाव के ज्ञान भारती माध्यमिक विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पत्र

*12–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ज्ञान भारती माध्यमिक विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र सितम्बर 85 के दूसरे सप्ताह में सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री –

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक मा0 मंत्री की व्यवस्था इस पोर्टफोलियो के साथ भी करा दीजिए, जो सिर्फ "जी नहीं" और "प्रश्न नहीं उठता" ही कह दिया करें (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कर लीजिए ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो पत्र मेरे द्वारा दिया गया, उस पर जांच भी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की गयी विद्यालय में जाकर, उसके बाद भी मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वह पत्र नहीं मिला और मान्यवर, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सम्बन्धित विद्यालय में प्रबंधकों द्वारा विद्यालय के फण्ड का दुरुपयोग फर्जी वाउचर बना कर किया जा रहा है और ट्रेनिंग के लिए जो लोग भेजे गये थे उनकी नियुक्ति में भी अनियमितता की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कर रहे हैं या पूरा इतिहास बता रहे हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मैंने मान्यवर, प्रश्न ही किया है कि उस विद्यालय के फण्ड का दुरुपयोग वहां के प्रबन्धकों द्वारा किया जा रहा है और ट्रेनिंग शुदा अध्यापकों की नियुक्ति में अनियमितता बरती जा रही है, क्या मा0 मंत्री जी इसकी जानकारी कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे पास नहीं है, यदि माननीय सदस्य द्वारा शिकायत भेज दी जाए तो जांच करवा लेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं जानकारी दे तो रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर भेज दीजिए, वह जांच करा लेंगे।

*13–श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय –

[दिनांक 24-2-86 को अता0 प्र0 सं0 104 द्वारा उत्तरित]

उ0 प्र0 के शिक्षणेतर कर्मचारियों को शिक्षकों की भांति पारिवारिक पेन्शन सुविधा की मांग

*14–श्री यदुनाथ सिंह (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों को पारिवारिक पेन्शन की सुविधा अनुमन्य नहीं है जबकि शिक्षकों को उक्त सुविधा अनुमन्य है? यदि हां, तो सरकार की इस दोहरी नीति का औचित्य क्या है? क्या सरकार शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी पारिवारिक पेन्शन की सुविधा प्रदान करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां ।

सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों को पारिवारिक पेन्शन दिये जाने का प्रकरण परीक्षणाधीन है । जिसे यथाशीघ्र निर्णीत किया जायेगा ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा (अधिष्ठान) में सेवारत अधिशासी अभियन्ता श्री डी0 बी0 सिंह द्वारा कथित भ्रष्टाचार की जांच

*15–श्री जनार्दन प्रसाद आभा (अनुपस्थित)–

क्या ग्रामीण विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री तौफीक हुसैन सट्टी राजपुर, कानपुर देहात का पत्र दिनांक 17-4-85 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित तथा जिसकी प्रतिलिपि सचिव, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश शासन और अन्य

अधिकारियों को दिया गया है जिसमें ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अधिष्ठान में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता श्री डी0बी0 सिंह द्वारा भ्रष्टाचार के गंभीर मामले की ओर ध्यान आकर्षित किया है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आरोप क्या हैं ? और उनकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

श्री डी0 बी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के विरुद्ध कानपुर एवं उन्नाव प्रखण्डों में अनियमितता किये जाने से सम्बन्धित 20 आरोप लगाये गये हैं, जिसकी जांच अधीक्षण, अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, परिमण्डल कानपुर द्वारा करायी जा रही है । शिकायतों का विवरण संलग्न † है ।

परिवहन निगम द्वारा अनुबन्धित बसों की अपेक्षा निगम की बसों का घाटे में चलने का कारण

*16–श्री रघुवर दयाल वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम द्वारा अनुबन्धित बसों को 2 रुपया 30 पैसे प्रति किलो मी0 के हिसाब से परिवहन निगम में अनुबन्धित किया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि निर्धारित रेट प्राप्त करने पर भी अनुबन्धित बसें निगम को लाभ दे रही हैं और निगम की बसें प्रति किलो मी0 पर 50 पैसे का घाटा निगम को दे रही हैं? यदि हां, तो उसका क्या कारण है? शासन ने इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की है?

डाक्टर संजय सिंह–

परिवहन निगम द्वारा अनुबन्धित बसों को 2 रु0 प्रति किलोमीटर के हिसाब से दिया जाता है।

यह सही है कि इस व्यवस्था से निगम को कुछ शुद्ध लाभ होता है तथा निगम को अपनी बसें चलाने में प्रति किलोमीटर 0.56 पैसे की हानि है। यह हानि मुख्यतः निगम के बस बेड़े में पुरानी बसों का कुछ वर्षों तक सामयिक प्रतिस्थापन न होना, कर्मचारियों के वेतन/भत्तों एवं अन्य सुविधाओं में निरन्तर वृद्धि होना, बस स्टेशनों के निर्माण एवं अन्य दूसरी जनसुविधाओं के सम्बन्ध में खर्चा, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु हानि के बावजूद नगरीय सेवाओं इत्यादि का संचालन एवं निगम के मार्गों पर दूसरे वाहनों का अनधिकृत संचालन के कारण है।

निगम के बस बेड़े की सामयिक प्रतिस्थापन हेतु पिछले दो वर्षों से सुव्यवस्थित प्रयास किया जा रहा है। कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से निगम के कार्यकलापों को और सुदृढ़ किया गया है। प्रति बस प्रति दिन संचालन में निरन्तर वृद्धि की जा रही है। बसों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के कार्य को भी और मजबूत किया जा रहा है। संचालन से सम्बन्धित ईंधन की खपत को और अधिक नियंत्रित किया गया है। निगम के मार्गों पर अन्य दूसरे वाहनों के अनधिकृत संचालन की रोकथाम के लिए भी सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं।

†छापा नहीं गया।

हार्ट मैन कालेज, बरेली के छात्र शरद शाह की नानक सागर डैम के पानी में डूबकर मृत्यु के सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

*17—डाक्टर दिनेश जौहरी —

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 16-9-85 को हार्ट मैन कालेज, बरेली के छात्रों की एक पिकनिक पार्टी स्कूल द्वारा नानक सागर डैम गई थी और वहां पर एक छात्र शरद शाह की पानी में डूब कर मृत्यु हो गई थी? यदि हां, तो इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां ।

लापरवाही, कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता तथा अवज्ञा के आरोप में प्रबन्ध तन्त्र द्वारा विद्यालय के दो अध्यापकों को सेवा से अलग (डिसमिस) कर दिया गया है।

डाक्टर दिनेश जौहरी —

मान्यवर, हार्ट मैन कालेज, बरेली का सबसे अच्छा कालेज है। यहां के प्रिंसिपल द्वारा एक पिकनिक पार्टी बच्चों की दो अध्यापकों के साथ नानक सागर डैम भेजी गयी और मान्यवर, यह पिकनिक ऐसे समय में वहां भेजी गयी जबकि नानक सागर उस समय खूब भरा हुआ था, और इस पिकनिक में बच्चों के लिए जाना कम्पलसरी कर दिया गया और जिन दो अध्यापकों के बारे में मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्हें सेवा से अलग कर दिया गया है, वे अध्यापक बेचारे तैरना जानते नहीं थे, इसलिए एक बालक शरद शाह की उसमें डूबकर मृत्यु हो गयी, तो मैं मा0 मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि इस पिकनिक पार्टी के भेजे जाने का दायित्व तो प्रिंसिपल पर था और उन अध्यापकों को सजा दी गयी तो उस प्रिंसिपल के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं?

डाक्टर संजय सिंह —

मान्यवर, यह जानकारी हुई है कि वहां पर विद्यार्थियों की एक टीम पिकनिक पर जाने वाली थी और विद्यार्थियों ने इसके लिए दबाव डाला और इसमें टीचर्स जिम्मेदार ठहराये गये और दो टीचर्स सेवा से निकाल दिये गये।

डाक्टर दिनेश जौहरी —

मान्यवर, इस पूरे प्रकरण के लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

डाक्टर संजय सिंह —

मान्यवर, यह घटना जब हुई, उस समय वह नहीं थे, तो उनको कैसे जिम्मेदार माना जा सकता है ?

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, इतने गम्भीर अपराध में सेवा से निकाल देना ही पर्याप्त दण्ड नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी उन दोनों अध्यापकों के विरुद्ध अपराध संहिता की जो भी धारा उन पर लागू हो, उसके तहत मुकदमा चलाने का आश्वासन देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह —

मान्यवर, यह आवश्यक नहीं है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अभी तो प्रश्नों का समय समाप्त ही नहीं हुआ है, अभी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता है।

फर्रुखाबाद में सड़कों के निर्माण का कार्य

*18—श्री नरेश चन्द्र (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि फर्रुखाबाद में सड़कों के निर्माण का कार्य पिछले दिनों से बिल्कुल ठप्प पड़ा है? यदि हां, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि अतिरिक्त जिलाधिकारी, नियोजन, फर्रुखाबाद तमाम कामों को सार्वजनिक निर्माण अथवा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा से न कराकर किसी अन्य एजेन्सी से कराने की व्यवस्था कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं।

फर्रुखाबाद में सड़कों के निर्माण का कार्य निरन्तर हो रहा है। यह तथ्य सही नहीं है कि तमाम काम सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से न कराकर किसी अन्य एजेन्सी से कराने की व्यवस्था अतिरिक्त जिलाधिकारी नियोजन कर रहे हैं। सड़क निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा भी कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

*19—श्री भगवती सिंह विशारद—

[दिनांक 24-2-86 को ता0 प्र0 सं0 16 द्वारा उत्तरित]

प्रौढ़ शिक्षा परियोजना कार्यालयों के कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया

*20—श्री सूर्य प्रताप शाही (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा परियोजना कार्यालयों में लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है? क्या ये नियुक्तियां शासन द्वारा जनपदों में गठित चयन समितियों के माध्यम से की जाती हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां जनपदों में गठित जिला चयन समितियों के माध्यम से ही किये जाने के निर्देश हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद लखनऊ के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की सूची

1—श्री शारदा प्रताप—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र में कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र हैं और किन-किन गांवों में हैं तथा प्रत्येक केन्द्र पर किन-किन पदों पर महिला/पुरुष कार्यरत हैं तथा उनके निवासीय पते क्या हैं और उक्त केन्द्रों पर प्रतिमाह कितना धन व्यय किया जाता है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

माह जनवरी, 1986 में लखनऊ जनपद में शासकीय परियोजनाओं से 894 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र संचालित हैं। इन पर उसी ग्राम के अनुदेशक (अध्यापक) कार्यरत हैं। इन अनुदेशक/अनुदेशिकाओं में 306 पुरुष तथा 588 महिलायें हैं। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों से सम्बन्धित ग्रामों के नाम, अनुदेशक/अनुदेशिकाओं के नाम तथा पते संलग्न सूची† में दर्शाये गये हैं। प्रति केन्द्र प्रति माह रु0 283.33 व्यय किया जा रहा है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार है।

†छापी नहीं गई।

आर्य कन्या पाठशाला मूड, भारत नगर, गाजियाबाद की अध्यापिकाओं द्वारा प्रबन्धक तथा शिक्षा सचिव, उ0 प्र0 को दिये गये पत्र के सम्बन्ध में जानकारी

2—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आर्य कन्या पाठशाला मूड, भारत नगर, गाजियाबाद की अध्यापिकाओं द्वारा पाठशाला के प्रबन्धक को प्रेषित सामूहिक प्रार्थना पत्र दिनांक 15-10-85 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु शिक्षा सचिव, उ0 प्र0 को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र में की गयी शिकायतों का विवरण क्या है और उनको दूर करने के लिए क्या-क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री —

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सेवा निवृत श्री उमा कान्त पाण्डेय शिक्षा अधीक्षक बेसिक शिक्षा परिषद्, लखीमपुर खीरी की पेंशन

3—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उमा कान्त पाण्डेय, शिक्षा अधीक्षक, बेसिक शिक्षा परिषद् नगर क्षेत्र लखीमपुर खीरी दिनांक 31-1-84 को सेवा निवृत्त हुए थे जिनको दो वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, को अभी तक उनकी पेंशन क्यों नहीं मिली जिससे वे आर्थिक संकट में हैं? क्या उनके पेंशन के पत्रों पर कोई कार्यवाही हो रही है? यदि हां, तो उन्हें कब तक पेन्शन प्राप्त हो जायेगी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी हां। कुछ औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण ।

जी हां ।

औपचारिकतायें पूर्ण होने पर ।

4—श्री विजय सिंह राना—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

सेवा निवृत्त श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव, प्रधानाचार्या, राजकीय इण्टर कालेज, राजपुर, बांदा को पेंशन तथा अन्य देयकों का भुगतान

5—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री जी को जानकारी है कि श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव, राजकीय इण्टर कालेज, राजापुर, बांदा से प्रधानाचार्या पद से दिनांक 30-6-84 को सेवा निवृत्त हुई थीं, क्या उन्हें पेंशन तथा अन्य देयकों का भुगतान करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो अब तक भुगतान न हो सकने के क्या कारण हैं तथा उन्हें भुगतान कब तक करा दिए जायेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां ।

प्रोविजनल पेंशन रु0 568 प्रतिमास की दर से स्वीकृत हो चुकी है। सामूहिक जीवन बीमा, अवकाश नकदीकरण एवं अन्य अवशेष देयों का भुगतान किया जा चुका है। पेंशन/ग्रेच्युटी एवं जी0 पी0 एफ0 के प्रपत्र महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद को क्रमशः पी0 पी0 ओ0/जी0 पी0 ओ0 एवं अथार्टी निर्गत करने हेतु भेजे जा चुके हैं।

हरदोई-पिहानी मार्ग से ग्राम हबीबपुर तक सम्पर्क मार्ग बनाने का प्रस्ताव

6—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के हरदोई—पिहानी मार्ग से ग्राम हबीबपुर तक सम्पर्क मार्ग बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त

मार्ग पर कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं।

प्रश्न में संदर्भित सड़क निर्माण का कोई प्रस्ताव जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, हरदोई में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता है।

विकास खण्ड कोथावां (हरदोई) में कतिपय सम्पर्क मार्गों के निर्माण में विलम्ब

7–श्री रामपाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरदोई, वि0 खं0 कोथावां, गोंडवा से सोनिकपुर होते हुए जनिगांव जाने वाले सम्पर्क मार्ग तथा हत्याहरण से सल्हेरा जाने वाले सम्पर्क मार्ग के निर्माण में विलम्ब का कारण क्या है? उक्त मार्ग पर सोलिंग कब तक की जायेगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्न में सन्दर्भित मार्ग के निर्माण का कोई प्रस्ताव जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, हरदोई में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ में नियमित जिला पंचायत-राज अधिकारी की नियुक्ति तथा ज्येष्ठ सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की पदोन्नति

8–श्री बाबू राम यादव, श्री फागू चौहान, श्री दुर्गा प्रसाद यादव तथा श्री राम जनम–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में नियमित जिला पंचायत अधिकारी का पद कब से रिक्त है? यदि नियमित जिला पंचायत अधिकारी का पद आजमगढ़ में रिक्त रहा तो स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेशों के तहत ज्येष्ठ सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की पदोन्नति जिला पंचायत अधिकारी के पद पर की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद आजमगढ़ में नियमित जिला पंचायत राज अधिकारी की नियुक्ति दिनांक 9-1-85 से नहीं हुई थी। तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा कार्यहित में जिले में उपलब्ध पंचायत निरीक्षक उद्योग की स्थानीय व्यवस्था में तदर्थ रूप से प्रोन्नति कर दी गई थी।

आजमगढ़ के जिला पंचायतराज अधिकारी के पद से श्री अम्बिका सिंह का प्रत्यावर्तन

9–श्री बाबू राम यादव, श्री फागू चौहान, श्री दुर्गा प्रसाद यादव तथा श्री राम जनम यादव–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री अम्बिका सिंह को जिला पंचायत राज अधिकारी के पद से प्रत्यावर्तित करने के आदेश जारी कर दिये गये? यदि हां, तो क्या शासनादेश कार्यान्वित हो चुका है? यदि नहीं, तो क्या कारण है और कौन जिम्मेदार है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर नियमित व्यवस्था के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

श्री लीलापत पाल ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड ऊंचाहार, बुलन्दशहर के स्थानान्तरण की मांग

10—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लीलापत पाल ग्राम विकास अधिकारी को वि0खं0 ऊंचागांव जनपद बुलन्दशहर में कार्य करते हुए लगभग 10 वर्ष हो गये हैं तथा इनका स्थानान्तरण ए0डी0एम0 (डी0) बुलन्दशहर ने जून, 85 में ब्लाक दानपुर को किया था और फिर रोक दिया गया एवं मण्डलीय विकास आयुक्त मेरठ ने इनका स्थानान्तरण जनपद सहारनपुर को किया था वे आदेश भी रोक दिये गये जबकि इनके विरुद्ध जनता की शिकायतें हैं? यदि हां, तो इनके स्थानान्तरण निरस्त किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

श्री लीलापत पाल, ग्राम विकास अधिकारी की पत्नी की बीमारी तथा सेवा निवृत्त के दो वर्ष शेष रह जाने के कारण इनकी प्रार्थना पर इनका स्थानान्तरण निरस्त करके जनपद गाजियाबाद को किया गया जहां उन्होंने जुलाई 85 में कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। श्री पाल के विरुद्ध जनता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अवकाश प्राप्त श्री शिवपाल सिंह चौहान जिला पंचायत अधिकारी, इटावा द्वारा सरकारी आवास पर कब्जा

11—श्री आसान सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री शिवपाल सिंह चौहान जिला पंचायत अधिकारी, इटावा 31 मार्च, '84 में ही अवकाश प्राप्त कर चुके हैं परन्तु सरकारी आवास अभी तक खाली नहीं किया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी आवास शीघ्र खाली कराने की कार्यवाही करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री शिव पाल सिंह चौहान, जिला पंचायत राज अधिकारी इटावा दिनांक 31-3-84 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं। जिला मुख्यालय स्थित पंच सदन (पंचायती भवन) का पश्चिमी भाग तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा श्री चौहान को दिनांक 16-7-77 को आवंटित किया गया था, जिसे अभी तक खाली नहीं किया गया है।

उक्त भवन के खाली करने का मामला मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विचाराधीन है।

म्युनिसिपल इण्टर कालेज फतेहगढ़, फर्रुखाबाद के अध्यापकों की भविष्य निर्वाह निधि तथा बोनस का सामान्य भविष्य निधि में स्थानान्तरण

12—श्री आसान सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि म्युनिसिपल इण्टर कालेज फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद के अध्यापकों की वर्ष 1975 से पूर्व की भविष्य निर्वाह निधि, सामान्य भविष्य निधि में स्थानान्तरित हो गई है, तथा स्वीकृत बोनस का धन सामान्य भविष्य निधि में जमा हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह—

नहीं। वर्ष 1975 के पूर्व सम्बन्धित विद्यालय के अध्यापकों को वेतन भुगतान अध्यक्ष, नगरपालिका, फर्रुखाबाद द्वारा किया जाता था। नगरपालिका फर्रुखाबाद के अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1975 के पूर्व भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि सामान्य भविष्य निर्वाह निधि में पूर्व ही स्थानान्तरित कर दी जाती थी

किन्तु तत्कालीन अध्यक्ष, नगरपालिका, फर्रुखाबाद द्वारा नगरपालिका कर्मचारियों तथा म्युनिसिपल इण्टर कालेज, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद) के अध्यापकों के भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा धनराशि के उ0 प्र0 राज्य विकास ऋण पत्र खरीदे गये थे। अब उक्त ऋण पत्रों की परिपक्वता की अवधि पूर्ण हो चुकी है। जैसे ही उक्त ऋण पत्रों की धनराशि नगरपालिका को प्राप्त हो जायेगी वैसे ही म्युनिसिपल इण्टर कालेज के अध्यापकों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। वर्ष 1975 के पूर्व अध्यापकों को स्वीकृत बोनस के अभिलेख नगरपालिका में उपलब्ध नहीं हैं। प्रधानाचार्य के रिकार्ड में अथवा अध्यापकों की व्यक्तिगत पत्रावली में अभिलेख उपलब्ध होने पर अध्यापकों के सामान्य भविष्य निधि खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी।

13—श्री राज किशोर सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री दीनानाथ की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में जानकारी

14—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दीनानाथ, सहायक अभियन्ता जो भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन से प्रतिनियुक्ति पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखंड लखनऊ में कार्यरत हैं, को उनके मूल विभाग (भू0ज0स0) में सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति किन परिस्थितियों में की गयी जबकि इनसे वरिष्ठ अनेक डिप्लोमा होल्डर अवर अभियन्ता हैं तथा श्री दीनानाथ को निर्धारित योग्यता न रखते हुये एवं लोक सेवा आयोग से वास्तविक तथ्यों को छिपाकर प्रोन्नति दी गयी? यदि हां, तो क्या मंत्री जी श्री दीनानाथ की प्रोन्नति के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही कर उन्हें पदावनत करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री दीनानाथ, सहायक अभियन्ता, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के समय कोई विभागीय डिप्लोमाधारी अवर अभियन्ता इनसे वरिष्ठ नहीं था। श्री दीनानाथ प्रोन्नति हेतु पात्र थे। प्रोन्नति के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के समक्ष सभी आवश्यक तथ्य रखे गये और उपयुक्त पाये जाने पर ही आयोग द्वारा इन्हें सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु अनुमोदित किया गया, अतः इनकी पदावनति का प्रश्न नहीं उठता।

15—श्रीमती शारदा देवी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

ग्राम कठमोरवा विकास खण्ड मिठवल, बस्ती के कतिपय व्यक्तियों को डी0आर0 डी0 ए0 योजना के अन्तर्गत बैल खरीदने हेतु ऋण की स्वीकृति की जांच

16—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि नन्दलाल पुत्र बैजनाथ, बंशराज पुत्र बैजनाथ, श्री प्रसाद पुत्र जोखू, निवासी ग्राम कठमोरवा वि0 खं0 मिठवाल जनपद बस्ती को, वर्ष 79-80 में डी0 आर0 डी0 ए0 योजना के अन्तर्गत बैल खरीदने हेतु ऋण स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा दिया जा रहा अनुदान उपरोक्त कृषकों के ऋण खाते में जमा किया गया अथवा नहीं? क्या मंत्री जी इस तथ्य की जांच कराने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कृषकों से सहकारी समिति के सचिव द्वारा सम्पूर्ण ऋण का धन वसूल किया जा रहा है तथा जांच आख्या सदन के पटल पर रखते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

सन्दर्भित व्यक्तियों को वर्ष 1979-80 में बैल क्रय हेतु प्रत्येक को दो हजार रु0 की धनराशि ऋण हेतु दी गई थी । उपरोक्त व्यक्तियों को देय अनुदान की धनराशि बैंक शाखा द्वारा गलती से साधन सहकारी समिति सेखुई के बजाय तिलौला किसान सेवा समिति को चली गई थी जिसे बाद में साधन सहकारी समिति सेखुई को हस्तान्तरित किया गया ।

2–इस संबंध में सचिव साधन सहकारी समिति, सेखुई द्वारा ऋण की वसूली की जा रही थी परन्तु उक्त भूल के प्रकाश में आने पर वसूली निरस्त कर दी गई ।

प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के लिए पठन-पाठन सामग्री की आपूर्ति

17–श्री किरन पाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 शासन द्वारा संचालित प्रौढ़ शिक्षा योजना के अन्तर्गत चलने वाले प्रौढ़ शिक्षा योजना केन्द्रों के लिए पठन-पाठन सामग्री की आपूर्ति की क्या व्यवस्था है ? क्या लखनऊ स्थित लिटरेसी हाउस (साक्षरता निकेतन) पिछले 3 वर्षों में संचालित समस्त प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के लिए वांछित पठन-पाठन सामग्री की आपूर्ति समय पर करने में सक्षम रहा है ? यदि नहीं, तो पठन-पाठन की सामग्री के अभाव में योजना किस प्रकार चल रही है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित प्रौढ़ शिक्षा योजना के अन्तर्गत चलने वाले प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के लिए पठन-पाठन सामग्री की आपूर्ति साक्षरता निकेतन लखनऊ द्वारा की जाती है जो भारत सरकार द्वारा प्रदेश का राज्य सन्दर्भ केन्द्र घोषित है ।

साक्षरता निकेतन लखनऊ प्रदेश में चलने वाली प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं के लिए विगत तीन वर्षों में अपेक्षित मात्रा में पठन-पाठन सामग्री की आपूर्ति समय के अन्दर ही करता रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्व0 श्री डिगम्बर सिंह चौहान, वरिष्ठ आंशिक विकास क्षेत्र दनकौर, बुलन्दशहर की विधवा को पेन्शन तथा अन्य देयों का भुगतान

18–श्री किरन पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री डिगम्बर सिंह चौहान वरिष्ठ आंशिक विकास क्षेत्र दनकौर जनपद बुलन्दशहर की 24-11-84 को सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो स्व0 श्री डिगम्बर सिंह चौहान की विधवा को पारिवारिक पेन्शन, बीमा धनराशि, ग्रेच्युटी, फण्ड तथा अन्य देय प्राप्त हो गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? स्व0 श्री डिगम्बर सिंह चौहान की विधवा को उक्त समस्त राशियां कब तक प्राप्त हो जायेंगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

श्री डिगम्बर सिंह चौहान की मृत्यु दिनांक 24-11-83 को हुई थी ।

स्व0 श्री चौहान की विधवा को 180 दिन के शेष अर्जित अवकाश का भुगतान किया जा चुका है तथा उनकी विधवा से वारिसान प्रमाण पत्र दिनांक 18-11-85 को प्राप्त हुआ । महालेखाकार कार्यालय तथा बीमा निदेशालय से स्वीकृत प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायगा ।

बुलन्दशहर में जूनियर हाई स्कूलों के लिए संस्कृत अध्यापकों की नियुक्ति में धांधली

19–श्री किरन पाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 26 जुलाई, 1985 को संस्कृत अध्यापकों की जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्ति

हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलन्दशहर के यहां कोई साक्षात्कार हुआ था तथा साक्षात्कार के बाद संस्कृत अध्यापकों के चयन हेतु कोई सूची भी बनी थी जिसमें श्री याद राम सिंह, प्रधानाध्यापक नायसर नया बांस प्रा0 स्कूल वि0 क्षे0 अरेनिया जिला बुलन्दशहर को प्रथम स्थान पर रखा गया ? यदि हां, तो उक्त सूची के अनुसार नियुक्ति न करके मन मरजी से नियुक्ति की जा रही है ? यदि हां तो ऐसा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी हां ।

सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराई जा रही है ।

बाराबंकी में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित एवं चयनित महिलाओं की आयु सीमा में छूट

20–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित कुछ महिलाओं का चयन हुआ था जिनकी आयु अधिक थी, जिनकी आयु सीमा से छूट के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र दि0 17-8-85 को सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद को भेजा गया था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा से छूट प्रदान की जा चुकी है ।

राजकीय इण्टर कालेज, सुल्तानपुर के अध्यापक श्री बैजनाथ पाण्डेय को मा0 शि0 परिषद्, उ0 प्र0 द्वारा परीक्षक के पद पर नियुक्ति

21–श्री रणजीत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज सुल्तानपुर के सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापक श्री बैजनाथ पाण्डेय को उनकी किन योग्यताओं और अनुभव के आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 द्वारा वर्ष 1975 से 1978 तक परिषदीय हाई स्कूल परीक्षा में हिन्दी वर्ग-2 की उत्तर पुस्तकें जांचने हेतु सहायक परीक्षक और वर्ष 1985 में डिप्टी हेड परीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है ? क्या उन योग्यताओं का सत्यापन कर लिया गया है और उनके प्रमाण-पत्र श्री पाण्डेय के पास हैं ?यदि वे सभी योग्यतायें उनके पास नहीं, हैं तो क्या वे परीक्षक पद के लिये शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक और प्रशिक्षण की योग्यता के आधार पर योग्य हैं ? यदि नहीं, तो ऐसे अध्यापक के विरुद्ध शिक्षा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ?

डाक्टर संजय सिंह–

राजकीय इण्टर कालेज, सुल्तानपुर के अध्यापक श्री बैजनाथ पाण्डेय को उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक योग्यता शास्त्री, साहित्यरत्न तथा प्रशिक्षण युक्त होने के आधार पर, परीक्षकत्व हेतु निर्धारित अर्हता की पूर्ति होने पर ही, वर्ष 1975 की परीक्षा के लिये हाईस्कूल हिन्दी प्रथम प्रश्न पत्र का सहायक परीक्षक नियुक्त किया गया था ।

नियमानुसार वे वर्ष 1975 से 1978 तक सहायक परीक्षक रहे। विषय समिति

द्वारा नाम संस्तुत किए जाने पर उपर्युक्त अनुभवों के आधार पर उनको वर्ष 1983 में हाईस्कूल हिन्दी द्वितीय प्रश्न पत्र का उप प्रधान परीक्षक नियुक्त किया गया।

सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारित अध्यापक सूची में उपलब्ध विवरणों के आधार पर परीक्षकत्व हेतु अर्हता की जांच की जाती है। नियमानुसार वे सहायक परीक्षक तथा उप प्रधान परीक्षक के लिये अर्ह पाए गए।

प्रश्न नहीं उठता।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के कार्यालय का सृजन

22—श्री अशोक बाजपेयी, श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री जनार्दन प्रसाद आभा—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 84-85 में कितने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के कितने कार्यालय सृजित किये गये हैं? तथा इसमें कितने अधिकारियों व कर्मचारियों के पदों का सृजन किया गया है?

डाक्टर संजय सिंह—

वर्ष 1984-85 में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) का कोई कार्यालय सृजित नहीं किया गया, अतएव अधिकारियों व कर्मचारियों के पदों के सृजन का प्रश्न नहीं उठता।

23—श्री अशोक बाजपेयी—
श्री राम गोविन्द चौधरी तथा
श्री जनार्दन प्रसाद आभा—
[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

24—श्री विष्णु देव—
[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

सीनियर बे0 प्रा0 स्कूल अगराना व जू0 बे0 प्रा0 स्कूल नहर नाई नगला ताहर के जीर्ण-शीर्ण भवनों का पुनर्निर्माण

25—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़ ने अभियन्ता द्वारा सर्वेक्षण कराकर सीनियर बे0 प्रा0 स्कूल अगराना व जू0 बे0 प्रा0 स्कूल नहर नाई नगला ताहर के स्कूल भवनों के गिरने की स्थिति में होने की चेतावनी दो माह पूर्व शिक्षा विभाग को दी है? यदि हां, तो उक्त स्कूलों को इन भवनों से अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? हजारों बच्चों की जान जाने की संभावना देखते हुए क्या स्कूल भवनों का पुनः निर्माण शीघ्र करायेंगे?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी नहीं। ऐसी कोई चेतावनी शिक्षा विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु दिनांक 4-3-86 को अभियन्ता, जिला परिषद्, अलीगढ़ से दोनों विद्यालयों का सर्वेक्षण कराया गया है और भवनों के जीर्ण-शीर्ण होने के कारण इन विद्यालयों में शिक्षण कार्य रोक दिया गया है।

भवनों का पुनर्निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दिए जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

26—श्री सुखपाल पाण्डे—

द्वितीय सत्र 85 के 2रे सोम के लिए अता0 प्र0 सं0-150 के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 83-84 में प्रदेश में किन-किन शिक्षा संस्थाओं को कितना-कितना अनुदान दिया गया है, कुल कितने प्रार्थना पत्र आये थे, उनमें से कितने को नहीं दिया गया?

डाक्टर संजय सिंह–

विवरण की सूची संलग्न† है । 43 शासकीय महाविद्यालय तथा 122 अशासकीय महाविद्यालय के आवेदन पत्र प्राप्त हुए । 88 अशासकीय महाविद्यालयों को नहीं दिया जा सका ।

गांव सिकरी, विकास खण्ड रामनगर, बांदा के ग्राम प्रधान तथा खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

27–श्री राम सजीवन–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सिकरी, विकास खंड रामनगर, जिला बांदा के भू0 पू0 प्रधान तथा अन्य ग्रामीणों ने 24-11-85 को जिलाधिकारी, बांदा के पास शिकायती पत्र भेजकर ग्राम प्रधान तथा खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो आरोप क्या हैं और उनकी जांच के क्या परिणाम निकले हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नगत पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भूपाल शर्मा प्रवक्ता राजकीय इण्टर कालेज, मेरठ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

28–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ में राजकीय इण्टर कालेज के प्रवक्ता भौतिकी श्री भूपाल शर्मा के आचरण एवं व्यवहार और राष्ट्रीय गान के अपमान एवं छात्रों के ब्लैक मेल करने के विरुद्ध क्या प्रधानाचार्य मेरठ ने वर्ष 1980-81 में शासन से श्री शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही की शिकायत की थी? यदि नहीं, तो शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह –

जी हां ।

प्रधानाचार्य द्वारा अवर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को सम्बोधित अपने पत्र में की गई शिकायतों में अन्य बातों के साथ प्रार्थनास्थल पर न आकर राष्ट्रीयगान का अपमान करने की बात भी कही गयी थी।

शिक्षा निदेशक स्तर से श्री शर्मा का प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण कर दिया गया था और उनकी गोपनीय चरित्रावली वर्ष 1980-81 में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गई ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर की तहसील शाहगंज के अन्तर्गत जीर्ण-शीर्ण प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों की मरम्मत

29–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर, तह0 शाहगंज के प्राइमरी पाठशाला व कन्या प्राइमरी पाठशाला के लगभग 50 प्रतिशत भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच चुके हैं तथा उन पाठशाला के बच्चे धूप व पेड़ के नीचे पढ़ते हैं? क्या भवनों की मरम्मत का कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी हां ।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

30–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

31–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

†छापी नहीं गई ।

हरदोई जनपद में डिग्री कालेजों की संख्या

32—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में इस समय कितने डिग्री कालेज हैं ? जिले की विशालता को देखते हुए क्या शासन और डिग्री कालेज के खोलने के बारे में विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

जनपद हरदोई में इस समय तीन डिग्री कालेज हैं ।

जी नहीं ।

औचित्य नहीं है ।

स्व0 श्री राम सनेही यादव, सहायक अध्यापक प्राइमरी पाठशाला पारा, उन्नाव की विधवा को पेंशन आदि का भुगतान

33—श्री हृदय नरायन दीक्षित तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम सनेही यादव, स0 अ0 प्रा0 पाठशाला, पारा, उन्नाव, जिनकी सेवा अवधि के दौरान दि0 23-10-78 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा, फंड, ग्रेच्युटी तथा पेंशन सम्बन्धी समस्त धनराशि का भुगतान आश्रित परिवारिक व्यक्तियों को कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ? यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

स्वर्गीय श्री राम सनेही यादव सहायक अध्यापक की पत्नी को मृत अध्यापक के बीमे का रु0 12279.26 का भुगतान किया जा चुका है और प्राविडेंट फंड के भुगतान हेतु रु0 2912.40 का चैक दिनांक 25-2-86 को निर्गत कर दिया गया है । स्वर्गीय श्री राम सनेही को ग्रेच्युटी तथा पारिवारिक पेन्शन देय नहीं है।

सांसदों, विधायकों व राजपत्रित अधिकारियों के पते प्रमाणित करने के अधिकार वापस करने तथा तहसीलदार या थानाध्यक्ष को वह अधिकार देने के संबन्ध में जानकारी

34—श्री विजय सिंह राणा—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन आयुक्त के पत्र संख्या 2481 इन्फ/317-इन्फ/84, दिनांक 1 मई 85 के द्वारा भविष्य में पते प्रमाणित करने का अधिकार केवल तहसीलदार या थानाध्यक्ष को दिया गया है ? यदि हां, तो किस अधिकार से ? क्या इस नियम के तहत मा0 सांसदों, विधायकों, राजपत्रित अधिकारियों के पते प्रमाणित करने के अधिकार वापस कर लिए गये हैं ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

डाक्टर संजय सिंह—

मोटर वेहिकिल्स अधिनियम, 1939 की धारा-26 में यह प्राविधान है कि रजिस्ट्रिंग अथारिटी आवेदन पत्र में लिखित विवरण की सत्यता के संबन्ध में अपने को सन्तुष्ट करेंगे तथा गलत विवरणों के आधार पर उक्त अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत वे वाहन का पंजीयन करने से इन्कार कर सकते हैं ।

यह शिकायतें मिलने पर कि चोरी की गयी गाड़ियों के प्रति वाहन स्वामी के द्वारा गलत पता देकर पंजीयन व हस्तान्तरण करा लिया जाता है एवं जाली प्रपत्रों पर संचालन किया जाता है, परिवहन आयुक्त ने इस कुप्रथा पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से परिपत्र संख्या 2481 इन्फ/317-इन्फ/84, दिनांक 19-5-85 में समस्त पंजीयन अधिकारियों को प्रशासनिक निदेश दिये थे कि तहसीलदार व पुलिस थानाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित पतों

को ही मान्यता दें और यदि व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं संतुष्ट हों तो अपनी जिम्मेदारी पर पता प्रमाणित कर दें ।

परिवहन आयुक्त ने पुनः विचारोपरान्त अपने परिपत्र संख्या 275 (जी) इन्फ/317 उन्फ/84, दिनांक 3-10-85 में भारी परिवहन वाहनों के संबन्ध में निर्देश दिये हैं कि तहसीलदार, थानाध्यक्ष मैजिस्ट्रेट तथा लोक सभा एवं विधान सभा/परिषद् के सदस्यों द्वारा प्रमाणित पतों को भी मान्यता दी जायेगी ।

35—श्री सुखपाल पाण्डे तथा
श्री कामेश्वर उपाध्याय—
[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

बस्ती के जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड के कार्यालय में खाद्यान्न योजना के अवशेष खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन के आदेश

36—श्री सुखपाल पाण्डे तथा
श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के जिलाधिकारी ने कोई आदेश मार्च तथा अप्रैल, 80 में बस्ती जिले के प्रत्येक विकास खण्ड के कार्यालय में खाद्यान्न योजना के अवशेष खाद्यान का भौतिक सत्यापन हेतु किया था ? यदि हां, तो किन-किन वि0 खं0 में त्रुटि पाई गयी ? उन त्रुटियों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी हां ।

तत्कालीन जिलाधिकारी बस्ती ने अपने आदेश संख्या 87/आशु-खाद्यान्न, दिनांक 11-4-80 द्वारा खाद्यान्न योजना अन्तर्गत भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए यह आदेशित किया था कि केवल स्वीकृत कार्यों पर ही मस्टर रोल तथा एम0 बी0 के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाय । इस आदेश में अवशेष खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन हेतु कोई उल्लेख नहीं किया गया ।

स्वीकृत कार्यों एवं सम्बन्धित मस्टर रोलों की आदेशानुसार जांच की गयी । जांच के उपरान्त नियमानुसार भुगतान किया गया। मस्टर रोलों में कोई त्रुटि नहीं पायी गयी ।

37—श्री सुखपाल पाण्डे तथा
श्री कामेश्वर उपाध्याय—
[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

38—श्री सुखपाल पाण्डे तथा
श्री कामेश्वर उपाध्याय—
[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

39—श्री सुखपाल पाण्डे तथा
श्री कामेश्वर उपाध्याय—
[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

40—श्री सुखपाल पाण्डे तथा
श्री कामेश्वर उपाध्याय—
[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

41—श्री सत्यपाल सिंह—
[दिनांक 3-3-86 को अता0 प्र0 सं0 76 द्वारा उत्तरित]

गोरखपुर कप्तानगंज वाया पिपराइच मार्ग पर चलने वाली राज्य परिवहन निगम की बसों के किराये का विवरण

42—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर कप्तानगंज वाया पिपराइच मार्ग पर चलने वाली राज्य परि-

वहन निगम की बसों का किराया प्रति व्यक्ति किस दर से लिया जाता है तथा गोरखपुर से जंगल तिर्कोनिया ग्राम की दूरी कितनी है तथा प्रति व्यक्ति किराया कितना है ?

डाक्टर संजय सिंह–

गोरखपुर कप्तानगंज वाया पिपराइच मार्ग पर चलने वाली राज्य परिवहन निगम की बसों का किराया शासन द्वारा निर्धारित दर 9.56 पैसे प्रति यात्री प्रति कि0 मी0 + 16 प्रतिशत यात्री कर +10 नये पैसे अतिरिक्त यात्री कर एवं यात्री कर + अतिरिक्त यात्री कर की धनराशि का 5 प्रतिशत यात्री बीमा कर प्रत्येक यात्री से लिया जाता है ।

गोरखपुर से जंगल तिर्कोनियां ग्राम की दूरी 10 कि0मी0 है परन्तु यह स्थान बस स्टापेज घोषित नहीं है । अतः कुल किराया इस स्थान के आगे घोषित पतरा स्टापेज की दर से लिया जाता है जो गोरखपुर से 15 कि0 मी0 की दूरी पर है और जिसका कर सहित कुल किराया 1.80 पैसा है ।

43–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

44–श्री सरदार सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

45–श्री सुखपाल पाण्डे तथा
श्री कामेश्वर उपाध्याय–

[8वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 151 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रा0 पा0 आमादेई, वि0क्षे0नाथूनगर, बस्ती के सहायक अध्यापक श्री सच्चिदानन्द मिश्र व वीरेन्द्र नाथ के बकाये वेतन का भुगतान

46–श्री सुखपाल पाण्डे तथा
श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के परिषदीय प्रा0 वा0 सलेहाबाद वि0 क्षे0 हैसरबाजार (पूर्वी) प्रा0 पा0 आमादेई वि0 क्षे0 नाथू नगर जिला बस्ती के सहायक अध्यापक श्री सच्चिदानन्द मिश्र व वीरेन्द्र नाथ के बकाया दिनांक 1-2-83 से 19-10-84 तक की अवधि का उपशिक्षा निदेशक, गोरखपुर एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद के कई आदेशों के बाद भी उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालय बस्ती द्वारा भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? इसके लिए कौन कर्मचारी दोषी है, क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी हां ।

विधिक एवं वित्तीय राय तथा वित्तीय सहमति प्राप्त न होने के कारण ।

निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है ।

कोई दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के लिये पर्यवेक्षक पद के वेतनमान में परिवर्तन किये जाने के संबन्धी शिक्षा मंत्री का पत्र

47–श्री सुखपाल पाण्डे तथा
श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुलपति सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का पत्रांक 745/

5012/83-84 दिनांक 12 जून. 84 तथा पत्र सं0-5012/83-84 दिनांक 19-12-84 व राजाज्ञा सं0-शिक्षा 15/384/15-(15)/83-5/50/70 दिनांक 1-9-83 द्वारा विश्वविद्यालय के लिए पर्यवेक्षक पद का सृजन 470-735 वेतन-मान में किये जाने पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था और मा0 पं0 कमलापति त्रिपाठी, एम0 पी0 व भू0 पू0 मुख्यमंत्री ने जनवरी, 83 से 30 जून, 85 तक मा0 शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कार्यवाही करने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह–

राजाज्ञा संख्या-384/15-(15)/83-5 (50)/79 दिनांक 9 सितम्बर. 83 द्वारा सृजित विक्रय पर्यवेक्षक के पद के वेतनमान रु0 470-735 के पुनर्विचार का अनुरोध विश्वविद्यालय के कुलपति के पत्रांक 745/5012/83-84, दिनांक 12 जून, 84 तथा पत्र संख्या सा0/5012/83-84, दिनांक 19 दिसम्बर, 83 द्वारा प्राप्त हुआ था । माननीय कमलापति त्रिपाठी जी के जनवरी, 83 से 30 जून, 1985 के पत्रों की प्राप्ति की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

विचारोपरान्त वेतनमान में परिवर्तन का औचित्य नहीं पाया गया ।

जी नहीं । स्थिति ऊपर स्पष्ट कर दी गई है ।

48–श्री यदुनाथ सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

49–श्री यदुनाथ सिंह–

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

50–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद फर्रुखाबाद में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के वेतन का भुगतान

51–श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में सितम्बर, 85 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को उनकी नियुक्ति के बाद वेतन का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। मामले की जांच करायी जायेगी ।

52–श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

देवरिया जनपद के तहत सलेमपुर टाउन एरिया निवासी बांकेलाल गुप्त की जिला परिषद देवरिया द्वारा दुकान का आवंटन

53–श्री हर्ष वर्धन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के तहत सलेमपुर टाउन एरिया निवासी बांकेलाल गुप्त की दुकान जिला परिषद् देवरिया से आवंटित थी जिसको परगनाधिकारी, सलेमपुर ने बिना निरस्त कराये जुलाई, 85 में उजाड़कर पार्क के रूप में बदल दिया है ? यदि हां, तो तथ्य क्या है और उजाड़े गए परिवार को पुनः भूमि आवंटित कर कब तक बसाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं । श्री बांके लाल गुप्त ने दुकान के लिए भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया था किन्तु भूमि आवंटित नहीं की गई थी । नेहरू पार्क हेतु उनसे मौखिक रूप से दुकान हटाने के लिए कहा गया और उन्होंने दुकान हटा ली ।

श्री बांके लाल गुप्त को सलेमपुर में ही उनकी पुरानी दूकान से थोड़ी दूर हटकर उनकी इच्छानुसार दुकान करने हेतु भूमि आवंटित कर दी गई है जिस पर श्री गुप्त अपना कारोबार कर रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0रा0स0 परिवहन निगम के बर्डघाट डिपो, गोरखपुर में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी की पिटाई

54–श्री हर्ष वर्धन–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम के बर्डघाट डिपो गोरखपुर क्षेत्र के वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी अधिकारी का 24-9-85 को 12 वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर कार्यरत रहने वाले कर्मचारियों की टेबुल चेन्ज करने पर पिटाई की गई जिसकी रिपोर्ट कैंट थाने में अंकित है ? यदि हां, तो तथ्य क्या है ? अब तक कौन सी कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बर्डघाट डिपो के वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी द्वारा निगम कार्य में चुस्ती लाने हेतु एक ही पटल पर अधिक दिनों से कार्यरत बर्डघाट डिपो के कर्मचारियों का पटल परिवर्तन करने पर कतिपय असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा उनके साथ दिनांक 24-9-85 को अशिष्ट व्यवहार व मारपीट की गयी, जिसकी रिपोर्ट वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी बर्डघाट द्वारा कैंट थाने में दर्ज कराई गई। इस प्रकरण में दोषी कर्मचारियों को आरोपित व निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

क्षेत्र फिरोजाबाद, आगरा में आई0आर0डी0 योजनान्तर्गत कतिपय गांवों में दिये गये ऋण अनुदान में अनियमितता

55–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के वि0 क्षे0 फिरोजाबाद में आई0आर0डी0 योजना में क्या वर्ष 81 व 82 और 83 में ग्रामसभा दीदामाई और रसूलपुर (नगला वरी) में ऐसे लोगों को ऋण अनुदान उपलब्ध कराया गया जिनके नाम कुटुम्ब रजिस्टर और मतदाता सूची में नहीं है? यदि हां, तो शासन ने इस संदर्भ में क्या कार्यवाही की?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां, आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन प्रारम्भिक सर्वेक्षण द्वारा कराया जाता है, और निर्धारित मापदण्ड के पात्र व्यक्तियों का ही अन्तिम रूप से चयन किया जाता है । कुटुम्ब रजिस्टर और मतदाता सूची के आधार पर लाभार्थियों का चयन नहीं किया जाता है । वर्णित दशा में किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ रीजन के चालकों व परिचालकों की संख्या तथा उनके स्थानान्तरण की मांग

56–श्री झिलमिट राम, श्री बलराम यादव, श्री अहिबरन लाल वर्मा तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ, रीजन में कार्यरत कितने

ऐसे चालक एवं परिचालक हैं जिनका स्थानान्तरण पिछले 15 वर्षों से नहीं हुआ है ? क्या सरकार उक्त सभी चालकों एवं परिचालकों का स्थानान्तरण किसी दूरस्थ स्थान पर करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह --

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ रीजन, में 207 चालक एवं 127 परिचालक ऐसे हैं जिनका स्थानान्तरण पिछले 15 वर्षों से नहीं हुआ है ।

वर्ग "ग" एवं "घ" के कर्मचारियों, जिनमें चालक, परिचालक सम्मिलित हैं, को क्षेत्रों के अन्दर ही विभिन्न डिपो में स्थानान्तरित किये जाने की विभागीय नीति प्रचलित है । अतः इन चालकों/परिचालकों का दूरस्थ स्थानान्तरण किये जाने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

57—श्री सरदार सिंह—

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद देवरिया के कतिपय विकास खंडों में प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों का निर्माण

58—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में वि0 खं0 पथरदेव कस्बा, देसही देवरिया फाजिलनगर तथा पडरौना में कितने प्राइमरी पाठशालायें भवनहीन हैं उनके भवन निर्माण के लिए शासन की नीति क्या है और कब तक वे विद्यालय भवनयुक्त हो जायेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

67 भवनों का निर्माण जिला बेसिक शिक्षा समिति के अनुमोदन उपरान्त निर्माण एजेन्सी द्वारा कराया जाता है । यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 द्वारा उत्तीर्ण छात्रों के प्रमाण पत्र देने में विलम्ब

59—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 द्वारा वर्ष 79-80 एवं 80-81 के हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के उत्तीर्ण छात्रों के प्रमाण पत्र अभी तक नहीं दिये गये हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी इन वर्षों में उत्तीर्ण छात्रों के प्रमाण पत्र शीघ्र दिलाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

हाइस्कूल परीक्षा 1980 में उत्तीर्ण 385988 छात्रों में से 292970 छात्रों के यंत्रीकृत प्रमाण-पत्र भेजे जा चुके हैं। शेष के हस्तलिखित प्रमाणपत्रों के मुद्रित प्रारूप राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद से छपकर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। हाईस्कूल परीक्षा 1981 के संस्थागत एवं व्यक्तिगत छात्रों के समस्त प्रमाण पत्र भेजे जा चुके हैं ।

इण्टरमीडिएट परीक्षा 1980 के उत्तीर्ण 3,36,000 छात्रों के प्रमाण पत्र अभी नहीं भेजे गये हैं । इण्टरमीडिएट परीक्षा 1981 के सभी प्रमाण पत्र भेजे जा चुके हैं।

उपरोक्त प्रमाण पत्रों का समय से न भेजे जाने का मुख्य कारण प्रमाण पत्रों के मुद्रित प्रारूप राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद से छपकर प्राप्त न होना है ।

राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद से उक्त प्रमाण पत्रों के मुद्रित प्रारूप प्राप्त होने पर, इन्हें बाह्य लेखकों द्वारा लिखवाकर एवं जांच कराकर यथाशीघ्र भेज दिया जाएगा ।

60-61—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—
[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

62—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—
[स्पष्टीकरण के आधार पर निरस्त]

63—श्री रमाकान्त मिश्र—
[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

फजले रहमानिया हाई स्कूल पचपेड़वा, गोण्डा के प्रबन्ध तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

64—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फजले रहमानिया हाईस्कूल पचपेड़वा, जनपद गोण्डा के भवन को प्रबंधक इम्तियाज अहमद ने स्थानान्तरित करके विद्यालय से उस भवन का स्वामित्व समाप्त कर दिया है और मान्यता के समय वह भवन स्कूल का था ? यदि हां, तो सरकार ऐसे भ्रष्ट प्रबंधक के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां ।

प्रबंध तंत्र के विरुद्ध इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16-घ के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है ।

बाराबंकी और लखनऊ के बीच चलने वाली निगम की बसों की संख्या बढ़ाने की मांग

65—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी डिपो में रोडवेज की कितनी बसें सम्बद्ध हैं और इनमें कितनी बसें ऐसी हैं जो 5 वर्षों से अधिक पुरानी हैं? क्या यह सही है कि बाराबंकी और लखनऊ के बीच बसें कम चलती हैं जिससे यात्रियों को परेशानी है ?

डाक्टर संजय सिंह—

बाराबंकी में कोई डिपो नहीं बल्कि बस स्टेशन है, जहां वर्तमान में निगम की कुल 10 बसें संचालन हेतु सम्बद्ध हैं । इनमें से 8 बसें 5 वर्ष से अधिक पुरानी हैं ।

जी नहीं । लखनऊ तथा बाराबंकी के मध्य प्रतिदिन 127 अप तथा 128 डाउन सेवायें संचालित हैं, जो यात्रियों के आवागमन की सुविधा के लिये पर्याप्त हैं।

विकास खण्ड जलेसर, एटा में शासन द्वारा डिग्री कालेज की स्वीकृति तथा भवन निर्माण

66—श्री प्रेमपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि0 ख0 जलेसर (एटा) में शासन द्वारा डिग्री कालेज मंजूर हो गया है ? क्या यह सही है कि स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से शुरू कराया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

भवन का आगणन सम्बन्धित अभियंता द्वारा बनाया जा रहा है । आगणन बनने के पश्चात प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान हो जाने पर भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सकेगा ।

क्षेत्र, जलेसर, एटा में प्राइमरी पाठशालाओं के जीर्ण शीर्ण भवनों का जीर्णोद्धार व मरम्मत

67—श्री प्रेमपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र जलेसर, एटा में 75 प्रतिशत प्राइमरी पाठशालाओं के भवन या तो पूर्णरूप से ध्वस्त हैं या जर्जर हालत में हैं और बच्चे पेड़ों

के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार पाठशाला भवनों का जीर्णोद्धार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी नहीं ।

जीर्ण शीर्ण विद्यालय भवनों में से अधिकतर भवनों की मरम्मत की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वक्फ कार्यालयों के बन्द करने सम्बंधी जिलेवार विवरण तथा नियुक्ति की मांग

68–श्री फसीउर्रहमान–

क्या वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जिलों से वक्फ कार्यालय बन्द कर दिये गये हैं तथा क्यों ? सरकार क्या वक्फ सम्पत्तियों की समुचित व्यवस्था के लिये बन्द किये गये जिलों में पुनः वक्फ कार्यालय खोलकर स्टाफ की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

प्रदेश के 35 जिलों में मुस्लिम अवकाफ सर्वेक्षण कार्य समाप्त हो जाने पर वहां इस कार्य हेतु तैनात कर्मचारियों को अन्य जिलों में स्थानान्तरित कर दिया गया है । उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 के वर्तमान प्राविधानों के अनुसार वक्फ सम्पत्तियों की समुचित व्यवस्था एवं देख-रेख की जिम्मेदारी स्वयं सुन्नी/शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्डों की है।

श्री नजर अब्बास से0 नि0 सीनियर फोरमैन की नान पेंशनेबुल सेवाओं को पेंशनेबुल सेवाओं में जोड़ने के सम्बंध में पत्र

69–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नजर अब्बास से0 नि0 सीनियर फोरमैन की नानपेंशनेबुल पद पर की गई सेवाओं को पेंशनेबुल सेवाओं में जोड़ने के संबंध में श्री ए0 एन0 सिंह, संयुक्त प्रबंध निदेशक, उ0 प्र0 रा0 परि0 निगम के पत्र सं0 2330 (1) एफए/84/348/एफए/78/ दि0 30-11-84 संयुक्त सचिव परिवहन–1 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासनादेश संख्या 3014डी/-135 बी/59 दि0 16-9-60 के अनुसार श्री अब्बास से0 नि0 की पेंशन सेवाओं के जोड़ने में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह –

जी हां।

इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 454/30-2-85, दिनांक 21 फरवरी, 1985 द्वारा प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ को यह निर्देश दे दिये गये कि श्री नजर अब्बास सेवा निवृत्त सीनियर फोरमैन को नानपेंशनेबुल पद पर की गई सेवा को पेंशनेबुल सेवा के लिए गणना किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 3308/30-2-932 एन/79, दिनांक 7 जनवरी, 1984 द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाय।

70–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[5वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रीय सहायता का वर्षवार विवरण

71—श्री अभिताभ अनिल दुबे—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 3 वर्षों में केन्द्र सरकार ने वर्षवार उ0 प्र0 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन योजगार योजना के अन्तर्गत कितने रुपए देने का प्रस्ताव किया था ? इसमें कितने-कितने रुपए उ0 प्र0 सरकार ने प्राप्त किया तथा उ0 प्र0 सरकार द्वारा पूरे रुपए प्राप्त न किए जाने का कारण क्या था ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले 3 वर्षों में केन्द्रीय अंश के अन्तर्गत स्वीकृत परिव्यय तथा उसके सापेक्ष प्राप्त केन्द्रीय सहायता का विवरण निम्नवत् है :—

वर्ष	स्वीकृत परिव्यय		केन्द्रीय अंश में आवंटित धनराशि	अवशेष
		राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम		
1982–83	3513 लाख	..	3513 लाख	..
83–84	3440 लाख	..	3440 लाख	..
84–85	3922 लाख	..	3922 लाख	..
		ग्रामीण भूमिहीन रोजार गारन्टी कार्यक्रम		
82–83		योजना लागू नहीं थी		
83–84	1705 लाख	..	1705 लाख	..
84–85	6957.60 लाख	..	6957.60 लाख	..

प्रदेश सरकार ने उपरोक्त योजना के अन्तर्गत हर वर्ष स्वीकृत परिव्यय के बराबर केन्द्रीय अंश प्राप्त किया। अतः पूरी धनराशि प्राप्त न किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा मनैतापुर तहसील बांसी, बस्ती के भूतपूर्व ग्राम प्रधान द्वारा वर्तमान प्रधान श्री कमलेश सिंह को समस्त रिकार्ड न दिये जाने के संबंध में कार्यवाही

72—श्री योगेन्द्र कुमार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा मनैतापुर तह0 बांसी, जिला बस्ती के भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्री हरिश्चन्द्र सिंह द्वारा वर्तमान ग्राम प्रधान श्री कमलेश सिंह को अपने कार्यकाल के कार्यवाही रजिस्टर आदि समस्त रिकार्ड चार्ज में दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा भू0 पू0 ग्राम प्रधान के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

भूतपूर्व प्रधान श्री हरिश्चन्द्र सिंह द्वारा ग्राम सभा के अभिलेखों का चार्ज दे दिया है परन्तु भूमि प्रबन्ध समिति के अभिलेखों का पूर्ण चार्ज नहीं दिया गया है।

इस विषय में कार्यवाही करने हेतु परगना अधिकारी बांसी को लिखा गया है।

73—श्री जनार्दन प्रसाद आभा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

कुन्दन माडल इण्टर कालेज अमरोहा, मुरादाबाद की छात्रा कु0 बबीता की हाईस्कूल का अधूरा प्राप्तांक पत्र

74—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने उनको दिनांक 24-7-85 को एक पत्र प्रेषित किया था जिसमें कु0 बबीता पुत्री काशीराम निवासी अमरोहा की हाईस्कूल परीक्षा 1984 के बाइलोजी प्रथम प्रश्न पत्र के अंक न आने व छात्रा का एक वर्ष बेकार हो जाने की शिकायत की थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

हां ।

प्रश्नकर्ता के पत्र की प्राप्ति के पूर्व ही हाईस्कूल संस्थागत परीक्षा 1984 की परीक्षार्थिनी कुमारी बबीता पुत्री श्री काशी राम अनुक्रमांक 180736 का परीक्षाफल पूर्ण करके परिषद् कार्यालय के पत्र संख्या गोप0 3/463 दिनांक 2 अगस्त, 85 द्वारा प्रधानाचार्य कुन्दन माडल इण्टर कालेज, अमरोहा, मुरादाबाद को जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद के माध्यम से भेज दिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मूनाकोट के पंचायत भवनों के संबंध में जानकारी

75—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मूनाकोट में किन-किन स्थानों पर एक ही ग्राम सभा में एक से अधिक पंचायत भवन निर्मित हैं और कितनी ग्राम सभाएं ऐसी हैं जिनके पास एक भी पंचायत भवन नहीं है ? इस असमानता के लिये किस अधिकारी द्वारा संस्तुतियां व स्वीकृतियां दी गयी और उसका क्या आधार था ? क्या सरकार इस असमानता को शीघ्र ठीक करायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मूनाकोट के किसी भी ग्राम सभा में एक से अधिक पंचायत भवन नहीं है । 67 ग्राम सभाओं में एक भी पंचायत भवन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती के बांसी विकास खण्ड के अतर भू ग्राम में प्राइमरी विद्यालय न खोले जाने के संबंध में जानकारी

76—श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बांसी विकास खण्ड के अतर भू-ग्राम में प्राइमरी विद्यालय न खोलने का क्या कारण है जबकि उपरोक्त ग्राम से निकटतम प्राइमरी विद्यालय मझवन तथा विशुनपुर क्रमशः 4-4 कि0मी0 की दूरी पर है ?

संकठा प्रसाद शास्त्री—

जिला शिक्षा सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित न किये जाने के कारण ।

स्मिथ इंटर कालेज, आजमगढ़ के छात्र श्री हरीन्द्र हरीश के हाईस्कूल परीक्षाफल निरस्त किये जाने के संबंध में जानकारी

77—श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित स्मिथ इण्टर कालेज, आजमगढ़ के संस्थागत छात्र

रोल नं0 517560 का वर्ष 84 के हाई-स्कूल परीक्षाफल को निरस्त करने तथा वर्ष 85 की परीक्षा में बैठने से उनको वंचित करने का क्या कारण है? इसकी सूचना किस तिथि को हरीन्द्र हरीश छात्र को दी गयी?

डाक्टर संजय सिंह–

सम्बन्धित परीक्षार्थी को वर्ष 1984 की हाईस्कूल परीक्षा में हिन्दी तृतीय तथा अंग्रेजी द्वितीय प्रश्न-पत्रों में अनुचित साधन के प्रयोग का दोषी पाये जाने के कारण, उसका वर्ष 1984 का परीक्षा-फल निरस्त कर दिया गया तथा वर्ष 1985 की परीक्षा में उसको सम्मिलित होने से वंचित कर दिया गया। सम्बन्धित परीक्षार्थी को उक्त सूचना परिषद कार्यालय के पत्रांक मा0 शि0 प0/गोप-5/14945 दिनांक 7-6-85 द्वारा प्रधानाचार्य, स्मिथ इंटर कालेज, अजमतगढ़, आजमगढ़ के माध्यम से भेज दी गयी है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय वाणिज्य संकाय के अंतर्गत स्नातकोत्तर डिप्लोमा विजनेस मैनेजमेंट के विद्यार्थियों का डिप्लोमा

78–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के अंतर्गत चलने वाले स्नातकोत्तर डिप्लोमा विजिनेस मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भरती हुए सन् 1980 के विद्यार्थियों को डिप्लोमा मिल गया है? यदि नहीं, तो क्यों ? यह कितने वर्षों का कोर्स है ?

डाक्टर संजय सिंह–

अभी नहीं।

डिप्लोमा तैयार किया जा रहा है। तैयार होते ही सूचना प्रसारित करके छात्रों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यह कोर्स 3 वर्षों का है।

79–श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)–

[7 वें सोमवार के लिए स्थगित]

80–श्री शंकर सिंह तथा

श्री सूर्य प्रताप शाही–

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय भाटपार रानी के प्राचार्य श्री केशव चन्द्र मिश्र के प्राचार्य पद का अनुमोदन तथा पेंशन

81–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय भाटपार रानी के प्राचार्य केशव चन्द्र मिश्र जुलाई, 1964 से जून, 1980 तक कार्यरत रहे हैं? यदि हां, तो क्या प्राचार्य पद का अनुमोदन गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से प्राप्त हुआ था? यदि नहीं, तो बिना अनुमोदन के प्राचार्य पद का पेंशन देने का क्या औचित्य है तथा प्राचार्य पद की पेंशन नियमानुसार रोक कर अवैध लिये गये धन की वसूली की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह–

श्री केशव चन्द्र मिश्र जुलाई, 1963 से जून, 1980 तक कार्यरत रहे।

प्राचार्य से प्राप्त सूचना के अनुसार कुलपति का अनुमोदन पत्रांक 1828 दिनांक 11-9-64 के द्वारा दिया गया था किन्तु अनुमोदन की प्रति न तो विश्वविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध है और न महाविद्यालय कार्यालय में।

अनुमोदन के संबंध में विश्वविद्यालय से विस्तृत आख्या मांगी गयी है। प्राप्त होने पर प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय भाटपार रानी, देवरिया की प्रवक्ता श्रीमती रुक्मिणी गुप्ता के वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक

82—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय, भाटपार रानी, जनपद देवरिया में बी0एड0 विभाग की विगत तेरह वर्षों से कार्यरत स्थायी प्रवक्ता श्रीमती रुक्मिणी गुप्ता हैं? यदि हां, तो क्या वार्षिक वेतन-वृद्धि जो माह सितम्बर, 1985 में देय थी, को प्राचार्य द्वारा गोरखपुर विश्व-विद्यालय के कुलपति के पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना रोक दिया गया है ? क्या वेतन वृद्धि दिलाते हुए प्राचार्य को ऐसे अनियमित कार्य के लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां।

शिक्षा निदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती रुक्मिणी गुप्ता को महा-विद्यालय द्वारा सेवा पंजिका में हस्ताक्षर कराकर वार्षिक वेतनवृद्धि दी जाती रही है। इस वर्ष अनुरोध करने पर भी उन्होंने सेवा पंजिका में हस्ताक्षर नहीं किया है। जैसे ही वह हस्ताक्षर कर देंगी वेतनवृद्धि दे दी जायेगी।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरख-पुर से इस प्रकरण में आवश्यक जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं। आख्या प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

जनपद देवरिया के विकास खंड भाटपार रानी भटनी तथा बनकटा में विकास हेतु लाखों रुपये के आवंटन के संबंध में विवरण

83—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विकास खंड भाटपार रानी भटनी बनकटा में वर्ष 1985-86 के लिये तीन-तीन लाख रुपये जो दिये गये उससे क्या-क्या खरीदारी हुई और क्या खरीदारी के लिये क्षेत्र समिति से अनुमति ली गयी है और क्या खरीदारी शासनादेश के तहत है? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं, अपितु वर्ष 1984-85 में प्रश्नगत क्षेत्र समितियों को तीन-तीन लाख रुपये आवंटित किए गए थे। विकास खंड भाटपार रानी में कोई खरीदारी नहीं की गई किन्तु विकास खंड बनकटा में प्रत्येक गांव सभा के लिए दो-दो हैण्ड पम्प (कुल 180) 1,33,844-42 रु0 पुलिया निर्माण हेतु 40 ह्यूम पाइप व 20 कालर, 64,584 रु0 तथा विकास खंड भटनी में 1,59,500 रुपये से ईंट एवं 49,485 रुपये से हैण्ड पम्प क्रय किये गये जिसकी अनुमति क्षेत्र समिति से ली गई। खरीदारी शासनादेश संख्या:5283 ग/33-3-24 पी/84 दिनांक 29 सितंबर, 1984 के प्राविधानों के अंतर्गत नहीं आती है।

विकास खंड बनकटा तथा भटनी में खरीदारी के संबंध में जांच करने के निर्देश निदेशक, पंचायती राज को दे दिये गये हैं।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड भटनी व बनकटा में आई0आर0डी0 योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋण

84—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विकास खंड भटनी व बनकटा में वर्ष 1983-84, 84-85 में आई0आर0डी0 योजना के

अन्तर्गत कितने लोगों को ऋण स्वीकार कर सामान की खरीदारी करायी गयी और उनमें कितने लोगों को अब तक छूट की धनराशि दे दी गयी और कितने लोगों को अब तक छूट नहीं दी गयी और छूट न देने का क्या कारण है तथा छूट विलम्ब से देने के कारण लाभार्थी को जो बैंक को अधिक ब्याज देना पड़ेगा उसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद देवरिया के विकास खंड भटनी तथा बनकटा में वर्ष 1983-84 तथा 84-85 में आई0आर0डी0 योजना के अंतर्गत कुल 2561 लोगों को ऋण स्वीकार कर सामान की खरीददारी कराई गई और उनमें से 2539 लोगों को अब तक छूट की धनराशि प्रदान की गयी है। 19 व्यक्तियों द्वारा छूट हेतु पत्रावलियां विलम्ब से प्रस्तुत की गईं, जिनके संबंध में जांच प्रक्रिया चल रही है। जांच पूर्ण हो जाने पर यदि वे छूट के योग्य पाये जायेंगे तो छूट दी जायेगी। तीन व्यक्तियों द्वारा परिसम्पत्तियां बेंच दिये जाने के कारण उन्हें छूट नहीं दी गई। विलम्ब के लिये जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु विस्तृत परीक्षण कराया जायेगा।

जनपद देवरिया के विकास खंड भटनी, भाटपार रानी तथा बनकटा में एन0आर0पी0 योजनान्तर्गत हुए प्रगति कार्यों का विवरण

85–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विकास खंड भटनी भाटपार रानी बनकटा में वर्ष 1985-86 में एन0आर0पी0 योजना के तहत कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये और किन-किन कार्यों पर कार्य पूरा हुआ व कितनी प्रगति पर है? क्या मार्च, 1986 तक कार्य पूरे हो जायेंगे? यदि नहीं, तो कार्य पूरा होने का क्या कारण है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद देवरिया के विकास खंड भटनी, भाटपार रानी एवं बनकटा में वर्ष 85-86 में एन0आर0ई0पी0 योजना के तहत सामाजिक वानिकी, संपर्क मार्ग एवं पुलिया निर्माण के 126 कार्य स्वीकृत हुये। स्वीकृत कार्यों में 75 कार्य पूरे हो गये तथा 51 कार्य प्रगति पर हैं।

मार्च, 1986 तक अपूर्ण कार्यों को पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है।

जनपद देवरिया के विकास खंड भाटपार रानी के ज्येष्ठ लिपिक श्री कृष्ण देव सिंह का स्थानान्तरण

86–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विकास खंड भाटपार रानी के ज्येष्ठ लिपिक श्री कृष्ण देव सिंह का स्थानान्तरण विकास खंड बनकटा में कर दिया गया है तथा उनको योगदान करने में आना कानी की गयी है और योगदान कराने के पश्चात् कई माह से उन्हें बैठाकर वेतन दिया जा रहा है? यदि हां, तो उनसे कार्य न लेने का क्या कारण है तथा उनके पद (ज्येष्ठ लिपिक) का कार्य किस व्यक्ति से लिया जा रहा है तथा क्या वह व्यक्ति ज्येष्ठ लिपिक का कार्य करने के लिए उपयुक्त है? यदि नहीं, तो अनुपयुक्त व्यक्ति से कार्य लेने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

श्री कृष्णदेव सिंह के योगदान में आना-कानी नहीं की गयी, अपितु प्रमुख, क्षेत्र समिति ने प्रारम्भ से ही इनको स्वीकार

करने में असहमति प्रकट करते हुए स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया । श्री सिंह से भी आवश्यकतानुसार कार्य लिया जा रहा है तथा उनके पद से संबंधित स्थापना का कार्य तकाबी लिपिक से लिया जा रहा है जो अनुभवी और ज्येष्ठ लिपिक के कार्य के लिए सक्षम है। इसलिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद देवरिया के विकास खंड भाटपार रानी के खंड विकास अधिकारी श्री बी0 एन0 टी0 बादल के विरुद्ध जिलाधिकारी, देवरिया को दिये गये शिकायती-पत्र की जांच.

87—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विकास खंड भाटपार रानी के खंड विकास अधिकारी श्री बी0एन0टी0 बादल के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी देवरिया को शिकायत की गयी थी जिस पर जिलाधिकारी देवरिया ने जांच श्री बी0बी0 सिंह मजिस्ट्रेट देवरिया सदर को सौंपी थी ? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण हो गयी ? यदि नहीं, तो जांच में विलम्ब का क्या कारण है तथा यदि जांच पूर्ण हो गयी तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

जी हां ।

यद्यपि जाचोपरान्त खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं पाये गये, जांच अधिकारी की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन्हें जनपद आजमगढ़ में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

88—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[5 वें मंगलवार में अता0प्र0सं0-171 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

सुल्तानपुर डिपो एवं अमेठी डिपो में उपलब्ध नयी बसें तथा उनके संचालन मार्गों का विवरण

89—श्री मित्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर तथा उसके अंतर्गत अमेठी डिपो को वर्ष 1985 में कितनी नयी बसें उपलब्ध कराई गयीं और वे किन-किन रूटों पर संचालित की जा रही हैं?

डाक्टर संजय सिंह—

वर्ष 1985 में सुल्तानपुर डिपों एवं अमेठी डिपों को क्रमशः 2 एवं 6 नयीं बसें उपलब्ध करायी गई हैं । ये बसें निम्नलिखित मार्गों पर संचालित हो रही हैं :—

1—सुल्तानपुर-हलियापुर-कानपुर (एक बस)
2—सुल्तानपुर-लखनऊ-शाहगंज (एक बस)
3—अमेठी-जामों-लखनऊ (एक बस)
4—अमेठी-तिलोई-लखनऊ (एक बस)
5—अमेठी-बहराईच (दो बस)
6—ककवा-अमेठी-देवरिया (दो बस)

फैजाबाद डिपो में उपलब्ध नयी बसें तथा उनके संचालन मार्गों का विवरण

90—श्री मित्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1985 में कितनी नयी बसें फैजाबाद डिपो को उपलब्ध कराई गईं और उन्हें वहां से दूसरे डिपो में कब और क्यों स्थानान्तरित किया गया और इस समय कितनी नयी बसें फैजाबाद में किन-किन रूटों पर संचालित हो रही हैं ?

डाक्टर संजय सिंह—

फैजाबाद डिपो को वर्ष 1985 में 10 नयी बसें उपलब्ध करायी गयीं। इन में दो टाटा बसें नवम्बर, 85 में अकबरपुर डिपो को स्थानान्तरित कर दी गयीं।

अकबरपुर डिपो की दो लीलैन्ड बसें फैजाबाद डिपो स्थानान्तरित कर दी गयी, क्योंकि फैजाबाद डिपो में लीलैन्ड बसों के रख-रखाव की भी सुविधा है जबकि अकबरपुर डिपो में केवल टाटा वाहनों की ही मरम्मत की सुविधा है।

इस समय फैजाबाद डिपो में 8 नयी बसें हैं, जो निम्न मार्गों पर संचालित हो रही हैं :-

फैजाबाद–देवरिया–फैजाबाद
फैजाबाद–कानपुर–गोरखपुर
तहवरपुर–कानपुर
फैजाबाद–कानपुर–फैजाबाद
फैजाबाद–कानपुर–फैजाबाद
कानपुर–तहवरपुर
फैजाबाद–कानपुर–फैजाबाद
फैजाबाद–इलाहाबाद–फैजाबाद

91–श्री हाजी मोहम्मद हयात–
[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद मुरादाबाद के वक्फ बोर्ड के क्षेत्रीय इन्सपेक्टर श्री अब्दुल हलीम के विरुद्ध शिकायती-पत्र

92–श्री हाजी मोहम्मद हयात–

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा जनपद मुरादाबाद क्षेत्र के इंसपेक्टर श्री अब्दुल हलीम के विरुद्ध जून, 1984 से 11 दिसम्बर, 85 तक कुछ भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें अध्यक्ष तथा सचिव उ0 प्र0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और सरकार द्वारा अब उन शिकायतों से संबंधित क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सिब्ते रजी–

सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, उ0 प्र0 को जनपद मुरादाबाद के वक्फ बोर्ड के क्षेत्रीय इंसपेक्टर श्री अब्दुल हलीम के विरुद्ध सन् 1984 से नवम्बर, 1985 के मध्य तीन शिकायती पत्र प्राप्त हुए। शिकायती पत्रों में श्री अब्दुल हलीम के विरुद्ध कोई विशिष्ठ आरोप नहीं लगाये गये हैं। सामान्य प्रकार की शिकायतें की गई हैं। चूंकि कोई विशिष्ठ आरोप नहीं थे इसलिए सुन्नी बोर्ड द्वारा मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई। एक शिकायत में इनको मुरादाबाद जनपद से स्थानान्तरित किये जाने की मांग की गई है।

चूंकि वक्फ बोर्ड एक निगमिक संस्था है और बोर्ड अपने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सक्षम है, इसलिए शासन स्तर से कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुवीर निवासी तरहठी, जौनपुर की मृत्यु का पंजीकरण

93–श्री राकेशधर त्रिपाठी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रघुवीर पुत्र श्री परमानन्द निवासी तरहठी जनपद जौनपुर की मृत्यु 31 मार्च, 85 को हुई जिसे ग्राम पंचायत अधिकारी ने 2 अप्रैल, 85 अंकित कर दिया एवं जिसे ठीक करने हेतु श्री रामराज उपाध्याय नि0 तरहठी ने एक प्रार्थना पत्र 3 जुलाई, 85 को दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या यह सच है कि उपरोक्त संदर्भ में डी0 पी0 आर0 ओ0 जौनपुर ने बी0 डी0 ओ0 बादशाहपुर को जांच हेतु आदेश दिया था जिसे बी0 डी0 ओ0 बादशाहपुर ने जांच न करके पत्रावली को पुनः वापस भेज दिया? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्राम पंचायत अधिकारी-रजिस्ट्रार द्वारा किये गये पंजीकरण के अनुसार श्री रघुबीर सिंह की मृत्यु 2 अप्रैल, 1985 को हुई।

जी हां। इसकी जांच गांव सभा की बैठक में की गई। 31-3-85 को मृत्यु होने का निश्चित साक्ष्य न मिलने के कारण रजिस्टर में संशोधन नहीं किया गया।

जी हां। सिविल रजिस्ट्रेशन नियमावली में क्षेत्र विकास अधिकारी को कोई अधिकार नहीं है अतः और कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस मामले की पुनः जांच कराई जा रही है।

94–श्री भगवती सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

95–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ग्राम सभा बसौली, बाराबंकी में पंचायत भवन के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

96–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड सूरतगंज में ग्राम सभा बसौली में पंचायत भवन की इमारत पिछले 20 वर्षों से अधबनी पड़ी हुई है? यदि हां, तो इस इमारत के कार्य को पूरा न किये जाने का क्या कारण है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं, ग्राम सभा बसौली में किसी पंचायत भवन का निर्माण प्रारम्भ ही नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

97–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी –

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

फर्रुखाबाद के प्राइमरी पाठशाला करनपुर दत्त के सहायक अध्यापक सुभाष निवासी अमृतपुर की फर्जी नियुक्ति

98–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद स्थित प्राइमरी पाठशाला करनपुर दत्त के सहायक अध्यापक सुभाष पुत्र रामपाल सिंह निवासी अमृतपुर जो ठा0 जगरूप सिंह के प्रपुत्र (पोता) है, ने जानबूझ कर फर्जी तौर से भूतपूर्व स्व0 संग्राम सेनानी, स्व0 रघुराज सिंह पुत्र उजागर सिंह निवासी अमृतपुर को अपना बाबा बतला कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वारिस होने का जाली प्रमाण पत्र बनवाया और उक्त जाली प्रमाण पत्र को बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद के कार्यालय में दिखाकर शिक्षक के पद में नियुक्ति प्राप्त कर सेवा कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

प्रश्न में उल्लिखित नाम का कोई सहायक अध्यापक प्राइमरी पाठशाला करनपुर दत्त फर्रुखाबाद में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सहायक विकास अधिकारी आई0 एस0 बी0 बैतालपुर, देवरिया द्वारा खण्ड विकास अधिकारी बैतालपुर, देवरिया को प्रेषित पत्र की जानकारी

99–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक विकास अधिकारी आई0 एस0बी0 बैतालपुर, जनपद देवरिया का कोई पत्र जो खण्ड विकास अधिकारी बैतालपुर, जनपद देवरिया को सम्बोधित

था दिनांक 13-9-85 को बी0 डी0 ओ0 बैतालपुर को प्राप्त हुआ है? क्या इस पत्र की प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी (विकास) तथा परियोजना निदेशक जनपद देवरिया को भी दिनांक 13-9-85 को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो पत्र का संदर्भ क्या है तथा उस पर उक्त अधिकारियों द्वारा कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं।

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद देवरिया में एन0 आर0 ई0 पी0 योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों पर व्यय का ब्योरा

100–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 84-85 में वि0 ख0 बैतालपुर कसया तथा पथर देवा जनपद देवरिया में कितनी नाप की कितनी सड़कों का निर्माण एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत किया गया, भुगतान किस-किस तिथियों में किया गया तथा उसमें कितने मूल्य का अनाज कितनी मात्रा में दिया गया?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वित्तीय वर्ष 1984-85 में विकास खण्ड बैतालपुर कसया तथा पथर देवा जनपद देवरिया में 127-58 कि0 मी0 नाप का 116 सड़कों का निर्माण एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत किया गया। इन सड़कों के निर्माण में 21,39,528 रुपये नकद भुगतान किये गये और 3,08,229 रुपये मूल्य का 2054.86 कुन्तल गेहूं श्रमिकों को वितरित किया गया। भुगतान का विस्तृत विवरण संलग्न† है।

विकास खण्ड बैतालपुर, देवरिया में ह्यूम पाइपों की खरीद पर व्यय धनराशि का विवरण

101–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 84–85 में वि0 ख0 बैतालपुर, जनपद देवरिया में कितने रुपये का ह्यूम पाइप खरीदा गया? इसको किस दर से तथा किस प्रतिष्ठान से क्रय किया गया था? मुख्यालय से प्रतिष्ठान की दूरी क्या है तथा कितना रुपया किराये के रूप में अदा किया गया और खरीद की प्रक्रिया क्या थी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वित्तीय वर्ष 1984-85 विकास खण्ड बैतालपुर, जनपद देवरिया में 1,14,005-20 रु0 का ह्यूम पाइप क्रय किया गया। यह क्रय 350 एम0 एम0-250-00 रु0 प्रति मीटर, 600-एम0एम0 470-00 रु0 प्रतिमीटर एवं 900 एम0एम0 955-00 रु0 प्रतिमीटर की दर से मेसर्स दीपक ह्यूम पाइप मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, कुनसार, नौतनवा, जनपद गोरखपुर से किया गया था। मुख्यालय से प्रतिष्ठान की दूरी लगभग 125 किमी0 है। किराये के रूप में 11,279-00 रु0 अदा किया गया। प्रश्नगत खरीद निदेशक, उद्योग उत्तर प्रदेश के नोटीफिकेशन संख्या : 116(जी) दिनांक 12-2-84 एवं 180 (जी), दिनांक 12-2-85 एवं 199(जी), दिनांक 12-3-85 के अनुसार की गयी है।

† छापा नहीं गया।

102—श्री सुखपाल पाण्डे—

[5वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 117 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

103—श्री सुखपाल पाण्डे—

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

गोरखपुर के विभिन्न विकास क्षेत्रों में लगाये गये बायोगैस की जांच रिपोर्ट

104—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के विभिन्न विकास क्षेत्रों में जो बायोगैस लगाये गये थे उसके लिए कोई जांच दल पिछले महीने गया था? यदि हां, तो क्या यह सच है कि जांच रिपोर्ट में ऐसे भी तथ्य प्रकाश में आये कि बायोगैस लगा ही नहीं और भुगतान हो गया है? क्या यह भी सच है कि जितने बायो गैस लगने की सूचना शासन को थी उससे कम बायोगैस लगाये गये हैं ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध शासन ने कौन सी कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

105—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

नैनीताल व पौड़ी के मंडलीय मनोविज्ञान केन्द्रों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

106—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के नैनीताल व पौड़ी के मंडलीय मनोविज्ञान केन्द्रों में जो कि सन् 1979 में खोले गये थे नवम्बर, 85 तक कितने पद रिक्त हैं? और उन्हें किन कारणों से अभी तक नहीं भरा गया? क्या विभाग इन पदों में अविलम्ब नियुक्ति की कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

चार पद रिक्त हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

पद नाम	नैनीताल	पौड़ी
1—मण्डलीय मनोवैज्ञानिक	—	1
2—वोकेशनल गाइडेन्स काउन्सेलर	—	1
3—सहायक मनोवैज्ञानिक	1	1

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध न हो पाने के कारण।

जी हां, लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होते ही नियुक्तियां कर दी जायेंगी ।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद में सम्पन्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मेलन में निगम की बसों द्वारा कार्य करने हेतु किए गए धन के भुगतान के विवरण की मांग

107—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 18-19 नवम्बर, 85 को इलाहाबाद में सम्पन्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मेलन में राज्य सड़क परिवहन निगम तथा इससे अनुबंधित क्रमशः कितनी बसों ने परिवहन कार्य किया? इस कार्य हेतु कुल कितनी धनराशि का किस दर से किस संस्था द्वारा परिवहन निगम को किस तिथि को भुगतान किया गया?

डाक्टर संजय सिंह—

अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है।

108—श्री राधे श्याम—

[5वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बांसी, बस्ती में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता

109—हरिशचन्द्र हरीश जी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि छठी पंचवर्षीय योजना में बस्ती जिले के बांसी विकास खण्ड तथा खेसरहा विकास खण्डों के कितने परिवार हैं जिन्हें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्रदान की गई है? इस सहायता के क्या परिणाम रहे हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

बस्ती जनपद में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बांसी विकास खण्ड में 1347 परिवारों (242 परिवार अल्प सिंचाई हेतु, 593 परिवार कृषि हेतु, 241 परिवार पशुपालन हेतु, 271 परिवार व्यवसाय हेतु) तथा खेसरहा विकास खण्ड में 1949 परिवारों (417 परिवार अल्प सिंचाई, 504 परिवार कृषि हेतु, 355 परिवार पशुपालन हेतु, 673 परिवार व्यवसाय हेतु) को सहायता प्रदान की गयी। सहायता का परिणाम आर्थिक दृष्टिकोण से संतोषप्रद रहा है।

बांदा जिले के तहसील करवीमऊ के समस्त विकास खण्डों में डी0 पी0 ए0 पी0 की योजना

110—श्री राम सजीवन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले के करवी मऊ सब डिवीजन के विकास के सभी वि0 खंडों एवं नरैनी विकास खण्ड से डी0 पी0 ए0 पी0 योजना को समाप्त करने का निर्णय कब और किन अधिकारियों द्वारा किया गया था? क्या जिला ग्राम विकास अभिकरण बांदा के निर्णय के आधार पर राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को अपनी संस्तुति भेजी थी? क्या यह भी सही है कि उक्त ब्लाकों में ट्यूबवेल सफल नहीं हैं और योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई? क्या उक्त योजना को उन क्षेत्रों में पुनः लागू करने पर विचार किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

बांदा जिले के करवी मऊ तहसील के सभी विकास खण्डों एवं नरैनी विकास खण्ड से डी0 पी0 ए0 पी0 योजना समाप्त नहीं हुई है। केवल वित्तीय वर्ष 84-85 से समन्वित जलसमेट क्षेत्र विकास के आधार पर जसपुरा विकास खण्ड में कार्यक्रम लेने का प्रस्ताव जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बांदा की कार्यकारिणी समिति की दिनांक 5-5-84 की बैठक में पारित हुआ था।

जी हां, योजना के मार्ग निर्देशों के अनुसार पारित उक्त प्रस्ताव के आधार पर बांदा अभिकरण की वार्षिक योजना पर संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजी गई थी और वार्षिक योजना स्वीकृत की जा चुकी है।

इन ब्लाकों के अन्तर्गत राजकीय ट्यूबवेल सम्मिलित न होने के कारण निर्मित नहीं किये गये।

चयनित क्षेत्र की संतृप्ति हो जाने के उपरान्त अन्य विकास खण्डों में योजना चलाई जाती है।

राजापुर से सतना वाया चित्रकूट मार्ग पर बसों की व्यवस्था

111—श्री राम सजीवन—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि राजापुर से तीर्थस्थल

चित्रकूट होते हुए सतना (मध्य प्रदेश) तक उ0प्र0 की राजकीय बसों अथवा प्राइवेट बसों के संचालन पर विचार किया जा रहा है? यदि नहीं, तो तीर्थ स्थानों के बीच बसों की कमी के कारण यात्रियों की असुविधा को दूर करने के लिए क्या कोई अन्य व्यवस्था की जायेगी? यदि हां, तो वह क्या है ?

डाक्टर संजय सिंह–

जी नहीं।

राजापुर-सतना वाया चित्रकूट एक अंतर्राज्यीय मार्ग है। यह मार्ग उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के साथ पारम्परिक यातायात हेतु हुए समझौते में सम्मिलित नहीं है। अतः इस मार्ग पर बस सेवा संचालित करना संभव नहीं है।

चित्रकूट धाम जिसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश और कुछ भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है, को दोनों राज्यों की बसों के संचालन के लिए "फ्री जोन" घोषित किये जाने हेतु मध्य प्रदेश शासन से सहमति प्रदान करने का अनुरोध उत्तर प्रदेश शासन से किया गया है। सहमति हो जाने पर सतना, चित्रकूट के मध्य बस सेवायें संचालित हो सकेंगी। राजापुर चित्रकूट मार्ग पर निगम की बसें पर्याप्त संख्या में संचालित की जा रही हैं।

112-113–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद फर्रुखाबाद में प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के जीर्ण-शीर्ण भवन तथा उनकी मरम्मत

114–श्री महरम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी तथा जूनियर विद्यालय भारी संख्या में ऐसे हैं जिनके भवन खराब हालत में हैं और उनमें छात्र तथा छात्राओं को बैठने के लिए स्थान का भारी अभाव है? यदि हां, तो इन विद्यालयों में कितने और कौन-कौन से ऐसे विद्यालय हैं जिनके भवन खराब हालत में हैं तथा उनके ठीक कराने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गयी है या की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों ? और आगामी समय में कब तक ठीक कराने का कार्य पूरा कराया जायेगा?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जनपद फर्रुखाबाद में लगभग 583 प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। इनकी सूची प्राप्त की जा रही है। इनमें से 83 विद्यालय भवनों का मरम्मत कार्य चल रहा है। शेष विद्यालय भवनों की मरम्मत धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

ग्राम खजुरिहा से पपरेन्दा सम्पर्क मार्ग का निर्माण

115–श्री दीपचन्द्र सोनकर–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-96 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित राज मार्ग (लिंक रोड) अब तक न बनने के क्या कारण हैं तथा उक्त राज मार्ग कब तक निर्मित करा दिया जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्राम खजुरिहा से पपरेन्दा तक के सम्पर्क मार्ग के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की शासी निकाय (गवर्निंग) बाडी) द्वारा चयनित न होने के कारण उसका निर्माण नहीं हो सका।

शासी निकाय द्वारा प्रश्नगत मार्ग के स्वीकृत होने के पश्चात् ही निर्माण संबंधी कार्यवाही संभव हो सकेगी।

116—श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—
[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद आजमगढ़ में जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर श्री अम्बिका सिंह की नियुक्ति

117—श्री काजी कलीमुररहमान—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में जिला पंचायत राज अधिकारी के रिक्त पद पर स्थानीय व्यवस्था में श्री अम्बिका सिंह की नियुक्ति किस आधार पर की गयी है ? क्या वे नियमित खंड विकास अधिकारी (पं0) हैं तथा जिले में उनसे ज्येष्ठतम कोई खंड विकास अधिकारी (पं0) नहीं है? यदि ज्येष्ठ हैं तो प्रदेश स्तरीय खंड विकास अधिकारी (पं0) की ज्येष्ठता क्रम में श्री सिंह का नाम किस नम्बर पर है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला पंचायतराज अधिकारी के पद पर श्री अम्बिका सिंह की नियुक्ति जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा कार्यहित में की गई है।

शासन में खंड विकास अधिकारी (पं0) का कोई पद नहीं है।

आजमगढ़ बोहरीघाट शाखा से निकली नहर के कुलावा नम्बर 7 व 8 को पक्का किये जाने की मांग

118—श्री राम बदन एडवोकेट—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री राजकुमार राय तत्कालीन सदस्य विधान सभा का संस्तुति पत्र दिनांक 22-7-84 जो आजमगढ़ दोहरीघाट शाखा से निकली हुई नहर जो ग्राम परसपुर सोनसरिया से होकर जाती है, के कुलावा नं0 7 और 8 को पक्का कराने के संबंध में मिला था? यदि हां, तो इसे पक्का कराने में क्या कठिनाई है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां। प्रश्नगत कुलाबों पर कच्चा कार्य वर्ष 1984-85 में ही सम्पादित करा दिया गया था। नियम अनुसार पक्का कार्य कच्चे कार्य पूर्ण होने के एक वर्ष बाद सम्पादित किया जाता है। अतः वर्ष 1985-86 में इन दोनों कुलाबों पर पक्का कार्य कराया जा रहा है जिसके इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाने की संभावना है।

बरेली जनपद के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की संख्या एवं दवाओं की आपूर्ति

119—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में जिला परिषद् के अन्तर्गत कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं और उन्हें पिछले पांच वर्षों में कितने रुपये की दवायें उपलब्ध कराई गयीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

बरेली जनपद में जिला परिषद् के अन्तर्गत 15 आयुर्वेदिक अस्पताल संचालित हैं। पिछले 5 वर्षों में जिला परिषद् द्वारा उन्हें कोई दवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं।

जिला परिषद् की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में कथित ज्ञापन

120—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता से 12 नवम्बर, 1985 को इलाहाबाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में व्याप्त वित्तीय

तथा शैक्षिक भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं संबंधी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह–

प्रश्नगत ज्ञापन की प्राप्ति की सूचना उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम निवास गुप्ता, लिपिक, जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली के प्रत्यावेदन पर हुई कार्यवाही

121–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम निवास गुप्ता, लिपिक जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली का श्री नत्थू लाल शर्मा तथा श्री मिराज अली लिपिक की वर्ष 1979 में की गयी अनियमित प्रोन्नति के विरुद्ध प्रत्यावेदन पर शिक्षा निदेशक ने क्या निर्णय लिया है तथा श्री गुप्ता के वरिष्ठ होते हुए उन्हें जनवरी, 1985 में प्रोन्नति दी गयी है? यदि हां, तो प्रोन्नति न देने के फलस्वरूप श्री गुप्ता को जो आर्थिक हानि हुई है उसका दायित्व किस पर है तथा उसके विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उन्नाव के पुरवा निर्वाचन क्षेत्र में स्कूल, सड़क एवं पुल निर्माण तथा निर्माण कार्य में ढिलाई करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

122–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में उन्नाव जिले के पुरवा निर्वाचन क्षेत्र में कितने स्कूल, सड़क, पुल निर्माण हेतु स्वीकृत थे, उनमें कितने निर्धारित अवधि में निर्मित हो चुके हैं? निर्माण में ढिलाई के कारण कितने कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हुई है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वर्ष 1984-85 में पुरवा निर्वाचन क्षेत्र में 14 स्कूल, 60 सड़कें, एवं 3 पुल निर्माण हेतु स्वीकृत थे। इनमें से 6 स्कूल, 51 सड़कें एवं 3 पुल निर्धारित अवधि में निर्मित कर लिये गये हैं। निर्माण में ढिलाई बरतने के लिए दो सरकारी सेवकों को चेतावनी दी गई है।

जनपद बस्ती के विकास खण्डों में हरिजन पेयजल कूप एवं आवास के तैयार करने हेतु व्यय की गयी धनराशि

123–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बस्ती के प्रत्येक वि0 खं0 में विगत 5 वर्षों में कुल कितना हरिजन पेयजल कूप तथा आवास किस-किस वर्ष में कितना स्वीकृत हुआ उसमें से कितना-कितना किन-किन गांवों में बनकर तैयार हुआ और कितना अधूरा पड़ा है तथा स्वीकृत धनराशि में से कितना धन व्यय हुआ कितना शेष है? क्या शासन पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राम नयन मिश्र, प्राचार्य मदन मोहन मालवीय डिग्री कालेज भाटपार रानी, देवरिया द्वारा प्राप्त की गयी अनुचित धनराशि एवं कटौती

124—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मदन मोहन मालवीय इन्टर कालेज के प्राचार्य श्री राम नयन मिश्र ने मदन मोहन मालवीय डिग्री कालेज, भाटपाररानी देवरिया से माह दिसम्बर, 73 से सन् 77 तक रु0 200/- (दो सौ रु0) प्रति माह की दर से अनुचित रूप से प्राप्त किये हैं जिसकी कटौती हेतु शासनादेश सितम्बर, 75 में हो चुके हैं? क्या उपरोक्त धन की कटौती हुई है? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, हुई, तो क्यों? क्या पुनः कटौती की जायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त सूचना अस्पष्ट है। शिक्षा निदेशक को स्पष्ट सूचना भेजने के लिए निर्देश दे दिये गये हैं, जिसे प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा।

श्री अम्बिका सिंह, जिला पंचायतराज अधिकारी आजमगढ़ के विरुद्ध की गयी शिकायतों पर कृत कार्यवाही

125—श्री राम जनम यादव—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में स्थानीय स्थानापन्न जिला पंचायत राज अधिकारी (श्री अम्बिका सिंह) के विरुद्ध शिकायतकर्ता, अन्य विधायकगण एवं श्री दल सिंगार यादव, महामंत्री प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी (ई) के शिकायती पत्र जुलाई, 85 से 28-11-85 के बीच प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां,

श्री अम्बिका सिंह जिला पंचायत राज अधिकारी, आजमगढ़ को उनके पद से प्रत्यावर्तित करने के आदेश शासन द्वारा दिनांक 8 नवम्बर 1985 को निर्गत किये गये ।

126—श्री राम जनम यादव—

क्या पंचायती राज मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री अम्बिका सिंह स्थानीय स्थानापन्न जिला पंचायत राज अधिकारी का मूल पद ग्राम विकास अधिकारी का है ? यदि हां, तो निदेशक, पंचायती राज उ0 प्र0 लखनऊ के आदेश सं0 2/4847/79-2/91/74 लखनऊ दि0 फरवरी 6, 1980 के अनुसार उन्हें पंचायत निरीक्षक (उद्योग) के पद से प्रत्यावर्तित करके ग्राम सेवक पद पर क्यों नहीं किया गया ? इस संबंध में अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री अम्बिका सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी का मूल पद ग्राम विकास अधिकारी का है।

इस संबंध में निदेशक पंचायत राज द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।

श्री रमेश चन्द्र चतुर्वेदी, सहायक अध्यापक किशोरी रमण इन्टर कालेज मथुरा के वेतन का भुगतान

127—श्री प्रदीप माथुर—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री पंचानन राय विधायक एवं अन्य विधायकों की संस्तुति के साथ श्री रमेश चन्द्र चतुर्वेदी सहायक अध्यापक किशोरी रमण

इन्टर कालेज मथुरा के वेतन, नियुक्ति (कार्यभार ग्रहण) आदि के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी का दिनांक 21-2-83 का लिखित पत्र 24-2-83 को उन्हें प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो संबंधित मामलों में अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां ।

अध्यापक के वेतन का भुगतान किया गया।

प्राचार्य एवं प्रबन्ध मंडल, किशोरी रमण इन्टर कालेज, मथुरा के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

128–श्री प्रदीप माथुर–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 1 अगस्त, 83 को किशोरी रमण इण्टर कालेज, मथुरा के प्राचार्य एवम् प्रबंधक मंडल की अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में एक शिकायती-पत्र श्री रमेशचन्द्र चतुर्वेदी ने दिया था ? यदि हां, तो पत्र पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह–

जी नहीं, ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रमेश चन्द्र चतुर्वेदी, संगीत अध्यापक, किशोरी रमण इन्टर कालेज मथुरा के वेतन आदि से संबंधित शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

129–श्री प्रदीप माथुर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमेश चन्द्र चतुर्वेदी सहायक अध्यापक संगीत, किशोरी रमण इन्टर कालेज मथुरा का उनके वेतन दिनांक 16-4-82 से 30-4-82, 15 दिन का एवं 82-83 का बोनस और ज्वाइन (नियुक्ति) आदि के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय के व अपर शिक्षा निदेशक उ0 प्र0 इलाहाबाद के आदेश के साथ दिनांक 9-12-83 और दिनांक 26-9-83 को एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

130–श्री प्रदीप माथुर–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि किशोरी रमण इन्टर कालेज की प्रबन्ध समिति ने सहायक अध्यापक श्री रमेश चन्द्र चतुर्वेदी को अगस्त-सितम्बर, 85 का वेतन का भुगतान नहीं किया है? क्या यह सही है कि उच्च न्यायालयों के आदेशों की भी अवहेलना करके वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां।

प्रबन्ध समिति द्वारा कतिपय आपत्तियां लगाने के कारण।

रा0 इं0 कालेज मथुरा, की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही

131–श्री प्रदीप माथुर–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि रा0 इं0 कालेज, मथुरा की सिटी मजिस्ट्रेट श्री के0 के0 पन्त ने तत्कालीन जिलाधिकारी श्री बृहस्पति शर्मा के आदेश पर दिनांक 4-4-84 को जांच करके रिपोर्ट, शासन को भेजी? यदि हां, तो शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां।

जांच आख्या पर मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक आगरा की संस्तुति मांगी गई है।

बांसडीह, बलिया में कतिपय निर्माण कार्यों में धांधली की जांच रिपोर्ट

132—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या ग्रामीण विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में विगत 1 अगस्त, 1984 से 7 अगस्त तक संयुक्त विपक्षी मोर्चा बांसडीह द्वारा बांसडीह में निर्माण कार्यों में हुई धांधली एवं ब्लाक प्रमुख द्वारा किये गये घोटालों के विरुद्ध भूख हड़ताल हुई थी जिस पर जिलाधिकारी बलिया ने अति0 जिलाधिकारी परियोजना के नेतृत्व में एक जांच समिति बनायी थी? क्या जांच की कार्यवाही पूर्ण हो गयी? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

1 अगस्त, 1984 से 7 अगस्त, 1984 तक संयुक्त विपक्षी मोर्चा बांसडीह द्वारा बांसडीह में निर्माण कार्यों में धांधली एवं ब्लाक प्रमुख द्वारा किये गये तथाकथित घोटालों के विरुद्ध भूख हड़ताल हुई थी।

जिलाधिकारी बलिया द्वारा शिकायतों की जांच हेतु 3 सदस्यों की एक समिति गठित की गयी जिसमें सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई) तथा जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया सदस्य थे।

जी हां।

जांच आख्या के अनुसार निर्माण कार्य योजना के निहित निर्देशों के अनुरूप ही सम्पादित पाये गये तथा मामले में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा परिषद् बलिया के विद्यालय भवनों हेतु आवंटित धन के दुरुपयोग की जांच

133—श्री धनराज यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 83-84 के वित्तीय वर्ष में बस्ती जिले के बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत चलने वाले विद्यालय भवनों के मरम्मत हेतु शासन ने कुछ धन दिया था? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों पर कितना-कितना धन का उपयोग किया गया? क्या यह भी सही है कि दिये गये धन का कोई सदुपयोग नहीं हुआ? यदि हां, तो क्या सरकार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जांच करा के धन के पुनः सदुपयोग की कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी हां।

सूची संलग्न† है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

मथुरा प्रोजेक्ट कार्यालय में कतिपय नियुक्तियों का विवरण

134—श्री सरदार सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि मथुरा प्रोजेक्ट कार्यालय में अपर जिला अधिकारी (प्रोजेक्ट) ने 21

† छापी नहीं गई।

नियुक्तियां, बिना किसी अखबार में विज्ञापित किये भारत की संविधान की धारा 16(1) का उल्लंघन कर, कर दी हैं? यदि हां, तो क्यों ? क्या सम्पूर्ण विवरण मा0 मंत्री जी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मथुरा में लिपिक वर्गीय 21 नियुक्तियां जिला सेवायोजन कार्यालय से नाम प्राप्त कर तथा कुछ सीधे प्राप्त प्रार्थना पत्रों के अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर की गयी हैं। अतः संविधान की धारा 16(1) के उल्लंघन करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में रिक्त उर्दू टीचर्स के पदों पर नियुक्ति

135–श्री फजलुल बारी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 के प्राइमरी व जूनियर स्कूल में उर्दू टीचर्स की जगहें रिक्त हैं? यदि हां, तो वह कितने स्थान हैं और उसे अब तक क्यों नहीं भरा गया?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश के प्राइमरी पाठशालाओं में 516 व जूनियर हाईस्कूलों में उर्दू के सहायक अध्यापकों के 1285 स्थान रिक्त हैं। उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की अनुपलब्धता एवं चयन की प्रक्रिया में नियमानुसार लगने वाले समय के कारण।

राजकीय हाईस्कूलों के प्रधानाचार्यों/अध्यापकों के वेतनमानों में विसंगतियां

136–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि शासनादेश सं0 ख-1/532/65/15 दिनांक 30 नवम्बर, 1968 के अनुसार राजकीय हाई स्कूलों के सहायक अध्यापक/प्रधानाचार्यों का वेतनमान रु0 100–180 के स्थान पर रु0 80-125 हो गया था? इस विसंगति से जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के कितने अध्यापक/प्रधानाचार्य अभी भी प्रभावित हैं? कितने व्यक्ति इसी परिवर्तित वेतनमान के अन्तर्गत सेवा निवृत्त हो गये? सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिए क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

शिक्षा निदेशक को भेजे गये अनेक अनुस्मारकों के बावजूद सूचना अभी भी एकत्र नहीं हो सकी है। सूचना उपलब्ध न कराने के दोषी व उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित करके उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के आदेश भेजे जा चुके हैं।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कतिपय पदों का विकेन्द्रीकरण एवं जिलेवार रिक्त पद

137–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजाज्ञा सं0 9299/15-2-80-27 (37)/79, दिनांक 25 नवम्बर, 1980 द्वारा माध्यमिक शिक्षा के कतिपय शिक्षण एवं निरीक्षक शाखा के पदों के संवर्गों का विकेन्द्रीकरण तथा अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) तक के पदों के

पर्वतीय क्षेत्र के अलग संवर्ग बनाने के आदेश पारित किये हैं? इस संदर्भ में उत्तराखण्ड (पर्वतीय आठ जनपदों) में जनपदवार कुल किस-किस कर्मचारी श्रेणी ने क्रमशः पर्वतीय व मैदानी संवर्ग का चुनाव किया? इस प्रकार जनपदवार कितने पद रिक्त रहे? उन्हें क्रमशः कब तक भरा जायेगा?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां।

अपेक्षित विवरण संलग्न है।†

पर्वतीय जनपद के 8 जनपदों में रिक्तियों की निश्चित संख्या विकल्प के आधार पर मैदानी जनपद से पर्वतीय संवर्ग के लिए विकल्प देने वाले कर्मचारियों के स्थानान्तरण/समायोजन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात ही ज्ञात हो सकेगी।

1. उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रशिक्षित स्नातक तथा प्रवक्ता वेतनक्रम में कार्यरत लोगों की ज्येष्ठता सूची प्राप्त होने पर।

2. निरीक्षण शाखा तथा स्नातक एवं प्रवक्ता के पदों पर माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका में अंतिम निर्णय होने पर।

3. सी0टी0 वेतनक्रम के पद विकल्प के आधार पर स्थानान्तरण की प्रक्रिया पूरी होने पर, भरे जा सकेंगे।

प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के रिक्त स्थान

138–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 के प्राइमरी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के कितने स्थान हैं? इस समय कितने स्थानों पर नियुक्तियां हैं और कितने स्थान रिक्त हैं? यदि रिक्त हैं तो क्यों?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 5900 पद।

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 3975 पदों पर नियुक्तियां हैं और 516 पद रिक्त हैं।

प्राइमरी स्कूलों में रिक्तियां मुख्य रूप से अध्यापकों की प्रोन्नति/उच्च पदों पर समायोजन के कारण हैं।

प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के कृषि फार्मों की आय का विद्यालय की आवश्यकताओं पर व्यय

139–श्री विजय सिंह राणा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन पत्रांक 3200 ग/33-3-147 दिनांक 5 जून, 1976 के संदर्भ में प्रदेश में जो प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों के साथ जो भूमि सम्बद्ध है उससे होने वाली आय जो जिला परिषद् के खाते में जमा है के संबंध में निर्णय लिया था कि विद्यालय भवन एवं भूमि से होने वाली आय को जिला परिषदों के लेखा में अलग से विधिवत् जमा किया जाय ताकि यह धनराशि संबंधित विद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुरक्षित रहे? यदि हां, तो इस संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही हुई? क्या जिला परिषद् इस आय को संबंधित विद्यालयों की आवश्यकताओं पर व्यय कर रही है अथवा नहीं? यदि हां, तो यह कार्य कब से चल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अंतर्गत प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के कृषि फार्म की आय को जिला परिषदों के हिसाब

† छापा नहीं गया।

से विधिवत् जमा करके विद्यालय की आवश्यकताओं पर व्यय किये जाने के आदेश शासन द्वारा जारी किये गये हैं, किन्तु सम्प्रति यह आय जिला परिषदों के खातों में जमा न करके प्रसाद अध्यापक के नाम से डाकघर में जमा की जाती है और विद्यालय तथा विद्यालय कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं पर व्यय की जाती है।

ऐसे प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल जिनमें पुनर्व्यवस्था योजना नहीं चल रही है, से सम्बद्ध भूमि की आय सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नाम डाक घर में जमा होती है और आवश्यक स्वीकृति से विद्यालय के विकास पर व्यय की जाती है।

जनपद मुरादाबाद में एम0 ए0 उर्दू परीक्षा केन्द्र स्थापित करने की मांग

140—हाजी मुहम्मद हयात—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि माह जून, 1985 में उर्दू प्रेस क्लब मुरादाबाद के अध्यक्ष श्री जाकिर मुस्तफा एडवोकेट ने एक ज्ञापन भेजकर सरकार से मांग की थी कि मुरादाबाद में एम0 ए0 उर्दू परीक्षा केन्द्र स्थापित किया जाय ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह—

उक्त ज्ञापन उपलब्ध नहीं है।

विश्वविद्यालय स्वशासित संस्था है। केन्द्र स्थापना का कार्य विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित होता है।

रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय का कहना है कि आगामी परीक्षाएं शीघ्र आरम्भ हो रही हैं। परीक्षा सम्बन्धी सभी कार्य सम्पूर्ण हो चुका है। अतएव, मुरादाबाद जनपद में उर्दू परीक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना प्रशासनिक दृष्टि से इस वर्ष सम्भव नहीं है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़ के विरुद्ध शिकायतों पर कृत कार्यवाही

141—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद में कार्यरत बेसिक शिक्षा अधिकारी के अशिष्ट व अनैतिक आचरण एवं उनके कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जनपद के सांसदों तथा सभी विधायकों एवं शिक्षक संघ के पदाधिकारियों द्वारा की गयी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या अपने मौखिक आश्वासन के अनुरूप बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़ के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक?

डाक्टर संजय सिंह—

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़ के विरुद्ध अलीगढ़ में प्राप्त कतिपय शिकायती पत्र माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा जिलाधिकारी, अलीगढ़ को जांच हेतु दे दिये गये थे। विधायकों से प्राप्त कतिपय शिकायती पत्रों पर शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आगरा से जांच करवायी जा रही है।

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़ के निलम्बन के लिये कोई आश्वासन नहीं दिया था।

प्रश्न नहीं उठता।

आज तारांकित प्रश्न संख्या 3 नत्थी 'ख' का उत्तर शिक्षा मंत्री के स्थान पर परिवहन मंत्री डा0 संजय सिंह द्वारा दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

[1 बजकर 20 मिनट]

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नत्थी 'ख' का प्रश्न तीन देखने का कष्ट करें। जिस समय डा0 संजय सिंह उत्तर देने के लिये खड़े हुये थे उसी समय मैंने कहा था कि मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाऊंगा। एक दिन मान्यवर, इस आदरणीय सदन में मैंने व्यवस्था उठाई थी तो आपकी पीठ से रूलिंग दी गई की प्रश्नों के उत्तरों पर मंत्रियों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। आपकी पीठ से दी गई एक रूलिंग पढ़ी गई, जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि मंत्री का हस्ताक्षर आवश्यक है। वह परम्परा चालू हो गई। आज जो शिक्षा विभाग के उत्तर आये हैं, उनमें कुछ में डा0 संजय सिंह के हस्ताक्षर हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर में माननीय सकंठा प्रसाद शास्त्री के हस्ताक्षर हैं। मान्यवर, नियम यह है कि जो मंत्री पत्रावली में प्रश्नों को अनुमोदित करेगा, उसी के हस्ताक्षर उत्तर पर होंगे। इस प्रश्न पर डा0 संजय सिंह के हस्ताक्षर हैं, इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षा विभाग की इस पत्रावली पर प्रशासनिक पुष्टि भी माननीय परिवहन मंत्री ने की है। आप प्रशासनिक प्रक्रिया को देखें, मेरे पास पुस्तक नहीं है, नहीं तो मैं उद्धरण दे देता। संयुक्त उत्तरदायित्व सदन में है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में जो मंत्री जिस विभाग के लिये नामांकित है, वही काम करेगा। जब तक उनके विभाग के बारे में विधिक अधिसूचना जारी न हो जाय, वह उसको नहीं कर सकता है। डा0 संजय सिंह परिवहन मंत्री हैं वह विधिक रूप से इस विभाग के लिये अधिकृत नहीं हैं। शिक्षा विभाग संकठा प्रसाद शास्त्री और श्री सिब्ते रजी देख रहे हैं। डा0 संजय सिंह ने पत्रावली पर पुष्टि की है तो क्या मंत्रियों के विभागों में कोई फेरबदल किया गया है कि दोनों विभाग का काम डा0 संजय सिंह देखेंगे? जहां तक मुझे जानकारी है ऐसा नहीं हुआ है। माननीय परिवहन मंत्री शिक्षा विभाग की पत्रावली पर प्रश्नों की पुष्टि के लिये अधिकृत नहीं हैं। यह जो उत्तर मिला है, इसमें डा0 संजय सिंह ने पत्रावली पर पुष्टि की है; जो सही नहीं हुआ है। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि डा0 संजय सिंह ने जो पत्रावली पर पुष्टि की है, इसको निरस्त होना चाहिये और इस वैधानिक संकट को कैसे दूर किया जाय इसके लिये महाधिवक्ता या एल0 आर0 से आप राय लें और मुझे भी अवगत करायें। माननीय परिवहन मंत्री ने शिक्षा विभाग की पत्रावली पर हस्ताक्षर करके जो उत्तर सदन में दिया है, यह शासन का उत्तर नहीं है। इस पर आप व्यवस्था दें।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, समस्या का समाधान स्वयं गुप्ता जी ने कर दिया। जिस मंत्री का हस्ताक्षर पत्रावली पर होंगे, उसी मंत्री के हस्ताक्षर प्रश्न के उत्तर पर होंगे,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह गुप्ता जी ने कहा । डा0 संजय सिंह ने पत्रावली पर अनुमोदित किया और उन्हीं के हस्ताक्षर उत्तर पर हैं । सबको जानकारी है कि सत्र शुरू होने से पूर्व शिक्षा मंत्री श्री सिब्ते रजी को हार्ट अटैक हुआ । वह अस्पताल में हैं । यह आदेश किया गया कि जब तक माननीय शिक्षा मंत्री स्वस्थ हों।, परिवहन मंत्री शिक्षा विभाग का भी काम देखेंगे। इसमें नियमों का संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है । एक आदेश कर दिया गया कि परिवहन मंत्री शिक्षा विभाग के उत्तर देंगे, उसी क्रम में परिवहन मंत्री प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं । एक दिन आपकी अनुपस्थिति में यहां यह आपत्ति उठाई गई थी कि प्रश्नों के उत्तर पर माननीय मंत्री के हस्ताक्षर नहीं हैं। आपकी पीठ से रूलिंग हुई कि हस्ताक्षर होने चाहिये । साथ ही यह भी कहा गया कि हस्ताक्षर न हों तब भी उत्तर देने से रोका नहीं जा सकता है । आपकी भावना का सम्मान किया गया और उत्तरों पर मंत्रियों के नाम साइक्लोस्टाइल होकर आने लगे । पहले भी जाते थे। इसमें मान्यवर, किसी नियम या संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिस विज्ञप्ति का हवाला दिया गया है, आप उसको देख लें । मेरी जानकारी के अनुसार उस विज्ञप्ति में यह कहा गया है, मा0 मुख्य मंत्री जी की ओर से कि उसमें श्री गौरी शंकर जी, रिछारिया जी आदि को मुख्य मंत्री जी की ओर से सदन में काम करने के लिये अधिकृत किया गया है । इस विज्ञप्ति के अनुसार सदन में शिक्षा विभाग का कार्य देखने के लिये परिवहन मंत्री जी को अधिकृत किया गया है, न कि शिक्षा विभाग का कार्य देखने के लिये । यदि शिक्षा विभाग का कार्य देखने के लिये अधिकृत किया जाता तो महामहिम राज्यपाल की ओर से विज्ञप्ति होनी चाहिये थी कि उन्हें परिवहन विभाग के पोर्टफोलियो के अतिरिक्त एक और पोर्टफोलियो दिया गया है, तब मुझे कोई आपत्ति नहीं होती । आप स्वयं उस विज्ञप्ति को देख लें, उससे आपका समाधान हो जायेगा । इस पर आप अपनी व्यवस्था सुरक्षित कर लें और पत्रावली विज्ञप्ति देखने के बाद ही अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें, क्योंकि यह बहुत बड़े संसदीय औचित्य का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं मा0 गुप्त जी से जानना चाहता हूं कि आपका सुझाव क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि यदि मा0 परिवहन मंत्री को शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा विभाग की पत्रावलियों पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत किया गया है तथा कुछ समय के लिये ही सही यदि परिवहन मंत्री को शिक्षा विभाग भी दिया गया है तो उसके लिये विधिवत विज्ञप्ति होनी चाहिये । जब तक विधिवत विज्ञप्ति न हो, तब तक शिक्षा विभाग की पत्रावलियों पर प्रश्नों की पुष्टि इस प्रकार करना सही नहीं है ।

*श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, मैंने मा0 राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के खिलाफ सदन की अवमानना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की सूचना दी थी, आपने उसको उठाने के लिये अनुमति नहीं दी। मान्यवर, उसे उठाने की अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, यह दूसरा विषय है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी–)

मान्यवर, मंत्रि-मण्डल सामूहिक दायित्व के आधार पर चलता है। किसी भी पत्रावली पर, विशेष तौर से मा0 सदस्यों के प्रश्नों पर अगर संबंधित मंत्री महोदय नहीं हैं तो उस पर कोई भी मंत्री हस्ताक्षर कर उसकी स्वीकृति दे सकता है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 गुप्त जी, आपको भली-भांति मालूम है कि बेचारे शिक्षा मंत्री अस्पताल में दाखिल हैं और अब पत्रावलियां मा0 परिवहन मंत्री देख रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं। इस विषय को आपने उठाया था और यह निर्णय हो चुका है कि सामूहिक ढंग से वह पत्रावली देखते रहेंगे और इसी के देखते हुए उन्होंने जवाब दिया है तो मैं समझता हूं कि आपका व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार्य नहीं है।

वाराणसी में सन्तनपुर बाजार-सेवापुरी रेलवे स्टेशन मार्ग पर ग्राम भरहुआ के निकट मटुका नाला पर प्रस्तावित पुल के निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 7 स्वीकार हुई हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं :–

(1) श्री राज किशोर सिंह,
(2) श्री मनोहर लाल,
(3) श्री शारदानंद अंचल,
(4) श्री पारस नाथ यादव,
(5) श्री जगवीर सिंह,
(6) श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा
(7) श्री दीप चन्द्र सोनकर।

श्री राज किशोर सिंह–

महोदय, वाराणसी जनपद अन्तर्गत विकास क्षेत्र सेवापुरी के ग्राम सन्तनपुर बाजार-सेवापुरी रेलवे स्टेशन मार्ग पर ग्राम भरहुआ के पास मटुका का नाला बड़ी कठिनाई से पार करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन जाने व सेवापुरी के क्षेत्र कार्यालय व चिकित्सालय पहुंचने का सम्पर्क मार्ग नाला यहां के दोनों तरफ निर्मित हो चुका है।

यह संपर्क मार्ग वाराणसी-भदोही-जौनपुर मार्ग व जी0 टी0 रोड से सम्बद्ध है और इसने एक बाईपास मार्ग का रूप धारण कर लिया है। पुल के शीघ्र निर्माण न होने से जाड़ा गर्मी व बरसात में आवागमन बहुत ही कष्टमय होने के साथ-साथ रोजी रोजगार को अपूरणीय क्षति पहुंचती है।

संदर्भित पुल के निर्माण के लिए ग्रामीण जनता लम्बे अर्से से मांग करती आ रही है। शासन की उपेक्षा के प्रति जनता में बहुत बड़ा असंतोष व्याप्त है।

अतएव इसे अविलम्ब लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाते हुए पुल निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने की शासन से मांग करता हूं।

जल निगम, कानपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन के अपव्यय एवं गड़बड़ी किये जाने के संबन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोहर लाल–

कानपुर जल निगम में खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपये का घोटाला-मान्यवर, उपरोक्त

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से सदन तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि कानपुर जल निगम के अधिकारियों की सांठगांठ से 75 लाख रुपये का अतिरिक्त सामान जो एक साल पहले खरीदा गया था स्टोर में सड़ रहा है। इसके अलावा वहां के जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति करके बड़े अधिकारियों ने लगभग 40 लाख रुपये के अतिरिक्त सामान को खरीदने के लिए योजना बनाई है। जल निगम द्वारा पेयजल की समस्या को हल करने के लिए हैण्ड पाइप व ट्यूबवेल का निर्माण कराया जाता है लेकिन जनता की पेयजल की समस्या को हल करने की मांग जब भी उठती है जलनिगम के अधिकारी यह कह कर टाल देते हैं कि सामान नहीं है। इस तरह वहां के जूनियर इंजीनियर बड़े अधिकारियों की सांठ गांठ से करोड़ों रु0 का घोटाला करने पर अमादा हैं और दूसरी तरफ जनता पानी के लिए त्राहि-त्राहि करती रहती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही तथा जूनियर इंजीनियर के स्थानान्तरण की मांग करता हूं।

सीयर बलिया में दोहरीघाट सहायक परियोजना नहर पर चौकियां मोड़ के सामने ओवरब्रिज बनवाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, बलिया जनपद के सीयर विधान सभा क्षेत्र स्थित दोहरीघाट सहायक परियोजना नहर पर चौकियां मोड़ के सामने ओवर ब्रिज बनवाने की मांग को लेकर वहां के ग्रामीण जनों ने लम्बे अर्से तक अनशन चलाया, प्रदर्शन किया, सभायें आयोजित किया जिसमें सभी दलों के कार्यकर्ता और भारी संख्या में किसान और छात्र युवा भाग लिए और उसके बाद जिला प्रशासन की संस्तुति पर सिंचाई विभाग ने ओवर ब्रिज निर्माण हेतु टेण्डर आमंत्रित किया। कुछ मिट्टी का काम हुआ और टेण्डर भी मंजूर हो गया लेकिन सिंचाई विभाग के अभियंताओं के तत्परता के अभाव में टेण्डर वापस कर दिया गया जिससे ग्रामीणों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। क्योंकि इस अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न पर लम्बे अर्से जनता की मांग के लिए संघर्ष चल रहा है। निर्माण में विलम्ब के कारण रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

मान्यवर, इस ओवर ब्रिज की मांग के लिए आम जनता शासन की ओर आशा लगाये हुए है, जिन्हें क्षेत्रीय सांसद, विधायक और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त है। प्रश्नोत्तर में सिंचाई मंत्री जी ने दो वर्ष में इस ओवर ब्रिज निर्माण का आश्वासन दिया था जिसका जनता ने स्वागत किया था।

•

अस्तु माननीय सदन और सरकार के संज्ञान में इस लोक महत्व के मामले को लाते हुए मांग करता हूं कि अविलम्ब दोहरी घाट सहायक परियोजना नहर पर लोकहित में चौकियां मोड़ के सामने ओवर ब्रिज का निर्माण का कार्य प्रशस्त किया जावे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नगर पालिका बादशाहपुर, जौनपुर द्वारा अवैध करों की वसूली किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पारस नाथ यादव –

नगरपालिका मंगरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर में अनधिकृत रूप से वसूली एवं लाखों रु0 के अवैध घोटाले के संबंध में– मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के उपरोक्त विषय पर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, नगरपालिका बादशाहपुर की जो सीमा निर्धारित की गई है, उससे काफी दूर बाहर पथकर चौकियां बनाकर अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है जिसकी वजह से सीमा के अन्दर आने वाले गरीब किसान भी नाजायज भवन कर, पानी एवं चुंगी वसूली के शिकार होते हैं। जबरन उनसे वसूली की जा रही है। इसके संबंध में 1983 में माननीय सदन में प्रश्न पूछा गया था जिसमें ऐसा न करने का आदेश भी स्वीकार किया गया था। किन्तु आज तक अधिकारियों की लापरवाही एवं गुण्डागर्दी से वसूली बराबर की जा रही है इसकी शिकायत कई बार नागरिकों द्वारा की गयी किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो सकी।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अवैध पथ कर वसूली रोकी जाय तथा नाजायज वसूल किया हुआ पैसा वापस कराया जाय तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री ए0 सी0 द्विवेदी, क्षेत्रीय प्रबन्धक परिवहन निगम, अलीगढ़ द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों का उत्पीड़न एवं शोषण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगवीर सिंह–

मान्यवर, परिवहन निगम के अलीगढ़ क्षेत्रीय प्रबंधक श्री एस0 सी0 द्विवेदी उनकी स्वार्थ सिद्ध न करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को तथ्यहीन निराधार आरोप लगाकर निलंबित कर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही कर रहे हैं। कई ईमानदार निष्ठावान कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है जैसे वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी अलीगढ़ डिपो श्री जी0पी0 सिंह व अन्य अधिकारी व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी अलीगढ़ डिपो श्री जी0पी0 सिंह का सर्वथा अनुचित निलम्बन उनके विरुद्ध दो आरोप लगाये गये एक माह अप्रैल 1985 में गलत यात्रा भत्ता लेना जब कि तथ्य यह है कि भत्ता के कागज लिपिक ने गलत बना दिये थे परन्तु श्री जी0पी0 ने भत्ता लिया ही नहीं दूसरा माह दिसम्बर 1983 के बस स्टेशन पर हुए गबन से जी0पी0 सिंह को संबंधित करना जबकि उनका नाम कहीं नहीं आया। तीन क्षेत्रीय प्रबन्धक अपना कार्यकाल पूरा कर गये किसी ने श्री जी0पी0 सिंह को दोषी नहीं पाया अब इतने समय बाद जी0 पी0 सिंह के विरुद्ध तथ्यहीन निराधार आरोप लगाकर निलम्बित करना सरासर अन्याय है। इसी प्रकार से अनेक कर्मचारी झूठे आरोप लगाकर निलंबित कर दिये हैं तथा कर्मचारियों में गुटबंदी पैदा कर दी है। कई कर्मचारियों पर बाहर के अवांछनीय तत्व बुलाकर प्राणघातक हमले भी क्षेत्रीय प्रबंधक ने कराये हैं।

अलीगढ़ नगर पुलिस अधीक्षक मिश्रा इनके संबंधी हैं इनसे मिलकर कर्मचारियों के विरुद्ध झूठे मुकदमें भी दर्ज करा रहे हैं इनके उत्पीड़न से बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी त्रस्त हैं।

उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लेकर शासन से शीघ्र प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

बस्ती जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का दुरुपयोग बस्ती जनपद में हो रहा है। वित्तीय वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 में जो धनराशि डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा जिन योजनाओं के लिए स्वीकृत की गई थी उसमें उसका पूरा उपयोग नहीं किया गया। ग्रामीण मजदूरों को निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी दिया गया है। सभी योजनाओं पर आधी धनराशि ही खर्च की गयी है जब कि काम पूर्ण राशि का दिखाया गया है। एम0 बी0 भी फर्जी बनायी गयी है। शेष राशि कमीशन के रूप में निम्न ढंग से बांट ली गई :– 1–अवर अभियन्ता 10 प्रतिशत (योजना की राशि से) 2–खण्ड विकास अधिकारी 5 प्रतिशत, 3–ए0 डी0 एम0 प्रोजेक्ट (कार्यालय) 3 प्रतिशत, 4–सहायक अभियन्ता 3 प्रतिशत, 5–अधिशासी अभियन्ता 3 प्रतिशत, 6–उच्चाधिकारियों के लिए 5 प्रतिशत, सम्पूर्ण 31 प्रतिशत इसके बाद ठेकेदार को भी 20 प्रतिशत दिया जाता है। परिणामस्वरूप जिले के सभी कार्य निम्न स्तर के बनाये गये हैं। कहीं-कहीं पर तो कार्य किया ही नहीं गया और धन निकाल लिया गया है।

अतएव मैं आपके माध्यम से बस्ती के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत कराये गये सभी कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने की मांग करता हूं।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

मुझे नियम 300 के अन्तर्गत पांच सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उ0 प्र0 के अन्तर्गत इन्टरमीडिएट और हाईस्कूल की परीक्षाएं कल से शुरू होने जा रही हैं। प्रदेश के कुछ नगरों में जैसे मेरठ और सम्भल आदि में कर्फ्यू लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

आपने तो इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया है जब आपका नम्बर आयेगा तब आप इस पर बोलियेगा।

*श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल से परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। वैसे भी मैं कोई नियमावली का उल्लंघन तो कर नहीं रहा।

श्री अध्यक्ष–

मुझे मालूम है कि आप कोई नियमावली का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। पहली सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सत्य प्रकाश विकल तथा श्री ब्रह्म दत्त जी की है...

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप आगे बढ़ गये, इसलिये मुझे माफी दीजिये। माननीय किरन पाल सिंह कोई ऐसा सवाल नहीं उठा रहे हैं। जब कर्फ्यू दो जगह लगा हुआ है, छात्रों को परीक्षा देनी है, लेकिन वे घरों में बन्द हैं...

श्री अध्यक्ष–

मैं तो सुनने के लिये तैयार हूं, लेकिन जिस क्रम में आयी हैं, उसी क्रम में बुलाऊंगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहली सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सत्य प्रकाश विकल तथा श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी जी की है, जिसके द्वारा उन्होंने सूचना दी है कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को मेरठ जाने से रोका गया।

दूसरी सूचना श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री राम सरन तथा श्री राम सागर की है, जो कि कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा असंवैधानिक कार्य करने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री राज किशोर सिंह की, श्री सुरेन्द्र सिंह, विधायक के साथ वाराणसी में दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की श्री जमुना प्रसाद बोस तथा अन्य व्यक्तियों को गैर कानूनी तौर से गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री किरन पाल सिंह जी की हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की लिखित परीक्षा शुरू हो जाने और प्रदेश में कर्फ्यू लागू होने के कारण उत्पन्न तनाव के सम्बन्ध में है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, उप नेता भारतीय जनता पार्टी के मेरठ नगर में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

दो मिनट का समय ग्राह्यता पर ले लें और केवल एक ही माननीय सदस्य बोलेंगे।

*श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

ठीक है, मान्यवर।

यह विषय इस आदरणीय सदन और श्रीमान जी के संज्ञान में है कि मेरठ की स्थिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य राजेन्द्र गुप्त जी ने और अन्य माननीय कई सदस्यों ने तथा मैंने भी एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। जो कार्य-स्थगन की सूचना दी गयी उसको तो अस्वीकार कर दिया गया लेकिन शासन को उस पर वक्तव्य देने के निर्देश दिये गये। वह विषय आज की कार्यसूची पर भी है। विषय की महत्ता पर बोलते हुए कहना चाहूंगा कि वह ऐसा विषय नहीं है कि सदन के संज्ञान में न हो या पीठ के संज्ञान में न हो। शासन के लिये जो आज वक्तव्य के लिये तय हुआ, तो विधायक का दायित्व है, कर्तव्य है और प्रिविलेज भी है कि संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सदन को सूचना देते हैं। जहां सूचना देना प्रिविलेज है, वहीं बन्धन भी है कि कोई ऐसी सूचना तो नहीं दे रहे हैं जो गलत हो, इसलिये उसके सम्बन्ध में, पूरक प्रश्न पूछने के सम्बन्ध में और तथ्यों को इकट्ठा करें और जानकारी करें ताकि जब वक्तव्य दिया जायगा तो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकें, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने मुख्य मंत्री और गृह मंत्री जी को सूचना देकर, चूंकि आज वक्तव्य के लिये लगा हुआ था, इसलिये वहां की स्थिति का अध्ययन करने के लिये, अपने विधायी कार्यों का सम्पादन करने की दृष्टि से और जानकारी करने की दृष्टि से, आज्ञा लेकर वहां गये, लेकिन उनको वहां पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गयी और जिलाधिकारी द्वारा आदेश थमा दिया गया, जिसकी प्रतिलिपि आपको दी जा चुकी है, उसके कुछ अंश पढ़ना चाहूंगा, जो कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ग्राह्यता की दृष्टि से आवश्यक है। उसमें लिखा है कि "मुझे पुलिस द्वारा यह भी सूचना मिली है कि उनके जनपद में आने से कुछ असामाजिक तत्व नगर में शांति भंग कर सकते हैं। पुलिस की रिपोर्ट से मेरा समाधान हो गया है कि इस सम्बन्ध में निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।"

इसलिये उन्होंने कहा कि– "श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, डिप्टी लीडर, भारतीय जनता पार्टी के नगर में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है।" ये आदेश जिलाधिकारी ने आई0 पी0 सी0 की धारा 144 के अन्तर्गत पारित किये। अब मान्यवर, देखना यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में धारा 144 में जो प्राविधान दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति कहीं शांति तो नहीं भंग कर रहा है या करना चाहता है या अवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके व्यवधान तो नहीं उत्पन्न करना चाहता है क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व नगर में शांति भंग कर सकते हैं, उनके प्रति प्रिवेन्टिव कार्यवाही की जानी चाहिये। लेकिन गुप्त जी तो ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे थे।

मान लीजिये कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी के जीवन का खतरा है तो उन्होंने यदि यह बात शासन के संज्ञान में ला दी है तो क्या इसके मतलब यह हो जाते हैं कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी को तो बन्द कर दिया जाय और जिनसे उनके जीवन को खतरा है उन्हें खुले छोड़ दिया जाय ? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो असामाजिक तत्व हैं, उनकी जानकारी उनको होगी परन्तु उन्होंने उल्टे राजेन्द्र कुमार गुप्त का प्रवेश ही वहां रोक दिया। हमारे संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को वाक स्वतंत्रता का और पूरे देश में भ्रमण करने का अधिकार प्राप्त है और माननीय गुप्त जी उसी अधिकार का उपयोग कर रहे थे कि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से निष्पादित करने के लिये वहां जा रहे थे जानकारी इकट्ठा करने के लिये।

श्री अध्यक्ष–

आपने दो मिनट का समय मांगा था, दो मिनट पूरे हो गये।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

वही मैं कह रहा हूं कि सदन की कार्यवाही को प्रभावी बनाने के लिये सूचना एकत्रित करनी होती है जिसके लिये माननीय गुप्ता जी वहां जा रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, श्री के0 के0 मिश्रा ने अपना एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है जिसे मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं और ग्राह्यता के सम्बन्ध में उसको यहां बतलाना आवश्यक समझता हूं।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

मान्यवर, यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, गुप्त जी ने जो बात कही है उस पर आपने ही निर्णय लिया था और नेता सदन ने भी निर्णय लिया था कि काली पट्टी, पीली पट्टी और रथ यात्रा या साम्प्रदायिकता को भड़काने वाली सभाओं एवं जलसों पर प्रतिबन्ध रहेगा। लेकिन आज हर शहर में जिनका कि साम्प्रदायिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है, उनको रोका जा रहा है। अभी पिछले दिनों गोरखपुर में हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष, श्री बहुगुणा जी की सभा को रोका गया, उनको सभा

नहीं करने दी। अभी 3 मार्च को मैं गोरखपुर गया था तो वहां के सिटी मैजिस्ट्रेट ने, गोरखपुर के डी0 एम0 ने जो वहां के एक कालेज में छात्रसंघ का उद्घाटन होने वाला था जिसे मुझे करना था उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया। डी0 एम0 ने कहा कि उद्घाटन नहीं होगा क्योंकि प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। मैंने डी0 एम0 से कहा कि यही आप लिखकर मुझे दे दीजिये, मुझे क्या है, मैं नहीं करूंगा उद्घाटन और लखनऊ वापस चला जाऊंगा। मैं फाजिलनगर में गया, देवरिया गया, लार गया, सभी जगह सभा करने का मुझे अवसर मिला। हमारी सभाओं का असर हुआ है। हिन्दू और मुसलमानों ने तालियां पीटी और अकेले में आकर बधाई दी कि अगर आप इस तरह का दौरा करेंगे तो साम्प्रदायिक तनाव कम होगा। अगर मुख्य मंत्री जी होते तो उनसे पूछता हूं।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि एक दरोगा गोरखपुर तय कर रहा था कि हमारी मीटिंग करायी जाय या न करायी जाये, एस0 एस0 पी0 कह रहा था कि कोई प्रतिबन्ध नहीं है। छात्र संघ के लड़कों को उन दरोगा ने गिरफ्तार कर लिया और इस कारण वहां पर तनाव बढ़ा और उसके कारण उनको छोड़ दिया गया। तो साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिये मुख्य मंत्री जी के यहां पर 18 फरवरी को जो मीटिंग हुई थी, उसका पालन करना चाहिये। विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, उसमें संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी भी थे और बड़े-बड़े अधिकारी थे, उसके बावजूद भी जिन चीजों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था, कांग्रेस पार्टी के बड़े-बड़े लीडरों ने उसी काम को कराया। गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर, रथ को कहां-कहां निकाला जाये, इसकी योजना बना रहे थे। गोरखपुर में मेरे सामने जो तनाव को भड़काने वाले थे, उन्हीं से कांग्रेस पार्टी के लीडर परामर्श कर रहे थे कि रथ को कहां-कहां निकलने दिया जाये। काली पट्टी और पीली पट्टी बांधने पर और रथ पर प्रतिबन्ध लगा था और सरकार ने ही रथ को निकालने का काम किया है। यह क्यों किया गया है? यह मेरा आरोप है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी बैठ जायें। मान्यवर, आप बैठ जायें, तो मैं साबित कर दूंगा कि कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर थे, जो रथ निकालने की योजना मेरे सामने बनवा रहे थे। इसलिये आप इस पर सरकार को निर्देश दें।

मान्यवर, एक बात रह गयी। हमने यह आश्वासन दिया था कि अगर साम्प्रदायिक तनाव होगा तो विरोधी पक्ष आपका सहयोग करने के लिये तैयार है, लेकिन हम लोगों को विश्वास में लेना चाहिये। गुप्ता जी बड़े लीडर हैं, हमें विश्वास है कि गुप्ता जी इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे और कहीं पर कोई तनाव की बात नहीं करेंगे। मान्यवर, मंजूर अहमद, हमारी पार्टी के हैं। पांच बार वह इस विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं, समाजवादी आन्दोलन और सोशलिस्ट पार्टी के नेता रह चुके हैं और जीवन भर उनके ऊपर साम्प्रदायिकता का आक्षेप नहीं लगा है, लेकिन जब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, तब से वह साम्प्रदायिक हो गये हैं। हमारी पार्टी के बाबूराम यादव उनसे मिलायी करने के लिये मैनपुरी जेल में गये तो मालूम हुआ कि उनको मेरठ से मैनपुरी की जेल में ट्रान्सफर कर दिया गया है, तो ट्रान्स-

करने की क्या आवश्यकता थी। मेरठ में कम से कम उनके परिवार के लोग, दोस्त और मित्र मिलाई कर सकते थे। मेरठ से मैनपुरी तक 15 घन्टे लगते हैं, तो कौन उनसे मिलाई करने आयेगा, इतनी दूर। मंजूर अहमद क्या हैं—कातिल हैं, डकैत हैं कि उनको साधारण दर्जे में रखा गया है, सुपीरियर क्लास नहीं दी गयी है और मान्यवर, यही हाल मोहन लाल कपूर का है। कल मैं इटावा में उनसे मिलना चाहता था, परन्तु 6 बजे इटावा जेल गया था, वह एम0 एल0 ए0 रह चुके हैं, मैं नेता विरोधी दल था, नियमों को तोड़ कर उनसे नहीं मिलना चाहा, लेकिन इन्सान के साथ जो व्यवहार होता है, जेल में रहकर उनके खाने पीने और रहने का जो प्रबन्ध होता है, वह भी नहीं हो रहा है। मान्यवर, न मोहन लाल कपूर को सुपीरियर क्लास मिला और न मंजूर अहमद को और न मंजूर अहमद के साथियों को। आज मंजूर अहमद को जेल के अधिकारियों से लेकर, पता नहीं सरकार के निर्देश हैं, वहां के सारे लोग मानसिक पीड़ा पहुंचा रहे हैं। मान्यवर, अपमानित करके आज जेल के अन्दर उनको रखा जा रहा है इसलिए मेरा कहना है, पहले तो मुझे घोर आपत्ति है कि हमारे लोकदल पर ही सरकार की साजिश है सरकार वाले लोग कोशिश कर रहे हैं ऐसे को गिरफ्तार करके कि लोकदल कम्यूनल पार्टी है।

मैं देखता हूं श्रीमन्, कि सरकार की तरफ से कम्यूनल तनाव बढ़ाया जा रहा है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए और अपनी गलतियों को छिपाने के लिए। मान्यवर, मंजूर अहमद जैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। मोहन लाल कपूर को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, दोनों को जेल से रिहा कीजिए इनको सुपीरियर क्लास क्यों नहीं दिया गया है? मंजूर अहमद 5 बार एम0 एल0 ए0 भी रहे हैं, सामाजिक रेपूटेशन है और आर्थिक सम्पन्नता, जो कही जा सकती है, उस आधार पर भी सुपीरियर क्लास मिल सकती है लेकिन सरकार द्वारा इनको गिरफ्तार करने के बाद इन्सानियत का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इस पर आप व्यवस्था दीजिए और सीरियस व्यवस्था दीजिए। अभी 10 विधायकों को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था अगर हमारे विधायक कहीं किसी प्रकार के तनाव करने की कोशिश कर रहे हैं तो सरकार को मुझे बताना चाहिए मैं उनसे बात करूंगा और जब मैं खुद ही सहमत हो जाऊंगा कि ये तनाव पैदा कर रहे हैं तो मैं ही पार्टी में उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए तैयार हूं, आपको नहीं मौका दूंगा। एक भी एम0 एल0 ए0 कोई भी हमारी तरफ से साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको निकाल कर बाहर कर दूंगा लेकिन आप अपनी असलियत कमजोरी को छिपाने के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं और विपक्ष को बदनाम करने की कार्यवाही कर रहे हैं, इस पर मुझे घोर आपत्ति है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा नाम है, घटना मुझसे घटी है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपसे अनुरोध किया था कि या तो आप बोल लीजिए या द्विवेदी जी बोल लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, उस दिन जब मैंने नियम 56 की सूचना दी थी तो उसमें मैंने जिला प्रशासन को आरोपित किया था उसकी अदूरदर्शिता की वजह से वहां तनाव हुआ। अब प्रशासन ने मुझे वहां जाने से रोका केवल इसलिए कि वहां के सही तथ्य से मैं आदरणीय सदन को अवगत न करा सकूं। इसलिए दुर्भावनावश बाधा उत्पन्न की गयी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला था, गृह सचिव से भी मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि आप अपना प्रोग्राम दे दें, मैंने प्रोग्राम दे दिया। मैं मात्र 5 व्यक्तियों से मिलने के लिए मेरठ जाना चाहता था। अगर वह सूचना दे दिये होते कि वहां आपका जाना ठीक नहीं है तो मैं न जाता। जैसा कि अभी नेता विरोधी दल ने कहा कि मैं और मेरा दल प्रशासन की सहायता करेगा और सहयोग करेगा। जहां सारे देश में साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए हमारा दल कटिबद्ध है वहीं पर शासन की जिम्मेदारी है कि वह सही तथ्यों से हमें भी अवगत करायें। अगर मुझे पहले अवगत करा दिया गया होता कि आप नहीं जा सकते तो मैं यह जुर्रत न करता वहां जाने की। इसके सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं गृह सचिव भी सहमत थे कि मैं वहां जाऊं अगर गृह सचिव कहते तो मैं न जाता। उसके बाद जिलाधिकारी का यह कहना साफ-साफ औचित्य का प्रश्न बनता है। उन्होंने एक विधायक के नाते मेरे कर्तव्य निर्वहन में बाधा उत्पन्न की है। इसलिए इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न के रूप में जो बात माननीय द्विवेदी जी ने कही उसमें एक ही बात पर बल दिया गया कि गुप्ता जी को मेरठ नहीं जाने दिया गया। गुप्ता जी ने कहा कि मैंने अपना प्रोग्राम भी दे दिया था। मान्यवर, मेरठ की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। और शनैः शनैः वह स्थिति नियंत्रण में है, सुख और शांति वहां पर आ रही है। हमारी चिन्ता यह है कि वहां पर कोई ऐसी अप्रिय घटना न हो भले ही हम या हमारे साथी न जा पायें। मान्यवर, माननीय गुप्ता जी एक वरिष्ठ विधायक हैं। अपने दल के सम्मानित उप नेता भी हैं। उनका अपना एक राजनीतिक स्थान भी है। उनके वहां जाने पर 5 व्यक्तियों से वे मिलते लेकिन आपसे वहां पर कितने लोग मिलते इसका अन्दाजा आपको हो जाना चाहिए। आप मेरठ में जायं। इसकी खबर अखबार में छपती, आपका कार्यक्रम छपता। स्वाभाविक है कि आपकी विचारधारा और आपके दल से सम्बन्धित जितने लोग हैं वे सब आपसे मिलते। तो आप नियंत्रण कहां कर पायेंगे, कैसे किया जा सकेगा, उससे उत्तेजना फैलनी स्वाभाविक थी। मान्यवर, यह जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है। उसने जब जानकारी चाही, सिचुयेशन का एसेसमेंट किया तो स्थानीय प्रशासन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि माननीय गुप्ता जी के वहां जाने से स्थिति विस्फोटक हो सकती है, शांति व्यवस्था में बाधा पहुंच सकती है। इससे गुप्ता जी को अवगत कराया। यही बात नहीं है। गुप्ता जी की खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी शासन की है। दो वर्ग वहां पर हैं और उनमें आपस में काफी कंफ्यूजन है, भ्रम है आप वहां पर जायं, सुरक्षा की समुचित व्यवस्था न कर पाये तो यह हमारे लिये अपना दायित्व निर्वहन न करने वाली बात होगी।

इसके अलावा मान्यवर, मेरा जनपद भी उससे मिला हुआ है इसलिये मेरे लिये भी वहां जाना उपयुक्त नहीं है। इस लिये ऐसे समय में हम जिला प्रशासन की सुरक्षा की जिम्मेदारी में बाधक न हों, यह एकाग्रचित्त होकर अपने दायित्वों और जिम्मेदारी को निभाता रहे इसलिए मैंने वहां जाना ठीक नहीं समझा कि मैं मेरठ जाऊं। इसलिये मैं सीधे मुजफ्फरनगर चला गया। चूंकि वहां पर स्थिति असामान्य थी, इसलिये स्वयं निर्णय ले लेते कि न जाते, लेकिन आपने जाने का निर्णय लिया और इसीलिये आपसे अनुरोध किया गया कि आप वहां न जायें।

श्रीमन्, सम्मानित नेता विरोधी दल बाहर प्रदेश के भ्रमण पर गये थे पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए और वे करते भी रहते हैं। माननीय मंजूर अहमद साहब को आपने प्रमाण-पत्र भी दे दिया। मान्यवर, आप बहुत जल्दी अपनी राय बदलते हैं। कुछ ही दिन की बात है जब मंजूर साहब यहां बैठते थे। उस वक्त भी मेरठ में लगभग यही स्थिति थी। मुझे याद है, उस वक्त जब सम्मानित नेता विरोधी दल वहां बैठते थे और उसी दल के थे उस समय नेता विरोधी दल, अन्य दलों के समस्त नेताओं और सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने यह आरोप लगाया था कि साम्प्रदायिकता को भड़काने वाले एक ही शख्स थे . . . (व्यवधान)। क्योंकि उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलेगा। लोकदल के सम्मानित नेताओं ने यह आरोप लगाया था कि सारी जिम्मेदारी मंजूर साहब की थी . .

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें। आपको भी मौका मिलेगा। बोल लीजिएगा।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, इस बात के लिये प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। सदन की सारी कार्यवाही उपलब्ध है। उसे पढ़ने का आपको भी मौका मिलता रहता है, हमको भी मिलता रहता है। मैं चाहूंगा कि कौन किस दल में है, इस आधार पर परीक्षण न करें बल्कि किसने क्या किया, उसका जन-मानस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको देखना चाहिए। मैं सम्मानित नेताओं का आभारी हूं कि उन्होंने मुख्य मंत्री जी के साथ बैठकर एक संतुलित निर्णय लिया ताकि प्रदेश में सुख शांति बनी रहे। कोई कम्यूनल टेंशन न हो उसकी अपील की थी उसके बाद आज सम्मानित नेता विरोधी दल ने कहा कि अगर कोई आदमी साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़कायेगा जो उनकी पार्टी से संबंधित होगा तो उसको पार्टी से निकाल देंगे। मैं क्षमा चाहूंगा और आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि उस निर्णय के बावजूद कुछ व्यक्तियों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनायी और काली पट्टियां पहनीं, बाहर नहीं इस सम्मानित सदन में पहन कर आये। उसके बाद भी सोच लें कि साम्प्रदायिक भावना नहीं भड़कायी जा रही है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आज जिम्मेदारी आपकी और हमारी बहुत बड़ी है। आरोप प्रत्यारोप लगाने से इसका निराकरण नहीं होगा। आपकी वह चिंता कायम रहे उसे कायम रखते हुए आपका प्रयास भी यह रहे और किसी तरह से अपील करें अपने विधायकों से अपने वर्कर्स को समझा कर कहें कि ऐसी स्थिति न आये जिससे जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

एक बात और कह कर मैं समाप्त करूंगा। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाये गये कि इनके कार्यकर्ता ऐसा काम कर

रहे हैं, कहीं पर राम जन्मभूमि रथ-यात्रा के बारे में कार्य कर रहे हैं। तो किसी व्यक्ति को कांग्रेसी कह देना, या मुहर लगा देना उचित नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप हमें उसकी जानकारी दें कि इस कार्यकर्ता ने भूमिका निभायी है तो हम आपके आभारी होंगे, उसका नाम बता दें ताकि हम उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकें। हमने एक निर्णय लिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था कि दोनों वर्गों के सम्बन्ध में चाहे राम जन्म भूमि रथ यात्रा हो या बाबरी मस्जिद कमेटी हो उसके लिए कोई जुलूस या रैली न की जाय और उस निर्णय पर हम कायम हैं। हमने प्रशासन को निर्देशित किया है इस प्रकार की कोई कार्यवाही होती है तो उस पर कड़ाई से कार्यवाही की जाय। उसमें जिम्मेदारी वहां के जिलाधिकारी और वहां के पुलिस अधीक्षक तथा वरिष्ठ अधिकारियों की मानी जायेगी। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि जो माहौल बना है, जो सुधार आ रहा है उसे बिगड़ने का प्रयास न हो यह जिम्मेदारी हमारी और आपकी समान है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मैंने अच्छी भावना में यह बात रखी थी। लेकिन मुझे अफसोस है और घोर आपत्ति है कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री हमेशा ऐसी बात कहते हैं जिससे विपक्ष के लोगों में तनाव पैदा हो जाता है उनकी यह आदत हो गयी है, जो अच्छी आदत नहीं है कभी भी किसी संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने इस तरह से जवाब नहीं दिया।

दूसरी बात जो कही वह तथ्यों से परे कहा गया और मंजूर अहमद साहब पर साम्प्रदायिकता का आरोप लगाया गया था उसका खंडन इस बात से हो जाता है कि जब उन पर आरोप लगाया गया था तो उसका खण्डन उस समय की सरकार ने किया था (व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह—

पार्टी से निकाल दिया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव—

आप सुन लीजिये। निकाला इसलिये था कि जब कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था उस समय उन्होंने खुल कर इंदिरा गांधी और सरकार की गलत नीतियों की आलोचना की थी (व्यवधान) इसलिए निकाला गया था, यह कारण था निकालने का। कोई व्यक्ति जब सदन का सदस्य न हो उसके सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को आरोप नहीं लगाना चाहिये। मंजूर अहमद में हिम्मत थी कि आपकी गलत नीतियों की उन्होंने आलोचना की। मैं कहना चाहता हूं कि मंजूर अहमद राष्ट्रवादी और देशभक्त हैं वरना सिद्ध कर दें। आपने एक बात कही मैं नहीं कहना चाहता था, नाम नहीं लेना चाहता था, आप मजबूर कर रहे हैं, मैं बैठा था एक जिम्मेदार आदमी के यहां जो सारी योजना बना रहे थे बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि संघर्ष उनके हाथों में है, किसी काम से गया था मधुकर दिघे जी भी मेरे साथ थे। कांग्रेस पार्टी के महामंत्री इन्तजाम कर रहे थे कि फैजाबाद-अयोध्या तक यह रथ कैसे ले जाया जाये और वही रथ कांग्रेस के महामंत्री द्वारा गोरखपुर से अयोध्या लाया गया। मान्यवर, मैं इन चीजों को इस लिये नहीं कहना चाहता हूं कि इससे खराब असर पड़ेगा।

दूसरी चीज श्री मंजूर अहमद को जेल भेजा है तो उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं

कि उनको मैनपुरी क्यों ट्रान्सफर किया गया जबकि सहारनपुर या मेरठ में उनको रख सकते थे। दूसरे श्री मोहन लाल कपूर को इटावा जेल क्यों भेजा गया? इसलिये ऐसा किया गया क्योंकि सरकार उनके साथ मानवीय व्यवहार नहीं करना चाहती है। मान्यवर, मैं दोहराना चाहता हूं कि बार-बार यह कहते हैं और हम कहते हैं कि हम-पूरा सहयोग मुख्य मंत्री को दे रहे हैं। मान्यवर, 3-4 दिन पहले मुख्य मंत्री जी ने हमको टेलीफोन किया और कहा कि आपके विधायक साम्प्रदायिकता पैदा कर रहे हैं। मैंने तुरन्त श्री मुहम्मद आजम खां को बुलाया और कहा कि मुख्य मंत्री जी से आप मिलें और सफाई दें। उन्होंने जवाब दिया जो मीटिंग होने जा रही है उसको मुअत्तल कराऊंगा और उन्होंने उसको मुअत्तल करने का काम किया था। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझसे ऐसा कहा और श्री मुहम्मद आजम खां ने कहा कि मीटिंग को नहीं होने दूंगा। इस प्रकार मान्यवर, अपनी पार्टी और माननीय विपक्ष के लोग हम सब मिल कर साम्प्रदायिकता भड़काने वाले को पार्टी में नहीं रहने देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े-बड़े लीडर, जिम्मेदार-लोग कांग्रेस पार्टी के, साम्प्रदायिकता को बढ़ा रहे हैं और अपनी असफलताओं और कमजोरियों को छिपाने के लिये सारी प्रदेश की जनता का ध्यान बंटा रहे हैं। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि बहुगुणा जी पर आरोप क्यों लगा दिया गया, गोरखपुर में मीटिंग क्यों नहीं होने दी गयी? हमारी मेरठ की मीटिंग को क्यों नहीं होने दिया गया? मुझे कम्युनल कहा गया और अमानवीय व्यवहार का विरोध करने पर मुझे कम्युनल कहा जायेगा तो मैं कम्युनल बनने को तैयार हूं।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)– मान्यवर, ऐसे मौके पर गर्म तकरीर करने से काम बिगड़ता है। इसलिये देखना यह चाहिए कि इस प्रदेश में क्या स्थिति है। यदि कहीं साम्प्रदायिक तनाव है तो वह नहीं रहना चाहिए। इस समय हर वर्ग और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इसको बढ़ने न दिया जाये। जहां कहीं भी इस तरह की बात उठी है तो प्रशासन के लोग जो काम देख रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है उनको देखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इस काम में दखल देते हैं, भड़काने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को जेल में रखा गया है। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी के कारण ऐसा सोचा गया हो। मान्यवर, किसी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, यहां पार्टी का संबंध नहीं है, बल्कि देश और प्रदेश सबसे बड़ा है, यदि देश रहेगा तभी कोई रहेगा और देश रहेगा। आज ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति हो, किसी पार्टी का हो, किसी व्यक्ति पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहते हैं लेकिन किसी पार्टी का हो उसके खिलाफ हमने कार्यवाही किया है ताकि तनाव न बढ़ सके।

मान्यवर, यह कहा जा रहा है कि जान-बूझ किया गया है किसी कारण वश, तो ऐसा नहीं है। जहां यह कहा गया कि मीटिंग न की जायं तो इसके पीछे यह राज है कि जहां मीटिंग की गयी है, वहां तनाव बढ़ा है। जैसे डुमरियागंज में हुआ, माननीय सदस्य वहां के बैठे हैं वह जानते हैं कि मीटिंग के कारण तनाव बढ़ा, यदि उसको रोका न गया होता तो स्थिति बिगड़ सकती थी। ऐसा बहुत जगह हुआ है और यदि रोका न जाता तो उसका बुरा असर पड़ता। माननीय नेता विरोधी दल और अन्य माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्यों को कष्ट होता है जिनको मीटिंग करने से रोका जाता है और मुझे भी दुख है कि किसी को मीटिंग करने से रोका जाये । लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई है तो कोई जरूरी नहीं है कि मीटिंग हो ही । यदि परिस्थिति ऐसी बिगड़ गई है तो यह आवश्यक नहीं है कि मीटिंग हो। यदि ऐसे ही कहीं रोका जाए तो उसको ध्यान नहीं देना चाहिए । जान - बूझकर किसी को भी रोका नहीं गया है । भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री बाजपेयी जी से भी कहा गया कि आप मीटिंग में न आवें, उन्होंने बिलकुल स्वीकार किया कि हम नहीं आयेंगे और भी बहुत से नेताओं से हमने कहा है, उन्होंने उसे माना है । बहुत से लोगों से निवेदन किया था, रोका नहीं गया था न यह हमारा उद्देश्य है कि किसी को मीटिंग करने से रोकें । लेकिन जहां तनाव है, कोई जबरदस्ती मीटिंग करना चाहता है तो उसको रोकना सरकार का दायित्व है, यह सरकार का कर्तव्य है। इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यदि प्रदेश में अमन चयन के खातिर यह किया गया है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जो ऐसे लोग बन्द हैं जो 4-4, 5-5 बार एम0 एल0 ए0 रह चुके हैं, उनको सुपीरियर क्लास जेल में क्यों नहीं मिला है ? यह तो मानवता के आधार पर होना चाहिए था, इसको क्यों नहीं किया गया है ?

बाराबंकी में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा असंवैधानिक कार्य किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अब जो नियम 300 की सूचनाएं प्राप्त उनमें एक सर्वश्री बेनी प्रसाद वर्मा, माता प्रसाद पाण्डेय, राम सरन व राम सागर की है, इसमें जो एक व्यक्ति बोलना चाहे इस पर बोल सकता है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, लोकतान्त्रिक मान्यताओं के अधीन एक अति महत्व के संवैधानिक प्रश्न की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके अनुसरण में निर्मित उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचार संहिता के नियम (5) में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि

"कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल का न तो सदस्य हो सकता है और न किसी राजनीतिक दल से या ऐसे संगठन से जिसकी राजनीतिक गतिविधियां हों उससे न तो सम्बद्ध रह सकता है न उसे अपने क्रियाकलापों से लाभ पहुंचा सकता है। न प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अथवा किसी प्रकार के क्रियाकलाप से ऐसे संगठनों में सहायक हो सकता है।"

श्रीमन्, इस सन्दर्भ में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उसकी फोटो-कापी भी हमारे पास है और आपको भेजी है, कल हमारे जनपद में, 9 मार्च, को कृषि विभाग की सहायता से उसकी ओर से एक सरकारी जलसा हुआ । उसका निमन्त्रण जो हमारे पास है, उसमें पत्र संयुक्त निदेशक, कृषि और उप निदेशक, कृषि को एक प्रकार से आयोजक के रूप में छापा गया है । यह निमन्त्रण पत्र हमें भी मिला था । इसके उद्घाटनकर्ता थे माननीय नरेन्द्र सिंह जी । उन्होंने एक प्रयोगशाला भवन का भी उद्घाटन किया था। इसकी अध्यक्षता के लिए यह छपवाया गया है कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष इसका उद्घाटन करेंगे । जो सर-

कारी कर्मचारियों की आचार संहिता है, उसमें लिखा है कि किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल से न सम्बद्ध रहेगा न अपने क्रियाकलापों से उसको लाभ पहुंचाएगा। किन्तु इस समारोह में इसका खुलकर उल्लंघन किया गया है। कृषि विभाग की गाड़ियों द्वारा इस समारोह का प्रचार हुआ और कांग्रेस के लोग इन्हीं गाड़ियों में गांव-गांव पहुंचते रहे और यह स्थापित करने का प्रयास किया गया कि यह कार्य सरकार के पैसे से पार्टी का कार्यक्रम है। मैं उधर से कल निकला भी था और सरकारी कार्यक्रम होता तो उसमें जाता लेकिन पढ़ने से लगा कि यह पार्टी का कार्य सरकार की ओर से अनुचित तरीके से किया जा रहा है। देखने से लगा कि यह सरकारी धन का दुरुपयोग है। श्रीमन्, यदि इस प्रकार की परम्पराएं बराबर बढ़ती रहीं और इस प्रकार की परम्पराओं को बढ़ावा दिया गया लोकतंत्र की और संविधान की मर्यादाओं का खुला उल्लंघन किया गया, तो लोगों के लिए इस प्रकार के उल्लंघन करने के तमाम रास्ते खुल जायेंगें। हम इसका पालन नहीं करेंगे, तो लोकतन्त्र और संविधान की शपथ का पालन नहीं कर सकेंगे। इससे पहले भी इस प्रकार के दुरुपयोग होते रहे हैं, लेकिन जाब्ता तरीके से, लेकिन यह जो कार्य किया गया है बिलकुल खुलाबाजाब्ता तरीके से किया गया है।

माननीय मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है इसलिए उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की कार्यवाही को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने संसदीय मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैं आपका निर्देश चाहूंगा कि आप इस प्रकार की कार्यवाही को रोकने के लिये सख्त आदेश देने का कष्ट करें।

*श्री राम सरन–

मान्यवर, कुछ ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ नये लोग कांग्रेस में प्रवेश कर गए हैं। जो नए मुल्ला होते हैं वह बोरियों का तहमद लगा कर घूमते हैं।

श्री अध्यक्ष–

कहीं आपको भी उसी जाल में न फंसा ले जायें।

*श्री राम सरन–

जो नया पुजारी होता है वह छोटा माला नहीं रखता है वह बहुत बड़ी-बड़ी माला पहनता है। नरेन्द्र सिंह के बारे में कभी माया पत्रिका में आता है, कभी मुख्य मंत्री बन जाते हैं, यह विदेश चले गए और कुछ लोगों को घुमा लाये। इनकी आदत पड़ गई है गलत काम करने की। कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष श्री राम सजीवन के जलसे का इन्तजाम कृषि अधिकारियों ने किया। कांग्रेस (आई) की अध्यक्षता में जो बैठक होने जा रही थी उसका इन्तजाम कृषि अधिकारियों ने किया। मान्यवर, यह साफ प्रश्न बनता है, आप मंत्री जी से कहें कि यह विभाग को छोड़ दें।

*कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं सोचता था कि वर्मा जी और राम सरन जी कोई संवैधानिक मसला उठायेंगे। इसका संविधान से कोई वास्ता नहीं है। वहां पर एक विचार गोष्ठी थी, उस विचार गोष्ठी का आयोजन शोध केन्द्र ने किया था। यह साफ तौर पर किसानों की गोष्ठी थी, किसानों का मेला था, अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने की थी यह बात सही है लेकिन कोई कांग्रेस पार्टी का प्रचार हुआ, यह बात सही नहीं है। उसमें किसानों को बताया गया कि कैसे वह बीज डाले? कैसे खाद डाले? यह सारा कार्यक्रम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का था । मुझे अजीब सा लगता है कि वर्मा जी और राम सरन जी यह नहीं चाहते हैं कि किसानों को प्रशिक्षित किया जाय । यह पूरे तौर पर कृषि विभाग का आयोजन था। इसमें कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है । इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय मंत्री जी संविधान के अनुच्छेद को पढ़ लें । यह सरकारी कर्मचारियों की आचार संहिता का उल्लंघन है । अगर मुख्य मंत्री जी यह साबित कर दें कि दुरुपयोग नहीं हुआ तो जो सजा देंगे, उसके लिए मैं तैयार हूं ।

किसी सदस्य द्वारा सदन में बिल्ला लगाकर आने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री राज किशोर सिंह . . .

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

कोई तरीका होता है, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

आप जो कुछ बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, एक सदस्य बिल्ला लगाए बैठे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने राज किशोर सिंह को बुलाया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि द्विवेदी जी ने यह एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि कुछ दिन पूर्व जैसा कि अध्यक्ष पीठ से यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि इस आदरणीय सदन के अन्दर कोई भी माननीय सदस्य किसी प्रकार का बिल्ला लगाकर नहीं आयेंगे। वह पहाड़ के एक मा0 सदस्य जो अब जा रहे हैं, अभी मा0 मुख्य मंत्री जी के पास बिल्ला लगाये हुए बैठे थे, इसी बात की व्यवस्था वह चाहते थे, आप शायद सुन नहीं सके ।

श्री अध्यक्ष–

किसी भी मा0 सदस्य द्वारा किसी प्रकार के बिल्ले का प्रयोग किया जाना अनुचित है, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं, खैर वह माननीय सदस्य चले भी गये । (शोर)

वाराणसी में पुलिस द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, दिनांक 8-3-86 की घटना है, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व ग्रामीण विकास पंचायत राज्य मंत्री जो इस वक्त गाजीपुर के विधायक हैं, श्री सुरेन्द्र सिंह वह काशी विश्वनाथ बाबा जी के दर्शनार्थ बनारस गये हुए थे। वहां पर एक विशेष मार्ग भी विशेष लोगों के लिए जाने हेतु बना हुआ था। माननीय विधायक जी उसी मार्ग से जाना चाहते थे, लेकिन वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें जाने नहीं दिया और वह यह देख रहे थे कि उन पुलिस कर्मियों को जो लोग कुछ पैसे दे रहे

नोट : [xxx]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

थे, वे उन्हीं लोगों को जाने दे रहे थे। इस बात को लेकर मा0 विधायक जी से कहा सुनी हो गयी। मा0 विधायक जी के विरोध करने पर उन पुलिस कर्मियों ने उन्हें धक्का दिया, कुछ अपशब्द कहे तथा दुर्व्यवहार भी किया जब उनके अंगरक्षक ने इसमें बीच बचाव का प्रयास किया तो उसे भी पीटा गया और इतना पीटा गया कि उसे घायल कर दिया गया और इस तरह मा0 विधायक जी बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन भी नहीं कर पाये। वहां पर उपस्थित कुछ पत्रकारों को भी मा0 विधायक जी ने इस घटना की सूचना दी जो कल के अखबारों में प्रकाशित भी हुई और मान्यवर, इस घटना की व्यक्तिगत रूप से मुझे भी जानकारी है और मान्यवर, यही नहीं इससे लगभग एक माह पूर्व इसी बनारस के पुलिस कर्मियों द्वारा एक मा0 विधायक डा0 दत्ता साहब की दुर्दशा की गयी थी। तो इस प्रकार से मान्यवर, वहां की पुलिस पूरी तरह से निरंकुश हो गयी है, क्योंकि एक माह पूर्व उस घटना पर भी आज तक कोई कड़ी कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं की गयी इसलिये आज फिर यह दूसरी घटना हो गयी। मान्यवर, प्रश्न इस पक्ष के मा0 सदस्यों या उस पक्ष के मा0 सदस्यों का नहीं है, प्रश्न है सदन की अवमानना का। इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि बनारस की पुलिस के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए और मान्यवर, मुझे पता चला है कि मा0 सुरेन्द्र सिंह जी अस्पताल में हैं आज, इसीलिए वे आज सदन की कार्यवाही में भी भाग नहीं ले सके हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

मा0 सदस्य ने जो अभी सूचना बनारस के विषय में दी है, वह श्रीमन्, इसी प्रकार से है जैसे सूरज बजाए पूर्व के पश्चिम से निकल आये। आज स्वयं मा0 सुरेन्द्र सिंह जी ने अखबार में यह सूचना दी है कि जिनके द्वारा भी यह सूचना अखबारों में प्रकाशित हुए हैं, वह हमारे चरित्र की हत्या की गयी है।

श्री जमुना प्रसाद बोस, सदस्य, विधान सभा को गैर कानूनी तौर से गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

सूचना नं0 4, मा0 तिवारी जी आपसे अनुरोध करना चाहता था कि यह 5-3-86 की जो सूचना है आपकी वह अस्वीकार हो चुकी है और आपने फिर उसे दिया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस रोज मा0 उपाध्यक्ष जी बहुत गुस्से में थे और सारी सूचनाओं को अस्वीकार कर रहे थे, इसलिए मैं उस रोज उनसे कुछ नहीं कह सका।

श्री अध्यक्ष–

मा0 तिवारी जी आपसे कौन गुस्सा हो सकता है? आप तो इतने वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, परम्परा यही यहां रही है कि जिन मा0 सदस्यों के प्रति कोई दुर्व्यवहार होता है, तो उसको औचित्य के प्रश्न के रूप में सुन लिया जाता है, मान्यवर, मा0 जमुना प्रसाद बोस जो इस सदन के सदस्य हैं और मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। चाहे इस पक्ष के या उस पक्ष के कोई भी मा0 सदस्य हों, उनके आचरण से सभी परिचित हैं, लेकिन उनके साथ कोई पुलिस कर्मी किसी प्रकार की ज्यादती करें तब हम सबका चिन्तित होना स्वाभाविक है।

मान्यवर, मैंने अपनी सूचना के साथ वह जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, बांदा थे, उनके आदेश की प्रतिलिपि भी नत्थी कर दिया है, उसको आप देख लें। उसको आपकी अनुमति से मैं पढ़ना चाहता हूं।

श्री गिरधारी लाल, ए0 डी0 एम0, बांदा का परिवाद-पत्र प्राप्त हुआ, प्रकीर्ण प्रकरण पंजीकृत हो।

परिवाद-पत्र का अवलोकन किया। इसमें घटना स्थल, तिथि, समय का सार, संक्षेप कुछ नहीं है। अतः धारा 188 आई0 पी0 सी0 का आरोप कुछ अस्पष्ट एवं असंधार्य है। इस परिवाद पर धारा 188 आई0 पी0 सी0 के अपराध का प्रसंज्ञान करना सम्भव नहीं है। अतः परिवाद निरस्त किया जाता है। सभी वादी मुक्त किये जाते हैं।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, आप भी जानते हैं और उस पक्ष के भी माननीय सदस्य जानते हैं कि न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस तरह से किया जाना चाहिए कि देखने वालों को भी लगे कि न्याय किया जा रहा है। आज आये दिन जिस तरह से 144 लगाये जाने की घटनायें हो रही हैं, अगर यह सरकार यह समझती है कि 144 का अनुचित इस्तेमाल करके इनके शासन की छवि बढ़ेगी, तो मुझे मान्यवर, कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर समझते हैं कि इस तरह से 144 लगाना और 188 में गिरफ्तार करना धाराओं का मिसयूज है, तब मेरा निवेदन है कि नौकरशाही पर अंकुश लगायें। मेरी जानकारी है कि उस दिन बांदा में दो-ढाई हजार लोग आंला से जो फसलों की क्षति हुई थी, उसके बारे में जिला मुख्यालय पर अधिकारियों से मिलने आये थे, उसी सिलसिले में श्री जमुना प्रसाद बोस, भूतपूर्व एम0 पी0, श्री राम रतन शर्मा, एक भूतपूर्व एम0 एल0 ए0, लोकदल के जिला अध्यक्ष, जनता पार्टी के अध्यक्ष और बहुत सारे लोग जनता की बात को अधिकारियों से करना चाहते थे। यह बात ए0 डी0 एम0 को गवारा नहीं हुई और इन सबको धारा 144 के तोड़ने में गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह से 144 का मिसयूज हुआ। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि नौकरशाही को इस तरह से निरंकुश बनने से रोकिये, ताकि लोगों की न्याय और प्रशासन से निष्ठा न उठे और शासन से भी आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि इस मामले में गम्भीर रुख अपना कर नौकरशाही पर अंकुश लगायें, ताकि नौकरशाही इस तरह से निरंकुश न हो जाय कि न्याय की जो प्रक्रिया है, उससे जनता की निष्ठा ही समाप्त हो जाय। मुझे केवल इतना ही निवेदन करना था मान्यवर।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, अभी सम्मानित तिवारी जी ने जो प्रश्न उठाया और इसका जो तर्क उन्होंने दिया, तर्क देने में तो वह सबसे बड़े निपुण हैं, जो तर्क उन्होंने दिया, उसमें खुद उन्होंने उत्तर दिया है। अगर 144 की धारा तोड़ने में 188 बनाया गया होता, तो वह छोड़े क्यों जाते, तब तो वह जेल जाते। मान्यवर, मजिस्ट्रेट ने यह देखा कि यह 188 में लागू नहीं होता है, तो उन्होंने छोड़ दिया, तो मान्यवर, यह मिसयूज हुआ कि यूज हुआ? अगर मिसयूज हुआ होता, तो मजिस्ट्रेट बजाय छोड़ने के उनको जेल

भेज देता। मान्यवर, उनको जेल में न भेजकर, उन्हें वहीं पर छोड़ दिया गया। मान्यवर, 26 तारीख को तमाम हमारे सम्मानित विरोधी पक्ष के सदस्यों ने भारत बन्द का आह्वान किया था। उस भारत बन्द के सम्बन्ध में सरकार को कुछ न कुछ करना था कि शांति-व्यवस्था बनी रहे। एक तरफ आप यह कहते हैं कि हम धारा 144 तोड़ना चाहते हैं, हमें बन्द किया जाय और दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि बन्द करके छोड़ा क्यों गया। इसलिये मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता।

*श्री जमुना प्रसाद बोस–

मान्यवर, बांदा में 144 की धारा लगी ही नहीं थी, अगर लगी होती, तो बांदा में तीन दैनिक समाचार पत्र निकलते हैं, उनमें से किसी में भी तो धारा 144 के लगने का प्रकाशन होता। लेकिन मान्यवर, किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं हुआ। मान्यवर, हम लोग वहां पर दो-दो, तीन-तीन व्यक्ति निकलते थे और आला के संबंध में वहां पर कई हजार आदमी एकत्र हुए थे। वहां का जो पुलिस कोतवाल है, अंग्रेजी शासन में भी मैं दो बार जेल गया था, लेकिन ऐसा बर्ताव नहीं हुआ, जैसा कि वहां के पुलिस कोतवाल ने हम लोगों के साथ बर्ताव किया। मान्यवर, उसने कहा कि मारो [xxx]। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद हमको गिरफ्तार किया गया और बिलकुल नाजायज तरीके से 9 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात तक रखा गया। मजिस्ट्रेट के पास जब पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह तो कोई आरोप बनता ही नहीं है। यह गिरफ्तारी अवैधानिक है। **इस तरीके से हम विधायक के नाते जो कर्तव्य का पालन कर रहे थे, उसमें बाधा डाली गयी और गैर कानूनी तरीके से बंद किया गया और इस तरह से अपमानित किया गया।**

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, इस समय जो सदन की कार्यवाही चल रही है, मैं मान्यवर, ज्ञान वर्धन के लिये जानना चाहता हूं कि किस नियम के अंतर्गत चल रही है और किस नियम के अंतर्गत इनको बोलने की अनुमति मिली है?

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अंतर्गत जो सूचना आयी है, मैं उनको सुन रहा हूं।

प्रदेश के कई स्थानों में कर्फ्यू लागू होने से हाईस्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड की शुरू होने वाली परीक्षाओं में बाधा उत्पन्न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, मान्यवर, लाखों छात्र उसमें बैठते हैं। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा हुआ है, काफी दिनों से लगा है। कुछ स्थानों पर अघोषित कर्फ्यू की स्थिति है। वहां पर भय और तनाव की स्थिति है। लोग अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को बाहर नहीं जाने देते हैं। कल परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, लेकिन स्थिति यह है कि वहां के अभिभावकों, विद्यार्थियों, प्रिंसिपलों और अध्यापकों को यह मालूम नहीं है कि ये परीक्षाएं किस प्रकार कराई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जाएंगी, या इनको स्थगित कर दिया गया है। यह स्थगित किया जायगा तो कितने दिनों के लिये किया जायगा। मान्यवर, आपको याद होगा कि कल से लिखित परीक्षाएं शुरू हो रही हैं लेकिन लगभग 15 दिनों से प्रेक्टिकल इम्तहान चल रहे हैं। विद्यार्थियों को परीक्षाओं के लिये किताबें, गेस पेपर्स या और भी चीजें खरीदनी होती हैं, लेकिन 15 दिनों से बाजार बंद हैं और किताबों की दुकानें भी नहीं खुली हैं। ऐसी स्थिति में शासन से मांग करूंगा कि स्पष्ट आदेश दें कि जहां स्थिति अच्छी नहीं है, वहां पर बोर्ड के इम्तहान किस प्रकार से कराएं जाएंगे। मैं यह भी चाहता हूं कि जहां स्थिति सामान्य न हो, वहां 15 दिन के बाद परीक्षाएं कराने का इंतजाम करें। क्योंकि तनाव के वातावरण में छात्र ठीक तरह से तैयारी नहीं कर पाते। मैं इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, परीक्षाएं अपने समय से होंगी। जहां तनाव है वहां पर ऐसी व्यवस्था करा दी गयी है कि जिन स्थानों पर केन्द्र हैं, वहां पर अध्यापकों के रहने की सारी व्यवस्था करा दी गयी है ताकि सारी व्यवस्था ठीक से चल सके।

औचित्य के प्रश्नों पर निर्णय

श्री अध्यक्ष—

सूचना नं0-1 जो मा0 राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है और इसमें जितने मा0 सदस्य इस सम्बन्ध में बोले हैं, नेता विरोधी दल को लेकर, मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं। उसी के साथ-साथ मैं यह भी नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आग लगी हो, जहां जिस जिले में तनाव हो, वहां के प्रशासक जिले की स्थिति को बेहतर समझते हैं। आपको जो कठिनाई हुई, वह दुखद है। लेकिन ऐसी हालत में हमारा आपका कर्तव्य है कि आग लगी हो तो पानी की बाल्टी लेकर चलें, ताकि आग बुझ सके। इन शब्दों के साथ मैं इसे अस्वीकार करता हूं। सूचना नं0-2, इसमें कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है, मैं इसको अस्वीकार करता हूं। मा0 राज किशोर सिंह जी के बारे में मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी के सुनने के बाद जब मामला खत्म हो गया तो उसको अस्वीकार करता हूं और इसी तरह से बोस जी का जो मामला है, शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसको अस्वीकार करता हूं। मा0 किरन पाल सिंह जी के बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वयं उत्तर दे दिया है, इसलिये इसको अस्वीकार करता हूं।

मेरठ में हत्या और लूट-पाट आदि के संबंध में वक्तव्य

एक सदस्य—

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय (सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

[माननीय सदस्य अवगत ही हैं कि पिछले एक दो वर्षों से न केवल उत्तर प्रदेश में वरन् लगभग पूरे देश में कुछ मुद्दों पर, जिसके गुणावगुण पर चर्चा करना उचित न होगा, किंचित साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा है।

—अभी हाल में मेरठ में हुयी घटनाओं को सम्पूर्ण के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना समीचीन होगा। माननीय सदस्यगण अवगत हैं कि मेरठ शहर में सितम्बर, 1982 में शाहघासा क्षेत्र स्थित यथाकथित एक पिप-

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लेश्वर मंदिर एवं पास में स्थित मजारों को लेकर दो सम्प्रदायों के बीच साम्प्रदायिक दंगा हुआ था जिसे एक सम्प्रदाय के व्यक्ति मजार बताते थे। इन दंगों में कुल 38 व्यक्ति मारे गये थे। शासन के निरन्तर प्रयास से इस समय स्थिति पर काबू पा लिया गया था, किन्तु जन भावनाओं का समादर करते हुये, जैसे कि माननीय सदस्यगण को जानकारी है उस पूरे प्रकरण की जांच एक न्यायिक जांच आयोग कर रहे हैं जिसके अध्यक्ष अवकाश प्राप्त उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सी0डी0 पारिख हैं। उस न्यायिक जांच द्वारा अभी जांच प्रचलित है और जब आयोग की रिपोर्ट मिलेगी, उस पर शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाई की जायेगी। प्रश्नगत् प्रकरण जांच का विषय है। अतएव 1982 की समस्त घटनायें, धन-जन की हानि आदि अब भी चर्चा के विषय हैं। 1982 को लोग फलस्वरूप भूले नहीं हैं। इस मसले को लेकर न्यूनाधिक दोनों सम्प्रदायों में एक प्रकार के आन्तरिक सद्भाव की कमी चल ही रही है। उल्लेखनीय है कि यथाकथित मंदिर को 146 सी0आर0पी0 सी0 के अंतर्गत कुर्क किया गया, जो अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

3—प्राप्त सूचना के अनुसार, मेरठ जनपद में साम्प्रदायिक वातावरण दिनांक 8 फरवरी, 1986 से विषाक्त होना प्रारम्भ हुआ था, जब एक तीन वर्षीय हिन्दू बालिका के साथ एक सम्प्रदाय विशेष के नवयुवक द्वारा तथाकथित बलात्कार के प्रयास की घटना हुई। राम जन्म भूमि का ताला खोल दिये जाने तथा बहुचर्चित शाहबानों के मामले को लेकर एक सम्प्रदाय में रोष का वातावरण पहले से ही हो रहा था। दिनांक 14 फरवरी, 1986 शुक्रवार के दिन काला दिवस मनाने का आवाहन भी किया गया कि अधिक से अधिक संख्या में जामा मस्जिद पहुंचकर नमाज अदा करें, दुकानें बंद रखें व काले झण्डे लगायें व काले बैज पहनें। उस दिन लगभग 15 हजार व्यक्ति जामा मस्जिद, मेरठ में नमाज अदा करने पहुंचे। नमाज शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो गयी किन्तु वापसी में उत्तेजनात्मक नारे लगाने शुरू कर दिये जिसके विरोधस्वरूप साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया जिसके कारण ईंट और पत्थर आदि फेंके गये। इससे तनाव में वृद्धि हुई किन्तु स्थिति पर तत्काल नियंत्रण पा लिया गया। इसी समय उक्त मंदिर को पूजा हेतु खोलने के लिए एक सम्प्रदाय के व्यक्तियों ने भी दिनांक 17-2-86 को मुन्सिफ कोर्ट में एक वाद दायर किया जो अभी विचाराधीन है। इस वाद के कारण भी तनाव में वृद्धि हुई। तनावपूर्ण क्षेत्रों को जोन्स और सेक्टरों में बांटकर मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस व्यवस्था मजबूत की गयी और शस्त्र लाईसेंसधारियों के लाईसेंस जमा कराये गये। इस घटना से मेरठ नगर के थाना कोतवाली, देहली गेट तथा लिसाड़ी क्षेत्र भी प्रभावित थे।

4—दिनांक 20 फरवरी, 1986 को मेरठ कैन्ट क्षेत्र में स्थित एक मजार की देख रेख करने वाले एक व्यक्ति की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर रात्रि लगभग 10.00 बजे हत्या कर दी गयी जिससे शहर में तनाव बढ़ गया। इस घटना को देखते हुये अत्यधिक सतर्कता बरती गयी और 21 फरवरी, 1986 से 25 फरवरी, 1986 तक स्थिति तनावपूर्ण होते हुए भी शान्तिपूर्ण रही और कोई अप्रिय घटना घटी नहीं।

5—जैसा कि ज्ञात है, दिनांक 26-2-86 को कुछ राजनैतिक दलों ने भारत बंद का आवाहन किया था जिससे कि नगर की 75 प्रतिशत दुकानें बंद रहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार एक वर्ग का इसमें

विशेष योगदान नहीं रहा। उस दिन नगर क्षेत्र में एक सम्प्रदाय के अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक हिन्दू व्यापारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गयी। उसी दिन रात्रि में एक और हिन्दू व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया गया। इन दोनों घटनाओं के फलस्वरूप दोनों सम्प्रदायों में तनाव और बढ़ा।

6—व्यापारी की हत्या को लेकर व्यापार संघ द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 1986 को बाजार बंद रखा गया। उस दिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। उस दिन रात्रि में एक अज्ञात व्यक्ति का शव एक नाले में पाया गया, जो मुस्लिम सम्प्रदाय का था। दिनांक 28 फरवरी, 1986 को एक अज्ञात व्यक्ति का शव ओडियन सिनेमा के पास पाया गया। उस दिन सायंकाल लगभग 7.30 बजे थाना कोतवाली क्षेत्र में एक सम्प्रदाय के 3-4 व्यक्तियों द्वारा एक हिन्दू व्यक्ति को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। दो अभियुक्त मौके पर ही पकड़ लिये गये और घायल का उपचार चल रहा है।

7—चाकूबाजी की इन घटनाओं को देखते हुये 28 फरवरी, 1986 की रात्रि 10.00 बजे से दिनांक 1 मार्च, 1986 की रात्रि 10.00 बजे तक थाना कोतवाली क्षेत्र, देहली गेट तथा लिसाड़ी गेट के क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। कर्फ्यू की अवधि दिनांक 1 मार्च, 1986 की रात्रि 10.00 बजे से 2 मार्च, 1986 की प्रातः 9.30 बजे तक पुनः बढ़ा दी गयी। दिनांक 1 मार्च, 1986 को कर्फ्यू वाले क्षेत्रों तथा कर्फ्यू के बाहर के क्षेत्रों में पूर्णतया शान्ति बनी रही और कोई घटना नहीं घटी। सामान्य स्थिति में सुधार को देखते हुये दिनांक 2 मार्च, 1986 को जन जीवन की सुविधा के लिये उक्त कर्फ्यू क्षेत्रों में प्रातः 9.30 बजे कर्फ्यू उठाया गया, किन्तु लगभग 40 मिनट के अल्प समय में ही चाकूबाजी की चार घटनायें हो गयीं। इन घटनाओं में हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों सम्प्रदाय के व्यक्ति थे। इन घटनाओं के फलस्वरूप उक्त तीनों थाना क्षेत्रों में अनिश्चित कालीन कर्फ्यू लगा दिया गया। दिनांक 2 मार्च, 1986 को भी एक अज्ञात व्यक्ति का शव गोहनपुरी नाले में पाया गया जो बाद में मुस्लिम व्यक्ति का होना पाया गया। उस दिन और कोई घटना नहीं घटी और स्थिति पूर्णतया शान्त रही। दिनांक 3 मार्च, 1986 को भी एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाया गया जो बाद में मुस्लिम सम्प्रदाय का होना पाया गया।

8—दिनांक 4 मार्च, 1986 को गोली और अज्ञात औजार से तीन व्यक्ति घायल हुये परन्तु इनमें से केवल एक घटना साम्प्रदायिकता से सम्बन्धित थी और शेष दो घटनायें व्यक्तिगत रंजिश के कारण एक ही सम्प्रदाय के लोगों की थीं। इन तीनों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां उनका उपचार हो रहा है। उसी दिन स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रदेश के गृह सचिव तथा पुलिस महानिरीक्षक मेरठ पहुंचे थे और उन्होंने दो माननीय विधायकों और एक माननीय विधान परिषद् सदस्य और शहर के गणमान्य नागरिकों से वार्ता की थी। सभी लोगों ने जिला प्रशासन द्वारा की गयी व्यवस्था से अपना संतोष प्रकट किया था और किसी पुलिस दुर्व्यवहार या ज्यादती की शिकायत नहीं की गयी थी।

9—दिनांक 5 मार्च, 1986 को प्रातः से स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है यद्यपि सतर्कता बरतने के दृष्टिकोण से कर्फ्यू क्षेत्र नगर के 3 कथित थानों के पूरे हिस्से

में तथा एक थाने के एक भाग में लगा हुआ है। जिस थाने के एक भाग में कर्फ्यू लगा है वह थाना रेलवे रोड है जिसके कैसरगंज चौकी के पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू है।

10—इन घटनाओं पर काबू पाने के लिए 17 कम्पनियां, एक प्लाटून एवं एक, 1/2 सेक्शन पी0ए0सी0, सीमा सुरक्षा बल की चार कम्पनियां, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की 5 कम्पनियां, 941 होम गार्ड्स लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय पुलिस बल भी लगा है। एक सम्प्रदाय में पी0ए0सी0 के प्रति तथा कथित आपत्ति को देखते हुये उनके क्षेत्रों में जहां तक संभव हो सका है, सीमा सुरक्षा बल या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवान लगाये गये हैं। अधिकारियों द्वारा चौबीसों घंटे गश्त में गुणात्मक सुधार लाने के लिए, 8 डिप्टी कलेक्टर जिनमें से 2 मुस्लिम सम्प्रदाय के अधिकारी हैं और चार पुलिस उप अधीक्षक मेरठ भेजे गये हैं। तनाव ग्रस्त क्षेत्रों में कर्फ्यू अभी जारी है और परिस्थितियों को देखते हुये सुविधा के लिए यथासंभव ढील दी जा रही है।

11—इन घटनाओं के फलस्वरूप 6 एक सम्प्रदाय के तथा 3 एक सम्प्रदाय के कुल 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। घायल हुये कुल व्यक्तियों की संख्या 35 है जिनमें से 19 जनता के तथा 16 पुलिस के कर्मचारी हैं।

12—जहां तक गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या का प्रश्न है, दिनांक 4 मार्च, 1986 तक 1382 व्यक्ति पकड़े गये थे जिनमें से अब केवल 547 व्यक्ति इस समय जेल में हैं।

13—घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिये आवश्यक तलाशी भी ली गयी जिसके फलस्वरूप कारतूस समेत 21 कट्टे और 84 चाकू बरामद हुये हैं। धातु खोजी यंत्र द्वारा भी तलाशी ली गयी जिसमें 5 मार्च, 1986 को 10 चाकू, 4 कट्टे बरामद हुए।

14—नगर में क्रमशः 20 बंदूक की, 80 आतिशबाजी की दुकानें हैं जिन्हें 27 फरवरी, 1986 से बंद कर दिया गया है।

15—कर्फ्यू के क्षेत्र में लगभग 50 मोहल्ले हैं, जिनमें से 47 मोहल्लों में मुहल्ला-शान्ति-समिति बनायी जा चुकी है और उनकी कई बार बैठकें हो चुकी हैं। यह समितियां पूरी तरह से सक्रिय हैं। सिविल डिफेंस के 62 वार्डेन एवं उनके स्वयंसेवी शान्ति व्यवस्था कायम करने में लगे हुए हैं। खाद्य विभाग द्वारा कर्फ्यू क्षेत्र के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं को वितरण करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में मवेशियों के लिये 10 ट्रक भूसा उपलब्ध कराया जा चुका है और मवेशी के डाक्टरों द्वारा पशुओं का परीक्षण करा लिया गया है। जनता की चिकित्सा के लिए कर्फ्यू क्षेत्र के तीन जोन्स में एक-एक एम्बूलेंस, डाक्टर तथा औषधियों के साथ, प्रतिदिन उपलब्ध की जा रही है। 397 मरीजों का उपचार किया जा चुका है। स्वयम् सेवी संस्थाओं का योगदान प्राप्त किया जा रहा है। उनके द्वारा बच्चों तथा कमजोर वर्ग के लोगों के लिये चार हजार लीटर दूध बांटा जा चुका है और पराग डेरी से यह भी व्यवस्था करा दी गयी है कि वे कर्फ्यू शिथिल होने के समय दूध सप्लाई करें।

16—विद्यार्थियों के संबंध में फिलहाल उनकी गृह परीक्षायें रोक दी गयी हैं और उनकी तिथियां बढ़ा दी गयी हैं। अंग्रेजी स्कूलों तथा सेंट्रल स्कूलों की वार्षिक परीक्षाओं के सम्बन्ध में प्रधानाचार्यों की बैठक करके कर्फ्यू क्षेत्र में

रहने वाले सभी छात्रों को प्रशासन द्वारा उनके विद्यालय में पहुंचा दिया गया है और उनके ठहरने की वहीं व्यवस्था कर दी गयी है।

17—इन घटनाओं में, जैसा कि ऊपर उल्लेख आया है, 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। प्रत्येक मृतक के परिवार को 20,000 रु0 का अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 3 के परिवारों को 20 हजार रुपये प्रति मृतक की दर से 60 हजार रुपये का अनुदान दिया जा चुका है। एक मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों ने रुपया लेने से इन्कार कर दिया है। तीन मृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में अभी पूरी जानकारी नहीं हो सकी है। शेष दो मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारी के संबंध में छानबीन की जा रही है।

18—14-2-86 एवं कुछ बाद की घटनाओं में कुछ दुकानों, कुछ धार्मिक स्थानों एवं कुछ भवनों को क्षति पहुंची थी। उनकी क्षतिपूर्ति हेतु रुपया 52,800 का वितरण किया जा रहा है। सरकारी सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ।

19—विधिक दृष्टिकोण से पांच या पांच से अधिक एक समुदाय के व्यक्ति अगर दूसरे समुदाय के व्यक्तियों पर हमला करें तो उसे साम्प्रदायिक दंगे की संज्ञा दी जानी चाहिये। इस दृष्टिकोण से मेरठ में हाल में हुयी मरने की घटनाओं को साम्प्रदायिक दंगे की श्रेणी में नहीं माना जाना चाहिये क्योंकि सब घटनायें अलग-अलग घटित हुयी हैं उसमें से कुछ व्यक्तिगत रंजिश के कारण भी हैं।

20—शासन के हर संभव प्रयत्नों के फलस्वरूप मेरठ में जन-जीवन तेजी से सामान्य हो रहा है और स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। आवश्यकता के अनुसार हर संभव कार्रवाइ की जा रही है और यदि आवश्यकता महसूस की जाती है तो विश्वास दिलाता हूं कि वहां शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ कर मुझे अफसोस हुआ। यदि माननीय मुख्य-मंत्री जी ने इस वक्तव्य को पढ़ा होता तो वे इस पर हस्ताक्षर नहीं करते। आपने भी व्यवस्था दी कि हमें पानी डालने का काम करना चाहिए लेकिन इस वक्तव्य ने घी डालने का प्रयास किया है। आप देखें कि यह परम्परा भी रही है और क्या यह उचित है कि जो हत्यायें हुई हैं उनमें सरकार की ओर से अलग-अलग सम्प्रदायों की बात कही जाय कि इतने हिन्दू थे, इतने मुसलमान थे। मेरा यह आरोप रहा है कि सरकारी कर्मचारी आपको भी गुमराह कर रहे हैं और यह उनकी अदूरदर्शिता है, काम करने का तरीका है जिससे आग लग रही है। मुझे अफसोस है कि यह वक्तव्य जैसे-जैसे छपेगा वैसे साम्प्रदायिकता और बढ़ेगी तथा दंगे बढ़ेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने कहा कि इस वक्तव्य में कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं आनी चाहिए थीं। मान्यवर, वक्तव्य में तथ्य आते हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि चूंकि अभी वहां पर टेन्सन है, साम्प्रदायिक तनाव है इसलिए इस पर यहां पर ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। जहां पर तनाव हो, चर्चा करने से बहुत सी बातें अच्छी नहीं होतीं। मैं चाहता हूं कि इस पर ज्यादा चर्चा न हो।

(श्री किरन पाल सिंह के खड़े होकर बोलने पर)।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये। आप मेरा अधिकार ले रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने एक आरोप लगाया था, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसकी सफाई दी। इस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं दो सवाल करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आप स्पष्टीकरण कर लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, वहां पर 14 तारीख से स्थिति गम्भीर बन रही है, तो उस गम्भीर स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये? इससे पहले 82 में भी तनाव हुआ था और तनाव की स्थिति को सुलझाने तथा उसके कारण को जानने की जरूरत को समझते हुए एक आयोग का गठन किया गया था ताकि सही तथ्य सामने आयें जिससे कि भविष्य में ऐसे कदम उठाये जा सकें जिससे तनाव की स्थिति पर काबू पाया जा सके तो 82 में जो आयोग गठित हुआ था उसकी रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई और अगर कोई अन्तरिम रिपोर्ट आई है तो आपने क्या कार्यवाही की?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जहां तक व्यवस्था का सवाल है आपको यह जानकारी है कि वहां के न हिन्दू, न मुसलमान, कोई साम्प्रदायिक तनाव नहीं है। न कोई आदमी उसमें है। कुछ ऐसे लोग हैं जो स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं इसलिए सरकार को वहां पर सख्ती बरतनी पड़ेगी। जो लोग वहां पर हैं उन्हें अब कोई कठिनाई नहीं है। अब वहां पर हालत अच्छी हो रही है।

(श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी तथा कई अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब कोई प्रश्न नहीं आयेंगे। आप लोग बैठिये।

(1 बज कर 43 मिनट)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस तरीके से हैं :–

1–श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री राम सागर।	जनपद बाराबंकी के थाना असन्दरा में एक हरिजन छात्र की हत्या।
2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी।	भा0 ज0 पा0 नेता के लखनऊ प्रवेश पर रोक।
3–श्री राम सरन दास	लक्सर शुगर मिल, सहारनपुर के मिल मालिकों पर किसानों का बकाया।
4–श्री मनोहर लाल	उन्नाव में चेचक का प्रकोप।
5–श्री यदुनाथ सिंह	माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा 30 हजार छात्रों का परीक्षाफल न घोषित किया जाना।
6–श्री भोपाल सिंह तथा श्री किरन पाल सिंह	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों द्वारा हड़ताल।

7—श्री सत्य प्रकाश विकल
8—श्री देव कुमार यादव
9—श्री कौशिक रमा शंकर
10—श्री राम नरेश
11—श्री विष्णु देव
12—श्री अनुग्रह नारायण सिंह

सम्भल जिला मुरादाबाद में कर्फ्यू।

साहूपुर में हरिजनों की हत्या।

आजमगढ़ में घाघरा नदी के कटान से उत्पन्न स्थिति।

भदोही, वुलेन्स मिल लि0, बनारस में भ्रष्टाचार।

श्री मुहम्मद आजम खां—

[x x x]

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, यह बिना अनुमति के बोले हैं। इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री किरन पाल सिंह—

[x x x]

श्री अध्यक्ष—

आपका सुझाव नहीं लिखा जायेगा।

श्री मुहम्मद आजम खां—

[x x x]

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

जब बात खत्म हो गई तो माननीय सदस्य ने व्यवस्था का सवाल उठाकर वह बात कहनी चाही जो नहीं कहनी चाहिये। यहां पर वातावरण बनाया जा रहा है कि जो बात है वह बिगड़ने न पाये। मैं चाहूंगा कि इस तरह की बात न कही जाय।

श्री अध्यक्ष—

जो व्यवस्था के रूप में उठाया गया है, मैं इसको कार्यवाही का अंग नहीं मानता हूं।

श्री मुहम्मद आजम खां—

[x x x]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, जनपद बाराबंकी के थाना असन्दारा के ग्राम बलौली में एक हरिजन सैनिक परिवार रहता है। उस परिवार का एक लड़का भगवान बख्श कक्षा 10 का छात्र है। उसका पिता सेना में लड़ते हुये वीरगति को पहुंचा है और उसका बड़ा भाई सेना में है। 4 तारीख को रात में 11 बजे, जिस कालेज में वह पढ़ता है वह, सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नसौपुर में अखण्ड रामायण हो रही थी, उसमें भाग लेने के लिये वह जा रहा था। ऐसी जगहों पर जहां जलसा हो रहा है, रामायण हो रही है, वहां पुलिस को पहले से सतर्क रहना चाहिये। उस रामायण में यह छात्र हिस्सा लेने गया। इसके जो विरोधी थे वह पहले से इसकी हत्या के फिराक में बैठे थे। जब छात्र पहुंचा तो भीड़-भाड़ में उसको गोली मार दी गई। वहां से एक किलोमीटर की दूरी पर थाना है। जब लोग थाने गये कि छात्र को गोली मार दी गई है, थाने के लोग पहले से अपराधियों से मिले थे, हत्या की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मेरी सूचना के अनुसार 4 घंटे तक वह तड़पता रहा मुझे यह भी सूचना मिली है कि हत्यारे उसको

नोट :—[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उठा ले गये और जिन्दा जला दिया और लाश को नदी में फेंक दिया गया, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, लोगों ने सूचना दी लेकिन न तो 4 तारीख को और न 5 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई, 6 तारीख तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई। 7 तारीख को जब राम सागर जी विधायक अपने क्षेत्र में गये तो वहां पर छात्रों ने और जनता ने बताया कि इस तरह की घटना हुई है। जब विधायक थाने गये तब रिपोर्ट लिखी गई। अभी तक हत्यारों को पकड़ने का कोई काम नहीं किया गया है। इस तरह से सैनिक एवं हरिजन परिवार के साथ, देश भक्त परिवार के साथ पुलिस साजिश करके हत्या करवाये, यह निन्दनीय है, इससे प्रदेश की जनता का विश्वास इस सरकार से उठ गया है। उस छात्र का कोई कसूर नहीं था। वह छात्र स्वाभिमानी था, घर में उसके कोई कमी नहीं थी, इसी जलन से उसको मार डाला गया। इसमें पुलिस की साजिश थी। जब विधायक ने हस्तक्षेप किया तब उसकी रिपोर्ट लिखी गई। 11 तारीख से परीक्षायें होने जा रही हैं। पूरे जिले के छात्र आन्दोलित हो रहे हैं। मुझे आशंका है कि यदि सरकार की तरफ से कोई प्रभावी कार्यवाही न की गई तो जो 11 तारीख से परीक्षा होने जा रही है, वह सम्भव नहीं हो पायेगी। इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप सरकार को सख्त निर्देश दें, कार्यवाही करने के लिये और सरकार इस हरिजन सैनिक परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था करे। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस पर दो घंटे की चर्चा स्वीकार करें।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, चूंकि रामसागर जी उस स्थिति के गवाह हैं, इस लिए आप इनको भी पहले सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

मा0 वर्मा जी, जो आप लोग बैठक में तय करते हैं, उसी के अनुसार चलें।

*श्री राम सागर—

मान्यवर, यह जो अविलम्बनीय लोक-महत्व की घटना कार्य-स्थगन के रूप में उठायी गयी है, मान्यवर यह दुखदायी घटना है। शुक्रवार के बाद अब आज सदन बैठा है, इसलिए यह अविलम्बनीय लोक महत्व की है। मान्यवर, शुक्रवार को जब सदन की कार्यवाही में भाग लेने के बाद यहां से अपने घर जा रहा था, तो वहां पहुंचते ही मुझे वहां सैकड़ों छात्र और जनता ने घेर लिया।

श्री अध्यक्ष—

आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री राम सागर—

मान्यवर, ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं। मुझे यह जानकारी मिली कि 11 बजे उसको गोली मारी, 4 बजे उसकी मृत्यु हो गयी। इतनी देर तक दवा का कोई इंतजाम नहीं किया गया। मान्यवर, यह घटनास्थल थाने से बिल्कुल डेढ़ कि0 मी0 दूरी पर है। मान्यवर, इस घटना की जानकारी पूरे जवांर क्षेत्र में तुरन्त हो गयी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं हुई। मान्यवर, इस मृत हरिजन छात्र के पिता सेना में वीरगति को प्राप्त हुए थे। मान्यवर, इस घटना को लेकर मेरे जिले में जितने भी छात्र हैं, आंदोलित हैं। अगर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी, तो छात्र परीक्षा के बजाय आंदोलन की तरफ जा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस घटना पर विशेष ध्यान देकर चर्चा करायी जाय।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, हरिजनों पर अत्याचार के संबंध में यहां पर चर्चा हुई, तो माननीय नेता सदन ने बड़े जोरदार शब्दों में यहां पर कहा था कि कहीं पर कोई हरिजनों के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है।

माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं जरा सुन लें, संकठा प्रसाद शास्त्री जी से बाद में बात कर लीजियेगा।

मान्यवर, अभी उपनेता माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी और माननीय राम सागर जी ने एक सूचना रखी। मान्यवर, उस दिन जब माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि हरिजनों पर कहीं कोई अत्याचार नहीं हो रहा है इनके दल के साथियों ने बड़ी मेजें थपथपाईं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर जालबाजी न की गयी होती तो इस तरह का अत्याचार नहीं होता। मान्यवर, जालबाजी से ही गलत असर हो रहे हैं। मान्यवर, भगवान बख्श, हरिजन नवयुवक छात्र जिसके पिता सेना में कार्य करते हुए शहीद हो गये थे और जिसका बड़ा भाई सेना में है, उसकी गोली मारकर हत्या की गयी। मान्यवर, जो मुझे जानकारी मिली है वह यह कि वह हरिजन छात्र केवल अच्छे कपड़े पहनता था, दूसरे लोग हरिजन की तरह से उसके साथ व्यवहार करते थे, नीचा कहकर पुकारते थे, उसका वह विरोध करता था, उसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गयी। मान्यवर, घटना के बाद जब तक वह जिंदा था, उसको जला दिया, उसकी लाश गायब कर दी गयी और उसके बाद अभी तक पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। मान्यवर, आप देखें जब एक विधायक राम सागर जी जाते हैं तो 3 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। माननीय मुख्य मंत्री जी कह दें कोई हरिजनों के साथ अत्याचार नहीं है। उसकी हत्या कर दी गयी, पुलिस इस तरह की रिपोर्ट न लिखे, यह कोई नकबजनी है?

माननीय मुख्यमंत्री जी सामान्य प्रशासन पर बहस के समय मैं आपको यह बताऊंगा कि अमन-चैन आपके जमाने में कैसा है? इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विषय पर अलग से चर्चा हो जाए और हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर अलग से एक दिन पूरी चर्चा होनी चाहिए। आज हरिजनों को मारा जा रहा है लेकिन सरकार उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उनके कहने पर आप न आइये। आप स्वयं सोच समझकर इस आदरणीय सदन में बयान दिया करें। हरिजनों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, ऐसा कह कर आप उन लोगों का मनोबल ऊंचा न करें। थाने के लोगों को मुअत्तल करने के लिए आप आज

ही घोषणा करें और चौबीस घन्टे के अंदर हत्यारों की गिरफ्तारी कराने की भी भरपूर कोशिश करें।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, लगता है कि मा0 नेता विरोधी दल कुछ योजनाबद्ध तरीके से दो तीन दिन से लगातार यह कहते आ रहे हैं कि हरिजनों के खिलाफ ये किया जा रहा है, हरिजनों के खिलाफ वो किया जा रहा है। मान्यवर, मैं जानता हूं, मैंने देखा भी है और बराबर रूप से देख भी रहा हूं। इस वक्त हरिजनों पर बिल्कुल अत्याचार नहीं हो रहा है।

श्री राम सागर–

मान्यवर, तीन दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। मैंने रिपोर्ट लिखी है।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मैं कह रहा था कि जहां तक इस घटना का सवाल है यह आपसी रंजिश की वजह से हुई है। मैं इसकी छानबीन जितनी सख्ती से कर सकता हूं, करूंगा और सारे तथ्य सामने आयेंगे। मान्यवर, जहां कहीं भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं वे आपसी रंजिश और विवाद के कारण हो रही हैं। हरिजनों के नाम से कोई भी घटना नहीं हो रही है।

मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, ठीक है दुश्मनी के कारण यह घटना हुई लेकिन तीन दिन तक थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई? आप जानबूझ कर हरिजनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसे छुपा रहे हैं। इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के सदस्यों सहित, सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हम मा0 मुख्यमंत्री जी के श्रीमुख से शासन की नीतियों को सुनते रहते हैं। लेकिन आज जानबूझकर इस तरह की परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं जिससे राजनैतिक कार्यकर्ताओं और उनकी गतिविधियों पर अंकुश लग सके और उनके कार्य में बाधा उत्पन्न हो। हमारी पार्टी की ओर से काश्मीर दिवस का आयोजन किया जा रहा था इसमें न कोई बाबरी मस्जिद वाला मामला था और न ही कोई राम जन्म भूमि का। वह पूरे हिन्दुस्तान भर का एक आयोजन था। लेकिन पूरे प्रदेश में मा0 मुख्यमंत्री जी ने ऐसा दबाव डाला कि कई लोगों को गिरफ्तार किया गया इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य श्री सूर्य प्रताप शाही को भी गिरफ्तार कर लिया गया और हमारे दल के दो भूतपूर्व सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। हमारे दल के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय कुमार मल्होत्रा जब लखनऊ आ रहे थे तो स्टेशन पर ही उनसे लखनऊ छोड़ देने के लिए कहा गया। काश्मीर दिवस मनाने की अनुमति भी यहां पर नहीं दी गई। इसके बाद भी यदि हम कोई सभा करते तो उसके कानूनी कौन्सिक्वेंसेस को भुगतने के लिए हम तैयार थे। मल्होत्रा जी यहां पर आते, हम कार्यकर्ताओं से मिलते और हमें कुछ मार्गदर्शन देते लेकिन उन्हें लखनऊ छोड़ देने के लिए कहा गया। वे हमारी पार्टी के एक प्रमुख प्रवक्ता हैं। अटल बिहारी बाजपेई जी का नाम भी यहां लिया गया। हम अनावश्यक रूप से किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहते बल्कि शान्ति स्थापना करने में सरकार को सहयोग देना चाहते थे। मैं मा0 मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह हमारी उदारता को कमजोरी सम-

झने का दुस्साहस न करें। यदि वह ऐसा सोचते हैं तो वह एक गलत निर्णय ले रहे हैं। ऐसा आरोप लगाने के लिए मैं उनके ऊपर मजबूर हो जाऊंगा। श्री कलराज महामंत्री हमारे प्रदेश के श्री मल्होत्रा जी को रिसीव करने के लिए स्टेशन पर गये थे। स्वागत के लिए स्टेशन पर गये थे, उनको भी हिरासत में लेकर बन्द कर दिया। श्री सूर्य प्रताप शाही सभा की अनुमति लेने गये थे अतिरिक्त जिलाधिकारी के पास। उनके साथ भुलई भाई तथा श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा भी थे, उनको वहां गिरफ्तार कर लिया गया। 10–20 आदमियों पर लाठीचार्ज किया गया। आखिर शासन की नीति क्या है? क्या आप आपातकाल घोषित किये बिना पूरे प्रदेश में वैसी ही स्थिति पैदा करना चाहते हैं? अगर हमारी विधिसम्मत राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जायगा तो हम उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और अत्याचार बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरी मांग है कि इस पर आप चर्चा करा दें। यह तत्काल घटी घटना है, अभी कल की बात है। जो जानकारी हमारे कार्यालय से मिली है, पूरे प्रदेश में 250 आदमी गिरफ्तार किये गये हैं।

आपने सभाओं की अनुमति नहीं दी, हमने सभाएं नहीं की, कहीं डेपुटेशन गये, कहीं शिष्ट मण्डल गये। हमारे यहां का एक डेपुटेशन माननीय राज्यपाल के पास भी गया। हम इस सम्बन्ध में एक जनमत खड़ा करना चाहते हैं, यही हमारी योजना है। इसके साथ ही मेरी आपसे मांग है कि इस पर आप दो घण्टे की चर्चा करा दें, हम शासन की नीतियों को जानना चाहते हैं और उसी के अनुरूप फैसला लेना चाहते हैं। देश बड़ा है, पार्टियां छोटी हैं और व्यक्ति उससे भी छोटा है। हम जिन वैधानिक मान्यताओं के लिए जिन्दा हैं, उस सम्बन्ध में कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए मेरी मांग है कि इस पर आप दो घण्टे की चर्चा करा दें।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, इस बात के लिए दुख है कि माननीय गुप्त जी को या उनकी पार्टी के नेताओं को कष्ट हुआ, लेकिन यह सबको मालूम है कि प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव है और इस वक्त हर पार्टी के हर लोगों से कह दिया गया है कि इस वक्त मीटिंग करने या कोई बात करने से उत्तेजना फैल सकती है, साम्प्रदायिक तनाव फैल सकता है, माहौल बिगड़ सकता है। यह केवल वातावरण का तनाव रोकने के लिए किया गया है। बहुत लम्बे दिनों के लिए नहीं, कुछ समय के लिए है। इस समय में आपको स्वयं देखना चाहिये था कि प्रदेश में अमन-चैन रहे और कोई गड़बड़ी न होने पाये, यह हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। आपको नाराज नहीं होना चाहिए। किसी पार्टी को या किसी नेता के सम्मान को कम किया जा रहा हो, ऐसी बात नहीं है। केवल साम्प्रदायिक तनाव न बढ़ने पाये और अमन-चैन बने, इसीलिए ऐसा किया गया है ताकि स्थिति जल्द ठीक हो जाय। जब स्थिति ठीक हो जायगी तो मीटिंग रोज करियेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य से एक साजिश का आभास हो रहा है, ऐसी गन्ध आ रही है। क्या हम प्रदेश का दौरा और अपने निर्वाचन क्षेत्रों में

जाना भी बन्द कर दें? जब हम गांवों में जायेंगे तो लोगों से कुछ तो बात होगी ही। अगर आप इसी प्रकार हमारे ऊपर सन्देह करेंगे, तो हम अपने विधिक कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करेंगे? आप प्रदेश को विध्वंस के रास्ते पर ले जा रहे हैं। हम जो साम्प्रदायिक सौहार्द्र पैदा करना चाहते हैं, उनको आप सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। शासन की इस नीति के विरोध में मैं अपने दल सहित बहिर्गमन करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)।

श्री राम सरन–

मान्यवर, शासन में उधर बैठे लोगों से मैं क्षमा चाहूंगा और आग्रह भी करूंगा कि मेरी तरफ जरा अपनी कृपा दृष्टि करें। सहारनपुर में लक्सर में जो शुगर मिल है वहां 22 दिसम्बर से आज तक गन्ने का पेमेन्ट नहीं किया गया है। आज वहां तीन करोड़ से ऊपर गन्ना किसानों का बकाया है। मिल मालिकानों के ऊपर और वहां का गन्ना किसान पर्चियां लिये-लिये फिर रहा है। शादी-ब्याह का मौसम है और उसे भी तमाम देनदारी है और आप यहां बैठे हुए हंस रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी, राम सरन जी आपका ध्यान चाहते हैं।

श्री राम सरन–

यह शून्य प्रहर है और मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसमें अगर आपका ध्यान इधर-उधर हो गया तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। गन्ना किसानों का बकाया है लक्सर शुगर मिल पर 22 दिसम्बर से आज तक वहां से किसानों को पेमेन्ट नहीं हुआ है जिससे कि वहां के किसानों में बहुत रोष व्याप्त है। इसकी सरकार तुरन्त व्यवस्था करें। जबकि डेली वहां पर 20 हजार क्विंटल गन्ना फैक्ट्री खरीद रही है।

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय राम सरन जी जैसा कह रहे हैं मैं इसको देखूंगा। वैसे तो शासन के आदेश हैं कि सारी मिलें किसानों के गन्ना का पैसा 15 दिन के अन्दर पेमेन्ट कर दें। लेकिन इसको मैं देख लूंगा।

* श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत मैं अति अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को यहां सदन में उठा रहा हूं कि उन्नाव जनपद में चेचक और मलेरिया का भीषण प्रकोप है इस समय हालांकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री यहां बराबर यही कहते रहते हैं कि कहीं भी इसका प्रकोप नहीं है लेकिन मैं उनके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि इस समय उन्नाव में चेचक और मलेरिया जोरों से फैला हुआ है। वहां के जो ग्राम इससे प्रभावित हैं, उनके नाम हैं :– भगवन्त नगर, बाबूखेड़ा, मधुकरपुर, अकठीधेरिहा, अटल बिहारी नगर, गांधी नगर, आदर्श नगर, तावित सरांव, विकास विछिया के अन्तर्गत तौरा, खरगीखेड़ा, नौगवां आदि। यह ऐसे गांव हैं जहां मलेरिया फैला हुआ है। वहां पर उमाशंकर दीक्षित के नाम पर एक अस्पताल है वहां बहुत से मरीज इससे पीड़ित होकर पहुंच गये लेकिन वहां पर ठीक से व्यवस्था न होने के कारण वह लोग उन्नाव और कानपुर की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरफ पलायन कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं और वे यहां आश्वासन देते रहेंगे कि कहीं कोई प्रकोप नहीं है लेकिन वहां पर मलेरिया और चेचक का प्रकोप है। मैं मांग करता हूं कि आज इस सदन की कार्यवाही को रोक करके हमारी इस सूचना पर यहां चर्चा करा दी जाय।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

मैं माननीय मनोहर लाल जी से कहना चाहता हूं कि अभी जिन गांवों के नाम उन्होंने लिये हैं, उन गांवों के नाम की सूची वह मुझे भेज दें, मैं विशेष टीम को भेज कर वहां डाक्टरी इलाज की व्यवस्था कराये देता हूं। वैसे उत्तर प्रदेश में कहीं भी मलेरिया या चेचक का प्रकोप इस समय हो, ऐसा नहीं है पर मच्छर जरूर बढ़े हैं। उन्नाव तो मच्छरों का क्षेत्र ही है। वहां पर डी0 डी0 टी0 का छिड़काव हो रहा है। साल में इसके तीन छिड़काव होते हैं। आप कहेंगे तो वहां फिर से विशेष रूप से छिड़काव करा देंगे। अतएव इसमें कार्य-स्थगन की कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 की जो सूचनायें आयी हैं उसमें नम्बर तीन और चार पर जो सूचनायें हैं उन पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं और शेष सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, मैं वकीलों के सम्बन्ध में सूचना एक सप्ताह से दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

शेष सभी सूचनायें अस्वीकृत।

(श्री भोपाल सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री भोपाल सिंह–

मैं एक सूचना जो वकीलों की हड़ताल के सम्बन्ध में है, दे रहा हूं, एक सप्ताह से दे रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष–

आपका मामला तो पहले उठ चुका है।

श्री भोपाल सिंह–

यह नहीं उठा है।

(इस समय 2 बजकर 15 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोक चन्द्र पीठासीन हुए) (व्यवधान के मध्य)

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) तथा अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 16,33,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(श्री भोपाल सिंह के सदन के फ्लोर पर खड़े रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपना स्थान ग्रहण करें। कल देख लिया जायेगा।

(श्री भोपाल सिंह अपने स्थान पर वापस चले गये)।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,47,83,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और कुल आय का 52 प्रतिशत हिस्सा कृषि से आता है। मान्यवर, पिछले वर्ष में कृषि के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है, बहुत अच्छी प्रगति हुई है। मान्यवर, 83-84 में 292 लाख मीट्रिक टन अनाज पैदा हुआ, 1984-85 में 302 लाख मीट्रिक टन अनाज पैदा हुआ और वर्ष 1985-86 में वर्षा और सूखे के बावजूद भी उत्पादन बहुत अच्छा होगा और खरीफ में जो 106 लाख मी0 टन का लक्ष्य था, उसके विपरीत 111 लाख मी0 टन अनाज पैदा हुआ और मान्यवर, इस वर्ष 1985-86 में पूरी उम्मीद है कि लक्ष्य से अधिक जो 318 लाख मी0 टन का लक्ष्य था, 323 लाख मी0 टन अनाज पैदा होगा। मान्यवर, 1986–87 में 334 लाख मी0 टन का लक्ष्य है अनाज पैदा करने का। मान्यवर, हमारे प्रदेश में 86 प्रतिशत लघु और सीमान्त कृषक हैं और बड़ी जो तादाद है वह लघु और सीमान्त कृषकों की है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को यह सूचित करते हुये और जानकारी देते हुये हर्ष का अनुभव कर रहा हूं कि केन्द्रीय पूल से 22 लाख टन गेहूं दिया गया है, जो कि हमारा प्रदेश देश के दूसरे नम्बर पर रहा है। मान्यवर, दलहन और तिलहन की कमी है और इसकी पैदावार को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मान्यवर, दलहन में 1984-85 में 27 लाख 70 हजार हेक्टेयर भूमि में दलहन की खेती हुई थी, 1985-86 में 27 लाख 70 हजार हेक्टेयर में खेती हुई। मान्यवर, यह जो उत्पादन हुआ वह तिलहन का 28 लाख टन का हुआ। वर्ष 1986–87 में दलहन के रकबे को बढ़ाया जायेगा और 22 लाख हेक्टेयर जमीन में दलहन की खेती की जायेगी।

(2 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, 31 लाख टन दलहन पैदा किया जायेगा। मान्यवर, इसी तरीके से तिलहन के क्षेत्र के भी बढ़ाने का और उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य है और उसको मैं बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि तिलहन भी बहुत आवश्यक है। मान्यवर, 84-85 में तिलहन का क्षेत्रफल 7 लाख 21 हजार हेक्टेयर था और उत्पादन हुआ था 11 लाख 73 हजार टन, 85-86 में क्षेत्रफल मान्यवर, 10 लाख हेक्टेयर और उत्पादन हुआ 12 लाख टन। अब मान्यवर, 86-87 में इसे हम और बढ़ाना चाहते हैं, 10 लाख 50 हजार हेक्टेयर में तिलहन की खेती करायी जायेगी और मान्यवर, हम 18 लाख मीट्रिक टन तिलहन पैदा करेंगे जिससे कि तिलहन की, तेल की जो जरूरत है उसको पूरा कर सकें। इसके लिए मान्यवर, तमाम कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। सभी जानते हैं कि खेती की उपज बढ़ाने के लिए गुणात्मक बीजों का बहुत महत्व है। अच्छे बीज होने चाहिए इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अच्छे बीज मिल सके इसके लिए

प्रयास है। मान्यवर, 81-82 में जो अच्छे बीजों का वितरण हुआ था वह था 2 लाख 90 हजार कुन्तल और 85-86 में इसको बढ़ाकर किया गया 5 लाख 83 हजार कुन्तल तो इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा बीज किसानों को उपलब्ध हो सके और इसके लिए बीज विधायन सेंटरों की भी स्थापना की जा रही है अलग-अलग जगहों में और यह कोशिश कर रहे हैं कि किसान अपने बीज को नजदीक से नजदीक स्थान पर प्रोसेस करा ले। अब मान्यवर, हम बीच में एक और कार्यक्रम कर रहे हैं अभी तक बड़े-बड़े पैकेटों और बोरियों में बीज आता था लेकिन अब इसको 20 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के पैकेटों में उपलब्ध करायेंगे जिससे कि छोटे किसान भी उससे लाभान्वित हो सकें।

मान्यवर, दूसरी जरूरत होती है रसायनिक उर्वरक की। इसको भी बहुत तेजी से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। 61-62 में हमारे प्रदेश में कुल उर्वरक का वितरण खपत हुआ था 36 हजार टन का उसके बाद 79-80 में 10 लाख 9 हजार टन उर्वरक की खपत हुई और 84-85 में 16 लाख 13 हजार टन की फर्टिलाइजर की खपत हुई और 85-86 में अभी तक 21 लाख 61 हजार टन फर्टिलाइजर का वितरण हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि इसका वितरण और बढ़ेगा। 84-85 से 85-86 में जो वृद्धि हुई है फर्टिलाइजर के कंजम्पशन में यह लगभग 40 प्रतिशत के करीब आती है और 1986-87 में इसको और बढ़ायेंगे क्योंकि जब तक फर्टिलाइजर का कंजम्पशन पूरा नहीं होता उसे किसान अच्छी तरह से उपयोग में नहीं लाता। अभी हम इस दिशा में दूसरे प्रदेशों से काफी पीछे हैं। पंजाब में 155 के0 जी0 प्रति हैक्टियर फर्टिलाइजर का कंजम्पशन होता है। पिछले वर्ष 1984 85 में हमारे प्रदेश का जो औसत था वह 65 किलो प्रति हैक्टियर के हिसाब से था। उसको हमको 1985-86 में बढ़ाकर 86 के0 जी0 प्रति हैक्टियर पर हम लायें हैं। इस तरह से हमारा प्रयास है कि फर्टिलाइजर का कंजम्पशन हमारे यहां अच्छा है। मान्यवर, आज उत्पादन लागत बढ़ रही है। इसके लिये हमारा कृषि विभाग चाहता है कि वैज्ञानिक तरीके से खेती हो। यदि कोई किसान फर्टिलाइजर बढ़ाना चाहता है तो उसकी जानकारी उसे होनी चाहिए। इसके लिये मृदा परीक्षण (सोयल टेस्टिंग) बहुत जरूरी है। उसको हम गति देना चाहते हैं। किसानों को दौड़ना न पड़े, उसको परेशान न होना पड़े। इसलिये सोयल टेस्टिंग हो जाय, इस दिशा में हम प्रगतिशील हैं। मान्यवर, 1984-85 में 11 लाख 26 हजार नमूने मृदा परीक्षण के किये गये थे और 1985-86 में 11 लाख 30 हजार तथा 1986-87 में 11 लाख 40 हजार और इससे भी अधिक हम इसे करें। इसको हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं।

एक बात और जो बहुत ही प्रसन्नता की बात है, वह यह है कि पी0 और के0 के0 के प्रयोग में बढ़ोत्तरी हुई है। किसानों में जागृति आ रही है कि किस तरीके से खाद का इस्तेमाल किया जाय। इस तरफ प्रयास हो रहे हैं। मान्यवर, खाद में मिलावट की शिकायतें अक्सर आया करती थीं। यह कहा जाता था कि खाद में मिलावट होती है। इस वर्ष खाद में मिलावट की बहुत कम शिकायतें मिली हैं। इसके लिये काफी प्रयास किये गये हैं। मान्यवर, 1984-85 में 6538 छापे डाले गये थे और इस वर्ष 15937 छापे डाले गये। जो नमूने लिये गये वह

1984-85 में 4715 थे और इस साल जो नमूने लिये गये उनकी संख्या 6148 है। उसके जो रिजल्ट आये वह 1984-85 में 4715 के आये और 1985-86 में 4327 के आये। इस तरह से मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मिलावट में बड़ी कमी आई है। इसी तरह से जहां पिछले साल 346 नमूने अधोमानक के पाए गए वहीं इस साल 208 नमूने अधोमानक के पाए गए। इसी तरह से 1984-85 में 179 लाइसेन्सेज हमने रद्द किए और इस साल 121 लाइसेन्सेज रद्द किए गए हैं। जो लाइसेन्सेज निलंबित किए गए वह 1984-85 में 105 और इस साल उनकी तादाद घटकर केवल 71 रह गई जो नमूने निलंबित किए गए।

मान्यवर, इसी तरह से जिन बिक्रेताओं को चेतावनी दी गई उनकी संख्या पिछले साल 156 थी और इस वर्ष 423 लोगों को चेतावनी दी गई। जो मामले पुलिस को सुपुर्द किए गए उनकी संख्या 1984-85 में 98 थी और इस साल 134 मामले पुलिस के सुपुर्द किए गए और व्यापारी जिनको जेल भेजा गया उनकी संख्या 1984-85 में 48 थी और इस साल हमने 90 व्यापारियों को जेल भेजा है। इस तरह से खाद में मिलावट के मामले कम हो रहे हैं। . . . (व्यवधान)। स्टोर इंचार्जों को भी दूसरे कामों में जेल भेजा गया। उनका मैं बाद में जिक्र करूंगा। इस तरह से मान्यवर, खाद में मिलावट न हो, किसान को अच्छी खाद मिले, इसके लिये हमने कई और कदम उठाये हैं।

मान्यवर, उर्वरक मिश्रण की 14 इकाइयां थीं इनमें से 5 के लाइसेंस समाप्त कर दिये और जो 48 लाइसेंस स्वीकृत थे उसमें 28 को समाप्त कर रखा है। उर्वरक मिश्रण के ग्रेड की संख्या में कंफ्यूजन होता था उनकी संख्या 17 से घटाकर 7 कर दी है। दूसरे प्रदेशों से हमारे यहां मिश्रित फर्टिलाइजर जो आता था उसके आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमारा पूरा प्रयास है कि किसानों को अच्छी खाद मिल सके।

कृषि रक्षा के सिलसिले में भी काफी प्रयास हुआ है लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे पूर्ण संतोष नहीं है इसमें और प्रयास करने की जरूरत है लेकिन फिर भी प्रयास है इसे बढ़ाया जाय। जहां 1980-81 में 3,837 टन टैक्निकल मैटीरियल का वितरण किया गया वहां उसे 85-86 में बढ़ा कर 5430 टन और 1986-87 में इसे और बढ़ाने पर जोर देंगे और बढ़ा कर 7 हजार टन का लक्ष्य है। इस तरह से कृषि रक्षा के बारे में बहुत कोशिश हो रही है। दवाओं में मिलावट की शिकायतें आती हैं हमने इसमें भी प्रयास किया है 1984-85 में 872 नमूने लिये गये इस वर्ष जनवरी तक 837 नमूने लिये गये इसमें पिछले वर्ष 817 नमूनों का विश्लेषण किया गया। आप देखेंगे कि किस तरह से मिलावट में कमी आई है पिछले वर्ष 307 अधोमानक पाये गये और इस वर्ष 137 अधोमानक पाये गये। न्यायालय में जो मुकदमे भेजे गये वह पिछले साल 84-85 में 40 मुकदमें और इस साल 56 मुकदमे न्यायालय में भेजे जा चुके हैं। यह जनवरी तक की फीगर्स हैं। तो हमारी कोशिश है कि अच्छे कीटनाशक किसानों को मिलें। (व्यवधान होने पर) धैर्य से सुनिये सब बताता हूं।

कृषि यंत्रों के बारे में हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा कृषि यंत्र कृषकों को मिलें इसके लिए हमने कृषि विद्यालयों से कहा है वे आज की जरूरत के हिसाब से और आगे आने वाले समय की

जरूरतों के हिसाब से इन यंत्रों का निर्माण करें। 1980-81 में 4 लाख 35 हजार कृषि यंत्र किसानों को पहुंचाये गये, 1985-86 में 4 लाख 65 हजार और 86-87 के लिए हमारा लक्ष्य 6 लाख 96 हजार कृषि यंत्र किसानों तक पहुंचाने है तो हमारी कोशिश है कि इन यंत्रों को किस तरीके से उपयोग किया जाय उसके लिये प्रदर्शन का भी कार्यक्रम है। पहाड़ों में कृषि यंत्रों की बहुत कमी है, अधिकांश संख्या में किसान पढ़े लिखे कम होते हैं इसलिए उनको जानकारी देने के लिए प्रदर्शन के कार्यक्रम बनाये गये। 1984-85 में 29 हजार प्रदर्शन किये गये 1985-86 में 35 हजार और 1986-87 में 69 हजार प्रदर्शन करके लोगों को बताया जायेगा कि किस प्रकार कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाय।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यह शुभ सूचना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 14 जनपदों में कृषि सेवा केन्द्रों को खोलने और कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी का कार्य शुरू हो गया है ये जिले हैं आजमगढ़, देवरिया, इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, बस्ती, गोरखपुर, बाराबंकी, रायबरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। तो इस तरीके से प्रयास है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां लोग समझते थे कि कृषि उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता है वहां पर प्रयास हो रहा है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाये और इसमें हमको बहुत अच्छी सफलता मिली है।

मान्यवर, विश्व बैंक की योजना के तहत नलकूप 45 जिलों में तीन हजार लगवाने का कार्यक्रम है और इसमें 1983-84 में 500 बने थे और इस वर्ष 1986-87 में 720 नलकूप विश्व बैंक योजना के तहत बनाये जायेंगे जिससे जिन इलाकों में सघन कृषि करा रहे हैं वहां किसानों को पानी भी मिल सके, इसकी हमारी कोशिश है।

मान्यवर, कृषि संबंधी ऋणों में भी काफी सुधार हुआ है। वर्ष 1983-84 में प्रति हेक्टेयर हमारे यहां क्रेडिट 158 रुपये था और इस वर्ष 1985-86 में 277 रुपये प्रति हेक्टेयर हो गया है। इसको और बढ़ाना है चूंकि जब तक किसानों को ऋण नहीं मिलेगा तब तक वह अपनी उपज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।

मान्यवर, पिछले वर्ष बहुत बाढ़ आयी थी जिससे 55 जिले प्रभावित हुये थे, उसमें पहले सूखा था, तो हमने बीज पर 18-11-85 से 50 प्रतिशत का अनुदान दिया और अच्छे बीज किसानों को उपलब्ध कराया। मान्यवर, हमने माननीय सदस्यों को पत्र लिखा था कि उनके यहां यदि कहीं बीज और उर्वरक की कमी आये तो हमें सूचित करें। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष बीज और खाद समय से पहुंचा और किसी भी जिले में इनकी कमी नहीं रही। मान्यवर, 29-11-85 को पी0 और के0 पर लघु सीमांत कृषकों को 25 और 33-1/3 प्रतिशत का अनुदान दिया गया। इस प्रकार तीनों खादों पर 16-12-85 से 55 जिले के सभी गांवों को अनुदान के लिये निश्चित किया गया था।

मान्यवर, कीट नाशक दवाओं पर 100 प्रतिशत की छूट दिया। इस पर पहले भी कुछ चर्चा हुई है और माननीय सदस्यों ने जो छूट है उसके संबंध में कुछ शंका व्यक्त किया था। हो सकता है उनको शंका हो, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के 11 हजार गांवों में खाद के वितरण में जो सब्सिडी दी गयी है।

उसका उपयोग सही किया गया है कि नहीं इसका सत्यापन करायेंगे।

मान्यवर, इस संबंध में शुरुआत कर दिया है और माननीय सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि अभी तक तो कार्यवाही होती थी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ लेकिन बीच में जो दलाल और फर्जी तस्दीक जो करते थे उनके खिलाफ कार्यवाही नही होती थी, तो अब हमने उनके भी खिलाफ कार्यवाही करने का फैसला लिया है और देवरिया से जहां से रिपोर्ट आ गयी है कार्यवाही किया है। मान्यवर, इस काम में गरीब किसान का हिस्सा मारने की यदि किसी ने कोशिश किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। हमने अभी तक जो शुरुवात की है, उसको बताया । कई सभापति भी हैं जिन्होंने फर्जी तस्दीक की थी और भी ऐसे बहुत से लोग हैं । तो किसी को भी बख्शा नहीं गया है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग यह समझते थे कि यहां पर उत्पादन नहीं बढ़ सकता है । अभी वर्ष 84-85 में 10 जिलों के 10 ब्लाकों में धान की सघन खेती के कार्यक्रम को हमने शरू कराया है और 85-86 में 24 जिलों के 102 ब्लाकों में धान की सघन खेती कराई , हमें सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह जो 8 लाख टन अधिक चावल का उत्पादन हुआ, वह 24 परसेंट पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ है । यह जो धान की सघन खेती है, इसमें हमने खेती को बहुत सुविधाएं दी हैं । जो किसान धान की सामुदायिक पौधशाला लगायेगा उसको 15 सौ रुपये प्रति हेक्टर कृषि निवेशों के रूप में, जिंक सल्फेट, कृषि रक्षा उपकरण एवं फसल सुरक्षा रसायनों पर 50 प्रतिशत का अनुदान तथा धान की बीज पर 100 रु0 क्वींटल अनुदान दिया जाता है। मान्यवर, प्रदर्शनों के अयोजन पर शत प्रतिशत कृषि निवेशों के रूप में अनुदान दिया जाता है। कृषकों महिलाओं और मजदूरों को जो प्रशिक्षित किया जा रहा है, इसमें 15 रुपया प्रति दिन के हिसाब से इनको भत्ता दिया जाता है । जल निकासी में हम शत प्रतिशत मदद करते हैं और नलकूपों के निर्माण में भी मदद की जाती है।

एक नई योजना भी है, जिसको सूचित करते हुए हमें हर्ष हो रहा है । वह है टी0 एण्ड बी0 स्कीम अर्थात् प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम यह योजना कई प्रदेशों में लागू हो चुकी थी, किन्तु हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं लागू थी । अब इसे यहां भी लागू करने का प्रयास किया गया है । 85-86 में 8 जिलों में यह लागू हुई, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर और बनारस में इस कार्यक्रम को लागू किया गया है । 86-87 में हम इस योजना को लागू करने जा रहे हैं उन्नाव, लखीमपुर-खीरी, प्रतापगढ़, बहराईच, बस्ती, गोरखपुर, गाजीपुर और बलिया में मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने विश्व बैंक के साथ बात की है कि यह 21 जिलों में ही पर्याप्त नहीं है, इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाए ।

(व्यवधान)

श्री राम सरन—

ताली बजाने वाले ताली नहीं बजा रहे हैं !

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

यह तो किसान का मामला है, आपको तो नाचना चाहिए, यह ताली बजाएंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

राम सरन जी तो आपके साथ संगत फर्मा सकते हैं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

87-88 में 5 जनपदों सीतापुर, गोंडा, हरदोई, बाराबंकी और मिर्जापुर में इस लागू करने का हमारा विचार है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, हमने पहले निवेदन किया था कि तिलहन की बहुत जरूरत है। इसके लिये मान्यवर, 31 जनपदों में हमने विशेष योजना केन्द्र की मदद से लागू की है । मूंगफली के लिये 10 जिलों का चुना गया है, हमारे गुप्ता जी सीतापुर के लिए चिंतित रहते थे तो यह 10 जिले हैं–बरेली, बदायूं, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, एटा, मैनपुरी और फर्रुखाबाद । इसी तरह से सोयाबीन के लिये 10 जिलों का चयन किया गया है । झांसी, जालौन, हमीरपुर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी । मान्यवर, इसी तरह से लाही और सरसों के लिये एटा, मैनपुरी, कानपुर, आगरा, खीरी, इटावा, मथुरा, अलीगढ़, गोंडा, बहराइच का चयन किया गया है । सूरजमुखी के लिये 3 जिलों, फर्रुखाबाद, लखनऊ, बाराबंकी का चयन किया गया है। इसी प्रकार से अलसी के लिये 3 जिले जालौन, हमीरपुर तथा मिर्जापुर को चुना गया है। इन जनपदों में हमारी कोशिश होगी कि तमाम सुविधायें देकर तिलहन का उत्पादन बढ़ायें । 18 लाख टन इस वर्ष हमने तिलहन के उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

अब फसल बीमा योजना के बारे में मैं बताना चाहूंगा, हमारे साथी लोग इसकी बहुत बातें करते हैं । मुझे खुशी है, इसमें पहले धान और गेहूं पर यह लागू की गयी थी लेकिन अब मूंगफली, उरद, चना, मसूर, मटर, सरसों, इन तमाम फसलों पर लागू की गयी है ।

श्री राम सरन–

मैं कह रहा हूं कि इसको गन्ने पर भी लागू करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि हमारी तरफ से केन्द्र सरकार से निवेदन किया गया था कि गन्ने और आलू को भी इसमें शामिल किया जाय । इस तरफ हमारा प्रयास हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही सदन को और उत्तर प्रदेश के किसानों को खुशखबरी सुनने को मिलेगी ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

यह आपकी जो स्कीम है, उन पर लागू होती है जो कर्ज लेते हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान कर्ज लें और उसे खेती के काम में लगायें । यह क्रॉप लोन है । तो मान्यवर, हम जो अनाज पैदा करते हैं हार्वेस्टिंग के बाद 10 से 15 प्रतिशत तक हमारा अन्न बेकार हो जाता है । हमने यूनीवर्सिटीज को कहा है कि इस तरफ खोज होनी चाहिये। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नालोजी को डेवलप किया जायगा ताकि जो अन्न बरबाद हो जाता है उसको हम बचा सकें । इस तरफ प्रयास हो रहा है। मान्यवर, इधर हमने कृषकों के प्रशिक्षण के लिये जिस पर हमारे वर्मा जी को आपत्ति हो रही थी और राम सरन दास जी को भी आपत्ति हो रही थी

तो हमने कृषकों को प्रशिक्षित करने के लिये कार्यक्रम बनाया है। अभी तक 408 विचार गोष्ठियों का आयोजन हो चुका है और 30 प्रदर्शनियां लगायी जा चुकी हैं। हमारे यहां किसान लिखे पढ़े कम हैं और देखकर और सुनकर ज्यादा समझ सकते हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको ऐसी फिल्म बनाकर दिखायें जिससे कृषि उत्पादन के बारे में उनको शिक्षा मिल सके। इस तरफ प्रयास हो रहा है।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, कर्मचारियों के कल्याण के लिये हमने कुछ काम किया है। बहुत दिनों से प्रमोशन नहीं हुये थे और नियुक्तियां भी नहीं हुयीं थीं। तो 752 नई नियुक्तियां की गई हैं। अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 में 52 लोगों का प्रमोशन किया गया है। इसी तरह से अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 में 53 लोगों का प्रमोशन किया गया है। उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-2 में 2 लोगों का प्रमोशन किया गया है। संयुक्त निदेशक के पद पर 19 लोगों का प्रमोशन किया गया है। मान्यवर, हम भ्रष्टाचार को भी पूरी तरीके से रोकना चाहते हैं। प्रशासन को चुस्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिये कृषि विभाग में 41 लोगों की सेवाएं समाप्त की गई हैं और मान्यवर, 73 लोगों को निलम्बित किया गया और जिन 73 लोगों को निलंबित किया गया, उसमें से दो गजेटेड आफिसर हैं और 71 नान गजेटेड हैं। और जिन्हों प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी, उनमें से 4 राजपत्रित कर्मचारी हैं और 6 अराजपत्रित और जिन्हें विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी उनमें से 3 राजपत्रित हैं और एक (अराजपत्रित) और मान्यवर, इसी प्रकार से 42 लोगों को चेतावनी दी गयी, उनमें एक गजेटेड आफिसर है और 41 नान-गजेटेड आफिसर हैं और मान्यवर इसके साथ ही एक खुशखबरी और सुनाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिला स्तर पर कृषि सलाहकार समितियां नहीं थीं, जिसकी वजह से कृषि के संबंध में बहुत से विचार नहीं हो पाते थे। हमने अब यह निश्चित किया है कि जिला स्तर पर कृषि सलाहकार समितियां होंगी। जिसमें (मेजों की थपथपाहट) सभी माननीय सांसद और सभी मा0 विधायक होंगे। साथ ही सहकारिता विभाग, सिंचाई विभाग अर्थात् जो भी कृषि से संबंधित विभाग हैं, उनके अधिकारी भी होंगे। इसके साथ-साथ 7 कृषक प्रतिनिधि भी होंगे, जिसमें से 5 खेती करने वाले और 2 तकनीकी जानकारी वाले।

साथ ही मान्यवर, एक सूचना सब्सिडी के बारे में, ऋण के बारे में भी देना चाहता हूं कि ऋण के बारे में किसानों को पहले बड़ी कठिनाईयां होती थीं। किसान जो लघु सीमान्त कृषक हैं, उनके पास अपनी एक पास बुक होगी, जिसके जरिए से वह अपना धन निकाल सकेंगे, अब उन्हें इसके लिए लेखपाल के पास जाकर लिखाना नहीं पड़ेगा। यह योजना हम मान्यवर, वर्ष 1986-87 से शुरू करने जा रहे हैं। और मान्यवर, गुणात्मक बीज की कीमत को यानी अच्छे बीजों की कीमत को कम करने के सुझाव तमाम माननीय सदस्यों के आए थे। इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं और इसके लिए एक समिति बनाई है जो खासतौर पर बीज की कीमत कैसे कम की जाए, इस पर यह समिति विचार करेगी। साथ ही मान्यवर, भूमि जल-संरक्षण के बारे में भी बताना चाहूंगा कि बाढ़ के कारण जो बहुत सी हमारी जमीन खराब हो गयी, इसके संरक्षण के लिए केन्द्र से हमें 5 करोड़ रु0 मिले हैं और हम इसके लिए प्रयत्नशील हैं कि हमारी

जो तमाम भूमि समस्या ग्रस्त है जैसे ऊसर है, बीहड़ है और जो दस्यु प्रभावी 9 जिले हैं, उनमें भी हमारी योजना है कि वहां की भूमि को ठीक करें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

उसमें कौन-कौन से जिले हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

उसमें आपका भी जिला है, जहां दस्यु की बात हो, वहां आपका जिला न हो, मैं एक-एक करके बताए देता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मैं तो उत्तर प्रदेश का हूं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

उन 9 जिलों में बांदा, इटावा, आगरा, झांसी, जालौन, कानपुर (देहात), मैनपुरी, हमीरपुर तथा फर्रुखाबाद है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

आप भी आ गये, कानपुर?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां, हम और आप तो दोनों पड़ोसी हैं। (हंसी)

तो इस प्रकार बीहड़ जमीन को सुधारने के कार्यक्रम हैं, इसके अलावा हमारी यह योजनाएं 24 करोड़ 74 लाख रु0 की केन्द्र में उपस्थित हैं और हमें उम्मीद है कि वे सब बहुत जल्दी ही स्वीकार हो जायेंगी और जो ऊसर की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको पूर्णरूप से सुधारने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। इस तरह से यह कार्य 36 जिलों में शुरू होगा और हमें उम्मीद है कि केन्द्र से हमें इस ओर अवश्य मदद मिलेगी ताकि ऊसर की समस्या को दूर करने के कार्य को हम तेजी से चला सकें। दूसरी बात शुष्क कृषि भूमि के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार की भी बहुत सी जमीन हमारे पास पड़ी हुयी है जिसमें खेती नहीं होती है और भूमि संरक्षण के संबंध में सुधार के लिए जो बातें मैंने अभी कहीं, उसको मैं संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूं।

मान्यवर, इसमें हमारी 9 योजनाएं हैं। इसमें मैदानी भाग की योजना जो है उसमें जनजाति के कृषकों को 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। बीहड़ सुधार की जो हमारी योजना है, उसमें 50 प्रतिशत का अनुदान सभी कृषकों को दिया जाता है। हमारी जो गोमती नदी की योजना है, उसमें लघु कृषकों के लिए 25 प्रतिशत तथा सीमान्त कृषकों के लिए 33-1/3 प्रतिशत की छूट है। सोन नदी की योजना में सामान्य कृषकों को 50 प्रतिशत का अनुदान रखा गया है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के कृषकों को 75 प्रतिशत का अनुदान रखा गया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी 50 मिनट बोल चुके हैं, अभी उनको कितना और बोलने का समय दिया जायगा?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आप बोलें, समय तो बाद में निर्धारित होगा।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

माताटीला नदी घाटी की योजना—इसके अंतर्गत 50 प्रतिशत का अनुदान सभी कृषकों के लिए है। शुष्क कृषि क्षेत्रों में जल संरक्षण हार्वेस्टिंग की योजना—इसमें 75 प्रतिशत अनुदान सभी कृषकों को है। भू-आवंटियों की ऊसर भूमि सुधार की योजना—इसमें 50 प्रतिशत भूमि विकास कार्यों पर अनुदान रखा गया है। ऊसर भूमि सुधार की योजना—मृदा सुधारकों के क्रय पर 75 प्रतिशत अनुदान, 3 हेक्टेयर से कम जोत वाले कृषकों को तथा अन्य को 50 प्रतिशत अनुदान रखा गया है। पर्वतीय क्षेत्र की योजना—इसमें 50

प्रतिशत का अनुदान सभी कृषकों को 125.00/प्रति हेक्टेयर की सीमा तक रखा गया है। गांव समाज स्तर पर एक 5 सदस्यों की कमेटी के गठन पर विचार किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता गांव समाज के सभापति द्वारा की जाए, और भूमि संरक्षण का जो कार्य गांवों में में किया जा रहा है, उसकी पुष्टि करेंगे, जिससे भूमि संरक्षण के कार्यक्रम और अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किए जा सकें।

इसके बाद मैं उद्यान एवं फल उपयोग विभाग पर आता हूं। फल विकास में हमारा प्रदेश सम्पूर्ण देश में अग्रणी है। फल पट्टी एवं आम विकास बोर्ड–प्रदेश में आम उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के सघनोत्तर विकास हेतु गठन किया जा चुका है। लखनऊ के प्रमुख आम उत्पादन क्षेत्र–काकोरी, मलिहाबाद एवं माल के फलदार वृक्षों का सम्वर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 को प्रख्यापित कर फल-पट्टी घोषित किया गया है। प्रदेश के अन्य औद्योगिक संहत क्षेत्रों तथा इलाहाबाद, कुण्डा (प्रतापगढ़), वाराणसी, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मेरठ तथा बुलन्दशहर को फल-पट्टी घोषित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके लिए यह तय किया गया है कि हर ब्लाक स्तर पर एक पौधशाला बनाई जायगी, ताकि किसानों को उनके प्रयोग के लिए पौध मिल सकें। इटली के सहयोग से जैतून एवं अन्य फलों का विकास पर्वतीय क्षेत्र में जैतून एवं अन्य गिरीदार फलों के विकास के लिए इटली सरकार के सहयोग से कुल लागत 2.41 करोड़ की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जैतून के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब मान्यवर, हमने नया कार्यक्रम फलों और सब्जियों का बनाया है, ताकि लोग स्वस्थ्य रह सकें। इसके लिए हमने यह किया कि पिछले वर्ष 49 हजार 2 सौ अट्ठारह गांवों में बीज पैकेट वर्ष 1985–86 में वितरित किया और 19 लाख 68 हजार 720 लघु एवं सीमान्त कृषकों को बीज पैकेट वितरित किया। इस वक्त हम 62 हजार 537 गांवों में फिर से बीज पैकेट देने जा रहे हैं, जिसमें 24 लाख, 97 हजार 113 लघु एवं सीमान्त कृषकों को बीज पैकेट दिया गया। मान्यवर, उनको मुफ्त बीज उपलब्ध कराया गया, ताकि वह सब्जी उगा सकें। जो बड़े-बड़े शहर हैं, इनके आस-पास के इलाके हम सब्जी का क्षेत्र घोषित कर सब्जी की सघन खेती कराकर किसानों की आमदनी तीन गुना बढ़ाना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि कन्ज्यूमर को अच्छी सब्जी मिल सके, हम इसका प्रयास कर रहे हैं।

अब मान्यवर, आलू की एक विकट समस्या है। इसके सिलसिले में हमने किसानों को कुछ सुविधायें दी हैं। अभी तक उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू के लिए, ट्रिब्यूनल के लिए लखनऊ आना पड़ता था, अब उन्हें लखनऊ नहीं आना पड़ेगा और ट्रिब्यूनल जिले-जिले में खुलवाया जायेगा। इस साल हमने आलू की समस्याओं को हल करने के लिए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया था। उनसे जो सुझाव आये और जो संस्तुतियां प्राप्त हुईं उनके ऊपर हम कार्यान्वयन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि आलू के उपयोग को किस तरह से बढ़ाया जाय। इसके लिये हमने हापुड़ में छोटी-छोटी यूनिट स्थापित

की है। इसके अतिरिक्त हमने पोटेबल अल्कोहल बनाने के लिए लाइसेन्स के लिए अप्लाई किया है, जैसे ही लाइसेन्स मिल जायेगा हम इसका कार्य प्रारम्भ कर देंगे। अभी प्राइवेट एजेंसियां काम कर रही हैं। हमारी कोशिश है कि आलू के किसानों की अच्छी मदद हो। इस साल आलू के किसानों को कुछ कठिनाई हुई झुलसा रोग के कारण, उसे उपचारित करने का प्रयास किया गया।

हमने हार्टिकल्चर में कुछ प्रोन्नतियां कीं क्योंकि बहुत दिनों से वहां पर प्रमोशन नहीं हुए थे। उनके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता। अगर आप कहें तो मैं पूरा विवरण बता दूं। वहां पर जो कर्मचारी दोषी पाये गये, जो कर्मचारी ठीक काम नहीं कर रहे थे, जिनके खिलाफ आरोप थे उनको दण्डित किया गया उसमें श्रेणी वर्ग के भी कर्मचारी हैं जिनको निलम्बित किया गया उसमें से राजपत्रित एक, श्रेणी दो के दो कर्मचारी, अराजपत्रित कर्मचारी तीन और दो-तीन वर्ष के 6 कर्मचारी निलम्बित किये गये। चरित्र-पंजिका में जिनकी प्रविष्टि की गयी वे राजपत्रित श्रेणी के एक, श्रेणी दो के दो कर्मचारी हैं। इस तरह से हमारा यह प्रयास हो रहा है कि प्रशासन को चुस्त किया जाय।

मान्यवर, एक चीज है जिसके बारे में सभी तरफ से मांग आती है कि हमारे इलाके में मण्डी परिषद् की स्थापना की जाय। इसमें मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करते हुए बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूं कि हमें पहली बार कृषि विपणन के क्षेत्र में एक शील्ड राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्राप्त हुई। यह हमारे प्रदेश के लिए बड़े हर्ष और गौरव की बात है। मण्डी समितियों के जो मार्केट बन रहे हैं उससे किसानों को सुविधा भी देनी है। इसकी भण्डारण क्षमता को बढ़ाना है। इसके लिए हमने एक नई योजना बनायी है। किसान अपनी उपज को लेकर बाजार में जाता है उसके लिए हमने व्यवस्था की है कि किसान अपनी उपज को मण्डी समिति के गोदाम में रख सके। इसके लिए 75 सैकड़ा रु0 उसको एडवान्स में मिल सकेगा। मान्यवर, इस साल यह योजना चलाई गई थी प्रदेश की 30 मण्डियों में और इस साल 86-87 में प्रदेश की 200 मण्डियों में इसको लागू किया जायेगा ताकि किसानों का शोषण रोका जा सके। किसानों की इससे मदद हो रही है। तमाम जो हमारे स्टोरेज बनाये गये हैं, इनकी क्षमता भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 84-85 में यह क्षमता थी 11 हजार मैट्रिक टन की, 85-86 में यह 60 हजार मैट्रिक टन हुई और 86-87 में यह 1 लाख 31 हजार 900 मैट्रिक टन हो जायेगी। ताकि किसानों को कहीं से निराश होकर न वापस होना पड़े।

एक शिकायत होती थी कि व्यापार का स्थानान्तरण नहीं हो रहा है। इस तरफ प्रयास हुआ है। जून, 85 तक 90 मण्डियों में व्यापार स्थानान्तरण हुआ, फरवरी, 86 तक 107 मण्डियों में व्यापार स्थानान्तरित हो चुका है। इससे मण्डियों में आवक दिन प्रति दिन बढ़ रही है। इससे जाहिर होता है कि किसानों को इससे लाभ मिल रहा है। किसानों को जानकारी कराने के लिये हमने 317 विचार गोष्ठियों का

आयोजन मण्डी समितियों की तरफ से कराया । एक बात कहते मुझे खुशी हो रही है कि हमने प्रदेश के 1550 कृषि व्यापारियों को भारत भ्रमण पर भेजा है। यह पहली बार किया गया है। मण्डी परिषद् के बारे में शिकायत होती थी कि कुछ भ्रष्टाचार है। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कितना सख्ती से कदम उठाया गया है। अभी तक 30 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गईं, 73 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया, 33 व्यापारियों के लाइसेन्स निलंबित किए गए, 28 मामले पुलिस को सौंपे गये, 7 व्यक्तियों को जेल भेजा गया। 86-87 में मण्डी समिति की तरफ से हम एक नया कार्यक्रम किसानों के लिये करना चाहते हैं। इसमें 25 नई मण्डी स्थलों का निर्माण कराया जायेगा, 16 उपमण्डी स्थल होंगे। कृषि जिन्सों के वर्गीकरण के लिए 20 नई वर्गीकरण इकाइयों की स्थापना का प्रस्ताव है। जिन मण्डी स्थलों पर ग्रामीण गोदामों का निर्माण हो चुका है, वहां पर 200 मण्डी समितियों में 75 प्रतिशत एडवान्स की जो बात मैंने की, वहां नया काम करने जा रहे हैं। मण्डी समितियों में अब खाद, बीज और कृषि यंत्रों की आपूर्ति की दुकानें खोली जायेंगी और नो लास नो प्राफिट पर काम करेंगी और लोगों की सेवा करेंगी। मण्डी स्थलों पर किसानों के विश्राम गृहों की स्थापना की जा रही है।

एक खुशखबरी देना चाहता हूं पिछले साल मैंने कहा था कि लखनऊ में एक किसान भवन बनाया जायेगा। लखनऊ में उसके लिये जमीन की व्यवस्था हो रही है और बहुत जल्दी किसान भवन का निर्माण शुरू किया जायेगा। हार्टिकों ने काफी अच्छा काम किया है। इसको हम और स्ट्रेन्थन करना चाहते हैं। 84-85 में 21 लाख रुपये का उत्पादन हुआ और बिक्री 17 लाख 60 हजार रुपये की, 85-86 में उत्पादन 88 लाख का हुआ और बिक्री 75 लाख की हुई। हार्टिकों की बिक्री बढ़ी है। अब मान्यवर, हार्टिकों की तरफ से चूंकि हम मैदानी इलाकों में भी औद्यानिकी का विकास करना चाहते हैं, फलों का विकास करना चाहते हैं, इसलिये हार्टिकों को हर जिले में कुछ न कुछ काम करने के लिये सर्वे करा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में रामगढ़ की फैक्ट्री की क्षमता को बढ़ाकर 4 हजार टन किया जा रहा है और तमाम तरह के काम हुए हैं हार्टिकों की तरफ से।

इसके बाद एग्रो के बारे में बताना चाहता हूं। एग्रो का काम हमारा सन्तोषजनक नहीं है, लेकिन एग्रो भी कुछ अच्छे काम करने की ओर बढ़ रहा है, वह इसलिये कि अभी तक उसमें घाटा रहता था, अब घाटा नहीं है । वर्कशाप को चलाने के लिये हम प्रयत्नशील हैं। इस तरह से मान्यवर, कुछ काम जो कृषि विभाग ने किये और एक वर्ष में जो करने की कोशिश की और आगे की जो हमारी योजना है, इनके बारे में संक्षेप में निवेदन किया । इसमें कई घंटे कहा जा सकता है। हमारी कोशिश है कि कृषि के काम को और तेज किया जाय और किसानों की हालत में सुधार किया जाय। मैं चाहूंगा कि सम्मानित सदस्य ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे हमारा ज्ञानवर्धन होगा और यदि विभाग में कुछ कमियां हैं, तो उनको हम दूर कर सकेंगे।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मा0 उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, मा0 मंत्री जी ने लगभग एक घंटे इस सदन में भाषण दिया। मैं तो समझता रहा कि कुछ अच्छी नीतियों पर सदन में विचार व्यक्त करेंगे, परन्तु श्रीमन्, यह जो पुस्तिका हम लोगों को मिल चुकी है, करीब-करीब इसी के आंकड़े मा0 मंत्री जी अपने बजट भाषण में दोहराते रहे। मान्यवर, पहले तो मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट और इनके विभाग की जो नीतियां हैं, उनमें जो कमियां हैं उन पर विचार व्यक्त करूंगा और उसके बाद समापन के समय मैं सुझाव रखूंगा। इसलिये कि अधिक से अधिक मा0 सदस्यों को बोलने का समय मिल सके। श्रीमन्, मा0 मंत्री जी ने औद्यानिक विकास के लिये 16 करोड़ 33 लाख 80 हजार रुपये की मांग रखी है। मा0 मंत्री जी की विवरण पुस्तिका जो बांटी गई है, जिसमें उद्देश्यवार विवरण और कार्यवार विवरण दिया गया है, श्रीमन्, इसमें सम्पूर्ण विवरण जो दिया गया था, वह है 20 करोड़ 24 लाख 32 हजार। इसमें तो 16 करोड़, 33 लाख 80 हजार की मांग रखी गयी है। इसका अर्थ यह है कि जितना दिखला रखा है उद्देश्यवार खर्च करने में ये अक्षम हैं, यह स्वयं पहले ही मान चुके हैं। श्रीमन्, इसी प्रकार जरा कृषि में देख लें। कृषि विभाग के सम्बन्ध में जो विवरण प्रस्तुत किया गया वह था 1 अरब, 53 करोड़, 19 लाख 23 हजार और जो माननीय मंत्री जी ने अनुदान प्रस्तुत की है वह है 1 अरब, 47 करोड़, 83 लाख, 90 हजार। माननीय मंत्री जी ने अपनी पुस्तिका में दिखाया था कि किन-किन मदों पर कितना-कितना व्यय करेंगे। इसमें यह जो कटौती की गयी है, इसमें कितनी मद में आपने कितनी कटौती की है, अनुपयोगी मद में कटौती की है या किसी उपयोगी मद में कटौती की है, उसका विवरण आप नहीं देते हैं, तो आपके विभाग के बारे में क्या कहा जाय ? यह नहीं पता चल रहा है कि कहां अधिक खर्च कर रहे हैं कहां कम कर रहे हैं।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपनी मांगें प्रस्तुत करते समय अपना भाषण इस अन्दाज में दिया कि कृषि की निरन्तर बढ़ोत्तरी वह इस प्रदेश में करने जा रहे हैं। मान्यवर, आप जरा देखें। पिछले साल के कृषि विभाग के बजट से इस साल के कृषि बजट में ढाई परसेंट की कमी की गयी है और जो इन्फ्लेशन हुआ है, रुपये की क्रय शक्ति साढ़े पांच परसेंट घटी है, उसको यदि इसमें सम्मिलित कर दिया जाय तो यह कटौती 10 प्रतिशत है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, महंगाई बढ़ रही है, बजट आप कम कर रहे हैं और कार्य आप हर वर्ष अधिक करने की घोषणा कर रहे हैं। श्रीमन्, इसी प्रकार औद्यानिक विकास में देखें। 33.6 परसेंट की कटौती की गयी, यदि इसमें इन्फ्लेशन को लें और यदि इन्फ्लेशन को हटा दें तब भी यह कटौती 28 परसेंट के करीब आती है। मान्यवर, यह कहा गया कि औद्यानिक विकास मैदानों में था ही नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि 28 प्रतिशत कटौती करके क्या औद्यानिक विकास को पहाड़ों से उतारकर मैदान पर लाने का प्रयास कर रहे हैं ? मान्यवर, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि प्रदेश के मैदानी भाग में औद्यानिक विकास था ही नहीं। मान्यवर, यह बात जरूर है कि माननीय मंत्री जी की सरकार ने पहाड़ के औद्यानिक विकास और मैदान के औद्यानिक विकास को एक में मिलाकर के दोनों की कार्यक्षमता को घटाने का प्रयास किया है न कि बढ़ाने का। मान्यवर, जहां पर 2 निदेशक कार्यरत थे, पहाड़ के निदेशक रानीखेत में और मैदान के निदेशक लखनऊ में। मान्यवर, जैसा कि आपको भी विदित है कि सन् 1977 से 1980 के बीच में यह नया पद सृजित हुआ था। अभी हाल ही में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि दोनों को सम्मिलित कर लिया जा रहा है। मान्यवर, जैसा कि सभी लोग भलीभांति जानते हैं कि पहाड़ की आर्थिक स्थिति वहां के औद्यानिक विकास पर ही निर्भर करती है। आप वहां के पद को समाप्त करके मैदान के पद में सम्मिलित कर रहे हैं, क्या इससे मैदान के औद्यानिक विकास में प्रगति होगी और पहाड़ का औद्यानिक विकास जैसे का तैसा बना रहेगा?

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ विचार जो माननीय मंत्री जी द्वारा व्यक्त किये गये हैं, यदि उनका सचमुच कार्यान्वयन हो जाय तो निश्चित रूप से वह सराहनीय है। जैसे मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपनी बात में कहा कि कुछ फल पट्टी की घोषणा आप कर चुके हैं और कुछ और की भी करने जा रहे हैं। इसी प्रकार हर मण्डी परिषद् में एक भण्डारण स्थापित करने की आपने बात कही। जिसमें किसान अपना सामान वहां जाकर रख सकेगा और उसका 75 प्रतिशत मूल्य प्राप्त कर सकेगा। मान्यवर, इसकी आवश्यकता आज से नहीं बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी। मान्यवर, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि जब माननीय मंत्री जी हमारे दल के सदस्य थे, तब उन्हें राज्य सभा का सदस्य नियुक्त कराने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था। मान्यवर, वही संस्कार आज भी कुछ माननीय मंत्री जी में विद्यमान हैं। उन्होंने किसानों की बात सुनी। मान्यवर, माननीय चौधरी चरण सिंह जी शुरू से इस बात के लिये लड़ते रहे कि किसानों को उनके गल्ले का समुचित मूल्य मिलना चाहिए।

(3 बजकर 20 मिनट)

अगर बाजार मूल्य घट रहा है तो उनके लिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वह अपना गल्ला रख कर जब बाजार भाव अधिक हो तो उसे बेच सके। चौधरी चरण सिंह जी की आकांक्षाओं का आपने पालन किया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

माननीय मंत्री जी ने आलू के बारे में बताया कि वह कुछ छोटी-छोटी यूनिटें फर्रुखाबाद में लगवा रहे हैं। वह लगे कि नहीं इसके बारे में जब मैनपुरी, इटावा व फर्रुखाबाद के माननीय सदस्य बोलेंगे तो कहेंगे। अगर माननीय मंत्री जी आपकी यह योजना है तो निश्चित ही किसानों को इससे लाभ होगा। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि जिला स्तर पर ट्रिब्यूनल भी बनाये गये हैं। माननीय मंत्री जी ने इसी आदरणीय सदन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि सफेद आलू का मूल्य 50 रु0 क्विंटल और लाल आलू का मूल्य 40 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। 1984-85 में औद्यानिक विभाग से एक बुकलेट हम लोगों को उपलब्ध करायी गयी थी जिसमें आलू का उत्पादन मूल्य 50 रु0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। आज 1986 होने जा रहा क्या उत्पादन मूल्य उतना ही रहेगा ? क्या आप इससे सहमत हैं ? क्या किसी मालिक के कोल्ड स्टोरेज में किसी किसान का आलू सड़ जाता है तो उसे क्या 50 रु0 प्रति क्विंटल के हिसाब से उत्पादन मूल्य देगा ? प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज वालों से तो वह मुकदमा लड़कर पैसा वसूल कर सकता है लेकिन आप का जो कोपरेटिव विभाग है और उसके जो कोल्ड स्टोरेज हैं उनमें सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। बस्ती जनपद के डुमरियागंज में कोपरेटिव विभाग का कोल्ड स्टोरेज है गत वर्ष किसानों का सारा का सारा आलू सड़ गया बड़ी मुश्किल से जाकर अब उनको 40 प्रतिशत मूल्य का भुगतान किया गया है अब आप ही अन्दाजा लगायें कि किसानों की आर्थिक स्थिति क्या होगी ? बस्ती शहर में भी कोआपरेटिव का कोल्ड स्टोरेज है यहां भी 3 साल पहले किसानों का सारा आलू सड़ गया था लेकिन आज तक भी किसानों को उसका मूल्य नहीं मिल पाया है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ नियम आप उनके लिये भी बनायें अन्यथा आपकी योजनाओं से कोई लाभ नहीं होगा। यू0 पी0 एफ0 सी0 ने भी कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए 30 लाख रुपये से अधिक का ऋण देने के लिये मना कर दिया है जब कि वर्तमान में आलू का कोल्ड स्टोरेज 60 लाख रुपये से कम का नहीं लग रहा है यदि आप 75 और 25 का रेशियो भी लगायें तो वह कोल्ड स्टोरेज लगाने की स्थिति में नहीं है जो इन्टर-प्रिन्योर लगा रहे थे जिससे किसानों के आलू के भण्डारण क्षमता बढ़ रही थी उस पर भी सरकारी विभाग द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस पर विशेष ध्यान दें।

माननीय मंत्री जी ने टी0 एण्ड बी0 योजना की बात कही। इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि 1978-79 में माननीय राजेन्द्र सिंह जी जब कृषि मंत्री थे तो उस समय ही विश्व बैंक ने यह प्रतिबन्ध लगा दिया था कि जब तक कृषि विभाग ग्रामीण स्तर तक नहीं पहुंचेगा तब तक विश्व बैंक उत्तर प्रदेश के किसी विभाग को कोई सहायता नहीं देगा। आप स्कीम का नाम चाहे टी0 एण्ड बी0 रखें चाहे डेन्योर सिस्टम रखें यह आपकी मरजी है। मैं माननीय मंत्री जी को एक बात बता दूं कि भारत के अन्य प्रदेशों में डेन्योर सिस्टम पहले से ही लागू है उत्तर प्रदेश में आज तक इसे न लगाने

में सरकार को पता नहीं क्या शर्म महसूस हुई ? इतने दिनों बाद टी0 एण्ड बी0 स्कीम को लागू किया गया है। यदि माननीय मंत्री जी इस स्कीम के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देंगे तो जिस प्रकार पहले जो ग्राम सेवक होते थे और अब जिन्हें ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं उसी तरह एक संगठित वर्ग के लिए एक मात्र एक सन्तुष्टिकरण योजना बन जायेगी । किसानों की योजना यह नहीं बन पायेगी न किसानों का लाभ होगा, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद कर रहा था कि अपने पूरे भाषण में कहीं भी मा0 मंत्री जी कृषि से उत्पादित वस्तुओं के मूल्य की बात कहें, लेकिन खेद है कि इसकी चर्चा नहीं की। कृषि के उत्पादों का जब तक समुचित मूल्य नहीं दिलवायेंगे तब तक कितनी भी आमदनी बढ़ा लें या ऋण बढ़ा लें या प्रोडक्शन बढ़ा लें, उससे कभी भी किसानों का हित नहीं होगा है। आज स्थिति यह है कि 47 प्रतिशत "पैरिटी प्राइज" में डिफरेन्स आ रहा है । किसान जब अपना गल्ला बेचता है और उस पैसे से बाजार में जाकर सामान खरीदता है, तो अपने घर से पूंजी बाजार वालों को देता है, उसे कुछ मिलता नहीं है।

यह सही है कि समस्त प्रदेश की आय की 52 प्रतिशत आय कृषि से है। इस समय स्थिति यह है कि जो मूल्य मिल रहा है किसानों को, उससे किसान के घर से ही पैसा बाजारों में वापस जा रहा है, इससे किसान को कुछ मिल नहीं रहा है । एक चीज प्रस्तुत करना चाहूंगा । एक चार्ट है कि कास्ट आफ प्रोडक्शन गेहूं की परचेज प्राइस तथा उसका रेशियो क्या है, इसमें कितना फर्क हुआ है । वर्ष 1967-68 में पंजाब में गेंहूं की कास्ट आफ प्रोडक्शन थी 50-02 रु0 प्रति क्वि0, जब कि प्रोक्यूरमेन्ट प्राइस थे 76.00 रु0 प्रति क्वि0 । वर्ष 1980-81 में कास्ट आफ प्रोडक्शन था 124.70 रु0 प्रति क्वि0 जब कि प्रोक्यूरमेन्ट प्राइस थी 130.00 रु0 प्रति क्वि0 । इस तरह से प्रोक्यूरमेंट प्राइस, कास्ट आफ प्रोडक्शन से जिस प्रतिशत में बढ़ी, वह है 1967-68 में 51.09 प्रतिशत और वर्ष 1980-81 में 4.25 प्रतिशत । आप देखें दोनों में कितना फर्क आ गया है । यह पंजाब की कास्ट आफ प्रोडक्शन तथा यहां की कास्ट आफ प्रोडक्शन तथा यहां की कास्ट आफ प्रोडक्शन में काफी फर्क है। वहां पर प्रति क्वि0 पैदावार अधिक है । इस समय होलसेल प्राइस इण्डेक्स से मिलाया जाय तो 15 जून, 1985 को समस्त वस्तुओं का सूचकांक 356.2 था और कृषि से सम्बन्धित वस्तुओं का सूचकांक 314.1 था, प्रोक्यूरमेन्ट प्राइस है 206.6 वर्ष 73-74 को बेस इयर मान कर लगाया गया है। जहां पर समस्त वस्तुओं का सूचकांक 356.2 हो गया, कृषि से सम्बन्धित 314.2 हो गया, वहीं प्रोक्यूरमेन्ट प्राइस जो है वह 206.6 हो गयी । कितना फर्क आपने कर दिया है । वर्ष 73-74 में 139 था, 132 कृषि से सम्बन्धित सूचकांक था, लेकिन अब वह नीचे आ गया है 356.2, 206.2 तथा 314.1 हो गया है । आप प्रदेश का प्रोक्यूरमेन्ट बढ़ा रहे हैं लेकिन इसका जो रेशियो है उस हिसाब से यह नहीं बढ़ा रहे हैं ।

श्रीमन्, इस सदन में पिछले चार साल पहिले अगर हम किसी फसल की कास्ट

आफ प्रोडक्शन पूछते थे तो हमें उसका उत्तर मिलता था यूनिवर्सिटीज से। लेकिन आज क्या हो रहा है ? इसी सत्र में इस संबंध में एक माननीय सदस्य का प्रश्न था तो माननीय मंत्री जी उसका उत्तर देने में मुकर रहे थे कि इस वर्ष की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है ? आज आप बड़ा ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम किसानों को अच्छा मूल्य दे रहे हैं और दे रहे हैं किसानों को 165 रु0। अब आप स्वयं सोचिये कि क्या यह कीमत कम नहीं है ? आज आपका गेहूं का खरीद मूल्य क्या है और आपकी कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है ? इसमें भी आप देखिये कि आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं पन्तनगर आदि की, वहां कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है ?

श्रीमन, नीड फार न्यू नेशनल एकोनामिक आर्डर में दिया हुआ है कि "दि कैपिटल कुड बी रेज्ड फ्राम लैण्ड इटसेल्फ, व्हिच, इन केस आफ इण्डिया इज ए वेरीटेबुल गोल्ड माइन, बट दिश हैज रेमेन्ड अन्डरडेवलप्ड टू दि एक्टेन्ट आफ 70% मेनली बीकाज दि सरप्लस आफ दि फार्म सेक्टर हैज सिस्टेमेटिकली ड्रेन्ड आउट आफ इट फार यूटीलाइजेशन एल्स व्हेयर डयूरिंग दि सिक्स्थ प्लान पिरिएड, प्राइसेस आफ आल फार्म प्रोडक्ट्स एज कम्पेयरर्ड आफ दोज आफ आल नान फार्म प्रोडक्ट्स वेयर केप्ट डिप्रेस्ड आन एन एवरेज बाई 20% दिश हैज रिज्यूटेड इन ड्रेन आफ रिसोर्सेज फ्राम दि फार्म आफ नान फार्म सेक्टर व्होज इज मच मोर दैन व्हाट हैज बीन इनवेस्टेड बाइ दि गवर्नमेंट फार एग्रीकल्चरल एण्ड रूरल डेवलपमेंट डयूरिंग दि फाइव इयर"

अब मैं इसका हिन्दी में अनुवाद किये देता हूं कि भारतवर्ष की भूमि स्वयं ही सोने की खान के समान है जहां 70 प्रतिशत जो खेतों से पैदावार हो रही है वह उससे निकाल कर बाहर चली जा रही है और उसमें जो पूंजीनिवेश हो रहा है वह कहीं और इस्तेमाल किया जा रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना काल में जो अकृषक उत्पादन की वस्तुयें थीं उनका 20 प्रतिशत मूल्य तक दबा कर रखा गया था। इसके नाते जो खेती से पैसा पैदा हुआ वह दूसरी जगह पर ड्रेन आउट हो गया। चूंकि यह जो पैसा ड्रेन आउट हो गया वह उससे कहीं अधिक है जो कि किसानों पर आपने सबसीडी के माध्यम से व्यय किया है।

इस विषय में एक चार्ट और प्रस्तुत करना चाहूंगा कि आप देखें कि 1975-76 में फार्म से जो नेट वैल्यू पैदा हुई, यह पूरे भारतवर्ष के आंकड़े हैं क्योंकि प्रदेश के आंकड़े तो आप लोग कभी देते नहीं हैं। तो देश में 25,816 करोड़ रु0 और इनडेक्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था 112.11 और होलसेल प्राइस का इनडेक्स था 171.2 करोड़ रु0 का जिसकी नेट वैल्यू 31,338 करोड़ रु0 की थी और घाटा था 5,572 करोड़ रु0 का और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की वास्तविक मारकेट मूल्य था 3344.2 करोड़ रु0 का। आपने पूरा खर्च किया 1,228.7 करोड़ रु0 और आपका घाटा हुआ है 3344.2 करोड़ रुपया। इसी प्रकार से आप देखें कि वर्ष 1982-83 में 43.189 करोड़ रुपया नेट वैल्यू थी जो कृषि में जुड़ी, 122.87 करोड़

रुपया कृषि सूचकांक था । 271.7 करोड़ रुपया होलसेल कीमतों का सूचकांक था । 54576 करोड़ कृषि की गेट वैल्यू हुई । आप का लास हुआ 6843.6 करोड़ रुपया और आपका खर्चा है 4627.2 करोड़ रुपया, जितना पैसा आपने खर्च किया है, उससे अधिक पैसा आप ले रहे हैं, यह कितनी बड़ी ज्यादती है । एक ओर सरकार किसानों पर अहसान कर रही है और सरकार कहती है कि हम किसानों को सब्सीडी दे रहे हैं । आप एफ0 सी0 आई0 की नामाकूलियत को सब्सीडी देते हैं तो इसका अहसान किसानों पर क्यों लादते हैं । आप कहते हैं कि कृषि उत्पादन का मूल्य इसलिये नहीं बढ़ाया जा सकता है क्योंकि उससे उपभोक्ता को नुकसान होगा ।

मान्यवर, मैं एक पुस्तक इश्यूज आन इन्डियन एग्रीकल्चर वाई के0 आर0 गुप्ता है, उसके पृष्ठ 122 का उद्धरण पढ़ना चाहता हूं । इसकी मैं हिन्दी कर दूंगा–

"डोमेस्टिक मेजर्स शुड बि एडाप्टेड फ्राम रेशनलाइजेशन वर्किंग एण्ड करटेलिंग एक्सपेन्सेस आफ पब्लिक सेल एण्ड परचेज प्रोसेसिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिव आर्गन्स इट है्ज बीन नोटेड दैट व्हाइल ट्रेडर्स डिस्ट्रीब्यूटिव कास्ट पर क्विंटल आफ व्हीट इन पंजाब वाज रूपीज 5.00 पर क्विंटल कास्ट आफ दि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वैरिड बिटवीन रूपीज 25.00 एण्ड रूपीज 35.00 इन्डीकेटिंग हाऊ थ्रो टेलरिंग डिस्ट्रीब्यूटिव कास्ट एण्ड फार्म्स प्राइस एण्ड इनकम में बि सिग्नीफिकेंटली इनक्रीज्ड विदाउट पुशिंग अप कंज्यूमर्स वाइसेज।"

मान्यवर, अब मैं इसकी हिन्दी किये देता हूं–

जो पब्लिक सेल और परचेज है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके खर्चे में बहुत कमी करने की आवश्यकता है । पंजाब में गेहूं की कीमत व्यापारी को पांच रुपये आती है और सार्वजनिक वितरण में उसकी कीमत 25 रुपये से 35 रुपए के बीच आती है । और मान्यवर, यह अगर सही ढंग से कन्ट्रोल कर लें तो उपभोक्ता को उपलब्ध खाद्यान्न का मूल्य बढ़ाये बिना किसानों को उचित मूल्य दिया जा सकता है । अगर सारी कमी विभाग के लोगों की है तो इसके लिये किसानों को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है और इस पर सरकार चुप्पी साधे बैठी है । आपने सब्सीडी बांटने की बात कही है, माननीय मंत्री जी ने खुद कहा कि हमको शिकायतें मिल रही हैं । यह बात बिलकुल सही है । सब्सीडी जो आप बांट रहे हैं, इसका लाभ जो होना चाहिये वह नहीं हो रहा है । सीमान्त और लघु किसान लाभान्वित नहीं हो रहे हैं । हम और समरपाल सिंह जैसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, यह तो दूसरी बात है । उनके नाम पर दूसरे लोग सब्सीडी का फायदा उठा रहे हैं । मान्यवर, मैं इस विषय पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात रख रहा हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने वर्ष 1983-84 में इसी सदन में कृषि बजट पर बोलते हुये कहा था कि सब्सीडी आप किसानों को न दें, जितना धन खर्च कर रहे हैं उसी धन को जो भी आप दे रहे हैं, उससे खाद के दामों में कमी कर दें तो उससे आप जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं वह निश्चित रूप से रुक

जायेगा । हम आपकी राय से सहमत हैं कि जितना लाभ पहुंचना चाहिये, वह नहीं मिल रहा है । प्रश्न है कि जितना लाभ आप पहुंचाना चाहते हैं, वह क्या उसको मिल रहा है । प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, अगर नहीं मिल रहा है तो क्या उचित नहीं होगा कि पूरे इनपुट के ही दाम घटा दीजिए ताकि कृषक समाज सम्पूर्ण इस प्रदेश का लाभान्वित हो । यह एक प्रश्न चिन्ह की बात है और इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना पड़ेगा और इस सरकार के एक सम्मानित मंत्री का भी यही विचार है जैसा कि 83-84 में उन्होंने इसी सदन में कहा है ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़े लम्बे चौड़े आंकड़े प्रस्तुत किये बीज के वितरण के बारे में । मान्यवर, थोड़ा सा समय लूंगा । खरीफ में अभी तक कुल 26 प्रतिशत आपकी सिंचित भूमि है जो आपने आंकड़े दिए हैं फर्क इसमें सिर्फ इतना है कि सम्पूर्ण क्षेत्रफल आपने दिया है 80-81 और 83-84 का, यहां आपने दिया है सिंचित क्षेत्रफल बीजों के वितरण का । यह कितने हेक्टेयर बोया गया इसके आपने आंकड़े दिये हैं 84-85 के, अगर 83-84 को ही आप वेस मानकर चले होते तो उसकी तुलना करके मैं आपको बता सकता था लेकिन कहीं आंकड़े दिये गये 83-84 के और कहीं आंकड़े दिये गये 84-85 के अब आप बतायें कि तुलना कैसे करूं? सचमुच आपने कितने बीज बांटे हैं, या कितने परसेंट बांटे जाने हैं या कितने परसेंट देने हैं फिर भी जो आपने आंकड़े उपलब्ध कराये हैं उसके आधार पर मैं बताना चाहता हूं । धान में 31 परसेन्ट आपका अभी तक गुणात्मक बीज देने का आधार लग रहा है जहां आपकी कुल खेती हो रही है वहां केवल 31 परसेन्ट गुणात्मक बीज दे रहे हैं । गेहूं में जरूर आप 60 प्रतिशत तक पहुंच गये हैं । जैसा माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि धान की इस समय अपने यहां पैदावार बढ़ाने का संकल्प है बनिस्बत गेहूं के । धान में अभी तक आप 31 प्रतिशत ही गुणात्मक बीज दे पाए हैं । यह 86-87 का लक्ष्य है इसको बता रहा हूं इससे ऐसा लगता है कि जो आपका सिंचित क्षेत्र है धान का केवल वहीं पर गुणात्मक बीज देने का कार्य कर रहे हैं । जो शुष्क क्षेत्र है जो असिंचित खेत है धान के उस पर गुणात्मक बीज देकर उसकी पैदावार बढ़ाने का प्रयास आपके विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है । सिंचाई क्षमता आपकी जिस प्रकार से बढ़ रही है उसी तरह से पूरे प्रदेश को सिंचित करने की क्षमता बढ़ायें इससे जो शुष्क क्षेत्र है यदि आप उन्हें लाभान्वित करें तो निश्चित रूप से धान की पैदावार आपके यहां पर जल्दी ही अच्छे प्रतिशत में बढ़ सकती है ।

माननीय मंत्री जी ने कीटनाशक दवाओं के आकड़े दे दिये जो किताब हमें माननीय मंत्री जी के यहां से मिली है उसमें वर्ष 84–85 की वास्तविक पूर्ति कीटनाशक दवाओं की खपत 4,671 मीट्रिकटन और उपचारित क्षेत्र 26,462 हेक्टेयर और 85–86 का लक्ष्य 6,000 मीट्रिकटन है और उपचारित क्षेत्र 26,462 से घटकर 25 हजार 200 रह गया है। कीटनाशक दवाओं की खरीद आपने अधिक की 4671 मी0 टन से बढ़ाकर आपने 6 हजार मी0 टन बढ़ाने पर भी आपका उपचारित क्षेत्रफल घट गया, यह बात समझ में नहीं आयी। 4671 मी0 टन

दवाओं से आपने 26,462 हेक्टेयर क्षेत्रफल उपचारित किया 1984–85 में। लेकिन 1985–86 में जब 4965 मी0 टन दवाओं का इस्तेमाल हुआ तो केवल 20,495 हेक्टेयर क्षेत्रफल ही उपचारित हो पाया यानी इस वर्ष उपचारित क्षेत्रफल घट गया। यह बात समझ में नहीं आयी। क्या ये आंकड़े सचमुच सही हैं या कीटनाशक दवाओं का उपयोग आपने अंदाज से इसमें भर दिया है? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि ये आंकड़े फर्जी प्रस्तुत किये गये हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे।

श्रीमन्, एक तरफ तो आप खाद के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि इसलिये पेट्रोल के दाम बढ़ाये गये हैं ताकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का उपयोग कम हो। पता नहीं डीजल और पेट्रोल के उपयोग को क्यों कम करना चाहते हैं? खाद के दाम भी कम करना चाहते हैं या नहीं, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम खाद का दाम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक ऐसी चीज है जिससे खाद के उपयोग पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। इससे उत्पादन में कोई नुकसान न हो वह है रेजोडियम कल्चर। 1984–85 की प्रति है 5 लाख, और 1985–86 के लिये 7.08 लाख का लक्ष्य रखा गया था। जून 1986 तक केवल 3.82 लाख की पूर्ति हुई। दलहनी फसलों की बुआई अक्टूबर में समाप्त हो जाती है। उसके अनुसार आपकी पूर्ति हुई 3.82 लाख। तो इससे मुझे लगता है कि जो 1984–85 की वास्तविक पूर्ति रही है 1985–86 में आप वहां तक भी नहीं पहुंच पायेंगे। यानी रेजोडियम कल्चर पर आपके विभाग द्वारा जितना ध्यान दिलाया जाना चाहिये था, वह नहीं दिलाया गया।

दलहनी फसलों की बुआई हमारे उत्तर प्रदेश में निरन्तर घट रही है और इसको सुदृढ़ करने के लिये आज सबसे ज्यादा जरूरत है रेजोडियम कल्चर की जिस पर आपका विभाग समुचित ध्यान नहीं दे रहा है।

मृदा परीक्षण की बात मंत्री जी ने कही। उसके सम्बन्ध में स्थिति यह है कि मृदा परीक्षण के लिये मिट्टी दी जाती है खरीफ की फसल में यह बात सभी लोग जानते हैं और उसका रिजल्ट रबी की फसल में मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी लेबोरेटरीज हैं वह उपयुक्त नहीं हो सकी। उसके जितने सैंपुल आ रहे हैं उनका विश्लेषण करके आपकी लेबोरेटरीज ठीक से रिजल्ट नहीं दे रही हैं। जो आपने बजट रखा है, जो कार्यक्रम चला रहे हैं उससे कदापि लाभ नहीं होगा। केवल कागजात पर ही आपकी योजनायें बन रही हैं। आप चाहे 10 लाख सैंपुल, 12 लाख सैंपुल का विश्लेषण कर लें लेकिन उसके आधार पर खाद का उपयोग नहीं हो रहा है और न होगा।

मान्यवर, इसी विषय पर एक बात और कहना चाहूंगा। मैं आंकड़े देख रहा था उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में गेहूं के प्रोडक्शन का। मान्यवर, गेहूं में इस समय जिस गति से सेन्ट्रल और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है उस गति से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ रहा है। जिस प्रतिशत से ईस्टर्न और सेन्ट्रल उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है उस प्रतिशत से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ रहा है। मेरा निश्चित मत है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एन0

पी0 के0 का प्रचुर मात्रा में उपयोग हुआ है। वहां पर माइक्रो न्यूट्रेन्ट्स की कमी जमीन में आ गई है। जो मृदा परीक्षण केन्द्र वहां पर हैं। इसलिये जब तक आप माइक्रो न्यूट्रेन्ट्स का उपयोग वहां पर नहीं करेंगे तब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन उस प्रतिशत से नहीं होगा जो दूसरे रीजन्स में होता है।

(श्री हरदेव के कुछ बोलने पर) मैं मजबूर हूं कि किस प्रकार हरदेव जी की समझ में आता है वह मैं नहीं कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

बीच में व्यवधान न डालें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

श्रीमन्, मैं चर्चा कर रहा था कि जो अनुदान बांट रहे हैं उसका लाभ सचमुच में उन लोगों को हो रहा है या नहीं उसके सम्बन्ध में मैं एक पैराग्राफ सुनाना चाहता हूं :–"आसपैक्ट्स आफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पालीसी प्रोफेसर एटे दिमद्रास इन्स्टीट्यूट आफ डेवलप्ड स्टडीज, मद्रास डाक्टर ए वैद्यनाथन, दि प्राब्लम आफ सेक्योरिंग टू स्माल फार्म्स ईजियर परहैप्स चीपर एक्सेस टू इनपुट्स रिमेन्स दि डिवाइस आफ स्पेशल प्रोग्राम्स आफ क्रेडिट इक्सेक्ट्रा एम्ड एटे दिस ग्रुप हैज नाट बीन पार्टीकुलरली इफेक्टिव बीइंग एगेन प्लेग्ड बाई ए वेराइटी आफ मिज्युसेस एण्ड करप्शन्स यानी छोटे-छोटे किसानों को जो सहायता देनी चाहिये क्या वास्तव में वह मिल रही है यह देखने की बात है? उनका कहना है कि इसमें इतना अधिक भ्रष्टाचार और गल्तियां हैं कि उनके पास तक सहायता नहीं पहुंच रही है। आगे कहा कि–

रिजर्विंग दि बेनेफिट्स आफ स्टेट सपोर्टेड/स्पान्सर्ड क्रेडिट एण्ड इनपुट सप्लाई प्रोग्राम्स एक्सक्लूसिवली टू स्माल फार्म्स उड सरटेनली रेडयूस दि आवराल कास्ट टू दि एक्सचेकर, बट वेदर इट उड बी एनी मोर इफेक्टिव दैन एस0 एफ0 डी0 ए0 टाइप आफ एप्रोच डीपेन्ड्स क्रूसीयली आन हाउ दि इन्स्टीट्यूशंस आपरेट। इन एनी केस दयेर रिमेन अदर प्रोबलम्स लाइक डिफरेंसियल एक्सेस टू इरीगेशन"

श्रीमन्, उन्होंने कहा है कि यह बात सही है कि केवल सीमान्त और लघु किसानों को अनुदान दो तो स्टेट एक्सचेकर पर खर्च कम पड़ेगा। लेकिन देखना यह है कि क्या उसका लाभ वास्तव में उन किसानों को मिल रहा है या नहीं। क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं थोड़ा सा भंडारण में जाता हूं क्योंकि उनका कहना है कि इनपुट्स घटा है। जिस रेट पर आप सीमांत और लघु कृषकों को दे रहे हैं उतना हमारे प्रदेश के संसाधन नहीं हैं तो जो भी संसाधन या धन इन किसानों को देने के लिए है उसका पूर्ण उपयोग खाद के वितरण में हो, उसके दाम घटा दें तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा और इसमें जो भ्रष्टाचार है वह कम होगा।

अब मैं इकोनोमिक न्यूज जनवरी फस्ट स्टाफ 1986 का पेज 77 को माननीय मंत्री जी से कहूंगा देखें जो काफी उपयोगी है। चाहे कोल्ड स्टोरेज हो या खाद्यान्न का भंडारण हो उसमें आप कारपोरेट सेक्टर को भी इनवाल्व करिये, चाहे वह कम्पनियां हों या फर्म्स हों। जैसे आपने कोल्ड स्टोरेज के लिए प्राइवेट लोगों को इन्वाल्व किया है। यदि इसमें भी किसी प्रकार से इनवाल्व कर सकें लेकिन उससे किसानों के हितों की क्षति न हो उसमें पूंजी निवेश में सहायता मिलेगी अधिक पैसा इसमें लगेगा क्योंकि आपके पास इतने संसाधन नहीं

हैं, बाहरी संसाधनों का उपयोग भंडारण में किया जा सकता है। इस पर भी माननीय मंत्री जी विचार कर लें। श्रीमन्, मंत्री जी ने खाद में मिलावट की बात कही है, मैं नहीं कह सकता कि मंत्री जी इसमें किस हद तक सफलता पा गये हैं, लेकिन मैं अपने जिले बस्ती का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां एन0पी0 के0 की खाली बोरियां आज 5-5 रुपये में बिक रही हैं और बस्ती की पुरानी बस्ती में थोक व्यापारी डी0पी0ए0 या अन्य खाद जिसमें राख और बालू मिलाकर एन0 पी0के0 बोरियों में भरकर बेची जा रही हैं किन्तु उनको वहां नहीं पकड़ा गया है। मंत्री जी ने लम्बे चौड़े छापे की बात कही है किन्तु लगभग सभी माननीय सदस्यों के जिलों में यह स्थिति चल रही है कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वह इसमें बुरी तरह से घपलेबाजी कर रहे हैं। जो आपके पास आंकड़े आ रहे हैं वह सही नहीं हैं। मान्यवर, आज जिंक सल्फेट की जगह राख बेची जा रही है। इसी तरह 5 प्रतिशत डी0डी0टी0 की जगह 10 प्रतिशत डी0.डी0 टी0 बोरियों में भरकर बेचा जा रहा है। स्थिति इतनी विषम है कि वास्तव में जो किसानों को फायदा होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। चूंकि एक तरफ तो सरकार दामों में नियंत्रण लगाकर किसानों को लूट रही है और दूसरी तरफ ट्रेडर्स उनको लूट रहे हैं खाद में मिश्रण करके। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

(इस समय 3 बजकर 59 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल पीठासीन हुए)

मान्यवर, बीज किसानों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। आपने 21 प्रतिशत तक गुणात्मक बीज पहुंचाने का वादा किया है लेकिन देखने की बात है कि उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। जबकि आप भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। कहा है, यदि सचमुच आपका प्रयास अच्छा है तो टी0 एण्ड बी0 योजना में संयुक्त निदेशक की नियुक्ति लखनऊ में हुई तो उसको इलाहाबाद क्यों ट्रान्सफर कर दिया गया, इसके संबंध में आप बतायेंगे। लखनऊ में उप निदेशक पर 2.73 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले हैं जिसको परिश्रय देने के लिए यहां के संयुक्त निदेशक को हटाकर इलाहाबाद हेड क्वार्टर कर दिया है और यहां कोई संयुक्त निदेशक नहीं है, ऐसा क्यों? इसका जवाब दें।

मान्यवर, 6 तारीख को यहां प्रश्न हुआ था, श्री शारदा प्रताप जी का कीट नाशक दवाईयों में कुछ नमूने पकड़े गये जिन पर भारत सरकार से जांच होकर आख्या आपके यहां आयी है, किन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रश्न शासन को जनवरी में भेजा गया था, लखनऊ का मामला है, 6 मार्च को उत्तर शासन ने दिया कि "सूचना एकत्र की जा रही है।" मान्यवर, बाहर से सूचना नहीं मंगानी थी किन्तु आज तक उस पर आप कार्यवाही नहीं कर सके। तो मैं पूंछना चाहता हूं कि आज तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई। इसमें आप बतायें। इसलिये जब तक आप विशेष कार्यवाही एवं कड़ाई नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार का आप निवारण नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, तीसरी चीज कहना चाहता हूं कि खाद और बीज में सब्सिडी देकर वितरण कराने का काम जो सहकारिता विभाग के माध्यम से करा रहे हैं उसमें आपका विभाग कंट्रोल करने में एकदम अपने को अक्षम पा रहा है जिससे इसमें जबरदस्त घोटाला सहकारिता विभाग में आपके पैसे का हो रहा है और सब्सिडी की

खाद बेची जा रही है, फर्जी लिस्ट ए0 आर0 बनाकर पी0सी0एफ0 को देता है और पी0सी0एफ0 द्वारा आपके विभाग को आ जाती है और सब्सिडी डूब हो जाती है। आपने 11 हजार गांवों में जांच कराने की बात कही है, क्या यह जांच आप अपने विभाग द्वारा वितरित खाद की करवायेंगे या सहकारिता विभाग द्वारा वितरित खाद की भी करवायेंगे। आप अपने विभाग को तो नियंत्रण में रख लेंगे, लेकिन सहकारिता विभाग में जो आपके पैसे से किया जा रहा है वह आपके नियंत्रण के बाहर है। इस पर कैसे कन्ट्रोल आप कर पायेंगे, उसका भी समुचित उत्तर सदन में आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने समय दिया। माननीय कृषि मंत्री के उत्साहवर्धक बजट को सुनने के बाद इस बात में रत्ती भर भी शुबहे की गुंजाइश नहीं रह गई है कि इससे कृषि उत्पादन को बल नहीं मिलेगा और सबसे बड़ी समस्या जो आज देश के सामने है, उसका सही रूप में हल होगा। इसी तरह के बजट के सफल कार्यान्वियन का ही प्रभाव है कि आज हिन्दुस्तान, जहां पहले जितने मन पैदा करता था, उतने क्वींटल पैदा कर रहा है। जहां सन् 1950 में 30–35 करोड़ जनसंख्या को देश अपने लोगों को दो जून खाना नहीं दे सकता था, आज 75 करोड़ लोगों को भी खिलाने के बाद 3 करोड टन अन्न फालतू है। क्या यह इस बात का परिचायक नहीं है कि हमारी योजनायें बहुत सफल और सक्षम रही हैं? मैंने विद्वान मित्र श्री दिवाकर विक्रम सिंह की बात सुनी। वह बड़े प्रगतिशील किसान हैं, बड़ी सारगर्भित बातें कहीं यों तो मेरे दोस्त हैं, उनकी योग्यता से मैं पहले से प्रभावित रहा हूं। लेकिन आज तो उन्होंने कमाल ही किया। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं उन्होंने अच्छे-अच्छे सुझावों के रूप में बातें कही हैं, वह सदन के सभी किसान सदस्यों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं लेकिन एक बात समझ में नहीं आती उन्होंने कम कृषि मूल्य की जो बात कही है। मैं मानता हूं कि किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिलता। लेकिन मजबूरी यह है कि वह फारमूला भी हाथ नहीं आता है, जिससे किसानों की लागत का अंदाजा लगाया जा सके। कृषि उत्पादन की समस्याओं और परिस्थितियों में इतनी भिन्नता है कि कोई भी कृषि मूल्य पूरे देश के लिए सही नहीं हो सकता है। एक कोई किसान या एक ग्रुप आफ किसान लागत के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। कहीं तो जमीन खरीदने के बाद खेती करते हैं, कहीं बाप दादा की मिली जमीन पर खेती करते हैं और भूमि का कोई भी अंश (ह्रास) डिप्रिशिएशन की शक्ल में लागत में शामिल नहीं होता है। जिन्होंने खरीद कर खेती शुरू की है, उनको तो जीवन में कभी भी इस मूल्य पर लाभ नहीं मिल सकता है। कहीं रेतीली जमीन है, कहीं दोमट जमीन है। कहीं मार्ग की सुविधा है कहीं नहीं है। कहीं सिंचाई की समुचित व्यवस्था है, कहीं कम है और कहीं बिल्कुल नहीं है। कहीं बिजली है, कहीं बिजली नहीं है। कहीं लेबर सस्ता मिलता है, कहीं महंगा मिलता है। कहीं किसान खेती के मामले में प्रबुद्ध है, कहीं अनजान है, अशिक्षित है। इसी तरह की बहुत सी बातें कृषि मूल्य को प्रभावित करती हैं, इसलिए

कृषि खपत का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। सरकार और हमारे अर्थ विशेषज्ञ बहुत अच्छी तरह से इसे जानते हैं। इसीलिए कृषि उत्पादों का उचित या अधिकतम मूल्य निश्चित नहीं करते केवल समर्थन मूल्य देते हैं। मान्यवर, यह सही है, मैं श्री दिवाकर विक्रम सिंह की बात से शत प्रतिशत सहमत हूं कि अगर हम अपनी वितरण प्रणाली के खर्चों में हम किफायत करें तो इस मद से किसानों को और ज्यादा पैसा दिया जा सकता है। मैंने माननीय मंत्री जी से अनुदान के सम्बन्ध में बात भी की थी, वह स्वयं यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 86 प्रतिशत किसान सीमान्त और लघु किसान हैं। तो सिर्फ 14 प्रतिशत किसानों को ही अनुदान का कोई लाभ न दिया जाय यह अधिक हितकर प्रतीत नहीं होता। सरकार जो रुपया दे रही है वह सिर्फ कुछ एजेंसीज को ही मिले। इसे देने में कोई फायदा नहीं है और न ही इससे उत्पादन बढ़ाने में फायदा हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक किसानों को इसमें शामिल किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो रहा है। 4 बज चुके हैं इसलिए 5 मिनट से ज्यादा समय देना संभव नहीं है।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, इतने कम समय से काम नहीं चलेगा। इसमें और अधिक समय दीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

आपका आधा मिनट और रह गया है।

श्री समर पाल सिंह–

दूसरी बात यह है कि आपने जो दवाओं और कीटनाशक दवाओं, माइक्रो-न्यूट्रियेंट्स के बारे में सुझाव दिया है, यह सही बात है, मैं आपकी आवाज में आवाज मिलाकर कहना चाहता हूं कि इन पर विशेष ध्यान दिया जाय। जो भूमि परीक्षण का आंकड़ा है तो यह आंकड़ा सही नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने सही बात कही है कि आज दीवाली पर नमूना दीजिये होली पर जांच होकर वह मिलेगा। माइक्रोन्यूट्रियेंट्स की एनालिसिस की रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिये। मान्यवर, मैं ज्यादा बोलना चाहता था लेकिन आपने कम समय दिया है। एक सुझाव और देना चाहता हूं कि बीज की सवाई दर को समाप्त करना चाहिये और जो क्षमता बीज गोदामों की है वहां बजाय सवाई बीज रखने के प्रमाणित बीज रखे जायं। यह सवाई बीज की प्रथा सामंत-वादी और महाजनी प्रथा जैसी है। 6 महीने में सवाई देना पड़ता है। यानी 6 महीने में 25 प्रतिशत ब्याज और साल भर में 50 प्रतिशत ब्याज हो गया। तो इस प्रथा को समाप्त करिये। दूसरी बात यह है कि कीटनाशक दवाओं और खाद की जांच के लिये प्रयोगशालायें बनायी जायं और खाद तथा कीट नाशक नियंत्रण निगम का जो इन्फोर्समेंट वाला भाग है उसमें दवाई और फर्टीलाइजर उत्पादकों को चालान का अधिकार देना चाहिए अगर नमूना खराब मिले। जो महंगी कीटनाशक दवाइयां हैं, कैसे बाबेस्टीन, आइसोप्रोट्रान, सिस्टमेटिक प्वाइजन हैं, इनमें अनुदान देकर इनके भावों का गिराना चाहिये। यह बहुत जरूरी है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रोपोजल रखे हैं उनका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 286 की ओर आपका ध्यान

आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि "सभा में उपस्थिति के समय सदस्यों द्वारा पालनीय नियम जब सदन का उपवेशन हो रहा हो तो सदस्य—

ऐसी पुस्तक, समाचार-पत्र या पत्र नहीं पढ़ेंगे और न उस कार्य के अतिरिक्त ऐसा कोई कार्य करेंगे, जिसका सदन की कार्यवाही से सम्बन्ध न हो।" मान्यवर, चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं, लगता है जल्दी मंत्रिमण्डल से छुट्टी होने वाली है। सारी पत्रावलियां ले आये हैं। जब माननीय सदस्य भाषण कर रहे हैं तो वह पत्रावलियां देख रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि उनसे इसका पालन करवाइये।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं। मुझे उपाध्यक्ष जी ने जाते समय निर्देश दिया था कि विभिन्न दलों के नेताओं ने जो यहां पर सूची भेजी है माननीय सदस्यों के बोलने के लिये उसी सूची के अनुसार मैं बुलवाऊं। मैं निवेदन करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूची में हैं उसी के मुताबिक मैं समय दूंगा।

श्री अशोक बाजपेयी —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कृषि विभाग के बजट पर कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी स्वयंमेव किसान के बेटे हैं इसलिए इनसे बहुत सी अपेक्षाएं की जाती थीं कि यह किसानों के हित की अनेक योजनायें प्रस्तुत करेंगे, परन्तु इन्होंने उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों के लिए कोई क्रान्तिकारी घोषणाएं नहीं कीं और न ही कोई ऐसी नीति निर्धारित की जिससे यह महसूस हो सके कि यह किसान के बेटे हैं या प्रदेश के कृषि विभाग के मंत्री हैं और मान्यवर, यही नहीं प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जो स्वयं एक किसान हैं और किसानों के हमदर्द हैं, उनके नेतृत्व में भी इन्हें काफी समय तक कार्य करने का मौका मिला है, इसलिए भी प्रदेश के किसानों की बहुत सी अपेक्षाएं इनसे जुड़ी हुयीं थीं।

मान्यवर, ईश्वर की अनुकम्पा से जो खाद्यान का उत्पादन अच्छा हुआ है और सभी फसलें अच्छी हुई हैं, उसमें इस सरकार को कोई श्रेय नहीं जाता है। परन्तु इन्होंने ईश्वर की इस कृपा को अपनी उपलब्धि बताई है, जो सही नहीं है क्योंकि सरकार की ओर से न तो समय से बीज उपलब्ध कराये गये किसानों को, न ही यह उचित खाद्य उपलब्ध करा सके समय से और न ही इनकी कोई बिजली व्यवस्था सही रही। इसलिए इस खाद्यान्न की उपलब्धता में सरकार का कोई हाथ नहीं है। इसलिए मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कुछ बातें सुझाव के तौर पर भी रखना चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में स्वयं तिलहन समस्या का उल्लेख किया। तो मान्यवर, आज तिलहन की कठिनाइयों से सभी लोग परिचित हैं और सभी माननीय सदस्यगण व स्वयं माननीय मंत्री जी भी परिचित हैं कि तिलहन की कमी की वजह से ही हमें आयातित तेल पर निर्भर करना पड़ रहा है। इसलिए मैं इस ओर यह सुझाव देना चाहूंगा कि जहां पर आज स्वाइल की पैदावार ज्यादा होती है जहां इनकी खेती ज्यादा होती है, वहां पर इसके संयंत्र ज्यादा से ज्यादा लगाए जायं और इनको सस्ते बीज भी उपलब्ध कराए जाएं ताकि तिलहन की समस्या पर काबू पाया जा सके।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरे माननीय मंत्री जी की ओर से भूमि संरक्षण की बात की गई और कहा गया कि हम इस ओर ज्यादा प्रयत्नशील हैं परन्तु मान्यवर, माननीय मंत्री जी का यह जो भूमि संरक्षण विभाग है, यह किसानों की भूमि का संरक्षण तो नहीं कर रहा है बल्कि पूरी तरह से शोषण कर रहा है। अगर कोई भी किसान अपने खेत की लेवलिंग के लिए चला जाये या मेंड़बन्दी के लिए चला जाए तो काफी समय तक उसे दौड़ना पड़ता है और स्थिति यहां तक आ जाती है कि बजाए उसका काम बने दौड़ते-दौड़ते वह किसान कर्जदार तक बन जाते हैं तो मान्यवर, आपके इस विभाग से निपटने के लिए साधारण किसान के बस की बात नहीं है।

दूसरे माननीय मंत्री जी ने ऊसर भूमि की सुधार योजना के बारे में भी कुछ कहा है, इस सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर काल में भी चर्चा हुई थी। इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आज जो ऊसर भूमि की समस्यायें हैं वह पूरे उत्तर प्रदेश में तो हैं ही परन्तु हमारे जनपद हरदोई में ऊसर क्षेत्र बहुत है। मा0 मंत्री जी जब दौरे पर अपनी कार से हरदोई से होते हुए गुजरते होंगे तो उन्हें वहां मीलों तक ऊसर भूमि देखने को मिलती होगी। इसलिए मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऊसर भूमि जो हजारों हेक्टर आज हर क्षेत्र में बेकार पड़ी हुई है, इसको उपजाऊ बनाने की कुछ कारगर योजनाएं बनाएं और जिन योजनाओं की घोषणा मा0 मंत्री जी ने केन्द्र की सहायता से ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु की है, हमें आशा है कि वह इस ओर शीघ्र ही ध्यान देंगे। इसके साथ ही मान्यवर, फलों के उद्यान की बात की गयी। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हमारे यहां के छोटे-छोटे किसान हैं उनको इस ओर प्रोत्साहित किया जाए जैसे कि कर्नाटक में, बंगलौर में अंगूर व पपीते आदि की बहुत खेती होती है, इससे वहां पर मान्यवर, किसानों में सम्पन्नता भी आयी है और फलों में आत्म-निर्भरता भी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस सरकार को भी इस ओर समुचित ध्यान देना चाहिए।

(4 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, मंडी परिषद् के संबंध में काफी चर्चा हुई, मैं मंत्री से कहना चाहूंगा कि मंडियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में निरंतर कई बार पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने शिकायतें की कि मंडियों का महत्व जो हमारे प्रदेश के किसानों के जीवन में है, उसका पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। पिछले सत्र में माननीय मंत्री जी को एवं माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखित रूप से भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायती-पत्र दिया था। इसमें गम्भीर अनियमिततायें हैं, परन्तु आज तक जांच नहीं हुई। मान्यवर, आप देखें पत्र-पत्रिकाओं में मंडी परिषद् के विरुद्ध अनेकों लेख छपे हैं, तो कैसे अपेक्षा की जाये कि मंडियों का विकास एवं विश्वसनीयता हो सकती है। आज मंडी स्थलों पर किसान जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मंडियों पर उसका विश्वास नहीं है। मंडियों का निर्माण इतना घटिया किस्म का हो रहा है कि 40 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक ठेकेदारों से अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य पर वसूली की जा रही है। इस तरह से विभाग के अधिकारियों द्वारा पद एवं वित्तीय संसाधनों का खुला दुरुपयोग हो रहा है। निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी सदन में आश्वासन दें कि मंडी समितियों एवं मंडी परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करायेंगे और जांच रिपोर्ट अगले सत्र में सदन के पटल पर रखने की कृपा

करेंगे। माननीय मंत्री जी मैं यह कहना चाहूंगा कि जो उर्वरकों, बीजों एवं कीटनाशक दवाओं में छूट दी जाती है, वह सब्सीडी एट सोर्स यानि प्रारम्भ स्तर से प्रदान की जाय, जिससे कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिल सके।

एग्रो विभाग की जो स्थिति है, इनकी उत्पादन क्षमता घटती जा रही है। यह प्रदेश का एक प्रमुख कारपोरेशन है। इसमें जितने वित्तीय संसाधन होने चाहिए, वह नहीं है। धन के अभाव में उत्पादन क्षमता घट रही है। इसमें शेयर कैपिटल बढ़ाया जाय। अभी तक 15 करोड़ एथाराइज्ड कैपिटल, 7 करोड़ पैड-अप कैपिटल है। पेड-अप कैपिटल को बढ़ाया जाय। बैंकों द्वारा इसे सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाय, जिसके कारण इसका विकास रुका हुआ है। यदि इस निगम को जनहित में बनाए रखना है, तो समुचित वित्तीय संसाधन जुटाये जायं, जिनसे कि इनके चारों डिवीजन फर्टिलाइजर, सर्विस, वर्कशाप एवं कैटलफील्ड पूरी क्षमता से कार्य कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी द्वारा रखे हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम सकल तिवारी :-

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने हमें कृषि संबंधी विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, मुझे केवल दो बातें रखनी हैं, वह भी अपने जनपद के संबंध में रखना चाहता हूं। मान्यवर, पहली बात यह है कि जो हमारे माननीय सदस्यों ने अभी बताया कि यह जो सुविधा सीमान्त और लघु कृषकों को दी गई है, वह लाभ उनको समुचित मात्रा में नहीं पहुंची है। मान्यवर, इसका कारण यह है कि जो बिचौलिया लोग और कुछ सरकारी लोग हैं, वे मिल करके, सचमुच जिसको लाभ मिलना चाहिए, उसको मिलने नहीं देते हैं। यह हमारे यहां की शिकायत है। उसके संबंध में मेरा यह सुझाव है कि जो 86 प्रतिशत लघु और सीमान्त कृषकों की संख्या हमारे प्रदेश में है, उनको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से हमारी सरकार ने इतनी सहायता प्रदान की, तो 14 प्रतिशत जो किसान बच जाते हैं, मैं नहीं समझ पाता हूं कि उनको यह सुविधा देने में क्या आपत्ति है? जिस उद्देश्य से हमने सब्सीडाइज करके उनको खाद आदि देकर लाभ पहुंचाने की कोशिश की है, अगर वह लाभ नहीं पाते हैं, तो इस बिचौलियों को समाप्त करने के लिए यह मुनासिब होगा कि सब्सीडाइज रेट पर खादों में सबको समान सुविधा दी जाय, ताकि किसी को कोई शिकायत न रह जाय। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हमारा लक्ष्य है, हमारी सरकार जो शोध संस्थान से अच्छे किस्म का बीज उपलब्ध कराती है, वह उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है। गांवों में अब भी जो गरीब किसान हैं, उनको अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इस सरकार के माध्यम से जो बीज दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है कि किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक वर्ष में रबी और खरीफ की फसल की बुवाई से 15 दिन पहले बीज का वितरण किया जाय, चाहे कोआपरेटिव के माध्यम से या कृषि विभाग के माध्यम से। लेकिन बुवाई के 15 दिन पहले बीज का वितरण होना चाहिए। इस तरह से सब लोगों को बीज उपलब्ध हो सकता है।

इसके अलावा जो कीट नाशक दवाइयां हैं, जिनको सरकार मुफ्त में वितरित

करती है, उसकी जांच कराना आवश्यक है। क्योंकि बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं, जिसमें मिलावट हो रही है। जो खाद का वितरण हो रहा है, उसमें यह आम शिकायत है, हम लोगों के पास भी थोड़ी बहुत खेती है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उर्वरक में कितनी मिलावट है, जो यूरिया हम लोगों ने खेतों में डाली है, उसका कोई खास प्रभाव नहीं हुआ है। मैं देखकर आ रहा हूं। खाद में मिलावट करने वाले सबसे बड़े अपराधी हैं, इनको कठोर से कठोर दण्ड मिलना चाहिए। चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे खाद वितरण करने वाली कोई दूसरी एजेन्सी हो, उनके लिए तो नानबेलेबुल अफेन्स के तहत सीवियर पनिशमेन्ट मिलना चाहिए। खाद में मिलावट होगी तो उसका असर उत्पादन पर पड़ेगा। गरीब आदमी अपना पेट काटकर खाद डाले और उसका लाभ उसे न मिले यह कितने शर्म की बात है। कृषि उत्पादनों का सही मूल्य मिले, यह बात सही है कि सरकार समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए जो खरीददारी की प्रथा आपने बनाई है, उसमें सही बात यह है कि हर किसान का गल्ला वहां नहीं बिक पाता है और बिचौलिए उनका गल्ला खरीद लेते हैं। मेरा सुझाव है कि जो खरीद करते हैं, उन पर अंकुश करायें, और किसानों को समर्थन मूल्य मिल सके, इसकी व्यवस्था करायें। ताकि बिचौलिए खरीद कर उसका लाभ न ले सकें। अन्त में मैं पुनः मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अवनीश कुमार सिंह–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, बड़ी विडम्बना की बात है कि आजादी के 38 वर्षों के बाद भी अन्नदाता किसान अपने भाग्य पर आंसू बहा रहा है। अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं है। उसके पास न पहनने को कपड़ा है, न खाने के लिए अनाज है, न रहने के लिए ठीक-ठाक मकान है। यह बड़े दुख की बात है। यदि खेती लाभकारी नहीं होगी तो कब तक किसान खेती से चिपका रहेगा, यही कारण है कि आज गांव से लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। किसान का बेटा छोटी-छोटी नौकरियां करने के लिए खेती छोड़कर, यह समझते हुए कि इस नौकरी से कोई फायदा नहीं है, शहर की तरफ भाग रहा है। यह शासन की नीति है जिसके कारण काश्तकार दुखी और परेशान है। सरकार को मान्यवर, यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि केवल अन्न का उत्पादन होने से ही सारी समस्या हल नहीं हो जाती है। काश्तकारों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। किसान उठेगा तो गांव ऊपर उठेगा, गांव ऊपर उठेगा तो प्रदेश ऊपर उठेगा, प्रदेश ऊपर उठेगा तो देश ऊपर उठेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि किसानों की आर्थिक दशा ठीक होनी चाहिए। उसको अपनी उपज का लाभकारी मूल्य मिले, यह अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु शासन की जो नीति है वह काश्तकारों द्वारा अपनी चीज सस्ती बेचने को मजबूर करती है। वह किसानों से सस्ता खरीद कर पूंजीपतियों के हाथ में बेच देती है तो बाद में उसकी कीमतें ज्यादा हो जाती हैं। इस तरह से यह बात स्पष्ट है कि शासन की नीति किसान विरोधी नीति है और पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देने वाली नीति है।

हमारे प्रदेश में सीमान्त और लघु कृषकों की संख्या 85 प्रतिशत के लगभग है।

शासन द्वारा जो सहायता इनको दिलाई जाती है, वह उन तक नहीं पहुंच पाती है। वह सारी की सारी सहायता सरकारी तंत्र हड़प कर जाता है या बड़े 10 प्रतिशत बड़े काश्तकारों की जेब में पहुंच जाती है, या अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब में पहुंच जाती है। इस वर्ष गेहूं का मूल्य 162/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित हुआ है, लेकिन इससे तो किसान की लागत भी नहीं निकल पायेगी। इस वर्ष गेहूं का मूल्य तय करते समय कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को भी ध्यान में नहीं रखा गया है। इसके अतिरिक्त किसान संगठनों से भी कोई राय नहीं ली गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी किसानों को बोनस दिए जाने के बारे में बताना चाहता हूं कि कम से कम 38/- रुपये प्रति क्विंटल गेहूं पर बोनस दे करके 200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आप काश्तकारों से गेहूं की खरीद करें।

मान्यवर, मैं एक चीज और विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि धान की खरीद में इस साल बहुत धांधली हुई है और किसानों को 142 रु0 प्रति क्विंटल के स्थान 100 रुपए प्रति क्विंटल बेचने को मजबूर किया गया है। सरकार की एजेन्सियों ने बिचौलियों के माध्यम से खरीद की। किसान का धान व्यापारी ने खरीदा और किसान को 100/-रुपये प्रति क्विंटल में बेचना पड़ा। एक बात और कहना चाहता हूं कि 1983-84 जो 2.4 लाख टन चावल विदेशों में बेचकर केन्द्रीय सरकार ने 140 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की कमाई की थी। उस वर्ष चावल का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 583/- रुपये क्विंटल था, जबकि किसानों को 211/- रुपए प्रति क्विंटल की दर से दाम दिया गया। तो किसानों से इस दर पर चावल खरीद कर मान्यवर, शासन ने इतनी बड़ी बेईमानी की है कि सरकार किसानों से मुनाफा कमा रही है।

एक विशेष बात मैं आलू के संबंध में कहना चाहता हूं कि झुलसा रोग फैला हुआ है और आलू रोगग्रस्त हो गया है। इसलिए आगे आने वाले साल में आलू की खेती में बीज की समस्या सामने आने वाली है। इसलिए बीज का प्रबन्ध अभी से करना प्रारम्भ कर दें, अन्यथा अगले साल आलू के बीज की समस्या उत्पन्न हो जायगी। मान्यवर, लघु और सीमान्त कृषकों को खाद पर जो अनुदान दिया जाता है उसका जितना दुरुपयोग हो रहा है, वह जितना कहा जाय, कम है। सारी की सारी खाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने व्यापारियों के हाथ में बेच दी और काश्तकार को कोई संहायता नहीं मिल पाई। मान्यवर, अन्त में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। मान्यवर, खाद का मूल्य बढ़ा दिया गया, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम के दाम घटे हैं, इसलिए खाद की कीमत को कम करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए था। इस संबंध में प्रान्तीय शासन अपने प्रभाव का उपयोग करके कीमतों को घटाए। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कृषि विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

मान्यवर, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। प्रदेश में इस विभाग की व्यवस्था को सुधारने के लिए और उसे दिशा देने के लिए हमारे मंत्री जी कृत संकल्प हैं। मान्यवर, अभी हमारे एक विपक्ष

के साथी यह कह रहे थे कि माननीय कृषि मंत्री चौधरी चरण सिंह जी के दल से संबंधित थे, उसी के अनुरूप उनकी भावना है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि जब देश में बाहर से सड़ा हुआ गेहूं मंगाकर कन्ट्रोल की दुकानों पर वितरित किया जाता था, हमारा देश खाद्यान्न के मामले में दूसरों पर निर्भर करता था, यह स्व0 श्रीमती इंदिरा गांधी जी की देन है कि आज भारत खाद्यान्न के मामले में उस स्थान पर खड़ा है कि वह स्वयं इतना गल्ला, इतना गेहूं पैदा कर लेता है कि कहीं विदेश से मंगाने की आवश्यकता नहीं। मान्यवर, जहां लोग कभी-कभी त्योहारों और विभिन्न अवसरों पर गेहूं की रोटी आदि के लिए तरसते थे, आज हम उस स्थान पर आ गए हैं कि चाहे गरीब हो या अमीर हो या भिखारी सभी को गेहूं, चावल आदि आसानी से हर समय मुहैय्या होता है। मान्यवर, चौधरी चरण सिंह के दल में ऐसे लोग जो देश को कुछ दिशा दे सकते हैं, कृषि में सुधार कर सकते हैं, उस दल में उनका सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। माननीय कृषि मंत्री चौधरी नरेन्द्र सिंह उस दल में असली चौधरी थे, असली किसान थे। आज हमारे दल में कृषि मंत्री के रूप में उनकी आवश्यकता थी और वे इस विभाग में रहकर निरन्तर कृषि में सुधार कर रहे हैं। मान्यवर, मैं विपक्षी भाइयों को बताना चाहता हूं कि यदि कोई किसानों का नेता है, असली चौधरी है तो वह चौधरी नरेन्द्र सिंह हैं। मान्यवर, चौधरी चरण सिंह असली चौधरी नहीं हैं, न असली किसान हैं। हमारी सरकार ऐसे कर्मठ लोगों को चाहती थी और वे उसी का परिचय देते हुए निरन्तर सुधार के लिए प्रयासरत हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय सदस्य ने चौधरी चरण सिंह जी के लिए कहा कि वे असली चौधरी नहीं हैं, असली किसान नहीं हैं। मान्यवर, वे यहां के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, भू0 पू0 प्रधान मंत्री रह चुके हैं। सब उनको जानते हैं। यह शब्द कार्यवाही से निकाले जायं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय विद्यार्थी जी, माननीय सदस्य का कहना यह है कि चौधरी साहब के आगे नकली चौधरी शब्द न लगाइये, असली चौधरी लगाइये। आप इसे तरमीम कर लें।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, माननीय नरेन्द्र सिंह असली चौधरी इसलिए हैं कि वे हल को कंधे पर रखकर चले और माननीय चौधरी चरण सिंह जी कभी हल को कंधे पर नहीं रखे। मान्यवर, माननीय नरेन्द्र सिंह जी कंधे पर हल रखने वाले चौधरी हैं और चौधरी चरण सिंह जी खुद हल को अपने कंधे पर नहीं रखते किसानों के कंधे पर हल रखवाने वाले हैं। मैं इस तरह से तरमीम कर देता हूं।

मान्यवर, माननीय नरेन्द्र सिंह जी इससे पूर्व नियोजन विभाग को संभाले हुए थे, वे इस विभाग में जो छाप छोड़कर आए, उसका सौभाग्य कृषि विभाग को भी मिला। मान्यवर, जैसा कि अभी तक लोग कृषि विभाग को गेहूं, चावल, खाद–आदि तक ही सीमित समझते थे, इनके इन लिटरेचरों को देखने के बाद पता चला कि फल, शाकभाजी, पेड़-पौधे–यह तमाम चीजें इस विभाग के अन्तर्गत हैं और इसके माध्यम से काफी प्रगति हुई है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, 11 हजार गांवों को लिया गया है, जिसमें इस तरह का सत्यापन कर

रहे हैं कि यदि कोई दोषी वहां पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी । कृषि विभाग में सुधार लाने के लिए यह कदम उठाया गया है । मैंने अपने जनपद इलाहाबाद में अमरूद फल उद्योग की भी मांग की थी। सारी औपचारिकताएं पूर्ण हैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसे भी फल पट्टी घोषित किया जाय । मेरे निर्वाचन क्षेत्र द्वाबा यंभनपुर में कोई भी भूमि संरक्षण इकाई नहीं है मैंने इस सम्बन्ध में पहले भी मांग की थी सारी औपचारिकताएं भी पूर्ण हो चुकी हैं । अतएव मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर एक भूमि संरक्षण इकाई की स्थापना की जाय। अन्त में मैं कृषि मंत्री के बजट का पूर्ण समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री सुरेन्द्र प्रताप मिश्र–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कटौती का प्रस्ताव यहां पर पेश हुआ और उस पर विचार भी होगा क्या उस समय उस दल के नेता का इस सदन में आना जरूरी है कि नहीं अगर जरूरी नहीं भी है तो क्या यह उचित है कि नहीं। मैं 1959 की रूलिंग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उस समय भी कटौती के प्रस्ताव पर एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था इसी प्रकार का तो अध्यक्ष द्वारा कहा गया था उनकी पार्टी के नेता का उपस्थित रहना उचित ही है। लेकिन इस समय जिस पार्टी के सदस्य ने कट-मोशन को रखा है उनके नेता सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

इनके उप नेता तो यहां पर मौजूद हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, जिस समय मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया था तो उस समय नेता विरोधी दल उपस्थित थे। अतएव यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। हमारे कृषि मंत्री एक किसान परिवार के हैं आज हम और सारे उत्तर प्रदेश के किसान यह आशा लगाये हुए थे कि वह किसानों के लिये कोई ऐसी घोषणा करेंगे जिससे उनको राहत मिलेगी। लेकिन मुझे यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने आंकड़ों का एक फर्जी जाल यहां पर बिछाया, जिसे माननीय श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी ने उन्हीं की किताबों और अभिलेखों के आधार पर पूर्ण रूप से चकनाचूर कर दिया बड़े शर्म की बात है कि किसान के घर में पैदा हुआ बेटा किसान को धोखा दे। मैं समझता हूं कि यह उनकी गलती नहीं है। आज वह एक ऐसे जमात में पहुंच गये हैं जहां न तो वह किसान का कल्याण कर सकते हैं और न ही अपना।

मान्यवर, किसान की सफलता का सबसे बड़ा आधार है खाद, बीज और पानी। अगर यह तीनों चीजें उसे मुहैया करा दी जायं तो वह अपने काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अगर उन्हें उपज का उचित मूल्य मिल जाय तो निश्चित ही उनकी हालत सुधर जायेगी। माननीय मंत्री जी बीज की बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करते हैं कि हमने बीज उपलब्ध कराया मैं अपने मैनपुरी जिले की बात कर रहा हूं वहां पर जो बीज उपलब्ध कराया गया उसमें घुन लगा हुआ था जिसे किसानों ने वापस कर दिया था इस सम्बन्ध में तमाम शिकायतें हुईं लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मान्यवर, जहां तक खाद का सवाल है, हमारे इस पक्ष के माननीय सदस्य और उस पक्ष के माननीय सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि खाद में मिलावट है लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं वह ऐसे हैं जैसे सागर में एक बूंद पानी। जिन पर छापे मारे गये और जिनको बन्द किया गया वह बहुत ही कम है 8 प्रतिशत से भी कम है। ऐसा कोई शहर नहीं है जिसमें खाद के दुकानदार 90 प्रतिशत मिलावट न करते हों। हमारे जिले में गिरिराज फर्टीलाइजर खाद का कारखाना है, वह खाद की जगह मिट्टी बेचता है और सत्ता में बैठे हुए लोगों को सारे साधन उपलब्ध कराते हैं। उनके खिलाफ बार-बार मांग की गयी लेकिन आज तक न जांच हुई, न कोई कार्यवाही की गयी। माननीय मंत्री जी ने घोषणा की कि हमने खाद पर सबसिडी दी है, अनुदान दिया है 50 प्रतिशत। बड़ा हास्यास्पद है। जो सीमान्त और लघु कृषक हैं, उनके लिये जो अनुदान की घोषणा की गयी, वह रबी की बुआई के बाद दिया। आदेश दिये हैं हमारे जिले में करहल तहसील में 3 दिन के अन्दर अनुदान की पूरी खाद की बिक्री कर दी गयी, 95 प्रतिशत खाद की फर्जी बिक्री की गयी। मैंने मांग की कृषि मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिला 11 फरवरी को, उन्होंने कहा कि लिखकर दे दीजिये। मैंने लिखकर दे दिया, लेकिन आज तक जिले में जांच का कागज नहीं पहुंचा। पूरे प्रदेश के हर गांव की जांच करा लेंगे, कैसे इतनी बड़ी बात कहते हैं? आपकी बात कार्य रूप में परिणित कभी नहीं होती है।

जहां तक दवाओं का सवाल है कीटनाशक दवाओं की यह हालत है कि सारा किसानों के खेतों में पायरिला लगा, सारे पश्चिमी जिले प्रभावित थे। कृषि विभाग की तरफ से दवायें छिड़की गयीं, हजारों रुपया बरबाद हुआ, लेकिन पायरिला नहीं मरी, दवायें नकली थीं, फर्जी थीं, माननीय कृषि मंत्री जी ने इसी सदन में जांच का आश्वासन दिया था लेकिन आज तक किसी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ जांच नहीं हुई, न सजा दी गयी।

अभी आपने बताया कि मण्डी समितियां या मण्डी परिषद् किसानों के उत्पाद को बिकवाने का बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। यह पूरी की पूरी मण्डी परिषद् एक भ्रष्टाचार के बहुत बड़े समुद्र में डूबी है। जो इसके सरकारी अधिकारी हैं, वैसे तो सारे प्रदेश के लोग मानते हैं कि हमारे मण्डी निदेशक बहुत ईमानदार हैं लेकिन इसके चेयरमैन जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बेईमानों में हैं, उनको अभी तक नहीं हटा सके तो क्या आशा करें कि आप सुधार कर पायेंगे। इसलिये इस प्रदेश के किसानों को कोई राहत देंगे, यह उम्मीद नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसान अपनी रबी की फसल तैयार कर पाये हैं, यही मांग करते हैं कि उसका ही उचित मूल्य दिला दें तो बड़ी कृपा

होगी, लेकिन वह घोषणा भी आप आज नहीं कर पाये।

आलू की बात कही। सारे उत्तर प्रदेश में आलू झुलसा रोग से प्रभावित हुआ, आलू के किसान भुखमरी के कगार पर हैं, लेकिन मा0 मंत्री जी ने आज तक कोई ऐसी घोषणा नहीं की कि उन्हें राहत देंगे। इसी के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आलू के कृषकों को, जिनकी सारी फसल बर्बाद हो गयी है, आज घोषणा करें कि उन्हें राहत देंगे। इसी के साथ श्री दिवाकर विक्रम सिंह के कटौती के प्रस्ताव का अननुमोदन करता हूं और जो फर्जी बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका विरोध करता हूं।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, आपने कृषि विभाग की बजट मांगों पर बोलने का मौका दिया, आभारी हूं। मैं कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हुए माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

कृषि विभाग द्वारा जो योजनायें चलायी जा रही हैं, उससे कृषक भाइयों का लाभ हुआ है। हमारा प्रदेश कृषि के द्वारा काफी आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। जहां तक अनुदानों का सम्बन्ध है, खाद के मामले में, बीजों के मामले में काफी अनुदान दिया जा रहा है। कृषि विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन वर्ष 83-84 की प्रदेश की सम्पूर्ण आय देखें। 70-71 का मूल्य स्तर 6339 करोड़ रुपये है, जब कि वर्तमान मूल्य स्तर पर 18633 करोड़ रु0 है। खेद के साथ कहना पड़ता है कि बजट में कृषि पर मात्र बजट का 2.7 प्रतिशत और आयोजनागत (प्लान) बजट का मात्र 1.19 प्रतिशत व्यय किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि आने वाले बजटों में कम से कम 10 प्रतिशत कृषि विभाग के बजट का एलोकेशन कराये जाया करें।

मैं आपके माध्यम से कृषि रक्षा या फसल सुरक्षा खेती का जो विभाग है उसकी ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। सघन खेती के साथ ही साथ इस विभाग का महत्व और भी बढ़ गया है। राष्ट्रीय स्तर पर लगाये गये अनुमान के अनुसार 18 प्रतिशत क्षति खेत से भण्डार तक कृषि उत्पादन को पहुंचाने में हो जाती है। कुल क्षति 303 टन खाद्यान्न, 12 लाख टन तिलहन, 706 लाख टन गन्ना, 58.00 आलू तथा लगभग 30 लाख मैट्रिक टन तरकारियों एवं फलों के उत्पादन से होती है। इस सबका मूल्य लगभग रु0 3233 करोड़ 1970-71 के मूल्य के आधार पर और 7975 करोड़ रु0 वर्तमान मूल्य के आधार पर होता है। इस तरह से 18 प्रतिशत क्षति के स्तर पर प्रदेश को लगभग 1430 करोड़ रु0 की क्षति कृषि उत्पादन में हो रही है। उपलब्ध कृषि रक्षा सुविधाओं से हम इसका 320 करोड़ रु0 की ही बचत कर पा रहे हैं। सुरक्षा के स्तर पर इस कमी का कारण है कि कृषि सुरक्षा विभाग जो कि आपके विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके अन्तर्गत आने वाली आधुनिक तकनीकी पर मैं आपकी तवज्जह चाहूंगा। आपके इस विभाग में लगभग 50 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसी प्रकार से कृषि रक्षा विभाग में भी जो पद सेंक्शन हैं वे भरे नहीं जा रहे हैं जिसके कारण कार्य में

गिरावट आ रही है। आप यदि इस ओर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपका कृषि रक्षा विभाग सुदृढ़ हो जायेगा। इसको फुलफ्लेज करने की आवश्यकता है। इसमें डाइरेक्टर की आवश्यकता है। आपके यहां केवल डिप्टी डायरेक्टर का ही पद है, ज्वाइन्ट डाइरेक्टर रैंक का भी कोई पद नहीं है।

आपका यह सबसे सुदृढ़ विभाग है जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और ब्लाक स्तर पर भी उसके बावजूद भी वहां अधिकारियों का हरैसमेन्ट होता है और नीतियों का कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। मैं प्लान्ट प्रोटेक्शन डिपार्टमेन्ट की ओर आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं और चाहता हूं कि शासन का सहयोग इसमें प्राप्त हो जिससे कि यह स्वावलम्बी विभाग बन सके। मेरा आपसे अनुरोध है कि एक अलग से निदेशालय कृषि रक्षा विभाग का तुरन्त बनाया जाय। आपके बजट में लाह योजना के लिये कोई प्राविजन नहीं किया गया है जो कि आदिवासियों के विकास का आधार है। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं। कृषि प्रसार योजना को लागू करने से इसमें भी लाभ होने की सम्भावना है क्योंकि इससे कृषकों को जानकारी मिलेगी। अन्त में मैं कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये अवसर दिया इसलिये मैं आपका आभारी हूं। कृषि हमारी अर्थ व्यवस्था का आधार है उत्तर प्रदेश की लगभग 90 फीसदी जनता जो कि गांवों में रहती है। उसके सामने न तो कोई और जीविका के साधन हैं और न कोई और रोजी रोटी का साधन है और न ही कोई उद्योग है। कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बजट पेश करते हुए माननीय कृषि मंत्री जी कोई ऐसी योजना बतलाते कि जो खर्चा यहां किया जा रहा है कि वह गांव तक कैसे पहुंचेगा। होता यह है कि जो रुपया गांव वालों के नाम पर यहां से कर्मचारियों के माध्यम से खर्च किया जाता है, वह गांव तक नहीं पहुंच पाता है। अभी उधर के एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि खेती में लागत कितनी आती है। उसका ठीक आंकलन करना कठिन है यह बड़ी आश्चर्य का विषय है कि कृषि कार्यों की लागत का हिसाब यह लोग नहीं लगा पाते। मान्यवर, आप देखें कि कितना बीज पड़ता है, इसका आंकलन आप कर सकते हैं, कितनी खाद लगती है और कितना पानी लगता है और जमीन का कितना लगान आता है, तो इन सब चीजों को जोड़कर अगर आप देखें तो लगभग 220 रुपया प्रति क्विन्टल लागत आती है और अगर आप गांव के आदमी से पूछें तो वह हिसाब लगाकर कहेगा कि 251 रुपया लागत आती है और आप मान्यवर, उसको गेहूं की कीमत 251 रुपया दे रहे हैं। सरकारी समर्थन कीमत और लागत के दाम में इतना अन्तर है। यह अन्तर किसानों की जिन्दगी को बदतर बना रहा है।

मान्यवर, इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि कृषि में साख का अभाव रहता है। खाद के लिये, पानी के लिये और कृषि उपकरणों के लिये आपको राष्ट्रीयकृत बैंकों पर निर्भर रहना पड़ता है और उन पर आपका कोई नियंत्रण

नहीं है अगर आप उनको कोई पत्र लिखते हैं तो वे उसको नजरन्दाज कर देते हैं और वहां के कर्मचारी जब किसान से अपना कमीशन ले लेते हैं, तभी वह पैसा देते हैं और जब बैंक कर्मचारी प्रसन्न हो जाता है तो कर्जा देने की बात करता है। आपको इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करना चाहिये। मान्यवर, कृषि के सम्बन्ध में साख की नई परिस्थिति पर विचार किया जाये, साख पैदा की जाये तो किस प्रकार से की जाये, इस पर आपको विचार करना है। मान्यवर, आज जो किसानों को अनुदान देते हैं, इसके लिये कोई दूसरी वित्तीय संस्था खोलें, कोई दूसरी संस्था विकसित करें तो अच्छा होगा। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं अपने जनपद उन्नाव की बात कहकर समय के भीतर अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। मान्यवर, हिलौली ग्राम में खाद पकड़ी गयी और उसको गांव के प्रतिष्ठित लोगों ने ब्लैक के लिए ले जाते हुये पकड़ा। लेकिन अभी तक उस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मान्यवर, विकास खण्ड पुरवा में धान की सहायता दी गयी, उसमें धांधली की गयी फर्जी नाम पर मृतकों को सहायता दी गई खण्ड विकास अधिकारी ने उसकी जांच की, ब्लाक प्रमुख ने उसकी जांच की, लेकिन उसका कुछ भी नतीजा नहीं निकला और अब मान्यवर ग्राम सेवकों की एक कमेटी द्वारा जांच कराने के आदेश दिये गये हैं। तो इस सम्बन्ध में आप विचार कर लें और कुछ ऐसा कार्य-क्रम बनायें जिससे जो आपके कार्य क्रम गांवों के लिए चल रहे हैं, उनका लाभ गांव को मिले। इन शब्दों के साथ मैं मा0 दिवाकर विक्रम सिंह जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अमिताभ अनिल दुबे—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और जो आपने समय दिया उसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, आज कृषि उत्पादन के मामले में हम आंकड़ों को देखें तो महसूस होता है कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन बढ़ता गया है। आज हम लोगों को सोचना है, हमें बचपन के दिन याद आते हैं, जब घर में कोई रिश्तेदार आता था तो गेहूं की रोटी और चावल बनाया जाता था या संपन्न लोगों के यहां पर बनाया जाता था, लेकिन मान्यवर, आज आप देखें कि गेहूं हर व्यक्ति को खाने को मिलता है। आज वह स्थिति नहीं है। आज हम उत्पादन के मामले में आत्म निर्भर हो गये हैं। प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर हम आत्म निर्भर हो गये हैं। पहले हम दूसरों से कटोरा लेकर मांगते थे, आज वह स्थिति नहीं है। यह किसान भाइयों के परिश्रम का फल है और हमारी सरकार ने जो किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की, उन्नतिशील-बीज उपलब्ध कराये और जो दूसरी सुविधायें दी गयीं उनके कारण कृषि का उत्पादन बढ़ा है और कृषि उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हुये हैं। आज चावल के उत्पादन के लिये नयी योजना चलाई गयी है, जिसके कारण 80 लाख टन से अधिक चावल का उत्पादन हुआ है, जो एक रिकार्ड है। यह किस वजह से सम्भव हुआ है? आप आलू के उत्पादन के सम्बन्ध में देखें देश के अन्दर कुल उत्पादन का 45 प्रतिशत उत्पादन खाली उत्तर प्रदेश ने करके एक रिकार्ड स्थापित किया है। इस बात के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और कृषि

मंत्री हमारे बधाई के पात्र हैं उन्होंने जो कुछ विशेष घोषणा की है मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूं विशेषकर पूर्वान्चल की तरफ आपका ध्यान गया है। पूर्वान्चल के लिए जो आपने नई योजनाएं दी हैं उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। लखनऊ के किसानों के लिए किसान भवन के निर्माण की बात कही गई ।

आपने प्रत्येक तहसील में किसानों को रखकर सम्मानित सदस्यों को रखकर किसान सलाहकार समिति के गठन की घोषणा किया है इसका मैं स्वागत करता हूं। इसके अलावा लघु और सीमान्त कृषकों को काफी सुविधाए मिली हैं। जो उनको उर्वरक पर 50 प्रतिशत अनुदान देने की बात है, उन्नतिशील कृषि उपकरण देने की बात है और मिनीकिट के निःशुल्क वितरण की बात है इस तरफ भी काफी कोशिश की गई है इसके साथ-साथ हमारे यहां कुछ आवश्यकताएं हैं, बहुत काम भी हुए हैं जैसे कृषि विपणन के क्षेत्र में वर्ष 84-85 में किए गए कार्यों के लिए प्रथम बार उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने प्रथम पुरस्कार दिया है जिससे हमारे कृषि विभाग के द्वारा किए गए कामों का पता चलता है ।

इसके साथ हमारी कुछ समस्याएं हैं। मैं पूर्वान्चल से आता हूं । पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ और समस्याएं हैं जैसे कि हमारे जनपद गाजीपुर में बहुत दिनों से यह मांग हो रही है कि गाजीपुर में कृषि विश्वविद्यालय खोला जाय। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं इस पर आप तवज्जह दें ।

इसके साथ हमारी जितनी भी योजनाएं कृषि विभाग द्वारा संचालित हो रही हैं इसके बारे में कहना इतना ही है कि योजनाएं गंगा के समान पवित्र हैं परन्तु इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ लोग बाधक हैं जो हमारे छोटे स्तर के कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनकी वजह से इन लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है जिसके लिए योजनायें हैं हमको, आपको और सारे लोगों का ध्यान रखना है। इसके साथ-साथ जो विश्व बैंक की नलकूप योजना चलायी जा रही है इसमें गाजीपुर जनपद के मरदाह ब्लाक, मन्हारी ब्लाक, बिरनो ब्लाक और गाजीपुर ब्लाक में विश्व बैंक की नलकूप योजना को आप क्रियान्वयन करने का कष्ट करें। इस क्षेत्र में नलकूप की बहुत आवश्यकता है। अन्त में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*श्री लक्ष्मी नारायण–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से छूट की बात की ये मैंने पहले भी स्मरण कराया था कि 84-85 की जो छूट लघु और सीमान्त कृषकों को मिलनी थी वह आज भी मथुरा जनपद के नन्दगांव एवं सहपऊ ब्लाक में नहीं मिली है। मंत्री जी ने अभी बजट पढ़ा, बहुत दुख हुआ। उसमें पूर्ण रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उपहास हुआ है। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास किया गया है इससे हमें कोई गुरेज नहीं है लेकिन जिस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास किया गया है उसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी होना चाहिए। मान्यवर, मंत्री जी ने टी0 एण्ड

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वी0 प्रोग्राम चलाया पूर्वी उत्तर प्रदेश में, धान की फसल के लिए उन्नतिशील बीज दिया तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जो भी केन्द्र सरकार की सहायता से प्रशिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं वह भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ इस बात की कार्यवाही करें और वहां पर भी इस तरह की व्यवस्था करें। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय और कालेजों को आप इस तरह के निर्देश दें कि वहां पर भी रिसर्च हो और वे विश्वविद्यालय और कालेज एक साल में 50/40/25 गांवों को एडाप्ट करें वहां रिसर्च करें, प्रैक्टिकल करके गांवों में लोगों को दिखायें और बतायें। जिस तरह से अभी हमारे भाई समरपाल सिंह ने कहा कि जो आप सब्सिडी की बात करते हैं उससे किसानों को कोई लाभ नहीं होता। यह सब आपके अधिकारी और कर्मचारी बेईमानी करके खा जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि खाद और बीज का मूल्य कम करके, किसानों को छूट दी जाय।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान मंडी परिषद् की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, मंडी एक्ट बनाकर माननीय चौधरी चरण सिंह ने किसानों के सपने को साकार करने के लिए एक योजना बनायी थी। अब हम कुछ उम्मीद करते हैं कि माननीय मंत्री जी उसी पाठशाला से निकले हुए हैं, आप समझते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि मंडी परिषद् का विधिवत चुनाव होना चाहिए। आपके प्रशासक वहां नहीं होने चाहिए। कोई भी एस0 डी0 एम0 या ए0 डी0 एम0 इन मंडी परिषदों के ऊपर ध्यान नहीं देता है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आपने जब करोड़ों रुपयों की लागत से ये मंडी समितियां बनायी हैं तो वहां पर अच्छा बीज, अच्छी खाद और बीमारियों के बारे में निर्देश देने के लिए और उन्हें बताने के लिए प्रत्येक मंडी समिति में एक केन्द्र की स्थापना होनी चाहिए। इसी तरह से अभी जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया कुछ भ्रष्टाचारियों की तरफ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इस बारे में कई माननीय सदस्य बता चुके हैं कि यदि आप कार्यवाही करें तो मंडी परिषद् के चेयरमैन के ऊपर करें जो बेईमानों का मशहूर मसीहा है, उसके खिलाफ कार्यवाही करें। कार्यवाही करें ब्रह्मानन्द के खिलाफ, कार्यवाही करें आगरा के डिप्टी डाइरेक्टर एग्रीकल्चर के खिलाफ। यदि इन लोगों के खिलाफ आप कार्यवाही करें तब तो कुछ पता चलेगा। छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़ों के खिलाफ कार्यवाही करने से कुछ नहीं होता है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान यू0 पी0 एग्रो की तरफ ले जाना चाहता हूं। मेरा तो यह सुझाव है कि यदि आप इस एग्रो को बन्द कर दें और इसकी जगह कोई दूसरी इस तरह की संस्था या ब्रांच खोल दें जिससे किसानों को लाभ मिले, तो वह ज्यादा ठीक होगा। एग्रो इस तरह की एक संस्था है जिसके बारे में मैं आपका ध्यान आज से 10 साल पहले या उससे भी पहले सन् 1970 की ओर ले जाना चाहता हूं। जर्मन कोलेबोरेशन से यू0 पी0 एग्रो ने आर0 एस0 ओ0-9 ट्रैक्टर का एक सौदा किया। जब वह फेल हो गया तो तब से लेकर आज तक किसानों का हजारों रुपया जो एग्रो के पास जमा है, उसको

लौटाया नहीं गया और न किसानों को उसका लाभ दिया गया।

इसी तरह से मान्यवर, मैं आपका ध्यान फसल बीमे की तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रदेश की सबसे मुख्य फसल है गन्ना। मैं सोच रहा था कि मंत्री जी सन् 78 के 23 दिसम्बर को याद करके कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे और गन्ने के बीमे की योजना के बारे में बतायेंगे। लेकिन मुझे पता है आपकी दाल नहीं गल रही है। आपकी ठीक वही हालत है जैसे कि एक ठाकुर साहब भैंस लेने के लिए गये। उन्होंने पूछा, यह भैंस कितने की है तो उस आदमी ने बताया कि 10 हजार की है। फिर ठाकुर साहब ने पूछा कि कितना दूध देती है तो वह आदमी बोला कि दूध नहीं देती है। फिर उसने पूछा कि कितनी बार बच्चे देती है तो कहे कि बच्चे भी नहीं देती है। फिर ठाकुर साहब ने पूछा तो फिर इस भैंस में क्या गुण है तो इस पर वह आदमी बोला कि इसमें एक ही सबसे गुण है कि वह किसी भैंसे को अपने पास फटकने नहीं देती। वही हाल आपका यहां पर है। अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे कृषि बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। उन्होंने इस विभाग को अधिक उपयोगी और प्रदेश के किसानों के विकास की प्राणप्रण से चेष्टा की है, यद्यपि इसमें गुणात्मक परिवर्तन तो नहीं हुआ है लेकिन परिवर्तन गढ़ा हुआ है जिसका नतीजा है कि गेहूं और चावल का उत्पादन गत वर्षों के मुकाबले ज्यादा हुआ है। माननीय कृषि मंत्री जी एक किसान के लड़के हैं मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वह कृषि उत्पादन को बढ़ाने में लगे हैं। इस बात को प्रदेश के सभी लोग जानते हैं। यह बात सच है कि जो योजनायें बनती हैं उनके चरितार्थ होने में विभाग के लोगों का जितना योगदान होना चाहिये उतना नहीं हो पाता है।

कृषि की उन्नति के लिए सभी जानते हैं कि खाद, अच्छे बीज और पानी की बहुत आवश्यकता होती है। बीज के संबंध में कृषि मंत्री जी ने बताया कि हम यह करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें दो मत नहीं हैं कि जो बीज दिये जाते हैं वह उतने प्रामाणिक नहीं मिल पाते हैं। हमारे बनारस में पन्तनगर का बोर्ड लगाकर उसमें तमाम तरह की मिलावटें होती हैं और जितने अच्छे बीज मिलने चाहिए उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं। जब बीज चाहिये उस समय नहीं मिले हैं जो आपके कोआपरेटिव फेडरेशन के माध्यम से मिलते हैं उनसे जब बीज मांगते हैं तो वह कहते हैं अभी बीज उपलब्ध नहीं हैं।

खाद की मिलावट के संबंध में सब जानते हैं इस वर्ष पिछले सालों के मुकाबले में मिलावट जरूर कम हुई है। इस ओर सरकार का ध्यान है यह अच्छी बात है। अगर खाद और कीटनाशक दवाओं में मिलावट होगी तो आप सब जानते हैं, कि उसका परिणाम क्या होगा। माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने बहुत से सुझाव दिये। अच्छे सुझाव हैं। विश्वविद्यालयों के संबंध में उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से क्या कास्ट आफ प्रोडक्शन आती है। लेकिन रिसर्च में

ज्यादा खर्च आना स्वाभाविक है, पन्तनगर को छोड़ कर जितने कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके यहां जितना कार्य शोध के क्षेत्र में होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने मड़ाई के लिए अच्छे यंत्रों के लिए निर्देश दिये हैं कि अच्छे यंत्र बन सकें ताकि मड़ाई में सुविधा हो लेकिन विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनकी इस क्षेत्र में गतिविधियां अच्छी नहीं हैं। इसलिए उनको इस क्षेत्र में और अधिक शोध करना चाहिये।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कई योजनाओं का माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं। फलपट्टी के बारे में मलिहाबाद के अलावा बनारस का भी नाम लिया है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां एक फिरई गांव फलों के लिए प्रसिद्ध है। अंग्रेजों के समय में वहां वाइसराय भी देखने के लिए गये थे यहां पर केवल फलों की खेती होती है लेकिन वहां पर आज तक हार्टिकों की कोई योजना नहीं है जिससे फलों के रस की व्यवस्था ठीक से हो सके। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी ने इसमें बनारस का नाम लिया है।

मंडी के संबंध में हमारे यहां बड़ी गड़बड़ी है। वहां पर फलों की मंडी है। कृषि सचिव जानते हैं जब वह वहां पर डी0 एम0 थे वह जानते हैं कि इसके आवंटन में कितना घपला होता है। वह मंडी मेरे क्षेत्र में पड़ती है। धान के उत्पादन में चकिया सबसे ज्यादा उत्पादन में हरियाणा के बाद दूसरे नम्बर पर आता है। खेती के साथ ही खाद, पानी, बीज तथा बिजली भी आवश्यक है (लाल बत्ती होने पर) मैं एक मिनट और लूंगा।

मान्यवर, पानी की आज आवश्यकता इसलिए है कि उत्पादन में वृद्धि हो बनारस में पुराने समय की जो नहरें थीं वह पट रही हैं और चावल, धान का वहां बहुत अधिक प्रोडक्शन हो रहा था किन्तु आज उसकी पैदावार कम हो रही है। मंत्री जी ने जो विश्व बैंक की मदद से ट्यूबवेल की बात कही है तो यदि हमारे यहां भी कुछ ट्यूबवेल पहुंच जायं तो अच्छी बात है। इसी के साथ मैं यह भी चाहूंगा कि फल पट्टी में हमारे यहां एक हार्टिकों का प्लान्ट अवश्य लगाया जाये चूंकि उसका काम अच्छा चल रहा है।

मान्यवर, एग्रो बिजली विभाग की तरह ही एक व्हाइट एलीफैंट बना हुआ है जिसमें मंत्री जी कह रहे हैं कि सुधार कर रहे हैं लेकिन ऐसे एलीफैन्ट को जिस पर फिजूलखर्ची की जा रही है उसमें जब सुधार नहीं हो रहा है तो उसको बन्द कर देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री आसान सिंह–

व्यवस्था का प्रश्न है। क्या प्रोफेसर वासुदेव सिंह मंत्री जी की सीट पर आगे बैठे हैं? क्या वह मंत्री हो गये हैं, इसकी जानकारी सदन को दे दी जाये।

श्री वासुदेव सिंह–

मान्यवर, छिपकली ऊपर चढ़ जाती है तो क्या वह इंसान से बड़ी हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही हमारे यहां बैठने से क्या होता है?

श्री अधिष्ठाता–

व्यवस्था का यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैंने कृषि मंत्री जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुना। मंत्री जी ने बड़ी योग्यतापूर्वक आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए यह साबित करने का प्रयास किया कि हमारा उत्पादन बहुत बढ़ गया है। मान्यवर, मैं मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि क्या वह सदन को बताने की कृपा करेंगे जिससे तस्वीर साफ हो जायेगी कि प्रति व्यक्ति प्रदेश में अनाज की उपलब्धता बढ़ी है या घटी है। मेरी चुनौती है कि पिछले 4–5 वर्षों में अनिवार्य रूप से प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता में घटौती हुई है और विशेषकर, दलहन में भारी कमी आयी है। इस लिये मैं चाहूंगा कि केवल आंकड़ों के माध्यम से सब्जबाग दिखाना गलत होगा, इसलिये हमको आने वाली कठिनाइयों को पहिचानना चाहिए। मान्यवर, कृषि उत्पादन जो इस प्रदेश का रहा है वह बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में नगण्य है और इसी पर भरोसा मानकर यदि आप बैठ गये तो आने वाले समय में अनाज के गम्भीर संकट को आपको झेलना पड़ेगा।

मान्यवर, कृषि विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वांचल में भी चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यहां पर पूर्व और पश्चिम की जलवायु, मिट्टी, मौसम में बहुत फर्क हो जाता है, इसलिए फैजाबाद में आचार्य नरेन्द्र देव जी के नाम पर नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतने दिनों से कार्यरत कृषि विश्वविद्यालय ने फल की कौन नई प्रजाति दिया, दलहन और तिलहन की कौन प्रजाति दे दिया जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में सहायता मिलती है? आज यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि हमारा कृषि विश्वविद्यालय, जो हमारे अनुसंधान के केन्द्र हैं वह कृषि विकास की रीढ़ हैं, वह आज गुटबाजी, जातिवाद और नौकरशाही के चंगुल में फंसकर रह गये हैं, इसलिये उनकी सार्थकता नहीं के बराबर हो गयी है जिसको कृषि मंत्री जानते हैं। मैं जानता हूं कि मंत्री जी की अपनी सीमायें हैं, उनकी पार्टी की किस तरह की वर्किंग है उसके कारण उनकी सीमा और बढ़ जाती है। मान्यवर, पिछली बार भी हमने कहा था कि कृषि मंत्री आज डि-जूरे, कृषि मंत्री हैं और डी-फैक्टो मंत्री दूसरा है। इसलिये वह बहुत कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज शर्म की बात है कि फैजाबाद में जो कृषि विश्वविद्यालय है, उसके पास की दुकानों पर जगह-जगह बोर्ड लगा है पंत नगर के बीज खरीदें। यदि इस बोर्ड की जगह पर आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय के बीज खरीदें बोर्ड लगा होता तो अच्छा होता जिससे उधर लोग आकर्षित होते कि इस विश्वविद्यालय ने भी कोई नई चीज दिया है जिससे गौरव होता लेकिन यह नहीं हो रहा है इसलिए मंत्री जी को इधर ध्यान देना चाहिए।

तीसरी बात मैं, कृषि मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो भ्रष्टाचार का घुन लग गया है सारे विभागों में कृषि विभाग भी उससे अछूता नहीं है। इससे हमारी सारी

व्यवस्था खोखली होती जा रही है। कृषि विभाग इस प्रदेश का प्रमुख उद्योग है। इसको यदि औद्योगिक इकाई मानकर व्यापक बनाना है, तो इस विभाग में लगे भ्रष्टाचार रूपी घुन से आपको युद्ध-स्तर पर लड़ने के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा। प्रश्नों के माध्यम से सदन में आ चुका है कि इस विभाग द्वारा दवाओं की खरीद में भारी घपला हुआ है। केवल एक दवा की खरीद के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। 82-83 में सिर्फ 10 मीट्रिक टन आयसोप्रोटान नामक दवा खरीदी गई थी, परन्तु उसे भी पूरी तरह से बेचा नहीं जा सका। पर उससे कोई सबक न लेते हुए आगे के वर्षों में उससे कहीं अधिक मात्रा में खरीदा गया है। यह बहुत नाजुक रसायन है और बहुत प्रगतिशील और जानकार किसान ही इसका सही प्रयोग कर पाते हैं। आगे के वर्ष 83-84 में कृषि विभाग द्वारा 169.06 मी0 टन, इफको द्वारा 15 मी0 टन, तराई विकास निगम द्वारा 24 मीट्रिक टन और पी0 सी0 एफ0 द्वारा 87 मी0 टन आइसोप्रोटान खरीदवाया गया है।

इस प्रकार से आप देखें वर्ष 82-83 के 10 मी0 टन की तुलना में 83-84 में ही इसे विभिन्न विभागों द्वारा कुल 295.06 मीट्रिक टन आयसोप्रोटान खरीदा गया है। जब कि एक वर्ष पूर्व ही यह मात्र 10 मीट्रिक टन खरीदा गया था और जिसका भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाया था। यह एक इम्पोर्टेड और बड़ी महंगी दवा है और 82-83 में इसका मूल्य 178 रु0 प्रति किलोग्राम था। इसके डिब्बे पर वार्निंग लिखी रहती है कि बुआई के 30-35 दिन के अन्दर ही इसका प्रयोग कर लिया जाना चाहिए, वरना इसका आशातीत फल नहीं होगा। 83-84 में जब कि दिसम्बर में गेहूं की बोआई का समय समाप्त हो चुका था, 10 प्रतिशत कमीशन के लिए इस रसायन को भारी मात्रा में खरीदा गया था। इस मामले में जब कृषि विभाग ने पूरा स्टाक बेच पाने में असमर्थता प्रकट कर दिया तो इसकी बिक्री के लिए राजस्व विभाग को लगाया गया, फिर भी जब नहीं बिक पाया तो दूसरे विभाग लगाये गये और फिर भी जब यह नहीं बिक पाया तो जहां पहले 25 प्रतिशत सब्सिडी देते थे बाढ़ के नाम पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी गई और फिर भी नहीं हुआ तो बाद में 100 प्रतिशत सब्सिडी दी गई। फिर भी वह नहीं बिक पाई और स्टाक में पड़ी रही, फिर भी स्टाक में होने के बावजूद वर्ष 84–85 में 57.54 मी0 टन आयसोप्रोटान और खरीदी गई थी। 85–86 में 59 मी0 टन खरीदी गई है। इस प्रकार से यह कुल करीब 9 करोड़ रुपये का आयसोप्रोटान खरीदा गया है 2–3 सालों में, केवल 10 प्रतिशत कमीशन पाने के लिए।

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपका कहना है, जैसा आपने इस सदन में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हम जांच करा रहे हैं, तो जब प्राईमाफेसी एक बात सिद्ध है कि इतनी बड़ी मात्रा में इस दवा की जरूरत नहीं थी, और उस समय के कृषि निदेशक ने भी लिखित रूप से इतनी बड़ी खरीद का विरोध किया था, फिर भी जिम्मेदारी फिक्स न करके, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। मंत्री जी आप कितनी ही सफाई क्यों न दें, कहीं न कहीं या तो आपकी कोई कोर

दबती है या भ्रष्टाचार से आपका कोई न कोई रिश्ता है केवल इन्हीं सुझावों के साथ यह और कहना चाहता हूं कि 90 प्रतिशत जनता का जीवन कृषि से जुड़ा हुआ है, इसको औद्योगिक इकाई मानकर इसमें आप कुछ आमूल चूल परिवर्तन लाइये, ताकि इससे जुड़े जन-जीवन के लोगों को राहत मिल सके, उनकी प्रगति के दरवाजे खुल सकें। इसमें जो भ्रष्टाचार लगा हुआ है, उसका निराकरण किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(5 बजकर 20 मिनट)

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि विभाग के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में बहुत सी घोषणायें कीं और बहुत से प्रोग्राम बताये और मैं समझता हूं कि उससे सरकार की नीति का सही आकलन और अंदाजा उनके कार्यकलापों के माध्यम से लगाया जा सकता है। श्रीमन्, दूसरी तरफ हमारे माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने बड़े अच्छे सुझाव भी रखे और मैं समझता हूं कि बहुत सी बातें माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने ऐसी कहीं, जो हमारे कृषि मंत्री जी अपने दिल में सपने संजोये हैं और समय-समय पर जैसे संशोधन बढ़ेंगे या जैसे अधिकार क्षेत्र की बात आयेगी तो हमारे कृषि मंत्री जी उनको लागू करेंगे।

श्रीमन्, जहां तक नीति की बात है और कृषि विभाग से संबंधित नीति की बात है जिसकी आलोचना माननीय सदस्यों ने की है तो उन्होंने बहुत सी बातें कृषि उत्पादों के मूल्य के संबंध में कहीं हैं। तो यह विषय से हट कर है। इसका सीधा इस विभाग से संबंध नहीं है। यह न इस सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और न इस विभाग के अधिकार क्षेत्र में है कि कृषि उत्पादों का मूल्य क्या हो। अगर इस स्थिति को सामने रख-कर इस विभाग का आकलन करेंगे तो ज्यादा सही आकलन कर सकेंगे। अभी माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी कह रहे थे कि उत्पादन नहीं बढ़ा है। उनके बोलने के 4 सदस्य पूर्व उनकी पार्टी के ही माननीय सदस्य अशोक बाजपेयी जी बोल रहे थे कि उत्पादन बहुत बढ़ा है और काफी पैदावार बढ़ी है परन्तु वह किसानों के प्रयास से बढ़ी है विभागों के प्रयास से नहीं। तो जहां तक उत्पादन बढ़ने की बात है। 1980-81 में 249 लाख मी0 टन उत्पादन हुआ था जो 1985-86 में बढ़कर 318 लाख मी0 टन हो गया। इससे जाहिर होता है कि उत्पादन बढ़ा है।

श्रीमन्, इसी तरह से मंडी समिति की विपणन व्यवस्था में आये हुए कृषि उत्पादों को देखें तो इसी समय 106 लाख मी0 टन से बढ़कर 151 लाख मी0 टन कृषि उत्पाद विपणन व्यवस्था में आये तो इससे भी जाहिर होता है कि कृषि उत्पा-दन में बढ़ोत्तरी हुयी है और विपणन व्यवस्था में आयी अच्छाई को भी यह दर्शाता है। सबसे आवश्यक जो बात है कि वास्तव में कृषि उत्पादन बढ़ा है तो वह इससे मालूम होता है कि हमारा खाद का जो वितरण है वह पिछले 5 सालों में 11.51 लाख मी0 टन से बढ़-कर 21 लाख मी0 टन हो गया है। तो यह आंकड़े दर्शाते हैं कि उत्पादन में

बढ़ोत्तरी हो रही है। खाद वितरण के आंकड़े सरकार के फर्जी नहीं हो सकते। जो लोगों ने खाद खरीदी है यह उसके ही आंकड़े हैं।

श्रीमन्, दो योजनाओं के लिए मैं विशेष तौर से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जो सफल हुयी हैं। एक तो है चावल के उत्पादन की योजना जिसको 24 जिलों के 102 ब्लाकों में लागू किया गया और उससे धान के उत्पादन में वास्तव में वृद्धि आयी 9 लाख टन अतिरिक्त चावल का उत्पादन जो हुआ उसमें से 8 लाख टन का उत्पादन इन 102 ब्लाकों में हुआ जो अपने आपमें प्रदर्शित करता है कि यह योजना सफल हुयी है। इसी तरह से प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम की जो योजना शुरू की गयी है तो उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ इतना अवश्य कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से कि यह योजनायें जब आप लागू करते हैं तो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को क्यों भूल जाते हैं। उसके साथ सौतेला व्यवहार समझ में नहीं आता है। बहुत से माननीय सदस्य यहां पर हैं उनके मन में यह भावना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ठीक हैं। वहां लोग सम्पन्न हैं तथा जिले आगे बढ़े हुए हैं। हो सकता है कि 2-4 जिलों के लोगों की आय बहुत अच्छी हो और वहां पर अच्छी खेती होती हो।

लेकिन नियोजन मंत्री जी के जो आंकड़े हैं वह मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। बरेली जिले के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 800 रुपये है, कानपुर के लोगों की 1030 रुपये है, रामपुर के प्रति व्यक्ति आय 668 रुपये है। प्रतापगढ़ जिले के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 707 रुपये है और मुरादाबाद जिले की प्रति व्यक्ति आय 764 रुपये है और हमारे मिर्जापुर की प्रति व्यक्ति आय 1000 रुपये है। तो यह आंकड़े देकर श्रीमन्, मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप यह समझ लें कि सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सब जिलों की प्रति व्यक्ति आय एक समान नहीं है तथा वहां के कुछ जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी पिछड़े हुए हैं। इसलिए जब नयी योजनायें आती हैं तो आप समझते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है और इनको वहीं लागू करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसी योजनायें जब लागू की जायं तो प्रदेश की जितनी कमिश्नरी हैं, मंडल हैं उन सबके जिलों और ब्लाकों में लागू की जायं। जिससे वहां के लोगों को भी लाभ पहुंच सके।

समय नहीं है, एक बात कहना चाहता हूं कृषि बड़ा विस्तृत विषय है। माननीय मंत्री जी आपके विभाग में एक फ्रंट ऐसा है जिस पर आप के विभाग को कोई सफलता नहीं मिली है। तिलहन और दलहन के संबंध में आपने आंकड़े दिये हैं कि एक वर्ष में कुछ हजार मी0 टन की पैदावार बढ़ी है। लेकिन अभी हाल ही में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री बूटा सिंह जी आये थे। उन्होंने बताया कि 1956 में प्रति व्यक्ति 72 ग्राम दलहन उपलब्धता थी लेकिन आज श्रीमन्, 32-33 ग्राम रह गयी है। तो श्रीमन्, यह आधी रह गयी है। यही वजह है कि लोग प्रोटीन के कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि आइसोप्रोटान पर आप 25 प्रतिशत सब्सिडी देते हैं। वह गेहूं की

फसल का तृणनाशक है। गेहूं की पैदावार आवश्यकता से भी अधिक हो रही है परन्तु दलहन व तिलहन जो कम है उसके लिए तृणनाशक पर आप सबसीडी नहीं देते। उस पर 50% सबसीडी दें।

अब तिलहन-दलहन पर जो कीटनाशक दवाओं पर आप अनुदान देते हैं, उनकी घोषणा तो यहां कर देते हैं, परन्तु जब हम लोग ब्लाक में जाते हैं तो वहां पर पता चलता है कि 400-500 एकड़ के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है। जबकि इतने-इतने तिलहन-दलहन की फसल तो 1-2 गांवों में ही हो जाती है और पूरी ब्लाक में तो बहुत अधिक क्षेत्रफल होता है। इस प्रकार से तिलहन-दलहन के किसानों को अनुदान नहीं मिल पाता है और इसी प्रकार से बीज पर भी आपने जो अनुदान देने की बात कही कि तो यदि प्रमाणित बीज का भाव बाजार में उस जिन्स के थोक भाव से 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तब यह अनुदान दिया जायेगा। जबकि वास्तविकता यह है कि खुले बाजार के भाव काफी ऊंचे रहते हैं और उच्च कोटि का प्रमाणित बीज निश्चित रूप से इस भाव से 20 प्रतिशत से अधिक महंगा होगा और इसी कारण से आवश्यक मात्रा में क्वालिटी बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है और साथ ही मान्यवर, इसमें जो दवाई छिड़कने की मशीन है, उस पर आपने 50 प्रतिशत छूट देने की बात कही है यदि मशीन की कीमत 500 रुपया से अधिक न हो तो परन्तु वास्तव में यदि अच्छी क्वालिटी की मशीन जो हाथ से छिड़कने वाली होती है, उसी की कीमत आज बाजार में 700-800 रु0 से कम नहीं है इसलिए इस पर भी किसान को अनुदान नहीं मिल पाता है। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहूंगा कि या तो आप हर मशीन पर अनुदान दें अथवा बेहतर तो यह होगा कि अच्छी क्वालिटी की मशीन की कीमत 500 रु0 से कम करा दें और यदि आपने यह उपाय खुले दिल से नहीं किया तो यह निश्चित ही है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के इस पहले महत्वपूर्ण सूत्र में आपको वांछित सफलता नहीं मिल पायेगी जिस तरह से आपको विभाग की अन्य योजनाओं पर मिली है।

अंत में यह कहना चाहूंगा कि 86 प्रतिशत किसान को आपने स्वयं ही लघु सीमांत कृषक मान लिया है और उसे आप सब्सीडी दे रहे हैं। शेष 14 प्रतिशत किसान भी अब बड़े किसान नहीं रहे क्योंकि अब सूबे में कोई बड़ा किसान रह ही नहीं गया है, इसलिए सभी किसानों को फास-फोरस, पोटास तथा अन्य खाद्यों पर एक सामान छूट देने की कृपा करें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री आसान सिंह—

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जिस समय मा0 कृषि मंत्री जी ने कृषि मंत्रि-मंडल में अपनी शपथ ग्रहण की थी तो प्रदेश के तमाम किसानों को बड़ी आशाएं बंधी थीं। मान्यवर, जैसा कि सभी जानते हैं कि यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां की 90 प्रतिशत कृषकों का जीवन कृषि पर ही आधारित है। मान्यवर, इससे पहले जब 1985-86 का प्रस्तुत बजट देखा था और अब यह 1986-87 का बजट प्रस्तुत है, इसे देखकर प्रदेश के किसानों की जो आशाएं थीं, वह सब की सब निराशा में परिवर्तित हो गयीं हैं।

मान्यवर, इस कृषि प्रधान प्रदेश के माननीय मंत्री जी स्वयं एक किसान पुत्र हैं, इसलिए उनको किसानों से बहुत बड़ी आशाएं थी। मान्यवर, प्रदेश का किसान यह सोच रहा था कि मा0 मंत्री जी प्रदेश के किसानों के लिए कोई विशेष सुविधाओं की घोषणा करेंगे परन्तु ऐसी कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं है। मा0 मंत्री जी जी ने भ्रष्टाचार के बारे में कहा कि उन्होंने कि इतने-इतने कामदारों-चौकीदारों को और इतने-इतने अन्य तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, निलंबित कर दिया तो मान्यवर, इससे काम चलने वाला नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर चलता है न कि नीचे से ऊपर की ओर। जब तक भ्रष्टाचार बड़े-बड़े अधिकारियों द्वारा जो व्याप्त है, उसे समाप्त नहीं करेंगे तो यह खत्म होने वाला नहीं है। खाद्य पर, कीटनाशक दवाओं की खरीद पर कमीशन व और इसी प्रकार के अन्य मामलों पर जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जायेगा, तब तक यह भ्रष्टाचार यहां से दूर नहीं हो सकेगा और तब तक देश की प्रगति भी नहीं हो सकती है। इसलिए मा0 मंत्री जी का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह किसानों की असली कठिनाईयों को समझें।

गांव का किसान बहुत तबाह है। मान्यवर, आप जानते हैं जितना आज खेती पर दैवी प्रकोप है, उतना किसी विजनेस पर प्रकोप नहीं है। ओला, वर्षा, तुषार, पाला, कीड़ा-मकोड़ा और यहां तक कि हवा भी विपरीत चल जाती है, तो उसका भी कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। किसान जो देश का अन्नदाता है, उसके साथ हम आप सभी खिलवाड़ कर रहे हैं एवं उसकी मौलिक समस्याओं का निदान नहीं करते हैं। इनका भूमि संरक्षण विभाग कच्ची-पक्की नालियां बना रहा है, चक रोड बना रहा है, परन्तु यह सब अधिकांश कागज पर ही बना रहा है और कागज पर खर्च हो रहा है। हमारी चुनौती है कि आप इसका भौतिक सत्यापन करा लें, किसी अपनी विश्वस्त एजेंसी द्वारा जांच करा लें। इस विभाग द्वारा जो नालियां कच्ची और पक्की बनाई जा रही हैं, उसकी वसूली किसानों पर आ रही है। मेरा यह सुझाव है कि वह किसानों पर नहीं लगना चाहिए। हमारे यहां पर हरिजन किसान, जिनके पास खाने को भी नहीं है 5 हजार रु0 से लेकर 10 हजार रु0 तक उनके ऊपर वसूली की नोटिस आ गयी है और उसकी जबरिया वसूली की जा रही है। नालियां फर्जी बन गयी हैं, सूखी पड़ी हैं, किसी पर कुलावा नहीं है।

मैं मान्यवर, अपना कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं अपने क्षेत्र की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं। बिधूना से दिबियापुर मार्ग जो 77 से 80 तक निर्मित हुआ था, उससे 100 गांव, दो मंडियां, दो तहसीलें और बड़ा रेलवे स्टेशन, तथा दो जिले जुड़ते हैं। लेकिन आज उसकी इतनी दुर्दशा है कि साइकिल और मोटर साइकिल से चलना तो दुर्लभ रहा, पैदल चलना भी मुश्किल है। गांव के किसानों को 10 रु0 बोरा मंडी तक ले जाने का किराया देना पड़ता है या वहीं बिचौलियों के माध्यम से कम दाम पर खरीद कर शोषण किया जाता है। मैंने इस संबंध में कई बार माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया, परन्तु अभी तक

कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी। हमारे निर्वाचन क्षेत्र तहसील हेडक्वार्टर है। आज आजादी के 38 साल के बाद भी वहां पर कोई शीत गृह नहीं है, जब कि फर्रुखाबाद के बार्डर से हमारा निर्वाचन क्षेत्र लगा हुआ है। इस कारण से आलू प्रधान है, परन्तु वहां पर कोई आलू भंडारण की सुविधा नहीं है। दूसरा मैं आपसे निवेदन यह करूंगा कि दो-तीन मंडी स्थल वर्षों से सेंक्शन पड़े हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है अछलदा मंडी स्थल स्वीकृत है, परन्तु कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसी तरह से विधूना और बेला में भी वर्षों से सब मंडी स्थल स्वीकृत पड़े हैं, लेकिन इन पर कोई काम नहीं हो रहा है। मैं दो-तीन सुझाव और दूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

आप लिख कर सुझाव माननीय मंत्री जी के पास भेजवा दीजिएगा।

श्री आसान सिंह–

खाद और बीज और कीट नाशक दवाइयों पर जो आप छूट देते हैं इसका या तो रेट कम कर दें या लघु और सीमान्त कृषकों को फ्री आफ कास्ट दवाइयों का छिड़काव दलहनी और तिलहनी तथा धान की फसलों पर करावें। अगर भ्रष्टाचार को आप मिटाना चाहते हैं, और यह भी मानते हैं कि 85 और 86 प्रतिशत लघु और सीमान्त कृषक हैं, तो आप कीमतों में कमी कर दें। दवाइयों के मूल्यों में कमी कर दें। तिलहन और दलहन की फसलों की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, तो उन पर कीट नाशक दवाइयों का छिड़काव कम्पेक्ट एरिया पर सरकारी खर्चे पर हेलीकाप्टर द्वारा करावें। इन शब्दों के साथ में माननीय दिवाकर विक्रम सिंह द्वारा पेश कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि जो हमने सुझाव दिया है, उसको अमल में लायें।

श्री अधिष्ठाता–

अगर फिर भी कोई सुझाव रह गया हो, तो लिखकर माननीय मंत्री जी के पास भेजवा दीजिएगा।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

अब तीन-चार घंटे से ज्यादा इस पर बहस हो गयी है, अब ज्यादा चर्चा कराना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं दो-दो मिनट में 4-5 सदस्यों को और बुला देता हूं।

श्री म्हरम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये। मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं समझता था कि कटौती की इसमें जरूरत नहीं थी। इतना अच्छा भाषण मंत्री जी ने दिया, आज तक इससे अच्छा बजट कभी नहीं हो पाया। फिर भी कटौती है तो किस मामले पर कटौती नहीं होगा। इसलिये कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने के लिये मैं अपने माननीय साथी से निवेदन करता हूं। मान्यवर, सबने बहुत कुछ कहा लेकिन एक बात

छूट गई । फसलों का जितना नुकसान होता है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान पशुओं से होता है । इसके लिये उत्तर प्रदेश में कोई कड़ा कानून नहीं है । उत्तर प्रदेश के 80 प्रतिशत शहर ऐसे हैं जिसके अगल बगल जानवरों से फसलों का बहुत नुकसान होता है । गांव में भी होता है । लाखों टन गल्ला इस तरह से क्षतिग्रस्त होता है । कोई कानून न होने से कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है । मेरा निवेदन है कि बिल लाकर कोई कड़ा कानून बनाना चाहिये । जिस तरह से क्रिमिनल के लिये कानून होता है, पशुओं से जो नुकसान हो, उनके मालिकों के लिये कोई कड़ा कानून हो ।

दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि फलदार वृक्षों की प्रर्याप्त मात्रा में नर्सरी होनी चाहिये । फर्रुखाबाद में आलू का कारखाना लगाने की कोशिश मंत्री जी को करनी चाहिये । उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा आलू फर्रुखाबाद में होता है । आलू का बीज उपलब्ध कराने के लिये अभी से स्टोर करना चाहिये । आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कमालगंज में मंडी स्थल स्वीकृत है, उसका निर्माण शीघ्र कराया जाय तथा गुरुसहायगंज में और राजपुर के ग्राम गांधी में उपमण्डी बनाई जाय। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री देव कुमार यादव–

माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जितनी उपलब्धियों की चर्चा की है, उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कटौती का प्रस्ताव वापस हो जाना चाहिये। लेकिन कुछ चीजों के बारे में मैं कहना चाहूंगा। पिछले बजट के दौरान मैंने प्रार्थना की थी, बांदा जनपद के कमासिन ब्लाक के बहुत से गांव फतेहपुर जनपद के किशनपुर मण्डी से लगा दिये गये हैं, यह बहुत अव्यवहारिक है, बीच में जमुना नदी पड़ती है । इससे किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है । मेरा आग्रह है कि विभागीय कार्यवाही करके कमासिन में मण्डी बना दें या बवेरु से लगा दो इससे सैकड़ों काश्तकारों को फायदा होगा। कृषि इतना महत्वपूर्ण विषय है । जिससे मान्यवर, बढ़ती हुई देश और प्रदेश की आबादी को जीवित रखने के लिये उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है । इसके लिये किसानों को सस्ती बिजली, जो करोड़ों रुपयों की बीमार मिलों को दी जाती है, कारखानों को दी जाती है, लेकिन किसानों की खेती को उद्योग न मानकर वे सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, यह किसानों के साथ ही नहीं देश के साथ अन्याय है और चिंता का विषय है । इसलिये किसानों को सस्ती बिजली और पानी देने का दायित्व अपने ऊपर लें । सस्ती बिजली दें, तभी किसानों की हालत सुधारी जा सकती है और खाद्यान्न उत्पादन का पक्का आधार बन सकता है । इसलिये मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सिंचाई, विद्युत और कृषि मंत्रालयों को मिलाकर एक कोआर्डिनेशन कमेटी बना दी जाय जो इन तीनों विभागों के सहयोग से योजनाओं को अच्छी तरह से चलाए । इन शब्दों के साथ मैं मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मा0 मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करता हूं। मा0 मंत्री जी ने जो अपने बजट भाषण में कहा, निश्चित रूप से खाद्यान्न के क्षेत्र में, बीज के वितरण के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में सारी उपलब्धियां और भावी कार्यक्रम प्रशंसनीय हैं। लेकिन समय कम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कृषि के क्षेत्र में सदैव आगे रहा है और बराबर जिसका नाम आया है, मा0 मंत्रीजी से निवेदन है कि जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये करीब एक करोड़ रुपये, टी0 एण्ड बी0 और धान की उपज बढ़ाने के लिये खर्च किया गया है, वह योजना विश्व बैंक की है, वह योजना हमारे क्षेत्र में भी लागू की जाय, जो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पंजाब से भी आगे बढ़कर उपज दे सकता है, उस क्षेत्र में यह योजना लागू होना चाहिये। इसके साथ ही निवेदन है कि जलवायु के आधार पर पंतनगर विश्वविद्यालय के आधार पर खोजी जाने वाली बीज मेरठ की जलवायु के अनुकूल नहीं होती। इसलिये मेरठ मण्डल में मेरठ में और विशेष रूप से बड़ौत में जनता वैदिक कालिज को कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा देने का कष्ट करें। तीसरी बात मेरी जानकारी है कि कृषि विभाग का प्लान्ट प्रोटेक्शन विभाग किसानों से छिड़काव के नाम पर 10 परसेंट बराबर लेता है। मा0 मंत्रीजी दिखावे कि यह क्यों लिया जा रहा है क्योंकि कभी भी छिड़काव नहीं होता है। इसलिये ली गयी धनराशि को वापस करावें।

अंत में निवेदन है कि फसल के लिये आप बीज, खाद और सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, यह भी सही है कि पौधों की रक्षा के लिये व खेतों की रक्षा के लिये ज्यादा ध्यान दें और स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से हम लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करता है, उसी प्रकार खेती की रक्षा के लिये खेती का स्वास्थ्य निदेशालय बनाया जाय, जो फसलों की तमाम बीमारियों की रक्षा करे, जैसे पाइरिला रोग है, उससे रक्षा करे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री बदन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैंने मंत्रीजी के भाषण को अच्छी तरह से सुना था। लेकिन मा0 मंत्रीजी ने पौधों की रक्षा के लिये कोई ज्यादा अच्छे सुझाव नहीं दिये। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि कृषि का बहुत सा अंश बीमारियों से और कीड़े मकोड़ों से नष्ट हो जाता है। लेकिन इस विभाग ने अभी तक कोई ऐसा निदेशालय स्थापित नहीं किया है। मैं मा0 मंत्रीजी को सुझाव देना चाहता हूं कि पौधों की रक्षा के लिये अलग निदेशालय की स्थापना करें। क्योंकि, आपके निदेशालय पर बहुत अधिक कार्यभार है। इसके साथ ही यह भी बताना चाहता हूं कि बीज गोदाम या राम गंगा कमाण्ड के अधिकारियों को तबादला पौध रक्षा विभाग में कर दिया जाता है।

मान्यवर, पौध रक्षा विभाग में टेक्निकल आदमी देने चाहिए जिन्हें उनमें लगने वाली बीमारियों, कीटनाशक दवाओं आदि का ज्ञान हो।

मान्यवर, यह जो कार्यपूर्ति दिग्दर्शक पुस्तिका उपलब्ध हुई है, इसको देखने से यह विदित होता है कि दलहन और तिलहन की स्थिति इस प्रदेश में खराब होती जा रही है। मान्यवर, चना एक

ऐसा मोटा अनाज है, जोकि किसानों के खाने में काम आता था, लेकिन वह भी प्रदेश से शनैःशनैः लोप होता जा रहा है। मान्यवर, उसका एक कारण यह है कि जो उसमें उकटा का रोग है, उसकी दवा यह नहीं निकलवा पाये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि चना अन्न की रक्षा के लिये आप यथोचित दवाओं की खोज करवायें और उसके लिये अच्छी तरह से व्यवस्था करें। मान्यवर, इनके जितने कृषि फार्म हैं उसमें से 70 प्रतिशत फार्म घाटे पर चल रहे हैं। मान्यवर, इसी तरह से उन फार्मों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है, वहां के पैसे को वहां के अधिकारीगण खा जाते हैं। वहां नियंत्रण होना चाहिये।

मान्यवर, मंत्री जी ने नर्सरी और उद्यान विभाग का जिक्र किया। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके अंतर्गत जितने सम्बद्ध कर्मचारी हैं, वे बड़े-बड़े अधिकारियों, कलेक्टर, कमिश्नर, एस0एस0पी0 आदि के यहां जाकर नर्सरियां, उनके लॉन सजाते हैं, उनके यहां लानों में जो सब्जियां आदि उगती हैं, इनके विभाग के अधिकारी/कर्मचारी वहां अपनी सेवाएं प्रदान करते रहते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मंडी परिषद् में जो भ्रष्टाचार है, उसका जीता जागता उदाहरण इनके सामने मौजूद है। लेकिन, उसके चेयरमैन को यह अभी तक नहीं हटा सके।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप विराजें।

श्री बदन सिंह–

अगर आप व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, तो उन्हें हटाना नितान्त आवश्यक है और तब ही कृषि विभाग की तरक्की हो सकती है।

मान्यवर, किसान जो अपनी लागत लगाकर अपने खेत में अन्न आदि उपजाता है, उसके उचित समय पर पानी नहीं मिलता है। मेरा यह कहना है कि सिंचाई विभाग और विद्युत विभाग का कृषि विभाग से कोई समन्वय होना चाहिये ताकि उचित समय पर नहरें चल सकें नलकूपों को पानी मिल सके और कृषि कार्य सुगमता पूर्वक हो सके।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप विराजें।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गजराज सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा रखे गये इस साफ सुथरे और साहसिक बजट का हृदय से समर्थन करता हूं और भाई दिवाकर विक्रम सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने वहां कुछ अच्छी बातें रखीं। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं जनता पार्टी के शासन में जब पश्चिमी जिले के कुछ किसान इनके बहुत बड़े किसान नेता के पास दिल्ली गये और उन्हें यह अवगत कराया कि किसानों का गन्ना खेतों में सड़ रहा है, उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तो इनके उस नेता ने उन किसानों

से यही कहा कि आप लोग मेरे सिर पर गन्ना और बो दीजिये। मान्यवर, इस तरह से अपमानित होकर उन किसानों को वापस आना पड़ा। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि आज गन्ना 24 रु0 से 30 रु0 के बीच में प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। मान्यवर, यह भी मैं बताना चाहता हूं कि जनपद गाजियाबाद का हापुड़ क्षेत्र, जो फर्रुखाबाद के बाद प्रदेश में आलू के उत्पादन में दूसरे नम्बर पर है. वहां आलू के दाम 50 रु0 प्रति मन से लेकर 60 रु0 प्रति मन तक मिल रहे हैं। मान्यवर, समय कम है, इसलिए मैं कुछ आंकड़े यहां रखना चाहता हूं।

1985-86 में खाद्यान्न उत्पादन का 323 लाख टन होने की सम्भावना रक्खी गयी थी जब कि 1986-87 में उत्पादन लक्ष्य 334 लाख टन रखा गया है। मान्यवर, इसी के साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि स्वच्छ प्रशासन देने के लिये हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने यह घोषणा की थी उसी के तहत हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों को दंडित किया है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री जमुना प्रसाद बोस–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं ज्यादा न कहकर माननीय मंत्री जी का ध्यान बुन्देलखण्ड की तरफ ले जाना चाहता हूं। 1976-77 में जब यहां पर कृषि उत्पादन आयुक्त श्री भटनागर जी थे, जो अब भारत सरकार में रक्षा सचिव हैं, उन्होंने कहा था, कि अगर बुन्देलखण्ड को पानी की सुविधा दे दी जाये तो बुन्देलखण्ड पूरे प्रदेश को भोजन दे सकता है।

मान्यवर, राजकीय नलकूप परियोजना के अंतर्गत जो 25 जिले लिए गये हैं उसमें एक भी जिला बुन्देलखण्ड का नहीं लिया गया है। बुन्देलखंड एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, सिंचाई के साधन वहां पर उपलब्ध नहीं हैं। इसके बावजूद भी उसके एक भी जिसको न लेने से ऐसा मालूम पड़ता है कि कृषि विभाग में बुन्देलखण्ड क्षेत्र नाम का कोई स्थान है ही नहीं।

जहां तक कृषि अभियंत्रण का सवाल है और जिसका अर्थ यह कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए लगाते हैं उसमें भी बुन्देलखण्ड का कोई भी जिला नहीं लिया गया है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दें। बुन्देलखण्ड एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अंग्रेजी शासनकाल में भी अंग्रेजों से लोहा लिया था और अंग्रेजों ने भी इस क्षेत्र की उपेक्षा की थी और आज आजादी के 38 वर्ष बाद भी कांग्रेस ने इसे उपेक्षित रक्खा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि ऐसी ही उपेक्षा की नीति शासन की बुन्देलखण्ड के लिये रहेगी तो एक दिन ऐसी अशांति वहां भड़केगी जिसे दबाना इनके लिये मुश्किल हो जायेगा।

मान्यवर, अभी बांदा जनपद में अभी 21 फरवरी को ओले पड़े जिससे तीन सौ गांव प्रभावित हुए और करीब-करीब तीन लाख परिवारों को जो नुकसान पहुंचा है। इस लिये माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जहां पर भी हो सके किसानों को छूट दी जाये ताकि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रक्खा गया है उसका विरोध करता हूं। श्रीमान्, बोलने का समय नहीं है। इसलिये मैं गाजीपुर के जमनिया तहसील से चुनकर आया हूं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तहसील जमनिया में एक भी शीतगृह नहीं है। इसलिये माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह जमनिया तहसील स्तर पर एक शीतगृह अपने विभाग के माध्यम से खोलने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय कृषि मंत्री का ध्यान उत्तर प्रदेश की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। किसान का नाम ही एक ऐसा नाम है जो हमेशा जुल्मों सितम से दबा रहा और इस सरकार ने भी उसे दबाया और जिस विद्यालय से माननीय मंत्री जी पढ़कर आये, उन्होंने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब माननीय मंत्री जी हृदय से बोलते थे तो वह किसानों के हित की बात करते थे लेकिन जब पार्टी के निर्देश इनको मिले तो वह उनके हित की बात नहीं कर पाये। वह एक किसान के बेटे हैं। इसी सदन में पिछले सत्र में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था और उन्होंने लिखकर भी दिया था कि जनपद मुजफ्फरनगर के अंतर्गत .....डेट एक्सपायर दवाओं का बिकना शुरू हो गया था, कुछ कर्मचारियों को दोषी पाकर दंडित भी किया है। मैं जानना चाहता हूं और अनुरोध भी करूंगा कि उन किसानों को राहत दिलायें जिन्होंने बेकार की दवायें खरीदकर धन बरबाद किया और फसल बरबाद की।

माननीय मंत्री जी देखें कि कृषि निदेशक के पास अत्यधिक कार्य है, प्लाण्ट प्रोटेक्शन का अलग निदेशक बना दें तो अच्छा हो।

माननीय बदन सिंह जी ने चीनी और कृषि फार्म की बात कही है। जब भी कोई विकास की बात आती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग कर देते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात करनी पड़ेगी। मेरी मांग है कि कोई स्कीम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये भी बनायें।

मंडी परिषद् के चेयरमैन धारा सिंह भ्रष्ट हैं, इस संबंध में कुछ कहना नहीं है। मंडी परिषद् में पैसा कटता है किसान का, लेकिन जब सड़कों की बात आती है तो किसान मोहताज है, उसके पशु बेकार हैं, यंत्र बेकार हैं, उसके पास कोई रास्ता नहीं कि फसल को मंडी तक ले जाय। एक ताजा उदाहरण है, मंडी परिषद् के निदेशक ने जनपद मुजफ्फरनगर से 90 लाख रु0 की सड़कों का प्रस्ताव मांगा। जिलाधिकारी ने मना कर दिया और उनके प्रस्ताव को वाई-पास कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको किसानों का पैसा अल्प बचत में दिखाना है और टारगेट पूरा करना है। इस प्रकार, किसानों के पैसे को अल्प बचत में दिखाया जाता है, जिससे वह पैसा इस्तेमाल नहीं हो पाता है। मेरी मांग है कि मंडी परिषद् और मंडी समिति के पैसे को किसान की सुविधा के लिये खर्च करने की व्यवस्था करें।

आपने टूर की बात कही थी, उस टूर में 10 प्रतिशत भी किसान नहीं गये। वही गये जिनके लड़के मंडी परि-

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

षद् में नौकरी करते हैं। किसानों के जाने के नाम पर एक अच्छा मजाक हुआ।

उद्यान विभाग की बात कही गयी थी। वहां के सारे कर्मचारी, अगर किसी जिले का कोई मंत्री हो जाय, तो उसके बाग की मरम्मत करते मिलेंगे नहीं तो एस0 एस0पी0 और डी0एम0 के बंगले पर काम करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठें।

श्री हरेन्द्र सिंह–

बीज प्रमाणित की बात कही गयी थी, लेकिन कोई भी सर्टीफाइड बीज नहीं मिल पाता है। जो सब्सिडाइज रेट पर भेजते हैं, पी0ओ0 अपने स्तर से आदेश करके मंडी से घटिया किस्म का अनाज खरीदकर भेजते हैं।

इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, आपका शुक्रगुजार हूं कि बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं कृषि विभाग के बजट का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

माननीय कृषि मंत्री ने बजट जिस योग्यता से पेश किया है, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जिस सूझबूझ और योग्यता से बजट प्रस्तुत किया है, वह जन आकांक्षाओं का प्रतीक है और उससे कृषकों का मनोबल बढ़ा है। इन योजनाओं से कृषकों को बहुत फायदा है। जहां तक बीज वितरण का सवाल है, उसमें जो अनुदान दिया गया है और उर्वरक में भी अनुदान दिया गया है और कृषि यंत्रों में जो कृषकों को सहूलियतें दी गयी हैं, इससे कृषकों का मनोबल बढ़ा है।

इसके प्रस्ताव हमारे कृषि मंत्री के द्वारा प्रस्तुत योग्य बजट से भी किसानों का उनका मनोबल बढ़ा है और मंत्री जी द्वारा जो योजना प्रस्तुत की गयी है वह लाभदायक है, मैं इसके लिये कृषि मंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं कि हमारे कृषि मंत्री जिस ईमानदारी से कृषि विभाग को चला रहे हैं।

मैं मोरना क्षेत्र मुजफ्फरनगर से चुनकर आया हूं वहां गोवर्धनपुर खादर में जो एक सोलाकी नदी है उसका बाढ़ का पानी बहता रहता है जिससे कि खेतों में वह भर जाता है और इसके कारण से सैकड़ों एकड़ भूमि बरबाद हो जाती है। मैं कृषि मंत्री जी से दरखास्त करूंगा कि भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा वहां पर बांध बंधवा दें। इसके साथ ही साथ मैं एक शेर पढ़ कर अपनी बात को समाप्त करता हूं कि :

वह बरसे हैं वफा हमको देते हैं ताज्जुब है
हमने जिन्हें जीने के प्रदान सिखाये हैं।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिन सम्मानित सदस्यों ने इस बजट की चर्चा में भाग लिया है, मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं। श्रीमन्, किसी भी माननीय सदस्य ने मेरे द्वारा कही गयी किसी भी बात का खण्डन नहीं किया है। माननीय बरार जी ने कहा कि कृषि उत्पाद मूल्य प्रदेश की समस्या नहीं है, यह प्रदेश का विषय नहीं है। मान्यवर, मैं यह भी जानता हूं कि कृषि उत्पाद मूल्य

प्रदेश का विषय नहीं है, इसका निर्धारण भारत सरकार करती है। लेकिन श्रीमन्, साथ ही यह भी हर आदमी जानता है कि कृषि उत्पाद मूल्य निर्धारित करने से पूर्व एग्रीकल्चर कास्ट प्राइस कमीशन इस देश के सभी कृषि मंत्रियों की राय भी लेता है और इसीलिये यह आवश्यक भी होता है कि हमारे कृषि मंत्री जी ने कौन सी राय उनको दी थी, इसकी भी जानकारी इस सदन को होनी चाहिये।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से यह बात पूछी भी गयी थी लेकिन उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया। इसीलिये मैंने यह मुद्दा उठाया है कि कम से कम कृषि मंत्री यह बतायें कि इस प्रदेश का कृषि में उत्पन्न होने वाला गेहूं तथा धान का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिये उन्होंने एग्रीकल्चर कास्ट प्राइस कमीशन को अपनी क्या राय दी थी?

जहां तक मैंने समर्थक मूल्य न मिलने की बात कही है तो कृषि के ऊपर जब चर्चा की जाय और उसमें किसानों को मिलने वाले मूल्य की चर्चा न हो तो वह चर्चा अधूरी रह जायेगी।

माननीय मंत्री जी ने टी0 एण्ड वी0 योजना की घोषणा की है। यदि इस योजना का सचमुच सही ढंग से छोटे किसानों के उपयोग के लिये चलाना है तो आप यह निर्देशित करें कि उसके लिये कुछ गांवों का निर्धारण किया जाय। उस गांव में रहने वाले जितने भी लघु और सीमान्त कृषक हैं उनकी सूची तैयार की जाय और उसे ब्लाक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर उस सूची को उपलब्ध रहना चाहिये।

इसके साथ ही साथ टी0 एण्ड वी0 के कार्यकर्ता जो अधिकारी होंगे वह उसी क्षेत्र में निवास करें और उनका किसानों से बाकायदा सम्पर्क होना चाहिये। यहां पर यह बताना जरूरी नहीं है कि आपके ग्रामसेवकों का किसानों से कितना सम्पर्क रहता है? यह सब लोग जानते हैं। ग्राम के बारे में जो कार्यक्रम होते हैं उन्हें देखना आवश्यक है कि उसके सुपुर्द कौन-कौन से गांव और कौन-कौन परिवार किये गये हैं। कहीं ऐसा न हो कि गांव का ग्राम सेवक जिनकी आपने फौज खड़ी की है वह फर्जी रूप से कागज पर ही रह जांय? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस समय जो आपके ग्राम सेवक हैं उनकी जितनी कागजों पर जानकारी हासिल है उसके 1/10 भी वहां नहीं हैं। तो कहीं आपकी टी0 एण्ड वी0 योजना का भी यही हश्र न हो इसलिये इसको लागू करते समय सतर्क रहने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, तिलहन के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इसमें हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह जो पुस्तिका दी गयी है उसके आंकड़े देखने से पता चलता है कि यह कतई पर्याप्त नहीं है। क्योंकि वर्ष 1980-81 का कुल उत्पादन 16.68 मी0 टन था, 1984-85 में 11.73 मी0 टन, 1985-86 का लक्ष्य था 17.10 मी0 टन और 1986-87 का भी आपने लक्ष्य रखा है 18.00 मी0 टन। मेरे ख्याल से तिलहन का यह लक्ष्य समुचित नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने यह मामला उठाया कि जनता पार्टी के शासन-काल में क्या हुआ था, तो श्रीमन्, 7 वां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्लान जो है उसमें एनक्सर 9 में दिया हुआ है:—1973-74 में खाद्यानों का कुल उत्पादन 155.53 लाख मीट्रिक टन था और यह 1978-79

में 231.08 लाख मीट्रिक टन हो गया। इसमें 48.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मान्यवर, आप 1982–83 को देखें, तो खाद्यान्न का उत्पादन 264.98 लाख मीट्रिक टन है और 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे मालूम हो जायगा कि जनता पार्टी के शासन काल में क्या कार्यवाही हुई थी।

मान्यवर, आपका जो स्टेटिस्टिक्स विभाग है, उसे आपको सुदृढ़ करना चाहिए। लाइब्रेरी में एक स्टेटिस्टिक्स बुकलेट है, उसमें 1981-82 के आंकड़े दिये हुये हैं और बुकलेट 1986 में दी जा रही है। अगर मान्यवर, 1984-85 तक भी रहते तो भी हम मान लेते, कितना चुस्त आपका यह विभाग है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में क्राप इन्स्योरेन्स बात की है। वह केवल लो रिस्क एरिया में लागू किया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि– "एपार्ट फ्राम लो एण्ड मिडियम रिस्क एरियाज इट है्ज आलसो बीन डिसाइडेड टू इनक्लूड हाई रिस्क एरियाज अन्डर दी स्कीम इन दि रेसियो आफ 3:2:1 इन रिस्पेक्ट आफ लो, मिडियम एण्ड हाई रिस्क एरियाज रिस्पेक्टिवली।"

मान्यवर, इसको कम और मध्यम रिस्क एरियाज जो रिस्क एरियाज हैं, उनमें लागू किया जाना चाहिये और 3:2:1 का अनुपात होना चाहिये। लो रिस्क एरियाज में इसको लागू किया गया है और जहां पर नुकसान होने की संभावना अधिक है, वहां पर इसको लागू किया गया है। क्राप इन्सयोरेंश मान्यवर, आप कोआपरेटिव के माध्यम से कर रहे हैं और अधिकांश किसानों को इसके बारे में पता नहीं है। मैंने जानकारी चाही थी कि मेरे क्षेत्र में कितना क्राप इन्सयोरेंस किया गया है, मैंने व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया था, लेकिन क्षेत्र में इसके बारे में किसी को पता नहीं था दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बायोलोजिकल कन्ट्रोल होना चाहिये और यह हमारे प्रदेश में हो नहीं रहा है। भारत सरकार के सेन्टर्स हैं, खोले गये हैं, कीड़े जो रिलीज किये जा रहे हैं, उनमें उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी जानकारी देने की कृपा करें। इस पर कहीं पर कोई काम उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं सम्मानित सदस्यों का जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया और बहुत अच्छे सुझाव लोगों ने रखे।

(एक सदस्य हम लोगों को सुझाव देने का मौका नहीं मिला)

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जिसे मौका यहां नहीं मिला वह बाद में सुझाव दे सकते हैं। बहुत अच्छे सुझाव लोगों ने दिये और हमारे मित्र दिवाकर विक्रम जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा, ऐसा लगता है कि पूरे मन से उनके मन में नहीं था कि इसमें कोई कटौती की जाय, ऐसा उनकी बात से, और मुझे पूरा यकीन है कि उनके मन में यही होगा कि कृषि विभाग को और अधिक पैसा दे दिया जाय तो अच्छी बात होगी। यह एक फर्ज निभाना था इसलिए कटौती का प्रस्ताव इन्होंने पेश किया। कोई ऐसी बात नहीं है बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने दिये। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा बहुत संक्षेप में थोड़ा सा निवेदन करूंगा। हमारे मित्र दिवाकर विक्रम जी ने जो यह कहा कि इसमें जो जोड़ दिया हुआ है एक अरब सैंतालिस करोड़ तिरासी लाख नब्बे हजार

का यह कम है जो दरअसल खर्चे बताये गये है, तो मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें मद संख्या, अनुदान संख्या 47, 71 और 74 का भी जोड़ इन्होंने शामिल कर लिया है यह पर्वतीय क्षेत्र का है जिसका बजट बाद में पेश किया जायेगा। तो ऐसा नहीं है, जो हम खर्चा करना चाहते हैं वह उसके मुताबिक है। अभी मान्यवर, सुझाव इन्होंने बहुत अच्छे दिये हैं मैं इनके सुझावों का उपयोग करने की पूरी कोशिश करूंगा। मान्यवर, समरपाल सिंह जी ने और सभी लोगों ने कृषि उत्पादन के मूल्य के बारे में चर्चा की, और उसको कह कर यह कहने की कोशिश की जो मौजूदा सरकार है वह किसानों की हमदर्द कम है जो उधर के बैठे हुए लोग हैं वह किसानों के ज्यादा हमदर्द हैं। उसका मैं एक ही नमूना पेश करना चाहता हूं कि 77-78, 78-79 और 79-80 में जब हमारे मित्र लोग थे।

(व्यवधान)

मैं वह कठिनाई आपको बता रहा हूं। गेंहू की कीमत जिसकी बात उधर हो रही थी 77-78 में 110 रुपये कुन्तल . . .

(व्यवधान)

और 78-79 में कितना बढ़ा था ? ढाई रुपये 112 रुपये 50 पैसे हुआ। हमारे सम्मानित मित्र जी सामने बैठे हुए हैं वे जानते हैं कि 1979-80 में जब 112 रुपये 50 पैसे से 115 रुपया हुआ तो कितनी मुसीबत से उस समय के नेताओं ने किया था, उस समय के तय करने वाले लोगों ने किया था। मुझे व्यक्तिगत रूप से इन्टरवीन करना पड़ा था तब जाकर ढाई रुपया बढ़ा था। . . . (व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

आपकी हैसियत नहीं थी।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मेरी हैसियत क्या थी यह तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। मान्यवर, मैं इस बारे में एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह जो प्राइस है यह रेम्युनरेटिव है इसकी मंशा है किसानों की मदद करना। 162 रुपये से नीचे भाव न गिरने पाये। इससे ज्यादा किसानों को मिले, तो उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है।

मान्यवर, समरपाल सिंह जी ने जिक्र किया दवाओं के बारे में और मृदा परीक्षण के बारे में। यह बहुत अच्छा सुझाव है। इस बारे में मैंने पहले भी कहा कि इसको गति देनी है, इसको तेज करना है। इसका प्रयास किया जायेगा। बीज की सवाई पर देने की बात कही गई। वह दरअसल बीज नहीं होता बल्कि जिन लोगों को जरूरत होती है उनको दिया जाता है। अधिक प्रयोगशालायें खोलने की बात भी कही गई। इस पर विचार किया जायेगा। माननीय श्री अशोक बाजपेयी जी ने भी मृदा परीक्षण की बात कही। मैंने स्वयं इस बात को कहा है कि हमें कृषि को वैज्ञानिक ढंग से करना है इसलिये उसके मृदा परीक्षण बहुत जरूरी है। उससे कास्ट आफ प्रोडक्शन की बात भी उसमें आती है। तिलहन और दलहन के बारे में माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। हम स्वयं इस बारे में चिन्तित हैं कि किस तरह से तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ाया जाय। मैंने बताया कि 31 जिलों में तिलहन के उत्पादन के लिये विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं और अगले वर्ष 18 लाख मीट्रिक टन हम तिलहन पैदा करेंगे। दलहन को भी आगे बढ़ाने का इरादा है। माननीय अशोक बाजपेयी ने यह भी कहा कि मंडी परिषद् का निर्माण कार्य ठीक

ढंग से नहीं हो रहा है । मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसकी पूरी जांच करा ली जायेगी और अगर कहीं निर्माण कार्य में कोई कमी है और जिन लोगों ने इस तरीके से गलत कार्य किया है उनकी जांच की जायेगी। उसमें किसी को संरक्षण देने का प्रश्न नहीं है । माननीय राम सकल तिवारी जी ने कहा कि अनुदान सभी कृषकों को दिया जाय । यह सही है और हम भी यही चाहते हैं । लेकिन हमारे साधन बहुत सीमित हैं। यह बात सही है कि 86 प्रतिशत किसान लघु और सीमान्त हैं । लेकिन इसी जगह में प्रतिशत किसानों के पास जोत की जो जमीन है वह है केवल 48 प्रतिशत और 14 प्रतिशत किसानों के पास जोत की जो जमीन है वह है 52 प्रतिशत । हम छोटे किसानों की मदद करना चाहते हैं। अगर हमारे पास संसाधन हों तो बड़े किसानों की मदद करना भी जरूरी है। लेकिन हमारे पास संसाधन इतने नहीं हैं।

मान्यवर, माननीय अवनीश कुमार जी ने फसल की खरीद के बारे में कहा कि आलू में झुलसा लग जाता है। यह सही है जुलसा से आलू का बड़ा नुकसान हुआ। खाद के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये ।

(6 बजकर 20 मिनट)

आलू के बीज का इंतजाम किया जाय इसके लिए मैं आपके जरिये से श्री अवनीय कुमार जी को और सदन को सूचित करना चाहता हूं कि आलू के बीज के लिए पूरा प्रबंध किया जायेगा इसके लिये हमने आवश्यक निर्देश दे दिये हैं । बाबूराम यादव जी कुछ ज्यादा नाराज मालूम होते हैं उनका कोई पत्र था उसकी जांच नहीं हुई हालांकि ऐसा नहीं होता है कि कोई पत्र आता है तो उसकी जांच न हो मैं उसकी जांच करा-ऊंगा अगर उन्होंने दिया होगा तो अवश्य होगा हमारे यहां कोई पत्र मिस नहीं होते हैं ।

खाद के बारे में कहा कि 95 प्रतिशत खाद सही लोगों को नहीं मिल पाती है अगर वे हमें कोई एरिया या गांव का नाम बता दें, बीज गोदाम का नाम बता देंगे तो जैसा मैंने पहले ही कहा था कि 11 हजारों गोंवों का सत्यापन करा रहे हैं तो उन गांवों का भी सत्यापन करा लेंगे जहां की वह हमें सूचना देंगे। और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

माननीय प्रदीप माथुर जी उत्साही सदस्य हैं उन्होंने कृषि रक्षा के बारे में चिन्ता व्यक्त की, उनकी चिंता स्वाभाविक है। मैंने पहले ही निवेदन किया कि इस बारे में काफी कुछ करना है । माननीय हृदय नारायण जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये और कहा कि हमारे यहां किसानों के पास पूंजी का अभाव है, ऋण कम मिल पाता है इसकी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि ज्यादा से ज्यादा बीज, फर्टिलाइजर वह ले सकें। हम इसके लिए प्रयत्नशील हैं। अनिल दुबे जी ने सिंचाई की आवश्यकता पर बल दिया यह सही है लेकिन आप जानते हैं उसकी पूरी कोशिश होती है । लक्ष्मी नारायण जी ने एक बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि 1984 में मथुरा जिले में किसी विशिष्ट एरिया या गांव में वह बता दें तो उसकों मैं दिखवा-लूंगा कि क्यों नहीं हुआ आप लिखकर दे दीजियेगा उसकी जांच हो जायेगी ।

यह अच्छा सुझाव है विश्वविद्यालय में रिसर्च के संबंध में कि यह काम ज्यादा होना चाहिये । हमारे विश्वविद्यालय बड़ी तेजी से रिसर्च के काम में लगे हैं और पूरी गति से कार्य हो रहा है । आपके जो सुझाव आयेंगे उनको ध्यान में रखा जायेगा उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है ।

माननीय लक्ष्मी नारायण जी ने मण्डी परिषदों द्वारा सड़कों के बारे में बात कही

तो मैं बताना चाहता हूं कि मंडी परिषद् की तरफ से 12 सौ कि0 मी0 सड़कें बनाई जायेंगी गत वर्ष 4 सौ कि0 मी0 सड़कें बनाई गयी मंडी परिषद् के पैसे से ।

(इस समय 6 बजकर 24 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

हमारे सामने बैठे दोस्त जब हमारी बात करते हैं तो लोकदल की याद दिला देते हैं और उसका जिक्र किये बगैर नहीं रहते । मैं आभारी हूं उनका उनकी हमारे साथ बड़ी मित्रता है, बड़ा लगाव है । उनको तकलीफ है कि मैं उधर से इधर क्यों आया । लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उधर सिर्फ किसानों के हित की बात होती थी लेकिन कार्यान्वयन कोई किसान के हित में नहीं होता था । दरअसल किसानों के हित में काम करने की बात अब आई है। हमारे लोकदल के भाई कहा करते थे कि उधर के माननीय सदस्य कहते थे कि एग्रीकल्चर प्राइज कमीशन में किसानों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो सारी हुकूमत उनके पास रही लेकिन कुछ नहीं हुआ "नेबर्ड" "नेशनल बैंक आफ एग्रीकल्चर एन्ड रूरल डेवलपमेंट" किसानों के हित में श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों को उत्पादन की लागत मिलनी चाहिए । मान्यवर, उधर से बात फर्जी होती है लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी ने एग्रीकल्चर प्राइज कमीशन का नाम बदल कर " एग्रीकल्चर कास्ट एन्ड प्राइज कमीशन" कर दिया है। इसके माने हैं कि यह कमीशन जब कृषि मूल्यों का निर्धारण करेगा तो उस समय लागत मूल्य भी देखा जायेगा। इससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में किसानों को अच्छी लागत मिलेगी ।

मान्यवर, श्री श्रीनाथ सिंह ने खाद और बीज में मिलावट की बात कही है । तो खाद और बीज में मिलावट बहुत बड़ा अपराध है जिसको रोकने की पूरी कोशिश हमने किया है और इस साल 90 लोगों को जेल भेजा है और लाइसेंस निरस्त किये जिसका विवरण मैंने शुरू में ही दे दिया है ।

मान्यवर, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने दो तीन बातें कहीं । एक बात उन्होंने कही कि प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता अनाज की है वह कम है, तो मैं कहना चाहता हूं कि खाद्यान्न की कमी नहीं है और खाद्यान्न की उपलब्धता ठीक है। लेकिन दाल में जरूर कमी है, इसको स्वीकार करता हूं और दाल की उपलब्धता को बढ़ाना है चूंकि जरूरी है।

मान्यवर, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने यह भी कहा कि कृषि विश्वविद्यालय में कुछ काम नही होता है, तो ऐसा नहीं है । फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय में बहुत काफी काम हुआ है और वहां कई बैराइटीज निकली हैं । जैसे मान्यवर, धान की सरजू-52 रिलीज हुई, एन0 डी0 आर0-80, 84, 118 रिलीज हुई । इसके अलावा तमाम नई स्कीमें हैं। वहां पर 3 नये विभाग शुरू होने जा रहे हैं जैसे गृह विज्ञान, मत्स्य विज्ञान और वानिकी अगले सत्र से प्रारम्भ होगें। फैजाबाद विश्वविद्यालय, नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय जहां बना है वहां पहले ऊसर था और अब उसमें हरियाली नजर आ रही है । मान्यवर, पहले भी उनकी शिकायतें थीं जिनके संबंध में एक पत्र उन्होंने लिखा था, उसकी जांच के लिये भेजा है ।

मान्यवर, तिवारी जी ने आईसोप्रोटान का जिक्र किया, जिसके बारे में यहां

विस्तार से चर्चा हो चुकी है और स्पष्ट जवाब दिया है कि उस समय जो आईसो-प्रोटन की खराबी हुई थी उसमें ओवर ओवरइंथ्यूजिआज्म तो हो जाता है लेकिन उसमें वर्दनियती नजर नही आयी है ।

मान्यवर, श्री जयदीप सिंह बरार और उधर के कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की जा रही है तो ऐसा नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। यह सही है कि वहां पर जो प्रोडक्शन है वह स्टैगनैट हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है । बदन सिंह और लक्ष्मी नारायण सिंह और हरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि टी0 एण्ड बी0 की स्कीम उधर भी लागू की जाए। हमने तो यह चाहा है, हमारी यह ख्वाहिश है कि इस स्कीम को पूरे प्रदेश में लागू किया जाए और इसके लिए हमारी वर्ल्ड बैंक से बात हो रहा है और हमें उम्मीद है कि इसके कुछ अच्छे नतीजे निकलेंगे। यह जो 21 जनपदों में दलहन विकास का कार्यक्रम शुरू किया है, उसमें उनके यहां को भी लिखा गया है।

औसान सिंह जी ने भी कुछ भ्रष्टाचार और दैवी प्रकोप की बात कही है। भ्रष्टाचार पर सभी चिन्तित हैं, आपके साथ हम भी चिंतित हैं। लेकिन वह कुछ सुझाव दे दिये होते कि किस तरीके से इसको रोका जाए तो मैं उनका बहुत आभारी होता, और जिस समय उनके यहां कोई भ्रष्टाचार हो रहा था, हमें टेलीग्राम द्वारा सूचित कर दिये होते तो तुरन्त कार्यवाही होती। कई लोगों ने हमें टेलीग्राम दिये हैं और हमने उस पर फौरी कार्यवाही की है। (व्यवधान) महरम सिंह जी ने कुछ अच्छे सुझावों के साथ पशुओं द्वारा फसलें नष्ट किये जाने की बात कही है। यह बहुत अच्छा सुझाव है, इस पर हमें कोई विचार करना है।

देव कुमार यादव जी ने मंडी सीमा क्षेत्र के बारे में कहा, वह मुझको लिख-कर दे देंगे कि यह किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं तो यह कोई कठिन बात नहीं है हो जाएगा। राजेन्द्र शर्मा ने भी टी0 एण्ड बी0 स्कीम की बात कही है और प्लान्ट प्रोडक्शन की बात कही है। उनके अच्छे सुझाव हैं, उन पर विचार किये जाने की बात है। एक माननीय सदस्य ने कुछ कृषि फार्मों की बात कही, तो उनकी भी हालत में सुधार हो रहा है। पिछले साल जिन प्रक्षेत्र निरीक्षकों और अधीक्षकों ने उस फार्म में घाटा दिया था, उन सबको हटा दिया गया और जिन्होंने कभी फायदा दिया था उनको जगह दी गई थीं। उन्हें कोई विशेष कृषि फार्म पर कोई विशेष शिकायत हो तो मुझे लिखकर दे देंगे तो कार्यवाही हो जाएगी। इसके अतिरिक्त एक बात और, हमारे फार्म माडल फार्म होंगे। गजराज सिंह जी ने भी अच्छे सुझाव दिये। जमुना प्रसाद बोस ने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि उन्होंने चर्चा के समय हमारी बात को नहीं सुना है। बुन्देलखण्ड के लिए हमने कई योजनाएं रखी हैं। ये जो 9 जिले हैं, उसमें बीहड़ सुधार का काम होना है, उसमें बुन्देलखण्ड के चार जिले शामिल हैं। सोयाबीन कार्यक्रम में बुन्देलखण्ड को और बांदा को खासकर लिया है। सघन विकास कार्यक्रम में भी उसको हमने लिया है। लालता प्रसाद चौधरी ने कोई विशेष बात नहीं कही, एक जगह के कोल्डस्टोरेज की बात कही, इसके बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूं और उनके अन्य सुझाव अच्छे हैं। हरेन्द्र मलिक ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की बात

कही है, उसके बारे में मैं कह चुका हूं। प्रमाणिक बीज मिलना चाहिए, यह बात सही है, लेकिन इस बारे में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल बीज और खाद की उपलब्धता में कहीं कोई कमी नहीं रही। यदि कहीं रही है तो वह मुझे अवगत करा दें, तो आगे आने वाले समय में ऐसी बात नहीं होने पाएगी, उपलब्ध करा देंगे।

मान्यवर, सईदुज्जमा साहब ने भी कई अच्छे सुझाव दिये हैं। इसी तरह सभी मित्रों ने अच्छे सुझाव दिये हैं। मेरा प्रयास होगा कि इन सुझावों का हम उपयोग करें। फसल बीमा योजना के बारे में मैंने आपको बताया है कि हमारी केन्द्र से बात हो रही है और कुछ अच्छे नतीजे निकलेंगे और आपको कुछ समाचार अच्छा सुनने को मिलेगा यह मैं उम्मीद करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, मैं बहुत अधिक समय न लेकर, सम्मानित सदस्यों ने जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी से कहना चाहता हूं कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और इन मांगों का समर्थन करें।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि यह अफसोस की बात है कि बार-बार पूछने के बावजूद आपने यह नहीं बताया कि आपकी कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है और क्या आप सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं। दिवाकर विक्रम जी ने पूछा तो आप टाल गये मैं बहुत गम्भीरता से निवेदन करूंगा कि क्या आप प्लान्ट प्रोटेक्शन के लिए एक अलग निदेशालय बनाने पर विचार कर रहे हैं। क्योंकि गन्ना बीमारी में मर जाता है और आलू का हाल आप देख रहे हैं। तो एक टेक्निकल आदमी को आप डायरेक्टर बनायें और एक अलग डायरेक्ट्रेट प्लांट प्रोटेक्शन के लिए कायम करें जिससे बीमारी लगने पर युद्धस्तर पर बीमारियों को रोकने के लिए कार्यवाही की जा सके। इसके अलावा आप बुलन्दशहर गये थे वहां पर लखावटी में आपने रिसर्च सेन्टर बनाने के बारे में कहा था तो इसके बारे में भी आपने नहीं बताया।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, कृषि रक्षा के संबंध में इसको स्ट्रेंथेन करने की जरूरत है।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने समर्थन मूल्य देने के बारे में नहीं बताया। धान के बारे में सरकार की तरफ से कोई प्रबन्ध नहीं था, बिचौलियों ने किसान को लूटा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या शासन की तरफ से रबी की फसल के लिए समर्थन मूल्य दिलाने के लिए प्रभावकारी व्यवस्था की जाएगी।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, आपने टी0 एण्ड बी0 की स्कीम चालू की है। तो इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि 2 हजार कृषि डिप्लोमा होल्डर्स युवक बेरोजगार हैं। तो क्या टी0 एण्ड बी0 स्कीम के अन्तर्गत उनको समायोजित करने का माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे। 1980 से 1983 तक प्रदेश के 4 विद्यालयों के कृषि डिप्लोमा होल्डर जो 2 हजार की तादाद में हैं उनको कृषि विभाग में समायोजित करने पर विचार करेंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा –

मान्यवर, मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं लेकिन उपाध्याय जी मना कर रहे हैं। जवाब दिलवा दें।

एक सदस्य–

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा था कि अधीनस्थ कृषि सेवा में कुछ लोग रखे गये हैं। मैं आश्वासन चाहूंगा कि इसमें आरक्षण का ध्यान रखा गया है यदि नहीं रखा गया है तो इसको कैसे पूरा करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

जवाब नहीं दे रहे हैं, मा0 मंत्री जी, इसलिए अब स्पष्टीकरण पूछने से कोई फायदा नहीं है।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

अब आप लोग कृपया विराजें, मा0 मंत्री जी एक घंटा पहले और आध-पौन घंटा बाद में भी बोले हैं, तब भी आप लोगों की संतुष्टि नहीं हुयी, सभी लोग कृपया बैठें, अब मैं मद संख्या 8(1) ले रहा हूं।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, हमारे यहां के दो हजार लड़कों की जिन्दगी का सवाल है और इस पर मैंने एक स्पष्टीकरण मांगा, आप उसका उत्तर मा0 मंत्री जी से नहीं दिलवा रहे हैं, इसलिए मैं सदन का त्याग कर रहा हूं।

(श्री शारदानन्द अंचल सदन त्याग कर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11 में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 16,33,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12 में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,47,83,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

श्री सूर्य प्रताप शाही, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

एक सूचना आयी है कि जिला मैजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, देवरिया से प्राप्त वायरलेस संदेश दिनांक 9-3-86 जो आज अपराह्न में प्राप्त हुआ है, मैं सूचित किया गया हूं कि श्री सूर्य प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा को दण्ड

प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत दिनांक 9-3-86 को पडरौना में गिरफ्तार किया गया और तत्पश्चात् उन्हें एस0 डी0 एम0 पडरौना के न्यायालय द्वारा रिहा कर दिया गया।

श्री सुरेन्द्र सिंह सदस्य, विधान सभा के साथ वाराणसी में पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के संबंध में उठाये गये आक्षेप के प्रश्न का श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा खंडन

श्री सुरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, मा0 सदस्य, वाराणसी, श्री राज किशोर सिंह द्वारा मेरे ऊपर एक आरोप लगाया गया है कि 8 तारीख को मैं काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए गया, जहां पर पुलिस कर्मियों द्वारा मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। मान्यवर, यह आरोप मेरे ऊपर लगाकर मेरी चरित्र हत्या का प्रयास किया गया है। जबकि मेरे साथ पुलिस कर्मियों द्वारा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया बल्कि इन्हीं लोगों द्वारा और विश्वनाथ बाबा के व्यवस्था अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से मुझे दर्शन कराया गया और मेरे साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, बैठिए।

नियम 51 के अंतर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अंतर्गत 7 सूचनाए प्राप्त हुई हैं, जिसमें पहली सूचना श्री राज किशोर सिंह, श्री कौशिक रमा शंकर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह की भदोही ऊलेन्स लि0 बनारस में भ्रष्टाचार के संबंध में है, स्वीकार की गयी है। दूसरी सूचना श्री सुन्दर लाल की, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय के संबंध में है, यह केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी। बाकी सब अस्वीकार हैं।

टिहरी में पर्वतीय विकास के लिए चल रहे सर्वदलीय आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

एक सदस्य—

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय। (सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाए)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

[प्राप्त सूचनानुसार जनपद टिहरी की पट्टी ग्यारह गांव एवं हिन्दाव के ग्रामवासियों द्वारा निम्नलिखित मांगों के संबंध में परगना मजिस्ट्रेट टिहरी के अहाते में दिनांक 3-2-1986 से जलूस व धरना देकर जेल भरो आन्दोलन शुरू किया गया।

1—वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया जाय।

2—कोटी अखोड़ी एवं मूलगढ़हुलाणा खाल-अखोड़ी मोटर मार्गों का शीघ्र निर्माण किया जाय।

3—राजकीय इण्टर कालेज अखोड़ी में 9 प्रवक्ताओं एवं प्रधानाचार्य के वर्ष 1982 से रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जायं।

4—राजकीय इन्टर कालेज अखोड़ी में हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट की यू0पी0 बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्र अनुमोदित किया जाय।

इन मांगों के संबंध में विवरण निम्न प्रकार है :—

मांग—1 के संबंध में बताया गया है है कि वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार की अनुमति के बिना वन भूमि के हस्तान्तरण में प्रतिबन्ध होने के कारण सभी विकासशील योजनाएं

नोट:—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जैसे यातायात के लिए मोटर मार्ग, सिंचाई की नहरें, विद्युत लाइन, पेय जल योजनाओं में पाइप लाइन बिछाने तथा सरकारी भवन निर्माण आदि कार्य स्थगित हैं।

मांग–2 के संबंध में भी बताया गया है कि यह निर्माण कार्य सा0नि0वि0 को वन भूमि हस्तान्तरण न होने के कारण रुका है।

मांग–3 के संबंध में यह बतलाया गया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक टिहरी गढ़वाल की आख्यानुसार राजकीय इण्टर कालेज अखोड़ी, टिहरी-गढ़वाल में प्रधानाचार्य के अतिरिक्त प्रवक्ताओं के 10 पद रिक्त चले आ रहे थे। मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी ने उपर्युक्त विद्यालय में प्रवक्ता (अंग्रेजी) की व्यवस्था स्थानान्तरण से कर दी है और प्रवक्ता द्वारा माह फरवरी, 1986 के प्रथम सप्ताह में उक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। अब उपर्युक्त विद्यालय में प्रधानाचार्य का एक पद तथा प्रवक्ताओं के 9 पद रिक्त चले आ रहे हैं। रिक्त पदों पर व्यवस्था के संबंध में अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय), लखनऊ के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को यह सूचित किया गया है कि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित होने के कारण एल0 टी0 व प्रवक्ता वेतन-क्रम में अध्यापकों की व्यवस्था कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

मांग–4 के संबंध में यह सूचित किया गया है कि राजकीय इण्टर कालेज अखोड़ी वर्ष 1986 की बोर्ड परीक्षाओं के लिये हाईस्कूल परीक्षा केन्द्र निर्धारित हो चुका है। इण्टरमीडिएट में छात्र संख्या न्यून होने तथा परिषद् द्वारा दिये गए निर्देशों की पूर्ति के अन्तर्गत विद्यालय न आने के कारण इण्टर परीक्षा केन्द्र उक्त विद्यालय में नहीं बनाया जा सका। ग्यारह गांव व हिन्दाव के उपरोक्त आन्दोलनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में दिनांक 3-2-86 से 27-2-86 तक परगना मजिस्ट्रेट, टिहरी के न्यायालय के समक्ष जुलूस व धरना दिया और 221 आन्दोलनकारियों ने गिरफ्तारियां दी थी। अब तक सभी आन्दोलनकारी रिहा हो चुके हैं।

आन्दोलनकारियों की मांगों से विभिन्न विभाग संबंधित हैं इस संबंध में यथोचित कार्यवाही करने हेतु संबंधित विभागों को लिखा दिया गया।]

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने आखिर में लिखा है कि आन्दोलनकारियों की मांगों से विभिन्न विभाग सम्बन्धित हैं तथा इस सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित विभागों को लिख दिया गया है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो पहली मांग है, जहां विकास की सारी सम्भावनाएं समाप्त हो गयी हैं, न वहां बिजली के खम्भे लग रहे हैं, न मार्ग बन रहे हैं, न पेयजल की व्यवस्था हो रही तथा जो अन्य जनोपयोगी कार्य हैं, वह भी नहीं हो पा रहे हैं, उसमें मुख्य बाधक वन विभाग बना हुआ है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आपने केन्द्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी की है, उसमें इस तरह से कोई सुझाव दिया है कि जहां पर इस तरह की आवश्यकता पड़े, तो पेड़ों के बारे में क्या किया जायगा या और कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी? यह माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत

सरकार से 1982 में सरलीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा और उसमें बिजली के खम्भे लगाने तथा जल की व्यवस्था करने के लिए पाइप लगाने के लिए सरलीकरण कर दिया है।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, मैं टेहरी विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। मान्यवर, यह वन अधिनियम जो 1980 का है, यह हमारे क्षेत्र में लागू है। इसमें यह बात तो सही है कि नल बिछाने की सुविधा तो दे दी गयी है, लेकिन जो टैंक लगाने की बात है, वहां पर वन विभाग टैंक लगाने से मना करता है। तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब आपने नल बिछाने की अनुमति दे दी है, तो उसमें भारत सरकार की कोई बात नहीं है, तो जहां पर टंकी बननी जरूरी है, उसके लिए आप क्यों नहीं इजाजत देते हैं ? इससे अनावश्यक रूप से दोनों विभागों में मुकदमेंबाजी हो जाती है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, बिजली के खम्भे लगाने तथा जल की व्यवस्था के लिए पाइप लाइन बिछाने के लिए सरलीकरण कर दिया है, उसमें देर नहीं लगती है।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के पहले पृष्ठ पर आखिरी पैराग्राफ देखें। उसमें लिखा है कि मांग-3 के संबंध में यह बतलाया गया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक टिहरी-गढ़वाल की आख्यानुसार राजकीय इण्टर कालेज अखोड़ी, टिहरी-गढ़वाल में प्रधानाचार्य के अतिरिक्त प्रवक्ताओं के 10 पद रिक्त चले आ रहे थे। मान्यवर, राजकीय इण्टर कालेज अखोड़ी की स्थिति बड़ी चिन्ताजनक है। उसमें 10 प्रवक्ता के पद रिक्त हैं और एक प्रधानाचार्य का पद रिक्त है। वहां पर एक अंग्रेजी प्रवक्ता का पद भर दिया गया है, लेकिन बाकी पद भरने से इन्कार कर दिया गया है, जिससे इस संस्था का बहुत बड़ा नुकसान है। क्या सरकार इन पदों को भरने के लिए कोई व्यवस्था करेगी?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, राजकीय शिक्षक संघ ने माननीय उच्च न्यायालय से स्टे ले रखा है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग आपस में बात न करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, अब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश बाकी पद को भरने के लिए हो गया है।

श्री गुलाब सिंह–

मान्यवर, अभी आपने कहा कि पाइप लाइन और बिजली के खम्भों के लिए कुछ राहत आपने दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां पर स्कूल भवन और दोनों तरफ से सड़कें बन गयी हैं और आधा किलो मीटर सड़क रह गयी है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

भारत सरकार का अधिनियम है, इसके अलावा जो प्रस्ताव भेजा गया था, वह स्वीकार नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 48 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
10 मार्च, 1986

पी0 एस0 यू0 पी0–एल0 60 विधान सभा (100)--1986–813।